1

राजस्थान विधान सभा कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2) सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 36वां दिवस (संख्या 21

1] [2

शुक्रवार,

दिनांक 27 मार्च, 1981.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री महाराम चौधरी

जिला नागौर में पशु चिकित्सालय

526. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या पशु पालन मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में कितने पशु चिकित्सालय 80-81 के अन्त तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है ? कितने कहां पर खोल दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) नागौर जिले में वर्तमान में 17 पशु चिकित्सालय, 11 स्वास्थ्य केन्द्र, 6 पशु औषधालय स्थापित हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 80-81 में जिला नागौर में 3 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जो निम्न प्रकार हैं :-

(1) नालोट तहसील नांवा

(2) भादवा तहसील परबतसर

(3) पालड़ी तहसील डेगाना।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि पशु चिकित्सालय खोलने का क्या आधार है और क्या मापदण्ड है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पहला आधार तो यह है कि जो बजट प्रावधान राज्य सरकार करती है उसके अन्तर्गत कितने पशु चिकित्सालय, औषधालय खोले जाने हैं। दूसरा, जहां-जहां जिस प्रकार से मांग है, उस क्षेत्र के पशुओं की संख्या, क्षेत्र की दूरी, बड़े गांव हैं या छोटे, कितने आपस में नजदीक में हैं, इस प्रकार से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, विधायक की, इलाके के लोगों की मांग को ध्यान में रखते

(श्रीमती कमला)

हुए जहां-जहां सम्भव हो सकता है उसी प्रकार से दिये जाते हैं।

श्री महाराम चौधरी : दूरी और पशुओं की संख्या को देखते हुए तो नागौर में इसी साल शफाखाना खोलने की विशेष आवश्यकता थी।

श्री अध्यक्ष : पशुओं की संख्या का तो एक आधार है। और भी कई आधार बताये हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, जहां गांवों की दूरी 50–50, 60–60 मील है, इसी तरह खींवसर, मालपुर आदि बड़े-बड़े गांव हैं जहां हजारों की तादाद में पशु हैं। वहां के लोगों का खास धन्धा पशु पालन का है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 80–81 में मरू क्षेत्र के लिए 30 पशु चिकित्सालय या पशु केन्द्रों का प्रावधान किया गया उसके मुताबिक आपके यहां तीन दिये गये। अब औसत लगाइये इससे ज्यादा....

श्री महाराम चौधरी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में....

श्रीमती कमला : निर्वाचन क्षेत्र किसी का हो, हर निर्वाचन क्षेत्र को हर वर्ष देना तो कैसे सम्भव है।

श्री महाराम चौधरी : जितने क्षेत्रों में खोले गये हैं उनका एतराज नहीं है लेकिन जिन क्षेत्रों का मैं जिक्र कर रहा हूं....

श्रीमती कमला : 81–82 में, अध्यक्ष महोदय, फिर 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्र रखे गये हैं उनमें जिन क्षेत्रों में खोले थे उनके अलावा नये क्षेत्रों को लिया जायगा।

श्री महाराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रमिक वर्ग के लिए आवासीय योजना

527. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य श्रमिक वर्ग के लिए आवासीय मकान बनाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(1) क्या ब्यावर नगर के श्रमिक वर्ग के लिये भी आवासीय मकान (मजदूर कालोनी) बनाने की योजना है ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री दिनेश डांगी) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ब्यावर नगर औद्योगिक क्षेत्र है। 20 वर्ष पहले मजदूरों के लिये औद्योगिक कालोनी बनाई गई थी उसके पश्चात् आज तक कोई भी कालोनी नहीं बनाई गई। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक हजार

(श्री विष्णु, प्रकाश बजारी)

मकान मजदूरों के लिये जल्दी से जल्दी बनाने के लिये कुछ आश्वासन दें।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में 152 और सहकारी क्षेत्र में 86 मकान, कुल 238 मकान बनाये गये थे अब यह योजना 80-81 में समाप्त कर दी थी. मैं कोशिश करूंगा कि भारत सरकार पुन : इस योजना को लागू करे । इसके अलावा जितने भी मकान और दे सकते हैं उसके लिये सरकार पूरी कोशिश करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि व्यावर ही नहीं जयपुर भी औद्योगिक क्षेत्र है । यहां भी जो श्रमिक बस्ती का निर्माण करवाया उसमें आज स्थिति यह है कि श्रमिक बस्ती में औषद्यालय की सुविधा नहीं है। मैं मूल प्रश्न के आधार पर जानकारी चाहता हूं कि क्या इस वर्ष में कोई प्रावधान रखा गया है मजदूरों की आवासीय समस्या के समाधान के लिये ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कोशिश करूंगा कि

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोशिश कहां से करेंगे ? बजट में प्रावधान है क्या ? भारत सरकार से आयेगा तब करेंगे। निवेदन मेरा यह है, मैंने पिछली दफा भी आवासीय समस्या का प्रश्न उठाया था। 31 करोड़ केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देने के लिये रखे थे, तब राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं थी। फिर बनायेंगे कहां से ? 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह होना चाहिये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार आवासीय समस्या की गंभीरता को देखते हुए क्या कदम उठायेगी?

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार अपनी तरफ से कालोनी का निर्माण करना चाहेगी ? अगर वहां मजदूरों को जमीन दे दी जाय और कोआपरेटिव के माध्यम से मजदूर कालोनी निर्माण करानां चाहते हैं तो क्या उसके लिये सरकार जमीन देगी ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस योजना का सवाल है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस योजना को भारत सरकार ने बन्द कर दिया है वह जब तक चालू न हो, उसके लिये क्या कह सकता हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। श्री हेमाराम चौधरी।

ग्राम होडू (बाड़मेर) में पेयजल व्यवस्था

528. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम होडू में पानी का हौद बना कर उसे पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य कब संपन्न हुआ ?

Page No.4

(4)

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में सरकार द्वारा हौद बना कर व पाइप लाइन बिछा कर लाखों रुपये व्यय करने के बावजूद अभी तक उस ग्राम में पानी नहीं पहुंचा है। यदि हां, तो क्यों व कब तक इस ग्राम को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की (श्री बनवारीलाल) : (1) कार्य वर्ष 1975 में पूर्ण हुआ।

(2) स्रोत की कमी तथा नीमल कोट व होडू के मध्य कुछ दूरी में पाइप लाइन में खराबी के कारण होडू ग्राम में पानी नहीं पहुंच सका है। अब इस ग्राम में अप्रेल माह तक पेयजल उपलब्ध होने की संभावना है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 80 तक होने की संभावना बतायी गयी है। क्या मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया जायगा कि 80 तक तो पानी अवश्य ही दे दिया जायगा ? यह संभावना बतायी जा रही है जबकि इसको बने हुए दस वर्ष का समय हो गया। अभी तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है।

श्री बनवारी लाल : यह 1981 है.....

श्री हेमाराम चौधरी : यह आश्वासन 1981 तक पूरा हो जायगा तो क्या पानी उपलब्ध हो जायगा ? करीब दस हजार रुपये का सरकार का खर्चा हो चुका है इसके बावजूद इसको आप नहीं कर रहे हैं इसका पूर्ण आश्वासन कृपया मंत्री महोदय दें।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय जैसे ही यह समस्या मेरे सामने आई मैंने विभाग को.......

श्री अध्यक्ष : ऐसी समस्या बहुत अधिक आयेगी आपके सामने.......

श्री बनवारी लाल : यह योजना 1975 में पूरी कर दी गयी थी। जैसे ही यह प्रश्न मेरे सामने आया मैंने विभाग को आदेश दे दिये हैं अप्रेल, 1981 तक आपके यहां पर पानी अवश्य ही उपलब्ध हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही पाइप में पानी जाता है वे फट जाते हैं इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं होता। ठेकेदार ठीक तरह से काम नहीं करते हैं और पानी भरते ही पाइप फट जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला। प्रश्न संख्या 529।

श्री हेमाराम चौधरी : यह ट्यूब वैल की स्कीम है, इस पर जो दूसरा काम है, इसी स्कीम की योजना.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैदा का परमिट देने का प्रकरण

529. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(1) क्या यह सही है कि परमिट संख्या 30 दिनांक 20 जनवरी, 1981 द्वारा 50 बोरी मैदा श्री माधोपुर की एक फर्म को जिला रसद कार्यालय, जयपुर द्वारा दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परमिट से माल लेने की मियाद समाप्त हो चुकी थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस परमिट की मियाद एक निरीक्षक ने अपने स्वयं के स्तर पर ही बढ़ा दी, जब कि नियमानुसार वह ऐसा नहीं कर सकते ?

(4) क्या यह सही है कि इसकी जांच करने पर निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया ? यदि हां, तो कृपया निलम्बन आदेशों की प्रति एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) रसद निरीक्षकों का निलम्बन व पुनः बहाल खाद्य विभाग करता है या जिलाधीश ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) श्रीमाधोपुर की एक फर्म को 50 बोरी मैदा का परमिट क्रमांक रसद/आवंटन/ 32 दिनांक 7.1.81 द्वारा दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस परमिट की मियाद निरीक्षक ने मीटिंग में लिये गये निर्णय के आधार पर बढ़ा दी थी।

(4) जी हां, निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न है।

(5) खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है। (आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस इन्सपेक्टर को आपने सस्पेन्ड कर दिया ? मुझे यह सूचना मिली है कि इस को शायद वापस बहाल भी कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके नाम परमिट इश्यू किया गया है, जिस दुकानदार ने गड़बड़ की है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फिर आपने सस्पेन्ड किस आधार पर किया ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के जवाब में अर्ज कर चुका हूं कि मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। जिन परमिट की मियाद समाप्त हो गई है उन परमिट की मियाद बढ़ा दी गई। निरीक्षक का इतना ही कसूर था कि उसने मीटिंग के निर्णयानुसार परमिट की मियाद बढ़ा दी और मियाद बढ़ाने के बाद उसने अपने बड़े आफिसर से इसको कन्फर्म नहीं कराया। यह छोटी गलती थी। इस वास्ते उसका निलम्बन कर दिया गया। जब उसने इस बात की ओर ध्यान खींचा तो उसके निलम्बन को बहाल कर दिया गया। उसको केवल यह वार्निंग दी गई है कि आगे तुम को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

(श्री चन्दनमल बैद)

इतनी सी बात है। न कोई गड़बड़ी है और न कोई घोटाला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह 50 बोरी मंदे की जयपुर के बाजार में बेची गई है। जिलाधीश को मैंने लिखित में भी दिया है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने को तैयार हैं?

श्री चन्दनमल बैद : केवल इतना ही पूछा गया था कि निरीक्षक को सस्पेन्ड क्यों किया गया। इसका उत्तर दे दिया गया है। यह जो 50 बोरी बेची गई, कलेक्टर को आपने क्या लिखा है, इसके बारे में प्रश्न में न कोई जानकारी चाही गई और न इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी है?

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है इसलिये एक सप्लीमेन्ट्री करने की मुझे इजाजत दें।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है जहां तक मेरी जानकारी है, 50 बोरी बिकने के बाद इन्सपेक्टर और दूसरे अधिकारी उस जगह पर गये थे। कुछ कागजात भी उन्होंने जप्त किये। हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, इसकी मुझको भी जानकारी है, तो क्या आप इस सारे मामले की जांच करेंगे और जिन जिन व्यापारियों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ जांच के आदेश देंगे?

श्री चन्दनमल बैद : जो सूचना दी गई है उसका उपयोग किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 530.

आवासन मण्डल के निर्मित भवनों पर ऋण की उपलब्धि

50. **श्री आत्माराम** (हनुमानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के निर्मित भवनों पर सरकारी कर्मचारियों को मण्डल के गठन के उपरात कितनी राशि ऋण स्वरूप उपलब्ध करवा यी गयी है?

(2) क्या समाज के अन्य तवकों को भी निगम के मकानों हेतु किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यय से बजट उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो किस माध्यम से कितना? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब इस पर विचार करेगी?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राजस्थान आवासन मण्डल के निर्मित भवनों पर सरकारी कर्मचारियों को मण्डल के गठन के उपरान्त अब तक कुल 210.15 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(2) समाज के अन्य तवकों को निगम के मकानों हेतु किसी भी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। भविष्य में भी इसके लिये अन्य

Page No.7

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्रोतों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री आत्माराम : यह 210 लाख रुपये किसको दिये गये हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के लिये जो रकम दी गई है वह 2 करोड़ 10 लाख 15 हजार रुपये की राशि है जो सरकारी कर्मचारियों को दी गई है।

श्री आत्माराम : इसमें कितने गजटेड हैं और कितने नान गजटेड हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका बाइफरकेशन तो मैंने नहीं करवाया है। इसकी सूचना एकत्रित नहीं करायी है कि कितने अधिकारी हैं और कितने कर्मचारी है। जो राशि अग्रिम की गई है उसकी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

श्री आत्माराम : जो नान गजटेड कर्मचारी हैं उनको यह लोन नहीं मिल पाता है। मेरा आशय यह है कि कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह अग्रिम दिया गया है ? दूसरा प्रश्न यह है कि समाज के जो दूसरे तबके हैं, लो इनकम ग्रुप के हैं, क्या सरकार उनको भी ऋण देगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रश्न है वह यह है कि राजस्थान आवासन मण्डल के निर्मित भवनों पर सरकारी कर्मचारियों को मण्डल के गठन के उपरान्त कितनी राशि ऋण स्वरूप उपलब्ध करवायी गयी है। इसका उत्तर मैंने दे दिया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या समाज के अन्य तबकों को भी निगम के मकानों हेतु किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से बजट उपलब्ध कराया गया है। मैंने इसका उत्तर यह दिया है कि सरकार की नीति केवल सरकारी कर्मचारियों को लोन एडवान्स करने की है। आवासन मण्डल के मकानों को पर्चेज कराने हेतु दूसरे तबकों को लोन देने की सरकारी नीति नहीं है। वे दूसरे माध्यमों से, बैंक से, एल. आई. सी. से लोन लेकर मकान पर्चेज कर सकते हैं। सरकार के पास इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपने जो जानकारी चाही है वह दे दी है। आप स्पेसिफिक और फर्मा देते तो वह जानकारी भी उपलब्ध हो जाती।

श्री नन्दलाल मीणा। प्रश्न संख्या 531.

तहसील प्रतापगढ़ की सीमा पर मध्य प्रदेश के हस्तगत विवादग्रस्त भूमि

531 **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौडगढ में राज्य की कुछ भूमि पर मध्य प्रदेश का कब्जा है ? यदि हां, तो अब तक इस विवाद में कितने राजस्थानी जख्मी हुए, कितनों की गिरफ्तारियां हुई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) सरकार सीमा विवाद की समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहती है?

राज्य मंत्री, राजस्व (**श्री प्रद्युम्नसिंह**) : (1) जी हां। राजस्थान द्वारा हुए सैटलमेन्ट में टावर्स सर्वे लाइन को सीमा मानने, किन्तु मध्य प्रदेश द्वारा हुए सैटलमेन्ट में नाले के माध्यम को सीमा मानने के कारण, राजस्थान के ग्राम राजपुरिया व मध्य प्रदेश के ग्राम जमालपुरा के बीच की सीमा का विवाद है। सीमा विवाद के संबंध में न तो कोई जख्मी हुए व न ही कोई गिरफ्तारियां हुईं।

(2) राज्य सरकार अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को जहां तक संभव हो, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर तथा जिला स्तर के माध्यम से तथ्यों के आधार पर आपसी सद्भाव से तय करने का प्रयत्न करती है। इस सीमा की समस्या का समाधान भी सरकार इसी प्रकार करना चाहती है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की प्रतापगढ़ तहसील के गावों में से कितने गांव मध्यप्रदेश की सीमा पर हैं और मध्य प्रदेश ने उन पर कब्जा कर रखा है उनके खसरा नम्बर क्या हैं? क्या इससे पूर्व यह जमीन राजस्थान के पास में राजस्थान की जमीन थी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे पास सारी सूचना है। मैं कोई सूचना छुपाना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह मामला दोनों तरफ के एस० डी० ओ० के स्तर पर विचाराधीन है। अगर आप चाहें तो मैं यह सूचना देने को तैयार हूं। लेकिन मैं नहीं देना चाहता हूं और इसलिये नहीं देना चाहता हूं कि इससे राजस्थान के काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात होगा। इसके बावजूद अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं सूचना देने को तैयार हूं। यह सैटलमेंट का मामला है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा है कि जो जमीन राजस्थान की है या राजस्थान की जिस जमीन पर मध्य प्रदेश ने कब्जा कर रखा है उस जमीन की क्या स्थिति थी और उसके आराजी नम्बर क्या है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर स्टेट में सन् 1938 में सैटलमेंट हुआ था और राजस्थान में सैटलमेंट हुआ था सन 52 में। जो 38 में सैटलमेंट हुआ था, जिन नम्बरों पर डिसप्यूट है, जो नम्बर 38 के सैटलमेंट के अन्दर मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर स्टेट में थे, फिर ये मध्य प्रदेश में शामिल हो गये। अपने यहां के 52 के सैटलमेंट के अनुसार, राजस्थान के 52 के सैटलमेंट के अनुसार खसरा नं 135, 136, 137, 138, 158, 159 और 160 थे। पहले जो सैटलमेंट हुआ उसके अनुसार जो नाला निकलता था गांव राजपुरिया के पास उसको सीमा माना था। 52 में जो सैटलमेंट हुआ था राजस्थान के अन्दर तो वहां नाले के उस पार, मैं, अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि वह....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

Page No.9

श्री प्रद्युम्नसिंह : परले तरफ जाकर सीमा मानी।

श्री अध्यक्ष : परली तरफ लिया है और मध्य प्रदेश बीच में मान रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 38 से मामला चल रहा है। 52 में सैटलमेंट दुबारा हुआ दोनों के बीच में काफी समय का फर्क है। मेरे नहीं बताने का कारण यह था, मैं इसलिये नहीं बताना चाहता था कि दोनों तरफ के एस.डी.ओ. के लेवल पर बात चल रही है। कलेक्टर को भी कहा गया है कि वह इसमें रुचि ले और इसको निपटाये। सही बात तो यह है कि एस.डी.ओ. ने भी इसकी रिपोर्ट भेजी है और कलेक्टर ने भी लिखा है कि हमारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है। 38 में ग्वालियर का सैटलमेंट हो चुका है। मैं इसलिये इस बात को कहना नहीं चाहता था। माननीय सदस्य इसको जानबूझ कर पूछ रहे थे, स्टेट के हित में मैं मना करना चाहता था। विरोध में थे और हमारी गलती बता रहे थे। हमारी कोई गलती नहीं है इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ा।

श्री नंदलाल मीणा : मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ राजस्थान बनने से पहले एक स्वतंत्र रियासत थी ? तहसील रिकार्ड के अनुसार सन् 46 में जो नक्शा था उसमें इस जमीन, 135, 136, 137, 138, 158, 159, 160 को प्रतापगढ़ में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका नक्शा है जो सरकारी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति बतायें। मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, सवाल राजस्थान का है, राजस्थान की जमीन का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि एस.डी.ओ. बैठे हैं, बातचीत की है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें सीमा विवाद है, जमीन का विवाद है, उनका सैटलमेंट पहले हुआ था इसकी सीमा तय की थी। दूसरा सैटलमेंट हुआ राजस्थान वाला उसमें कुछ और दर्ज है। दोनों एस.डी.ओ. बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादा यहां सवाल नहीं पूछें, यह अपने ही हित में है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रतापगढ़ स्टेट का विलीनीकरण हुआ, हमारे यहां पर हुआ तो जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन था क्या उसने कोई नक्शा बनाया था ? उसमें यह विवाद वाली जमीन किसकी दिखायी गयी थी स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने कोई बोर्डर फिक्स नहीं किया था....

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : इसके लिये मैं मंत्री जी से आदेश नहीं लूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो कमेटी बैठी थी उसने कोई सीमा तय नहीं की थी। आप इतने बुजुर्ग हैं आपको जानकारी है, यह उसका काम नहीं था। यह तो सैटलमेंट विभाग का काम है। भू सर्वेक्षण भारत सरकार का जो विभाग है उसका यह काम है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है...

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : थोड़ा सा ही होता है, कोई गांव के गांव का नहीं होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थोड़ी सा है। एस. डी.ओ. ने कार्यवाही की है, कलेक्टर को भी निर्देश दे दिये गये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री नंदलाल मीणा : आपस में लाठी चलती हैं और खून खच्चर होता है। मंत्री महोदय यह बतायें कि कितने केस रजिस्टर हुये, कितने केस वहां के न्यायालयों में चल रहे हैं और कितने हमारे यहां पर हैं....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो विवाद है वह 3 हैक्टेयर का है। जो जुड़ी हुई जमीन है मध्य प्रदेश से वहां पर खसरा नं 157 राजस्थान की तहसील प्रतापगढ़ का है। वहां पर कुछ लोग मवेशी चरा रहे थे, अपने यहां के लोग चरा रहे थे। मध्य प्रदेश के कुछ आदमी आये और मवेशी ले गये। वह दूसरा केस है मारपीट जो हुयी है उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करू कि उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है, यह दूसरा झगड़ा है।

श्री अध्यक्ष : अहमद बक्स।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, झगड़ा कोई गांव का नहीं है, कोई पाकिस्तान में जमीन नहीं जा रही है। जा रही है तो हिन्दुस्तान के राज्य में मध्य प्रदेश में ही जा रही है। थोड़ी सी जमीन है 2–4 बीघा, तीन हैक्टेयर जाती है तो वह जाये। उससे कोई फर्क नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अगर लोगों में लड़ाई होती है तो खास तौर से उस झगड़े को आपको सुलझाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): इतनी बड़ी जमीन मध्य प्रदेश ले रहा है और आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी जमीन है। आप अपने भाई को तो जमीन दे नहीं सकते हैं, उसके लिये तो कोर्ट में जाते हैं। मैं जानती हूं कि आप झगड़ा करते हैं। मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री दीपेन्द्र सिंह।

राजकीय चिकित्सालयों में व्यवस्था

532. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रदेश में कार्यरत राजकीय चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं से सरकार संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो इनमें सुधार के लिए सरकार के पास क्या नई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या प्रदेश में सभी चिकित्सालयों में डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स का स्ट्रेन्थ अनुसार पदस्थापन किया हुआ है अथवा सेवायें उपलब्ध हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) राज्य सरकार का संतुष्ट अथवा असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार उपलब्ध साधनों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के अनुसार राजकीय चिकित्सालयों को जितना अधिक सुचारु रूप से चला सकती है चलाने का प्रयत्न करती है। डाक्टर्स की कमी को शीघ्र पूरा किया जायेगा।

(2) कुछ स्थानों पर स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि आप जो सुविधायें उपलब्ध कराते हैं जनता को उसका क्या मापदण्ड है ? क्या सिद्धान्त है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप मेडिकल सुविधायें उपलब्ध करवाते हैं ? कितनी जनसंख्या का, कितने क्षेत्रफल का, कितने धन का मापदण्ड है ? यह बतायें कि आपकी मापदण्ड क्या है ? दूसरा यह कि आपने बताया कि स्टाफ की कमी है तो कितनी कमी है ? कौन कौन से स्थान पर कितनी कितनी कमी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कहां कहां पर कितनी कितनी कमी है यह बताना तो सम्भव नहीं है। लगभग 300 डाक्टर्स की कमी है, मेल नर्सेज की कमी है, फीमेल नर्सों की कमी है, इसी तरह सबकी कमी है। मैं इस बात को कई बार स्वीकार कर चुका हूं। आज इसकी मांग है शाम को मैं और विस्तृत सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। कितना स्टाफ कम है कौन सा मापदण्ड है...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और जनहित की समस्या से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों को क्या मेडिकल सुविधायें हैं, वहां पर किस प्रकार की एड दी जाती है, इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाय, यह उचित नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कितने क्षेत्र में, कितनी जनसंख्या पर, कितनी दूरी पर मेडिकल सुविधायें उपलब्ध कराई ? यह स्पष्ट होना चाहिये।

(व्यवधान)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही सप्लीमेन्ट्री पूछा है, उसका जवाब भी नहीं देना चाहते । इस तरह से हमारे अधिकार को छीन रहे हैं । इतना महत्वपूर्ण सवाल है, कितनी जनसंख्या पर और कितने क्षेत्रफल में मेडिकल फेसिलिटीज देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

कितनी दूरी पर मेडिकल की सुविधायें देनी चाहिये ? इसका अभिप्राय है मेडिकल सुविधायें नहीं उपलब्ध करवाईं । केवल यह तो बताने दीजिये कितने क्षेत्रफल में, कितनी जनसंख्या पर....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, गावों में हास्पिटल्स हैं, उनमें डाक्टर्स की सुविधायें नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : एक मापदण्ड तय होना चाहिये, सुविधायें तय होनी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आज दिन भर इसी महकमे की डिमाण्ड है, इसलिए मैंने निवेदन किया था इस पर विस्तार से चर्चा होगी और सारे सिद्धान्त जो हैं उनका मैं जवाब दूंगा ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है, डिमाण्ड पर चर्चा के उत्तर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न के समय ही आना चाहिये । क्या सिद्धान्त हैं, कितनी आवश्यकता है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब को गोल किया जा रहा है । आप स्पष्ट करवा दीजिये, कितने क्षेत्रफल में, कितनी सुविधायें मान कर राजस्थान सरकार चल रही है ? एक मेडिकल सैन्टर से दूसरे मेडिकल सैन्टर तक कितनी दूरी होनी चाहिये, यह बता दीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कितने प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स हैं जिनमें डाक्टर्स नहीं हैं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक ही सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं, अगर वह भी नहीं पूछने देते तो फिर क्या फायदा प्रश्न पूछने से, क्या उद्देश्य है । मैं यह जानना चाहता हूं कितना क्षेत्रफल, कितनी जनसंख्या, कितनी दूरी,....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्रीजी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के इतना उत्तेजित होने का प्रश्न नहीं है । यह नहीं कि मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैंने तो सहूलियत के लिये कहा था । ये चाहें तो मैं अभी बता सकता हूं ।

राजस्थान में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद डिस्पेन्सरीज हैं, उसके बाद सब-सैन्टर्स और और फिर प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स हैं, इस प्रकार से सारी व्यवस्था है । इन सारी इन्स्टीट्यूशन्स की पूरी मिलाकर संख्या

(श्री हीरालाल देवपुरा)

1700 है जो विभिन्न स्थानों पर है, इनमें सब-सेन्टर्स शामिल नहीं हैं। उनमें डाक्टर्स हैं। मेडिकल एड सैंक्शन होती है, उस हिसाब से डाक्टर्स की स्ट्रेन्थ होती है। मैंने अभी कहा 300 से 400 तक डाक्टर्स की कमी है। अब इन्होंने यह विस्तार से पूछा कि कितनी जगहों पर कितनी कमी है, यह भी सूचना मेरे पास उपलब्ध है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : कितनी जनसंख्या पर, कितने क्षेत्रफल ...

श्री हीरालाल देवपुरा : आप जरा सुन लीजिये।

इसी तरह से मैंने पैरामेडिकल स्टाफ़ के लिए कहा, जिसमें कम्पाउण्डर्स, मेल नर्सेज, ए.एन.एम. आते हैं इनकी भी 600-650 की कमी है। इनके प्रशिक्षण की कार्यवाही भी चालू है। प्रतिवर्ष लगभग 400-500 प्रशिक्षित नर्सेज और कम्पाउण्डर्स निकलते हैं। इनको हम 82-83 तक पूरा कर पायेंगे। डाक्टरों के लिये मेरा निवेदन है कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हुई है, उसके बाद भी हमारे पास 100 डाक्टरों की कमी रहेगी जिसके लिए हमने और रिक्वीज़िशन किया है। एडहॉक पोस्टिंग पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्पेन्सरीज हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास उनके लिए बेड्स के आधार पर उनका मेडिसन का बजट देना पड़ता है। गांवों में मेडिसन्स की कमी है यह मैं स्वीकार करता हूं, उनमें बजट कम है। इसका कारण बढ़ती हुई आबादी है। एक समय था जब लोग इस तरफ ज्यादा जागरूक नहीं थे। यह बात सही है कि इस पर दुबारा विचार किया जाना चाहिये। जो इनको दो हजार, चार हजार या 6 हजार रुपया दिया जाता है, यह पूरा नहीं पड़ता है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि डिमाण्ड अब ज्यादा बढ़ गई है, हो सकता है, कुछ पट्टियों की कमी हो, या सामान की कमी हो, इस बात से मैं इन्कार नहीं करता, इसको ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज दिन भर इसी विषय पर डिबेट है। माननीय सदस्यों के बहुत से सुझाव भी आयेंगे, उन पर विचार करूंगा और अच्छी तरह से सारी व्यवस्था चल सके, ऐसा प्रयत्न करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्राइटेरिया का उत्तर

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : कितने क्षेत्रफल में, कितनी जनसंख्या पर, आप मेडिकल फेसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या मापदण्ड है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न, श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री दाऊदयाल जोशी।

Page No.14

(14)

जिला कोटा में राशनिंग के अन्तर्गत आवंटित गेहूं की मात्रा

533. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा व कोटा नगर में राज्य के आपूर्ति विभाग ने कितना कितना गेहूं गत तीन माह में पहुंचाया ?

(2) जिले की किस किस तहसील को कितना–कितना गेहूं दिया गया ? आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कितना–कितना गेहूं प्रति व्यक्ति आवंटित किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद, : (1) कोटा जिला व कोटा नगर में गत तीन माह में आवन्टित किये गये गेहूं की सूची संलग्न है।

(2) कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों को गत तीन माह में आवन्टित गेहूं की सूची सलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न (2) में जिले की किस किस तहसील को कितना–कितना गेहूं दिया ? यह जानकारी तो दी गई लेकिन आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कितना–कितना गेहूं प्रति व्यक्ति आवंटित किया गया, इसका जवाब नहीं दिया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने टोटल क्वान्टिटी बता दी है, आबादी के ज से

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि कोटा जिले की 3 लाख 56 हजार की आबादी है। दिसम्बर में 500 बोरी 400 क्विटल गेहूं दिया गया, जनवरी में नहीं दिया, फरवरी में नही दिया। उसके बाद सांगोद तहसील में केवल दिसम्बर में गेहूं दिया गया है जब कि इस तहसील में भयंकर अकाल है, 216 गांवों में अकाल घोषित है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह पूछना चाहता हूं, कोटा में 12 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों को बिलकुल गेहूं नहीं दिया गया, क्या यह सही है ? नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : जिलों को गेहूं आवंटित किया जाता है, जितनी मात्रा राजस्थान को भारत सरकार से आवंटित होती है उस मात्रा को देखते हुए जिलों में आवंटित किया जाता है। जिलाधीशों पर इस बात को छोड़ दिया गया है कि अपने जिले में किन किन तहसीलों में कहां कहां जरूरत समझते हैं, वे उस गेहूं को वहां वितरित करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा जिले में कोटा नगर के बाद बारां सबसे बड़ा नगर है जो अब जिला बनने जा रहा है। क्या मंत्री महोदय ने इन तीन महीनों में कोई गेहूं बारां जिले को दिया ? नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं सूची दे चुका हूं और अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास जो गेहूं भारत सरकार से आया वह विभिन्न जिलों में बांट दिया और जिलाधीशों पर छोड़ दिया कि जिस जगह जैसी स्थिति को देखें, उस हिसाब से गेहूं आवंटित किया जाय। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं कि राजस्थान में पूरा राशनिंग नहीं है। खुले बाजार में जिस भाव में हमें गेहूं मिलता है, करीब उसी भाव में मोटा अनाज सारे राजस्थान में मिलता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री बाऊदयाल जोशी : आज कोटा में 210) रु. बाजार में गेहूं बिक रहा है और राज्य सरकार द्वारा जो गेहूं बेचा जाता है वह 146) रु. में।

श्री चन्दनमल बैद : अब 160) हो जायगा।

श्री बाऊदयाल जोशी : जब गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो लोग सस्ती दुकानों पर जायेंगे। वहां गेहूं बिलकुल नहीं दे रहे हैं। कोटा नगर में…

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया।

श्री बाऊदयाल जोशी : जनवरी, फरवरी में बिलकुल नहीं दिया, कोटा में त्राहि-त्राहि मच रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : गोदाम भरे हुए हैं लेकिन राज्य सरकार लेने में असमर्थ होती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री बाऊदयाल जोशी : जनता पार्टी के शासन में गेहूं के भंडार इकट्ठे किए गए थे वे रूस को दे दिए गए।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सत्य यह है कि कांग्रेस ने जो भंडार बनाए थे, वह जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न, श्री सुरेन्द्र व्यास।

(व्यवधान)

कृपया समय का ध्यान रखें। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : मंत्री के पास यह कोई मीटर नहीं है कि प्रति व्यक्ति कितना काम में लेता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया गया है, कृपया सहयोग दें। स्थान ग्रहण करें।

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

मेडिकल कालेजेज में टीचिंग स्टाफ की स्वीकृति का मापदण्ड

534. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजेज में टीचिंग स्टाफ के विभिन्न श्रेणी के पदों की स्वीकृति का क्या आधार है? कृपया इस आधार पर जनवरी, 1981 तक विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्वीकृत पदों में से कितने कितने रिक्त हैं और कब से व क्यों?

(3) विभिन्न विषयों की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है? कृपया विगत सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया के पैटर्न के आधार पर टीचिंग स्टाफ स्वीकृत किया जाता है। सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न तो अलाउ किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजूएट कितने कॉलेज हैं जहां पर आपकी यूनिट पूरी न होने से कोर्सेज नहीं चल पा रहे हैं और यूनिट न चलने से विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों हेतु आवंटित चीनी व केरोसिन

535. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में अलग अलग किस्म की राशन की चीनी बांटी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि लेवी की चीनी क्रय करने हेतु सरकार ने कोई मानक स्तर निर्धारित नहीं कर रखा है? यदि नहीं, तो किस किस्म की चीनी लेवी में ली गई है?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिसम्बर व जनवरी में लेवी व फ्री सेल की चीनी सरकार द्वारा नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण था? यदि

(श्री हंसराज शर्मा)

हां, तो जिला सवाई माधोपुर में लेवी की कितनी तथा 500 ग्राम वाली कितनी चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में बांटी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कस्बों में सरकार कंट्रोल की वस्तुओं के वितरण में भेदभाव रखती है ? यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी का तेल किस आधार पर दिया गया है ?

खाद्य व आपूर्ति मंत्री (श्री चन्दनमल-बैंद) : (1) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक ही किस्म की लेवी की चीनी दी गई है । परंतु माह नवम्बर व दिसम्बर में फ्री सेल की चीनी शहरी क्षेत्र में ही दी गई है ।

(2) भारत सरकार द्वारा मानक स्तर निर्धारित है । राज्य को डी व ई–29 तथा डी व ई–30 किस्म की लेवी चीनी प्राप्त हुई है ।

(3) माह दिसम्बर, 1980 व जनवरी 1981 में मिलों से चीनी प्राप्त नहीं होने के कारण सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण नहीं किया जा सका । सवाई माधोपुर जिले में माह दिसम्बर, 80 में 2622 क्विंटल व जनवरी 81 में 6016 क्विंटल लेवी चीनी का वितरण किया गया । उक्त महीनों में फ्री सेल चीनी का शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही कोई आवंटन नहीं किया गया क्योंकि यह योजना केवल सितम्बर, 80 से 15 नवम्बर, 80 तक के लिए थी ।

(4) उपलब्धि एवं आवश्यकता के आधार पर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल 2 से 20 लीटर तक उपलब्धि एवं आवश्यकता के आधार पर दिया गया है । दिनांक 23-3-81 से मिट्टी के तेल पर वितरण संबंधी समस्त प्रतिबंधों को हटा लिया गया है ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्रेड्स आपने बताये भारत सरकार से निर्धारित हैं, क्या उस प्रकार के ग्रेड्स के आधार पर चीनी की कीमत दोनों तरह की दी जाती है ?

श्री चंदनमल बैद : विभिन्न मिलों की चीनी विभिन्न दामों में लेनी पड़ती है उसके लिए इक्वलाइजेशन फंड है । आज जो कन्ट्रोल की चीनी बाजार में 3।। रुपये प्रति किलो दी जाती है, उसमें कई मिलों की चीनी का भाव भारत सरकार द्वार 3।। रु. प्रति किलो से भी ज्यादा है । चीनी चाहे 3।। रुपये के ऊपर हो या नीचे हो उसको लाकर 3।। रुपये के हिसाब से हमें राजस्थान में या सारे देश में वेचना पड़ता हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : एक प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, आर्डर प्लीज ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ए ग्रेड की चीनी बढ़िया क्वालिटी की है

XXX माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हंसराज शर्मा)

और बी कमजोर क्वालिटी की है। जिन क्षेत्रों में दोनों ग्रेड्स की चीनी भेजी जाती है क्या वहां सभी लोगों से उसी आधार पर कीमत ली जाती है या दोनों ग्रेड्स की कीमत बराबर मानी गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका कि सारी चीनी राजस्थान में आती है, वह 3।। रुपये प्रति किलो में बेची जाती है। कहीं डी क्वालिटी आती है कहीं ई आती है। जहां डी पहुंचती है वहां डी बांटी जाती है।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा प्रश्न दूसरा है। ए ग्रेड चीनी सल्फर है और बी ग्रेड चीनी दूसरी है। आज राशन कार्ड से जो ए क्लास चीनी दी जाती है उसका पैसा किस आधार पर लिया जाता है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह आपकी गलती है, वह सल्फर नहीं है। मिल की चीनी डी ग्रेड की चीनी जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है वह जहां जहां आती है, वितरित की जाती है।

श्री हंसराज शर्मा : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : केवल एक प्रश्न।

क्या यह सही है कि इस प्रकार की बांटी हुई चीनी की शिकायत जिला सवाई माधोपुर से आपके विभाग को हुई है ? क्या यह सही है कि आपके विभाग के लोगों ने उस शिकायत के बाद उत्तर दिया है क्योंकि ग्रेड के मामले में हमारी किसी प्रकार की निर्धारित नीति नहीं है इसलिए हम असमर्थ हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि दो ग्रेड की चीनी दी जाती है डी व ई–29 तथा डी व ई–30। मैंने कहा जिस ग्रेड की चीनी दी जाती है वही वितरित की जाती है, देहात की देहातों में दी जाती है शहर की शहरों में दी जाती है। भेदभाव की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है। यह पहली बार आया है। आपने प्रश्न नहीं लिया। अगर आप वह प्रश्न ले लें तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बार प्रश्न आया है उसका तो जवाब दिला दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आपके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा, आप इस प्रश्न को अन्य तरीकों से भी उठा सकते हैं। आप मेरे से चैम्बर में आकर मिल लें। आपके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था मैं करूंगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । श्री सुरेन्द्र व्यास । स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 मार्च, 1981)

जयपुर में अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा स्तर के अधिकारियों के निजी भवनों का उपयोग

238. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर में भारतीय प्रशासनिक । पुलिस एवं राजस्थान प्रशासनिक । पुलिस सेवाओं के कितने कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके निजी मकान होते हुए भी राजकीय मकानों में रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश अधिकारियों ने अपने निजी मकान राज्य सरकार से ऋण प्राप्त कर बनाये हैं ?

(3) ऐसे अधिकारी कौन कौन हैं जिन्होंने अपने मकान राज्य सरकार, राजकीय उपक्रमों को किराये पर दे रखे हैं ? प्रत्येक से कितना कितना मासिक किराया प्राप्त किया जाता है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जयपुर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के कुल 5 अधिकारी हैं जिनके निजी मकान होते हुए भी राजकीय मकानों में रहते हैं । इन अधिकारियों के नाम संलग्न सूची में अंकित हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है । राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जयपुर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों ने अपने मकान राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम विभागों को किराये पर दे रखे हैं उनके नाम तथा किराये संबंधी सूचना संलग्न सूची ख में अंकित है जिस की प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है । राजस्थान पुलिस सेवा का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्रीजी से यह प्रश्न है कि भारतीय सेवा के कितने अधिकारी है जिन्होंने अनड्यू इनफ्लूएंस से अपने मकान किराये पर दे डाले ? रूल्स में ऐसा प्रोविजन है कि यह अधिकारी अपने मकानों को किराये पर नहीं दे सकते । खुद सरकारी बंगलों में रहे....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनड्यू इनफ्लूएंस का तो कोई सवाल नहीं है किसी भी अधिकारी का सरकार पर अनड्यू इनफ्लूएंस डालना सम्भव नहीं है । किराया जो तय किया जाता है वह पी.डब्ल्यू.डी. से तय किया जाता है । इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर यह है कि सरकार की तरफ से इसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी जो लोन लेकर मकान बनाना चाहे किसी प्रकार व्यवस्था करके, बनाये वह मकान किराये पर उठा सकता है ।

Page No.20

(20)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री नरपत राम बरबड़।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रश्न संख्या 290।

श्री अध्यक्ष : आपके पास अथोरिटी है क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई : हां साहब है, कल दे दी थी।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 17 मार्च, 1981)

जोधपुर क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समितियों में आरक्षित पदों की पूर्ति

290. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) [श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) की अनुपस्थिति में] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण के अनुसार पूर्ति की जाती है ?

(2) यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो जोधपुर खण्ड में वर्तमान में कितने पद हैं एवं कितने पद आरक्षण के अनुसार भरे गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर खण्ड में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक के पद पर कितनी पदोन्नतियां आरक्षण (रोस्टर) के अनुसार गत तीन वर्षों में की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं ? यदि रिक्त पड़े हैं, तो क्यों तथा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) जोधपुर खण्ड में कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्रमशः 10, 19, 20, 151, 146 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध उपरोक्त श्रेणियों के आरक्षित पदों के विरुद्ध क्रमशः 1, 1, 8 एवं 29 पद भरे गये हैं। विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जोधपुर खण्ड में कनिष्ठ लिपिकों में से 5 आरक्षित पदों के विरुद्ध एक पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है, शेष पदों के लिए पदोन्नति योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। वरिष्ठ लिपिकों में से पर्यवेक्षक के पदों पर मण्डी सेवा नियमों के अन्तर्गत योग्य प्रत्याशी प्राप्त नहीं होने के कारण कोई पदोन्नति नहीं की गयी है।

4) आरक्षित रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:–

	सीधी भर्ती हेतु रिक्त पद	पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पद
1) कनिष्ठ लेखाकार	–	4
2) पर्यवेक्षक	–	5
3) वरिष्ठ लिपिक	–	4
4) कनिष्ठ लिपिक	34	3
5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	11	–

Page No.21

(21)

(कृषि मन्त्री)

विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तथा उसमें पदों के न भरे जाने के कारणों का भी उल्लेख कर दिया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो आपने पद रिक्त बताये हैं उन पर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर और सचिव ने टेम्प्रेरी लोगों, जो सवर्ण जाति के हैं, की नियुक्ति कर रखी है? क्या मन्त्री महोदय अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवस्था करायेंगे कि जिससे उन लोगों को रखा जा सके?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये आरक्षित स्थान हैं और जिस प्रतिशत से उनकी भर्ती होनी चाहिये वह प्रत्येक विभाग के लिये हैं चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। वहां के अधिकारियों का दायित्व हो जाता है कि उनमें उन लोगों को लिया जाये। यह बात जब मेरे ध्यान में लाई गई तो मैंने उनसे कहा तो यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पाबन्दी लगी हुई है इसलिये उन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। दूसरे एलीजिबिलिटी के आधार पर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं इसलिये यह व्यवस्था की हुई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनुसूचित जाति और जन जाति के युवक जोधपुर में पढ़े लिखे नहीं मिलते हों। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उनको रखा नहीं जाता है। वहां एडमिनिस्ट्रेटर और सचिव इन पदों को रिक्त रखते हैं। वहां जो एस.डी.ओ. प्रशासक लगे हुए हैं वह अपने ही आदमियों को रख लेते हैं। क्या मंत्री महोदया रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को लेने की कोशिश करेंगी?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस कारण से यह प्रश्न पूछा गया है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले कुछ सवाल ऐसे पूछे गये तो यह कहा गया कि राज्य सरकार की पाबन्दी लगी हुई है इसलिये लोगों की भर्ती नहीं की जा रही है। पर चूंकि वर्कलोड ज्यादा होता है इसलिये वर्क चार्ज बेसिस पर लोगों की नियुक्ति की हुई है। इस बात का ध्यान है लेकिन वर्क चार्ज की भर्ती टेम्प्रेरी होती है और वह पक्की नियुक्ति नहीं होती है। दूसरे वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह लगे हुए हैं उन्हें अब यह गवर्नमेन्ट से आदेश चले गये हैं कि कोई वर्कचार्ज की नयी भर्ती नहीं की जावे।

प्रश्न संख्या 535

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री चुन्नीलाल।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर साहब नहीं हैं।

Page No.22

(22)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय या तो सोते रहते हैं या रहते नहीं हैं। आप उनको ताड़ना दीजिये। यह रोजाना की प्रक्रिया बन गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं मुझे मालूम नहीं था कि प्रश्न ले लिया गया है क्योंकि अभी स्थगित प्रश्न लिये जा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। मैंने पहले स्थगित प्रश्न ले लिये थे। बाद में जब चुन्नीलाल जी ने यह कहा कि मेरा प्रश्न कभी नहीं आया है तो मैं विचार कर रहा था कि किस प्रकार इनका प्रश्न लिया जाय। मन्त्री महोदय को पता नहीं था कि दुबारा यह प्रश्न ले लिया जायगा। इसलिये आप स्थान ग्रहण करें। श्री चुन्नीलाल।

ग्राम बालेर हेतु पेयजल योजना का क्रियान्वयन

536. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार के ग्राम बालेर की जलप्रदाय योजना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कितनी धन राशि किस सन् में जमा करायी गई थी ?

(2) क्या ग्राम बालेरा तहसील खण्डार की जल प्रदाय योजना को जिला योजना समिति ने भी इसी वर्ष चालू करने की रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य चालू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त जल प्रदाय योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारी लाल) : (1) सदमति ग्राम हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 3500 रुपये वर्ष 1973 में जमा कराये गये थे।

(2) जी हां, जिला आयोजना समिति ने वर्ष 1980-81 में भी उक्त ग्राम हेतु योजना स्वीकृत करने का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में समस्त ग्रामों को उच्चतर प्राथमिकता दी गई है तथा ग्राम बालेरा समस्या रहित ग्रामों की श्रेणी में आता है।

(3) समस्या रहित ग्रामों को वर्तमान दशक अर्थात 1981-90 के मध्य ही पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, सन् 67 से इस ग्राम की नल योजना के बारे में

(श्री चुन्नीलाल)

राज्य सरकार से आशा की जा रही है। इस संबंध में सरकार की भी नीति यह है कि जिन गांवों में पानी का अभाव है वहां समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाये। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि तहसील खण्डार के ग्राम बालेर के अन्दर एक कुआ है और 500 घरों की वस्ती है। बरसात के दिनों में तो पानी भर जाता है और दूसरे समय में सूख जाता है। पशुओं के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसमें से बचा हुआ पानी होता है वह ठीकरियों से अपने घड़ों में भर कर ले जाते हैं। ऐसी समस्या है ग्राम बालेरा के अन्दर। तो इस योजना को प्राथमिकता देकर काम चालू करायें।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह ग्राम समस्या रहित है। सन् 1980-81 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने भी इसको स्वीकृत करके भेज दिया था लेकिन यह गांव समस्या रहित है और सरपंच ने मना कर दिया था। वैसे वहां पम्प सेट की योजना स्वीकृत हुई है। धनराशि उपलब्ध होने पर काम चालू करा दिया जायेगा।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल प्रश्न यह है कि वहां पर सरपंच है शेर सिंह यह कुआं निजी सम्पत्ति में उसके आता है। उसको इस बात की शंका है कि अगर इस नल योजना को लागू कर देंगे तो मेरा जो कुआं है उस पर सरकार कब्जा कर लेगी और मुझे इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा। इस वजह से उसने इस तरह का लिखकर भेजा है। नहीं तो आप मौके पर स्थिति को देखें तो आप स्वयं इस बात को मानेंगे कि वहां लोगों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो सरपंच का लिखा हुआ ही कोई महत्व नहीं रखता है। इस संबंध में मैंने भी कई दफा 77 में भी क्वेश्चन रखा था और अभी भी रखा है। इतना करने के बाद भी इस योजना को स्वीकार करने में गवर्नमेन्ट के सामने क्या प्राब्लम है।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह समस्या रहित ग्राम है और हमारे विभाग द्वारा कुओं के लिए कोई भी अनुदान या कम्पन्सेशन नहीं दिया जाता है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बालेर से जो पैसा नल योजना के लागू करने के लिए जमा करा दिया गया है उसके बाद भी अब तक सरपंच के लिखने की वजह से उस काम को चालू करने से क्यों रोका गया? दूसरे, क्या यह सही है कि सरपंच जिसका निजी कुआं है यदि उसमें नल योजना लागू करने से रोक देंगे तो क्या 500 मकानों की आबादी वाले ग्राम को पेयजल की योजना के अन्तर्गत अन्य कुए खोदकर आप पानी दिलाने का प्रयास करेंगे या नहीं?

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति द्वारा पैसा जमा करा दिया गया। जो पैसा जमा करा दे उसकी योजना स्वीकृत कर दी जाये यह जरूरी नहीं है। यह सही है कि स्वीकृत करने के बाद धनराशि का जमा होना बहुत जरूरी है। जहां तक जमा धनराशि का प्रश्न है यह जरूरी

(श्री बनवारी लाल)

नहीं है कि जिस योजना के लिए धनराशि जमा हो जाये उस ग्राम की योजना स्वीकृत कर दी जाये। क्योंकि यह नान-प्राब्लम विलेज है इसलिए अभी नहीं लिया जा सकता है। दूसरे पंचायत के सरपंच पंचायत को रिप्रेजेन्ट करते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने योजना स्वीकृत कर दी थी और सरपंच ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा कि पम्प एण्ड टैंक की स्कीम चाहिए इसलिए इस योजना को नहीं लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज····

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है····

श्री अध्यक्ष : मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हंसराज शर्मा : एक बहुत महत्वपूर्ण रह गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में 200 फीट की गहराई से ज्यादा गहरा पानी है जहां 500 घरों से ज्यादा की आबादी है ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हंसराज शर्मा : क्या सरकार पानी की व्यवस्था करने के लिए जैसी योजना है उस योजना के अन्तर्गत···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। नियमों को देखिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जिस तरह से मंत्री गायब रहते हैं उसी तरह से गर्मियों में भी पानी गायब रहेगा?

(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : बहुत ही महत्वपूर्ण है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। नियमों को पढ़िये।····

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17 मार्च, 1981)

वर्ष 1980-81 में न्यायालय भवन व पीठासीन अधिकारियों के भवनों का निर्माण

312. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा)–: क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.25

(25)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(1) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 में राज्य में कितने न्यायालय खोलने का निर्देश दिया गया था एवं इस मद के अन्तर्गत न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी के निवास के निर्माण हेतु कितनी राशि राज्य सरकार को आवंटित की गई थी ?

(2) उक्त प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा अब तक कितनी भूमि अवाप्त की जा चुकी है एवं इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या शेष राशि 31 मार्च, 1981 को व्ययगत हो जाएगी ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा सप्तम वित्त आयोग की सिफारिशों पर 9 अपर जिला एवं सेशन्स न्यायालय एवं 39 मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की अनुमति दी गई थी जो खोले जा चुके हैं। इन न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 46 लाख 35 हजार रुपये एवं पीठासीन अधिकारियों के निवास के लिये 26 लाख 70 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं।

(2) न्यायालय भवन एवं पीठासीन अधिकारी के निवास हेतु अब तक बान्सूर (अलवर), नोखा (बीकानेर), बड़ी सादड़ी (चित्तोड़गढ़), सुमेरपुर (पाली), इटावा (कोटा), ओसिया एवं पीपाड़ (जोधपुर) तथा उदयपुर जिले में कई स्थानों पर इस प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्त की जा चुकी है और शेष स्थानों के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जाकर रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी हैं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा की जा रही है। सही व्यय की सही स्थिति सब जगह भूमि के अवाप्त हो जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

(3) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी होकर राशि बुक हो जाने के कारण इस राशि का आगामी वित्तीय वर्ष में उपयोग किये जाने में कठिनाई नहीं होगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बालेरा व भाटकी (सांचौर) की जल प्रदाय योजना

531. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जल प्रदाय हेतु सांचौर तहसील के ग्राम बालेरा व भाटकी में जल प्रदाय योजना कब से प्रारम्भ की गई ? यह कार्य कितने अर्से से अपूर्ण है व अब कब तक पूरा होगा ?

(2) भू-जल कूप से मीठा पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कदम उठाना चाहती है व कब तक ?

उत्तर

(1) (2) कार्य वर्ष 1979-80 में योजना की स्वीकृति के पश्चात् प्रगति में है। ग्राम बालेरा व भाटकी की क्षेत्रीय योजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

वैसला भाटकी से जोड़ने हेतु पाइप लाइन डाली जा चुकी है व पानी 81-82 में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

प्रभारी पुलिस चौकी सांयला (अजमेर) के विरुद्ध रिश्वत लेने सम्बन्धी कथित शिकायत

533. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस चौकी सांयला, जिला अजमेर के प्रभारी, हैड कांस्टेबल ने दिनांक 30 जनवरी, 1981 को श्री चन्दनमल के देहावसान हो जाने पर उनके दाह संस्कार में पोस्ट मार्टम कराने के बहाने तीन घन्टे तक अवरोध पैदा किया?

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक के रिश्तेदारों एवं गांव वालों के द्वारा हैड कांस्टेबल को रिश्वत देने के आश्वासन के बाद दाह संस्कार करने दिया गया?

(3) क्या इस सारे मामले की जांच कराई गई है? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा और क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राथमिक जांच में रिश्तेदारान एवं गांव वालों ने इस आरोप की पुष्टि की है।

(3) जी हां, प्राथमिक जांच से आरोप सही पाये जाने पर हैड कांस्टेबल श्री मल्ला राम व कांस्टेबल श्री बाबूसिंह पुलिस चौकी सांयला, जिला अजमेर को पुलिस लाइन, अजमेर में स्थानांतरण कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

सीमेंट के कारखानों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी

534. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सीमेंट के कितने कारखानें हैं तथा इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है?

(2) क्या इन कारखानों में उत्पादित सीमेंट का कोई भाग प्रदेश से बाहर भी भेजा जाता है? यदि हां, तो कितना व क्यों?

(3) इन सीमेंट के कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की क्या सरकार के पास कोई योजना है?

(4) क्या राज्य में नये सीमेंट के कारखाने लगाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने और ये कब तक लग कर उत्पादन शुरू कर देंगे?

(5) राज्य को सीमेंट पर आत्मनिर्भर होने के लिये कितने कारखानों की और आवश्यकता है? इस विषय में चालू पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान है?

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत सीमेंट के कारखाने एवं उनकी वार्षिक क्षमता के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है

(उद्योग मन्त्री)

(2) जी हां। सीमेंट कारखानों द्वारा उत्पादित सीमेंट का वितरण सीमेंट कन्ट्रोलर-आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है। यह वितरण उनके द्वारा उत्पादित सीमेंट एवं समस्त प्रदेशों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। अतः सीमेन्ट की मात्रा सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) उद्योगपतियों द्वारा उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु आवेदन करने पर राज्य सरकार द्वारा अपनी पुरजोर सिफारिश सहित भारत सरकार को मामला प्रसंगिक किया जाता है। विस्तार का प्रस्ताव उद्योग की विस्तार योजना, पूंजी नियोजन आदि पर निर्भर करता है। अतः राज्य सरकार द्वारा स्वमेव ही उनके विस्तार का कार्यक्रम बनाया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी गत पांच वर्षों में मैसर्स जे० के० सीमेन्ट वर्क्स लि०, निम्बाहेड़ा व मैसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर की उत्पादन क्षमता में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :—

नाम	पूर्ण क्षमता	विस्तार के फलस्वरूप क्षमता
1. मै. जे. के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	2–52	7–20
2. मै. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	2–00	8–00

इसके अतिरिक्त मैसर्स जे० के० सीमेंट वर्क्स की क्षमता में 7–20 से 11–40 की वृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है एवं बिड़ला सीमेंट वर्क्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट में उत्पादन वर्ष 1982 के मध्य तक होने की आशा है। अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित तिथि बतलाना सम्भव नहीं है।

(5) सीमेंट का वितरण सीमेंट कन्ट्रोलर आफ इण्डिया द्वारा समस्त प्रदेशों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उसी अनुपात में किया जाता है। अतः इन कारखानों की स्थापना के पश्चात् राजस्थान प्रदेश सीमेंट के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा, यह कहना कठिन ही है। चालू पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उद्योग का विशिष्ट रूप से कोई अलग से प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम सुमेल जिला पाली का विद्युतीकरण

537. **श्री शिवदानसिंह** (जैतारण) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सुमेल, तहसील रायपुर, जिला पाली विद्युतीकृत है? यदि नहीं, तो क्या ग्राम सुमेल के रेवेन्यू क्षेत्र के कुछ कुओं में कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो कैसे?

(श्री शिवदानसिंह)

(2) ग्राम सुमेल में मकानों व आस पास के घरों में कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सुमेल के नाम से कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन पहले से चढ़ावटा की ढाणी व नाहरपुरा में कुछ कनेक्शन दिये हुए हैं जो इस ग्राम के रेवेन्यू क्षेत्र में आते हैं। पूर्व में इन ढाणियों को स्वीकृत मानकर इनमें कनेक्शन दे दिये गये थे।

(2) चूंकि ग्राम सुमेल विद्युतीकृत ग्राम नहीं है, अतः इस ग्राम में मकानों एवं आस पास के कुओं में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

जिला बीकानेर की जलप्रदाय योजनाएं

538. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में कितनी जल प्रदाय योजनाएं क्रियाशील हैं ? इनसे कितने गांवों को पानी मिलता है ? कृपया हर जल प्रदाय योजना के तहत आने वाले गांवों की अलग-अलग सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सारी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें सुचारु रूप से चल रही हैं ?

(3) इसमें कितनी जल प्रदाय योजनायें बिजली व कितनी डीजल इंजन जेनरेटर्स से चलती हैं ? कृपया अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बिजली की कमी को देखते हुए क्या ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में अतिरिक्त डीजल जेनरेटर सैट लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) जिला बीकानेर में कौन-कौन सी जल प्रदाय योजना विचाराधीन है व इन पर कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा एवं कब तक यह योजनायें पूर्ण हो जावेंगी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) नए कुएं (ट्यूब वैल) कहां-कहां चालू करने की योजना है व कौन कौन से कुए किस अवधि तक चालू हो जावेंगे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिले में कुल 152 योजनायें संधारण में हैं जिनके अन्तर्गत 296 ग्राम आते हैं। तहसीलवार ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कुछ योजनाओं में कुछ ग्रामों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत के अतिरिक्त योजनायें सुचारु रूप से चल रही हैं।

(3) उपरोक्त 152 योजनाओं में से 10 योजनाएं डीजल जेनरेटिंग सैट से व शेष 142 योजनाएं विद्युत शक्ति से चलती हैं।

(4) जी नहीं। जहां विद्युत उपलब्ध है वहां अतिरिक्त व्यवस्था की दृष्टि से प्रथम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध है। डीजल जेनरेटिंग सैट लगाना सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए सम्भव नहीं है तथा इस कार्य हेतु बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता होगी।

(5) बीकानेर जिले के शेष 206 समस्या ग्रस्त ग्राम, जहां पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है, पेय जल व्यवस्था हेतु विचाराधीन हैं। इन ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य के सभी क्षेत्र समस्या ग्रस्त ग्रामों के साथ पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सूची संलग्न है।

(6) पूर्ण जिले में नये नल कूपों के निर्माण के स्थानों का चयन नहीं किया गया है अतः सूची संलग्न करना संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला सीकर के ग्रामों के लिये विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत नलकूप योजना

539. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक द्वारा संचालित नलकूप योजना जिला सीकर के किन-किन गांवों के लिए स्वीकृत की गई है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत एक नलकूप पर कितना खर्चा आता है तथा एक नल कूप कितना पानी पीने के लिये उपलब्ध करा सकता है ?

(3) टी० डी० एस० स्कीम में एक कुएं पर पम्पिंग सेट लगाने में कितना खर्च आता है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला सीकर के उन क्षेत्रों में जहां पानी बहुत गहरा है वहां यह योजना उचित नहीं है ?

उत्तर

(1) प्रश्न का तात्पर्य सम्भवतः हैण्ड पम्प योजना से है। ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) एक हैण्ड पम्प योजना पर औसतन 10,000 रुपये से 15,000 रुपये का खर्चा आता है तथा इससे लगभग 200 गैलन पानी प्रति घन्टा तक प्राप्त किया जा सकता है।

(3) परम्परागत स्रोत योजना पर वर्तमान दरों के अनुसार पम्प लगाने पर औसतन 20,000 रुपये का खर्चा आता है। भूतल जलाशय के निर्माण, जो पंचायत द्वारा करवाया जाता है, की राशि इसके अतिरिक्त है।

(4) इस योजना को 50 मीटर तक भूजल की गहराई वाले क्षेत्रों में ही क्रियान्वित किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

लाखनसर, चक 10 जी. एम. पर पेयजल हेतु डिग्गियां

540. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लाखनसर, चक 10 जी. एम. आदि स्थानों पर पेयजल हेतु

(श्री मालूराम लेघा)

डिग्गियां बनाई हुई नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक बना दी जावेंगी ?

उत्तर

लाखनसर ग्राम हेतु डिग्गी बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है व कार्य वर्ष 1981-82 में पूरा करने का लक्ष्य है। वर्तमान में चक 10 जी० एम० ग्राम हेतु कोई डिग्गी बनाने का प्रावधान नहीं है।

ग्राम पंचायत लाड़पुरा (कोटा) व कसार के जंगली क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण

541. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील लाड़पुरा (कोटा) की ग्राम पंचायत एवं कसार के जंगली क्षेत्र में अवैध शराब बनाई जा रही है? सरकार अवैध शराब की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या तहसील रामगंजमण्डी क्षेत्र के सुकेत, सातलखेड़ी, कुम्भकोट, रामगंजमण्डी खैराबाद, मोड़क, खिड़ियां में अवैध शराब खुले आम बेची जा रही है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी नगर में श्री ओमप्रकाश जैन शराब के बजाय स्प्रिट बेच रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अवैध शराब की रोकथाम हेतु आबकारी धावों का समय-समय पर विशेष आयोजन किया जाकर इन स्थानों पर अचानक दबिश दी जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर रेड व वाहन चैकिंग भी की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उसके पास विकृत प्रासव बेचने का लाइसेन्स है। शराब बेचने का नहीं।

कृषि विस्तार योजना व अन्य योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये ग्राम सेवक

542. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विस्तार योजना एवं अन्य दूसरी योजनाओं में काफी संख्या में विकास विभाग के ग्राम सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्राम सेवकों पर कृषि विभाग सीधी कोई अनुशासिक कार्यवाही नहीं कर सकता, जिस कारण अनुशासनहीनता बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत 1524 ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता विकास विभाग से प्रति-नियुक्त पर हैं।

(2) नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम है। प्रतिनियुति पर आये ग्राम सेवकों का कृषि विभाग में स्थाई समायोजन का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ताकि इस पद हेतु नियुक्ति अधिकार भी इसी विभाग में निहित हो जावें।

सेवा निवृत्त अधिकारी की विद्युत मण्डल की सेवा में पुनर्नियुक्ति

543. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सेवा निवृत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के बारे में विद्युत मण्डल में नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो कृपया सम्बन्धित नियम, उपनियम, आदेश या नीति पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में पुलिस सेवा के निवृत्त अधिकारी श्री ई. एन. बी. नायर को पुनः सेवा में लेकर उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ?

(3) क्या यह नियुक्ति सरकार की नीति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रभारी अधिकारी ने भी इस नियुक्ति पर एतराज उठाते हुए शिकायत की है ? कृपया शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य विद्युत मण्डल के सेवा नियमों के अनुसार भी इस नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि विद्युत मण्डल द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के सेवा निवृत्त अधिकारी श्री ई. एन. बी. नय्यर को मंडल में संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के पद पर 6 माह की अवधि के लिए नियुक्त किया है।

(3) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुन-नियुक्त करने का प्रावधान है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

ग्राम बिजोवा जिला पाली में निर्मम हत्यायें

544. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.32

(32)

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1980 में ग्राम बिजोवा तहसील देसूरी जिला पाली में चार बच्चों व दो औरतों की निर्मम हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि नहीं, उन्हें तो पकड़ने बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि हत्यारे के नहीं पकड़े जाने से जनता में भारी रोष व्याप्त है तथा सन् 1980 के मार्च व मई महीनों में जनता ने रानी व पाली में भारी जुलूस निकाल कर रोष प्रकट किया था तथा रानी थाने में एक ज्ञापन दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि तथाकथित हत्यारे के मामा कृषि विभाग में उच्च पद पर आसीन हैं तथा उसे उनका संरक्षण प्राप्त है ?

उत्तर

(1) जी हां। चार अभियुक्तों में से तीन गिरफ्तार किये जा चुके हैं। चौथे अभियुक्त को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है जिसकी गिरफ्तारी हेतु सभी प्रयास जारी है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1980 के फरवरी व मार्च माह में जुलूस निकाले गये थे और ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(3) ज्ञापन में ऐसा अंकित है।

विद्युत विभाग क्षेत्र, प्रतापगढ़ में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

545. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 में सहायक अभियन्ता (वितरण) राज्य विद्युत मण्डल प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के पास किन-किन लोगों ने विद्युत सम्बन्ध के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किये तथा मांग पत्र की राशि कब-कब जमा करवायी गयी ? कृपया आवेदकों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एल० फार्म प्रस्तुत किये बिना विद्युत सम्बन्ध नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ तहसील में बिना एल. फार्म कितने कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में सहायक अभियन्ता (विवरण) रा० रा० वि० मं०, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में कृषि कनेक्शनों हेतु आवेदनों, मांग पत्र जारी करने तथा जमा कराने की तिथियों का उपभोक्तावार व ग्रामावार विवरण देते हुए सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। एल. फार्म प्राप्ति से पूर्व प्रतापगढ़ तहसील में किसी उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(आवेदन पत्रों के विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ में अपराधों की रोकथाम

546. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1980-81 में कितनी नकबजनी किस-किस गांव में कब-कब हुई ? नकबजनी में चोरी गये माल को अब तक क्यों नहीं बरामद करवाया जा सका ?

(2) भविष्य में चोरी, डकैती, नकबजनी की रोकथाम के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है। नकबजनी में चोरी गये माल का 64.43% माल बरामद किया जा चुका है। बाकी के लिए प्रयास जारी है।

(2) पुलिस गश्त में बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त नाकाबन्दी आदि की व्यवस्था की गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति लाडपुरा (कोटा) की पेयजल समस्या

547. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा के ग्राम नया गांव (डोबड़ा), नयागांव जोधपुरा, मोहनपुरा, सोहनपुरा, डोल्या, लक्ष्मीपुरा में पेयजल की भारी समस्या है ?

(2) सरकार इन ग्रामों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक इन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार नयागांव (डोवडा) व डोलिया के अतिरिक्त सभी सन्दर्भित ग्राम समस्या रहित ग्रामों की श्रेणी में हैं। अकाल के कारण वर्तमान में इन ग्रामों में पेयजल समस्या होना सम्भव है।

(2) समस्या ग्रस्त गांव डोलिया में हैण्ड पम्प योजना संधारण में है व नयागांव (डोवड़ा) को जल उपलब्ध होने पर लाभान्वित करना सम्भव होगा। शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ही लाभान्वित किया जाना सम्भव होगा।

जिला बांसवाड़ा के अनुसूचित जाति/जन जाति के शिक्षित बेरोजगार

548. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1975 से 1980 तक जिला बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों में से कितनों को रोजगार दिया गया है ?

(2) अब कितने शिक्षित लड़के बेरोजगार हैं ? क्या सरकार उनको नियोजित

(श्री फतेसिंह)

कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) कृपया नियोजित एवं बेरोजगार दोनों की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980 में बांसवाड़ा जिले में कुल अनुसूचित जाति के 10 एवं अनुसूचित जनजाति के 44 शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया जिनका शिक्षा के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार है :—

	अनु जाति	अनु. जनजाति
1. मैट्रिक	2	19
2. हायर सैकण्डरी	7	23
3. स्नातक (ग्रेजुएट)	1	2
योग	10	44

(2) 31 दिसम्बर, 80 को 93 अनुसूचित जाति के एवं 531 अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार आशार्थी बांसवाड़ा नियोजन कार्यालय में चालू रजिस्टर पर उपलब्ध थे जिनका शिक्षा अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार है :—

	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1. मैट्रिक	53	260
2. हायर सैकण्डरी	32	236
3. स्नातक	8	35
योग	93	531

अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर निर्धारित कोटे के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा।

(3) वर्ष 1980 में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित 54 प्रार्थी नियोजित हुये तथा वर्ष के अन्त में 624 बेरोजगार पंजीकृत थे।

वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार नई तहसील व उप तहसील खोलना

550. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री बाल चन्द्र आर्य वीर (डग) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 6 नई तहसीलें तथा 27 उप तहसीलें स्थापित की जावेंगी ? यदि हां, तो कृपया उक्त तहसील, उप तहसीलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये तहसीलें कब तक स्थापित कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 6 नई तहसीलें तथा 54 उप तहसीलें बनाने का प्रस्ताव है जिनमें 27 उप तहसीलें बनाई जा चुकी हैं। बाकी की उप तहसीलें और स्थापित की जावेंगी। जिन स्थानों पर 27 उप तहसीलें स्थापित करने के आदेश हुए हैं उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) इस सम्बन्ध में प्रशासनिक, वित्तीय आदि सभी पहलुओं पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बांदीकुई स्थित लैण्ड प्रोजेक्ट अधिकारी का कार्यालय

551. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांदीकुई (जयपुर) में भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत लैण्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर के कार्यालय की स्थापना कब हुई थी ?

(2) अब उसमें कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ? उन सबको एक माह का कुल कितना वेतन देना पड़ता है ?

(3) इस कार्यालय के माध्यम से फरवरी, 1981 तक कितने किसानों को कितना लोन दिया गया ?

(4) अब तक कितनी भूमि को सुधारा गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान भू-एवं जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत लैण्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर बांदीकुई के कार्यालय ने दिनांक 1.4.77 से कार्य प्रारम्भ किया।

(2) वर्तमान में इस कार्यालय में 3 अधिकारी एवं 27 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके मासिक वेतन का कुल 20,380) रु० का भुगतान किया जाता है।

(3) फरवरी, 1981 तक इस कार्यालय के माध्यम से 452 कृषकों को कुल 7,06,940) रु० का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

(4) इस योजनान्तर्गत 1155-18 एकड़ भूमि को सुधारा गया इस के अतिरिक्त मीटर पाइप लाइन सिंचाई हेतु कृषकों के खेतों में डलवाई गई। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट अ में रख दिया गया है।

(भूमि के वितरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति डीडवाना द्वारा की गई खरीद फरोख्त

552. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) एवं श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना के वर्तमान सचिव ने अपने कार्यकाल में अब तक क्या क्या खरीद कार्य किया एवं उसमें क्या नियमित प्रणाली कार्य में ली गई है ?

(2) क्या यह सही है कि सचिव द्वारा कार्यालय की मोटर साइकिल से जोधपुर, कुचामन स्वयं के गांव की यात्राएं भी की गई हैं ?

(3) दिनांक 5 दिसम्बर, 1980 को दुर्घटना के वक्त वे कहां की यात्रा से आ रहे थे ? लॉग बुक के अनुसार क्या यह

Page No.36

(36)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सूचना सही थी ? उस यात्रा के दौरान में आते व जाते समय कौन साथ था ?

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवान के प्रशासक पद पर अन्य मण्डी समितियों की तरह स्थानीय एस.डी.एम. को न लगाया जाकर 100 किलोमीटर दूर नागौर के जिला कृषि अधिकारी को लगाया जाना क्या विशेष महत्व रखता है ?

(5) क्या कृषि मण्डियों में प्रशासक कभी मण्डी समिति के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है ?

(6) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि समिति में हाल ही में प्रशासक द्वारा व उनकी सलाह से अनियमित स्थानान्तरण कर दैनिक वेतन कर्मचारियों को खजांची जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियमित कर्मचारियों के रहते हुए पदस्थापित किया गया है।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना के वर्तमान सचिव, श्री जयसिंह चौधरी दिनांक 10.11.80 से इस मण्डी समिति में कार्यरत हैं इन्होंने कार्यभार सम्भालने से अब तक की गई खरीद कार्य की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। खरीद कार्य में आवश्यकतानुसार निविदा मण्डी समिति द्वारा आमन्त्रित कर सामान क्रय किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) दिनांक 5-12-80 को दुर्घटना के वक्त नागौर की यात्रा कर लौट रहे थे। लॉग बुक के अनुसार यह सूचना सही है। यात्रा के दौरान नागौर जाते समय सिर्फ सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना ही मोटर साइकिल से यात्रा कर रहे थे। नागौर से वापस लौटते समय करीब 5 बजे रवाना होने पर नागौर बस स्टेण्ड पर श्री हरी राम फीरोया, डीडवाना के व्यापारी द्वारा लिफ्ट मांगने पर उन्हें साथ ले लिया गया था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अजमेर क्षेत्र में चल रहे सिचाई संबंधी कार्य

553. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अजमेर के अन्तर्गत वर्तमान में कौन कौन से काम कहां कहां पर चल रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन कार्यों में से कौन कौन से कार्य कब-कब प्रारम्भ हुए और उन्हें कब समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर नगर में बाढ़ बचाव की योजना के अन्तर्गत भी सिंचाई खण्ड को काम कराना था ? यदि हां, तो वे कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

किये गये हैं और अब कब तक प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ?

उत्तर :

(1) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अजमेर के अन्तर्गत वर्तमान में सात लघु सिंचाई योजना कार्य चल रहे हैं। सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त 61 अन्य अकाल सहायता कार्य अग्रिम योजना सहायता मद के अन्तर्गत चल रहे हैं। बाढ बचाव योजना के मद से इन्दरकोट बांध का कार्य चल रहा है।

(2) सूची में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। अजमेर नगर बाढ़ बचाव योजना के अन्तर्गत आनासागर के वेस्ट वियर पर स्पिलवे गेट लगा दिये गये हैं एवं इन्दर कोट बांध का कार्य चालू है। नगर परिषद् के माध्यम से नालों की दीवारें को ऊंचा किया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर को बांध से बचाने हेतु रु० 870 लाख की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। रु. 206.65 लाख के कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दि. 11.3.81 द्वारा दी जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

विद्यालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो वर्ष का संस्थागत करना

554. **श्री तकीउद्दीन** (लोहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के शिक्षा विभाग ने इस आशय के सुझाव दिये हैं कि एस. टी. सी. प्रशिक्षण दो वर्ष का संस्थागत कर दिया जाए ? यदि हां, तो कृपया सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन प्रस्तावों को उचित समझती है ? एस.टी.सी. प्रशिक्षण 2 वर्ष संस्थागत कर क्या सरकार प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार का स्टाइपेण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना तथा किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय से प्राप्त सुझाव विभाग के विचाराधीन हैं।

(2) सुझावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकीय अधिकारी

555. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पदोन्नति एवं स्थायीकरण के क्या नियम हैं ? कृपया नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में पदोन्नति एवं स्थायीकरण को लेकर अपील की है ? यदि हां, तो इसकी संख्या कितनी है ?

Page No.38

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(3) क्या यह भी सही है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के फैसले के बावजूद भी कृषि विभाग के सांख्यिक अधिकारियों ने उनकी अनुपालना नहीं की ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदोन्नति एवं स्थायीकरण के नियमों की उद्धरण प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। ऐसे मामलों की संख्या 9 है।

(3) चूंकि सांख्यिकी अधिकारी नियुक्तिकर्ता नहीं है, इसलिए उनके द्वारा अनुपालना नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

अलवर व भरतपुर के मेव मुसलमानों को संवत् 2003 में आवंटित रकबा

556. श्री चाव खां (कामां) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-7-80 प्रश्न संख्या 366 खा. मं. में बताया गया था कि सरकार मेव मुसलमानों से उनके क्लेम संवत् 2003 के बदले में जो रकबा अलॉट किया गया है उसकी कोई कीमत यानि 400 रुपया बीघा वसूल नहीं कर रही है ?

(2) यदि यह सही है, तो जिला अलवर भरतपुर के मेव मुसलमानों के संवत् 2003 के अलॉट शुदा रकबा के दाखिल खर्ज खातेदारी क्यों तस्दीक नहीं किये जा रहे हैं ? अब कब तक सरकार यह कार्यवाही पूर्ण कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 30-7-80, प्रश्न संख्या 366/मु०मं० में बताया गया था कि बंजड़ भूमि मेव मुसलमानों को 3/4/75 के बाद आवंटन की गई थी और कीमत 1000/– रुपया प्रति एकड़ की दर से किश्तों में वसूल होनी थी। उस पर राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक एफ 2 (18) पुर्न/75/भाग-2 दिनांक 19/1/79 द्वारा वसूली न करने के बारे में स्थगन आदेश दिये थे। परन्तु अब राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक एफ 2 (68) पुर्न/58/भाग-2 दिनांक 11-3-80 के द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कर दिये हैं तथा अब नियमानुसार 400/– रुपया प्रति बीघा की दर से वसूली करने के आदेश जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

(2) यह सही नहीं है कि जिला अलवर के मेव मुसलमानों को संवत् 2003 के बदले अलाट शुदा भूमि के खातेदारी हक 1963 से पूर्व ही दिये जा चुके हैं। अब ऐसा कोई परिवार नहीं है, जिसको खातेदारी प्राप्त न हो चुकी हो। अभी तक भरतपुर जिले में बिना कीमत जमा कराये खातेदारी प्रदान नहीं की गई है।

राजस्थान नहर को हांकड़ा नदी में मिलाना

557. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हाकड़ा नदी का रास्ता आज भी जैसलमेर में लुदरवाजी, रूपसी, सांकड़ा, फलसूंड तथा बाड़मेर जिले में गिड़ों एवं गोल रेलवे स्टेशन के पास स्पष्ट दिखलाई पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी भी कभी-कभी 25-30 वर्षों में, अधिक वर्षा के समय इस नदी में पानी बह निकलता है ?

(3) क्या राजस्थान नहर को इस नदी में नहीं डाला जा सकता जिससे नहर पर होने वाले भारी व्यय से बचा जा सके और शीघ्र ही राजस्थान सरकार पंजाब से अपने पानी का पूरा हिस्सा मांग सके ?

उत्तर

(1) जी हां। हाकड़ा नदी का रास्ता लुदरवाजी, रूपसी, सांकड़ा, फलसूंड तथा बाड़मेर जिले में गिडों एवं गोल रेलवे स्टेशन के पास मौजूदा अवशेशों से मालूम पड़ता है कि यहां पर भूतकाल में कोई नदी बहती थी। अब स्थानीय सम्बोधन में इसे काग नदी से पुकारा जाता है। समतल मैदान में इस नदी के पेटा व दोनों तट बराबर हो चुके हैं।

(2) अधिक वर्षा आने पर इस नदी में पानी बहकर खडीनों में जाता है तथा उत-प्लावित होकर समतल मैदानों में फैल जाता है। वर्ष 1973 के माह अगस्त में औसतन 141 मिली मीटर वर्षा के स्थान पर 404 मिली मीटर दो दिनों में होने के कारण इस स्थानीय नदी में बाढ़ का पानी आया जिसमें कई खडीनों को क्षति पहुंची व पानी समतल मैदानों में फैल गया।

(3) जी हां। राजस्थान नहर के पानी को इस नदी में नहीं डाला जा सकता क्योंकि राजस्थान नहर के पानी का स्तर इस नदी की ओर पड़ने वाली जमीन के स्तर से नीचा है।

बीकानेर में स्वीकृत राहत कार्य

558. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में तहसीलवार कौन-कौन से राहत कार्य इस वर्ष प्रस्तावित हैं ? इनमें से सरकार ने कौन-कौन से राहत कार्यों को मंजूरी दे दी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या हर अकालग्रस्त गांव के ग्रामीणों को मजदूरी मिल जावेगी ? यह कार्य कब तक चालू कर दिये जावेंगे ?

(3) जिला बीकानेर की चारों तहसील कोलायत, नौखा, बीकानेर व लूणकरणसर में चारे व घास की क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) ऊंटों के चारे के अभाव व कीमत को देखते हुए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? घास व चारे के विक्रय की अलग-अलग तहसील में क्या दर रखी जावेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में विभिन्न प्रकार के राहत कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें तालाब खुदाई एवं उन्हें पक्के कराना, सड़क निर्माण, शाला भवन, पटवार भवन एवं पंचायत भवन मुख्य हैं। स्वीकृत राहत कार्यों की तहसीलवार विवरण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अकालग्रस्त ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राय: सभी पंचायतों के क्षेत्रों में राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है जिनमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो जावेगा।

(3) जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए इन चारों तहसीलों के लिए 15 हजार क्वि० चारा हनुमानगढ़ संगम में आरक्षित किया जा चुका है एवं और अधिक चारा उपलब्ध कराने की भी कार्यवाही की जा रही हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं को चारा क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण भी दे दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए जिलाधीश बीकानेर को 2·00 लाख रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

(4) जिले में वर्तमान में ऊंटों के चारे की कमी नहीं है। तहसील लूणकरणसर व बीकानेर में पर्याप्त मात्रा में ऊंट चारा उपलब्ध है। तहसील नोखा में अप्रेल से जुलाई तक 2000 क्वि० एवं कोलायत में अगले 6 माह तक 1200 टन ऊंट चारे की आवश्यकता होगी। तहसील मुख्यालय कोलायत एवं नोखा पर ऊंटों के चारे की कमी को दूर करने के लिए एक-एक डिपो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा खुलवाये जाने की भी व्यवस्था करदी गई है। वर्तमान में जिले में घास, चारे के भाव 35–40 रु. क्वि० एवं कूतर का भाव 50-60 रुपये प्रति क्वि. है।

(विवरण सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जिला झालावाड़ के विद्युतीकृत गांव

559. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग) :

श्री अनंगकुमार (झालरापाटन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1980-81 में जिला झालावाड़ के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है? कृपया ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखने की अनुकम्पा करें।

(2) सन् 1980-81 में कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये? इनमें से कितने नियमों के अनुसार और कितने नियमों के विपरीत कनेक्शन दिये गये? जिन ग्रामों में कनेक्शन दिये गये उनके पूर्ण पते, नामों की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में माह फरवरी, 81 तक झालावाड़ जिले के 14 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 1980–81 में माह फरवरी, 81 तक 514 कुओं को नियमानुसार कृषि कनेक्शन दिये गये।

(विद्युत मन्त्री)

सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है। नियमों के विरुद्ध कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

सिचाई सब डिवीजन लबान (केशवराय पाटन)

560. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि केशवराय पाटन क्षेत्र में सिचाई सब-डिवीजन लबान को तोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला सीकर में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

561. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभी कितने लोग गिरफ्तार हैं और जिला सीकर में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

(2) क्या प्रदेश में इस कानून से शांति व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिली है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 22-9-80 से लागू है।

अब तक कुल 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। ये अभी भी नजरबन्द हैं।

कोई नहीं।

(2) जी हां।

पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद

563. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 फरवरी, 1981 को पुलिस विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने कितने पद कब से रिक्त पड़े थे?

(2) क्या सरकार इन पदों को निकट भविष्य में कानून व व्यवस्था की दृष्टि से शीघ्र भरने की आवश्यकता समझती है? यदि हां, तो ये समस्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) क्या पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु सरकार के निदेशानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जा चुकी है?

(4) यदि हां, तो पदोन्नति कब तक दे दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को भरने के प्रयास जारी हैं।

(गृह मन्त्री)

(3) जी हां। राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को छोड़कर शेष पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें हो चुकी हैं।

(4) राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला को छोड़ शेष वर्गों में पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार पदोन्नति दी जा चुकी है। राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला के लिए पदोन्नति समिति की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला अजमेर में कमीशन बेसिस पर कार्यरत स्टाम्प विक्रेता

564. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में अजमेर जिले में कमीशन बेसिस पर कितने स्टाम्प विक्रेता जुडिशियल व नॉन-जुडिशियल स्टाम्प्स के) नियुक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें तथा इन्हें इनकी बिक्री पर कितना कमीशन दिया जाता है ?

(2) वर्ष 1961 में इन्हें कितना कमीशन दिया जाता था तथा अब कितना कमीशन दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1961 की अपेक्षा अब स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(4) क्या सरकार कमीशन बेसिस पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसीलों में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को अजमेर शहर में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं की अपेक्षा अधिक कमीशन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अजमेर शहर में नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन तहसील के स्टाम्प विक्रेताओं के बराबर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अजमेर शहर तथा तहसील में नियुक्त सामान व्यवसायी में यह असमानता क्यों ?

उत्तर

(1) 24. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1961 में कमीशन निम्न प्रकार दी जाती थी। प्रत्येक एक सौ पर—

नान जूडिशियल स्टाम्प्स

1. जिला मुख्यालयों पर	रु. 3–10
2. उप जिला मुख्यालयों पर	रु. 4–70
3. अन्य जगहों पर	रु. 6–25

जूडिशियल स्टाम्प्स—

समस्त मुख्यालयों पर	रु. 1–55

वर्तमान में जो कमीशन दिया जाता है निम्न प्रकार है :—

(वित्त मन्त्री)

(क) नान जूडिशियल स्टाम्प्स :–

1. जिला मुख्यालय पर	रु. 2–75
2. उप जिला मुख्यालयों पर	रु. 4–25
3. अन्य जगहों पर	रु. 5–60

(ख) जूडिशियल मुद्रांक :–

समस्त मुख्यालयों पर	रु. 1–50

(3) जी हां। कितनी कमी की गई इसके लिए प्रश्न के भाग दो का उत्तर देखें। वर्ष 1961 में मुद्रांक बिक्री की अधिकतम सीमा 100–00 थी जबकि वर्तमान में इसमें वृद्धि कर 400) रु० तक की सीमा कर दी गई है। इस कारण कमीशन में कमी की गई है।

(5) जी हां। शहर के मुद्रांक विक्रेताओं की कमीशन तहसील के मुद्रांक विक्रेताओं के बराबर करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। शहर में मुद्रांकों की बिक्री अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है और मुद्रांक विक्रेता कमीशन अधिक पाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारी

565. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर तथा उससे सम्बन्धित शाखाओं में सहकारिता विभाग के कौन-कौन से अधिकारी किस-किस पद पर कब से नियुक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त यह अधिकारी उपभोक्ता संघ से मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन, कितना-कितना मकान किराया भत्ता ले रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन अधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार लिया जा सकता है? यदि हां, तो मनमाने ढंग से नियमों की सीमा से अधिक मकान किराया भत्ता वसूली की अनियमितता पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) आठ अधिकारियों में से 5 अधिकारी नियमानुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इन अधिकारियों को मिलने वाले मकान किराये भत्ते की राशि संलग्न सूची में दी गई है। एक अधिकारी मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। शेष दो अधिकारी सर्व श्री एम० एल० जैन, मैनेजर (शुगर) और एस० पी० बहल, व्यवस्थापक (उपहार) संघ द्वारा क्रमशः रु० 475/– और रु० 300/– मासिक किराये पर मकान लेकर निवास के लिए दिये गये थे और इन अधिकारियों से क्रमशः रु० 140/90 और रु० 64–40 मासिक किराया वसूल किया जाता था। अब तारीख 16-3-81 से श्री एस० पी० बहल स्वयं के मकान में चले गये हैं और संघ की ओर से उनके लिये किराये का मकान छोड़ दिया गया है।

(3) जो 5 अधिकारी मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वह नियमानुसार है।

(सहकारिता मन्त्री)

दो अधिकारियों को उपभोक्ता संघ द्वारा किराये पर पर मकान लेकर देने के मामले में नियमों में वैधता की जांच की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

ग्राम गामच, श्री पुरा कोटा स्थित स्थल कबीर पंथी की माफी की विवादग्रस्त भूमि

154. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बून्दी के ग्राम गामच में श्रीपुरा कोटा स्थित स्थल कबीर पंथी की माफी में कोई कृषि भूमि विवादग्रस्त थी ? यदि हां, तो इस भूमि का खसरा नं० क्या है और इसका क्षेत्रफल कितना है ?

(2) उक्त विवादग्रस्त भूमि के विवाद का निर्णय 23 जुलाई, 1964 को राजस्व मण्डल द्वारा दे दिया गया था ? यदि हां, तो क्या राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गामच तहसील बून्दी में श्रीपुरा कोटा स्थित स्थल कबीर पन्थी की माफी की विवादग्रस्त कृषि भूमि है। उसके खसरा नम्बर व क्षेत्रफल निम्नानुसार हैं :–

खसरा नं. (नये)	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
45	7	10
47	30	19
46	16	9
10	12	5
48	9	12
13	1	8
44	6	8
128	3	1
131	3	1
133	3	–
58	7	–
114	6	1
9	12	12
योग किता 13 कुल क्षेत्रफल	119	6

(2) जी हां। राजस्व मण्डल के आदेशानुसार कार्यवाही अमल में इसलिए नहीं लाई जा सकी है क्योंकि जिलाधीश, बूंदी ने मुख्य कठिनाई यह बताई है कि नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 18–3–53 द्वारा जो खातेदारियां दर्ज की गई थीं वे जरिये सैटलमेण्ट, 1965–66 से भी खातेदारी दर्ज रही एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 47 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 114 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, कुल 56 बीघा 12 बिस्वा भूमि सीलिंग में आने के कारण अधिग्रहण कर ली गई एवं खसरा नम्बर 47 एवं खसरा नम्बर 9 की भूमि भूमिहीनों को आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस भूमि से सम्बन्धित इन्द्राज दुरुस्ती का मुकदमा

(राजस्व मन्त्री)

भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत न्यायालय, उप-ज़िलाधीश, बूंदी में विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 मार्च, 1981)

अजमेर में कैन्सर हास्पिटल का निर्माण

254. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अजमेर के समीप ही कैन्सर हॉस्पिटल प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया जा चुका था और उस हेतु प्राथमिक राशि भी स्वीकृत कर दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो अभी तक अजमेर में कैन्सर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है ? अब कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अभी प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री द्वारा मांगों का क्रम निर्धारण

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने रखा और मैंने आपसे प्रार्थना की है कि उसको आज ले लिया जाय। उस पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : उस पर तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है। मेरे पास पूर्ण तथ्य आ जायेंगे, उसके पश्चात् मैं उस पर निर्णय दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने विशेषाधिकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब इस पर भाषण नहीं होगा। मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने आपके रूबरू कार्यालय से टिप्पणी मंगवा ली। तथ्य क्या हैं उसके पश्चात् ही इसको लिया जा सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे आश्वस्त करें कि आज इसको आप ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा बहुत आश्वासन दे सकता हूं, ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। पहले तथ्यों का मैं अध्ययन करूंगा उसके बाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप थोड़ा बहुत भी देंगे तो वह बहुत बड़ा होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज माननीय सदस्य। पहले मैं जानकारी कर लूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मांगें प्रारम्भ हों, उसके पहले ले लें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा:–

(व्यवधान)

श्री विष्णुप्रकाश बजारी, कृपया सदन का जो डेकोरम है उसका ध्यान रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में कोई भी माननीय सदस्य डिसआर्डर पैदा करें और अध्यक्ष मजबूर होकर उसका नाम पुकारें, तो उसकी नेसेसरी प्रक्रिया यह है कि उनको सदन से बाहर भेजा जाय। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज कई बार बोल चुके हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : मुझे तो आज ही कह रहे हैं, आपको न जाने कितनी बार कह दिया।

श्री अध्यक्ष : नाम से सम्बोधन के पीछे आसन का इरादा देखा जाता है।

(1) **श्री गोपाल पचेरवाल** : केशोरायपाटन जिला बूंदी में बस स्टेण्ड न होने से यात्रियों को असुविधा होने के विषय में।

(2) **श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्री बाळदयाल जोशी** : कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में कृषि भूमि के आवंटन में जनजातियों के व्यक्तियों की उपेक्षा।

(3) **श्री नन्दलाल मीणा** : प्रतापगढ़ से चित्तौड़ मार्ग पर अम्बामाता को जाने वाली सड़क के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा न देना।

(4) **श्री अनंगकुमार जैन** : झालावाड़ शहर में नगरपालिका प्रशासक द्वारा दुकानों व थड़ियों को मनमाने ढंग से तोड़ दिये जाने के विषय में।

(5) **श्री बंशीलाल पटवा** : राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा की सहायक यूनिट वूलन मिल शाहपुरा में खोलने का निश्चय होने के बावजूद मिल को चालू न होने के विषय में।

(6) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : उदयपुर जिले की आमेट तहसील में मार्बल की खानों पर अवैध कब्जों के विषय में।

(7) **श्री हंसराज आर्य** : सवाई माधोपुर में वितरण किया जा रहा राशन का गेहूं घटिया होने के विषय में।

(8) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : चौड़ा रास्ता स्थित त्रुकों के रास्ते में विजय प्रिंटिंग प्रेस में 6000) रुपये की चोरी के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

वे प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है :–

(9) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : डग कस्बे में पिछले 4 माह से वितरण व्यवस्था ग्रस्त व्यस्त होने के विषय में।

(10) **श्री हीरालाल आर्य** : ग्राम पंचायत इटावा की जांच के समय सील की गई तिजोरी को अवैध रूप से तोड़ने के विषय में।

(11) **श्रीमती विद्या पाठक** : पंचायत समिति सांगानेर की पंचायत लाखना के सरपंच द्वारा गम्भीर अनियमिततायें व घोटाले करने के विषय में।

(12) **श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद कृषि मण्डी समिति की स्थापना न होना।

(13) **श्री नाथूसिंह** : विकास अधिकारी झोटवाड़ा द्वारा अध्यापक, अध्यापिकाओं का अनियमित रूप से स्थानान्तरण करने के विषय में।

(14) **श्री देवीसिंह भाटी** : बीकानेर नगर की कच्ची बस्तियों तथा गंगा शहर, मीना शहर व देशनोक में आवश्यक वस्तुओं तथा पीने का पानी न उपलब्ध होने के विषय में।

पूर्व में प्राप्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त हुई है और इनका अध्ययन किया जा रहा है :–

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : गत 24 मार्च को राजस्थान विश्वविद्यालय की विधि विभाग की तृतीय वर्ष की परीक्षा में एक पेपर में कोर्स से बाहर के प्रश्न आने के विषय में।

(2) **श्री हरीश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल** : लाडपुरा जिला कोटा के ग्राम बनियानी के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार।

(3) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : जयपुर शहर में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कमी।

(4) **श्री रघुवीरसिंह कौशल व श्री दाऊदयाल जोशी** : तहसील अटरू, जिला कोटा के ग्राम मोतीपुरा के कुछ किसानों को बेदखल करने के बाबत।

(5) **श्री चुन्नीलाल व श्री हंसराज आर्य** : तहसील सवाई माधोपुर के देवपुरा बांध की डूब में आये जंगलों की कटाई।

(6) **श्रीमती विद्या पाठक** : गत 7 मार्च को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में बिजली के करन्ट से एक युवक की मृत्यु।

श्री कैलाश मेघवाल की ओर से सामुदायिक विकास विभाग द्वारा 20 लाख रुपयों का सामान खरीदने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

इस पर राज्य सरकार की ओर से दिनांक 2 अप्रेल, 1981 को वक्तव्य दिया जावेगा।

श्री हीरालाल आर्य की ओर से इन्द्रगढ़ में इन्द्राणी बांध की डूब में आने वाली भूमि

(श्री अध्यक्ष)

के मुआवजे के बाबत एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

इस पर दिनांक 3 अप्रेल, 1981 को राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जावेगा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज मांगों के सम्बन्ध में अन्तिम वाद विवाद होगा। आज जो मांगें विचारार्थ ली जायेंगी उनकी चर्चा 4 बजे समाप्त हो जायगी। 4 बजे सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा और शेष बची हुई सभी मांगें 4.30 बजे मुख बन्द का प्रयोग करके पारण हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। इसलिए माननीय सदस्य आज थोड़ा समय का ध्यान रखें क्योंकि हमेशा मांगों पर विचार विमर्श देर रात तक चलता रहता है लेकिन आज 4 बजे बाद विवाद समाप्त हो जायगा। सरकार का उत्तर 4 बजे प्रारम्भ हो जायगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी आसन पैरों पर है जब मैं स्थान ग्रहण कर लूं तब कोई शिकायत हो तो एक-एक माननीय सदस्य उठ कर अपनी बात कहें, एक साथ खड़े होने का कष्ट न करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से हंसराज आर्य फर्माया गया है, मैं शर्मा हूं ...

श्री अध्यक्ष : शर्मा और आर्य एक ही बात है। शर्मा हम करेक्ट कर लेते है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बीकानेर में पानी की समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। बहुत ही अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने रिजेक्ट किया है। मेरा स्थगन प्रस्ताव पानी की भयंकर समस्या के बारे में है। पानी के कनेक्शन नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने रिजेक्ट किया ताकि आपको बोलने का तुरन्त अवसर आज का आज मिल जाय, नहीं तो सूचना में जाता। आपका नाम पुकार लूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : नियम 54 के तहत मैं थोड़ा खुलासा चाहता हूं, कारण बतायें?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, व्यर्थ में विवाद कर रहे हैं। मैंने कारण बता दिये हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। इसलिए रिजेक्ट कर दिया।

(व्यवधान)

इसमें आर्गूमेंट नहीं होता। नियम आप देख लें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पानी नहीं मिल रहा है....

Page No.49

(49)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं वे कृपया अपनी बात दो-दो मिनट में कहने का कष्ट करें।

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा। महिला सदस्या को प्राथमिकता।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक मसला मैंने 295 के तहत उठाने के लिये दिया है। वह मसला ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, उसको आप यदि जल्दी ले लें....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अभी आया है। मैं अभी पढ़ लेता हूं। इतने में दूसरे माननीय सदस्य बोल लें उसके बाद निर्णय दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, उसकी उपयोगिता पर विचार कर लें ...

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या सदन की कार्यवाही आज इसलिए स्थगित की जायगी कि आदरणीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्य-मन्त्री राजस्थान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया के स्वागतार्थ मानसिंह होटल में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न वैसे बहुत कम आते हैं यहां पर इसलिए यह ध्यान रखें, व्यवस्था का प्रश्न ही हो।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न जो मैं उठा रहा हूं बहुत ही अहम और बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण भले ही हो, कानून के अन्तर्गत होना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : कानून की चार दीवारी के भीतर लेकर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कल सायंकाल एक माननीय मंत्री महोदय और एक माननीय सदस्य में हाथापाई हो गई....

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अनधिकृत रूप से कोई विषय नहीं उठायें। माननीय सदस्य, मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। सदन का समय बेकार जाया होता है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र डग कस्बे में गत चार माह से चीनी का वितरण नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीनी का ही नहीं अन्य वस्तुओं की भी बहुत ही अभाव है। जनता में इस बात का काफी आक्रोश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि डग कस्बे को छोड़कर अन्य पूरे विधान सभा क्षेत्र में वितरण व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वहां पर अधिकारियों की कोई देखभाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, इसकी जांच कराई जाय कि चार माह का चीनी का कोटा कहां गया? जनता को चीनी नहीं मिली है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में राशन की जितनी दुकानें हैं वे सब कांग्रेस के लोगों को दे रखी हैं। जनता को शक्कर, तेल, कपड़ा वितरण न कर ब्लैक करते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय और जनता के लिये शक्कर, कैरोसिन आदि जो नहीं मिल रहा है उसके वितरण की व्यवस्था ठीक कराई जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम पंचायत इटावा के सरपंच श्री हंसराज द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है और काम करने में भारी गबन और घोटाला किया जा रहा है। ऐसी शिकायत वहां के पंचों ने भी की है। 12 में से 11 पंचों ने लिखित शिकायत जिलाधीश, कोटा को की है। जिलाधीश, कोटा ने इसके आधार पर जांच के लिये पंचायत इन्सपेक्टर व उप तहसीलदार को इटावा में 21-2-81 को भेजा। वे लोग इटावा जांच के लिये पहुंचे। उन्होंने सारी जानकारी की और यह पाया कि सरपंच विकास के कार्यों में अपनी मनमानी करता है, सामान खरीदने में भी अपनी मनमानी करता है, निर्णय लेने में अपनी मनमानी करता है और पंच प्रस्ताव के वक्त कुछ कहते हैं तो रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं करने देता। उनकी ऐसी शिकायत है कि विकास के कामों की कोई जानकारी हमें नहीं देता है और जो विकास कार्य होते हैं उनमें भारी गबन और घोटाले हैं। जब तहसीलदार वहां पर आया तो पंचों एवं नागरिकों ने इसकी शिकायत की उसको परेशान किया गया, जब उन्होंने रोकड़ देखी तो 10,233 रुपये और कुछ पैसे कम थे। जब सरपंच से पूछा गया यह राशि न तिजोरी में है न बैंक में है तो इसका वे जवाब नहीं दे सके। अध्यक्ष महोदय, यह खुल्लमखुल्ला पंचायत समिति के धन का दुरुपयोग था,

(श्री हीरालाल आर्य)

गबन और घोटाला था, अमानत में खयानत थी। तहसीलदार साहब और पंचायत इन्स्पेक्टर ने गांव के कुछ नागरिकों और पंचों को बुलाकर उस तिजोरी को सील कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सील करने के बाद होना यह चाहिये था कि सरपंच के विरुद्ध अमानत में खयानत का केस दर्ज होना चाहिये था लेकिन शाम को ही रात्रि को तिजोरी तोड़ दी गई, उसकी सील तोड़ दी गई, जिन पंचों और नागरिकों के सिगनेचर थे उनको बुलाया नहीं था। जब सवेरे पता चला तो पंचों ने इसकी शिकायत जिलाधीश महोदय को की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से नागरिकों में रोष है। अतः मैं आपके मार्फत पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सरपंच ने इस पंचायत के धन का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ अमानत में खयानत का केस दर्ज करें। ऐसे भ्रष्ट सरपंच को निलम्बित करें, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तिजोरी की सील तोड़ने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : समय कम है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : तिजोरी की सील तोड़ी, यह किसने तोड़ी क्यों तोड़ी व कैसे तोड़ी ? सील तोड़ने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाय. ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन जो वहां गबन हुआ है, घोटाला हुआ है इससे वहां की जनता में आक्रोश है। कहीं यह असन्तोष विस्फोटक रूप धारण नहीं कर लें, इसलिए मेरा निवेदन है कि समय रहते ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह। उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू में गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद कृषि मंडी समिति की स्थापना न होना।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह प्रश्न किसानों के आर्थिक ढांचे से सम्बन्धित है। इस पर पूरी जानकारी मंगा ली जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो आपको यह लाभ दिया कि तुरन्त आप इस प्रश्न को सदन में उठा सकेंगे। अब केवल 5–7 दिन और रहते हैं, समय की कमी के कारण आप इसे अभी उठा लें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इतना समय नहीं था इसलिए मैंने यही सोचा कि आप इस प्रश्न को यहां उठा लें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी, झुंझुनू जिले की सबसे सरसब्ज तहसील है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान की कश्मीर की घाटी है वह उदयपुरवाटी की घाटी का एरिया है। पंचायत समिति का हण्ड्रेड पर्सेन्ट एरिया इलेक्ट्रिफाइड है। वहां के किसान उर्वरा भूमि पर पूरी मेहनत

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

करके, मैं कह सकता हूं, बहुत अच्छे ढंग से खेती करके बहुत अच्छी उपज करते हैं परन्तु अभी भी पुराने साहूकारों के क्रूर जाल से इस सरकार की निकम्मी व्यवस्था के कारण नहीं निकल सके हैं। आज से डेढ़ साल पहले कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना के लिये गजट नोटिफिकेशन हो चुका था। यह प्रक्रिया होती है आर्थिक रूप से माप दण्ड पर जब कोई चीज फिट बैठती है तो गजट नोटिफिकेशन होता है। उसके बाद कृषि उपज मंण्डी स्थापित होनी चाहिये। मैं कहना नहीं चाहता हूं परन्तु विवश होकर कहना पड़ता है कि श्रीमती कमला जी ने इस महत्वपूर्ण सवाल को अनदेखा कर दिया। पता नहीं क्या निजी स्वार्थ था कि इस कृषि उपज मण्डी के सवाल को नकार दिया। अब मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह जो समस्या वहां की है उससे किसान परेशान हैं अतः उनकी ओर आप ध्यान दें, क्योंकि आज वहां के ...

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सदस्य कौनसी कृषि मण्डी है ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं। आपका विशेष अधिकार है उस जिले का।

श्रीमती कमला : मैंने उसको मना नहीं किया है, निरस्त किया है। उसका अभी सर्वे जारी है। सर्वे होने के बाद इन्डिपेन्डेन्ट मण्डी बनाई जाय या नहीं बनाई जाय, इसका सर्वे होने के बाद ही कोई व्यवस्था की जायगी।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं गजट नोटिफिकेशन, क्राइटेरिया में जब मण्डी फिट होती है, तभी होता है। आपने घोषणा की थी कि दो लाख से ज्यादा आमदनी वाली मण्डी को सी क्लास में करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सी क्लास तो अच्छी नहीं लगेगी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हम तो बहुत बड़ा स्वागत करेंगे मंत्री महोदय का अगर वे ए क्लास में घोषित कर दें। कोई थैली वैली भी भेंट कर देंगे।

श्रीमती कमला : सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे के बाद पता लगेगा कि उसका टर्न ओवर कितना है, आमदनी कितनी है, वह किस कैटेगरी में आ सकती है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरे पास लिखित जवाब है, उसका निर्णय हो चुका है परन्तु आगाह कर रहा हूं कि कहीं नीम के थाने के साथ जोड़ने की मुझे सूचना मिली है ! एक ऐसा षड़यन्त्र चल रहा हो....

श्रीमती कमला : ऐसी कोई बात नहीं है। गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एक और निवेदन कर दूं, माननीय मन्त्री महोदय को आमन्त्रित करते हैं, इसके उद्‌घाटन के लिए।

श्रीमती कमला : यह बनेगी तब की बात है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपने कह दिया तो बनेगी ही।

श्रीमती कमला : सर्वे के बाद पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह ! विकास अधिकारी झोटवाड़ा द्वारा अध्यापक, अध्यापिकाओं का अनियमित रूप से स्थानान्तरण के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी ! बीकानेर नगर की कच्ची बस्तियों तथा गंगाशहर, मीना शहर व देशनोक में आवश्यक वस्तुओं तथा पीने का पानी न उपलब्ध होने के विषय में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पानी के संबंध में है। महज दो मिनट बोलने के लिए मैं यहां तैयार नहीं हूं, मेरा सवाल यह है कि जब बीकानेर की कच्ची बस्तियों में व्यवस्था नहीं है, जब उनको मान्यता दी गई है, जैसे कि इन्दिरा नगर कालोनी है सुभाषपुरा है, रामपुरा, सर्वोदय बस्ती, बंगला कालोनी और इसी तरह गंगाशहर मीनाशहर व देशनोक में, अध्यक्ष महोदय, उनको पहले तो बनाने की इजाजत दे दी या तो उन अधिकारियों को, जिसने बदमाशी की है और जान बूझकर और उनसे मिलकर, × × × तक मैं तो कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, एक्सपंज किया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उनके साथ सौतेला व्यवहार, अन्याय हो रहा है, उनको पहले तो बसाने के लिए रियायतें नहीं दी और फिर कहा कि चोरी-चोरी रातोंरात मकान बना लो, जब वे बस गये तो सर्वप्रथम पानी पीने का हक मांगते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनकी कोई कहीं सुनवाई नहीं करता, सीधे एक एक ही जवाब मिलता है कि बजट का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कच्ची बस्तियों के अन्दर जब लोगबाग वहां बस चुके हैं, उनके परिवार वहां रहते हैं, तो वे पानी के लिए कहां जायें? गांव के अन्दर तो पुराने कुण्ड हैं या दूसरी कदीमी सोर्स हैं, वे तो पानी ले सकते हैं, शहर में पानी लायेंगे तो कहां से लायेंगे, किसी भी कच्ची बस्ती में पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी पाइप लाइन नहीं डाली गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका मन्त्री महोदय से अभी जवाब चाहता हूं कि इसके लिए उत्तर दिलवा दें अध्यक्ष महोदय, वहां आन्दोलन होने की स्थिति है। और बिलकुल इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस पर आप कम से कम अगर कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण मुझको दिला देते, अपने आसन की ओर से कि किस वजह से यह आपका रिजेक्ट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अहम मसला है। गंगाशहर, मीना शहर व देशनोक का सवाल नहीं है यह पूरे राजस्थान प्रदेश में एक समस्या है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी अव्यवस्था नहीं चल सकती। हमारा कर्त्तव्य है, जब लोग बाग वहां प्यासे मर रहे हैं और हम यहां चुपचाप बैठे रहें? कौन सा ऐसा माननीय सदस्य है, जो ऐसी शिकायतों से अवगत नहीं है, स्वयं ही यह सरकार

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

और अधिकारीगण व्यवस्था नहीं करते। आप ऐसा तरीका तो बतायें कि जिससे हम समाधान कर सकें। इतनी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं कि मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं बयान कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सरकार से इस बारे में आप किसी प्रकार से यहां उत्तर दिलवा दीजिए।

एक माननीय सदस्य : विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह। इतने अल्पकाल के अन्दर सरकार से कोई उत्तर दिलाने के नियम नहीं हैं और न नियमों में ऐसा प्रावधान है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह कहां जायें ?

श्री अध्यक्ष : मेरा इतना ही अधिकार है कि आपको बुला दूं, मैंने बुला दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बुलाने का सवाल नहीं है। इतना भयंकर गर्मी का मौसम आ रहा है, वे अब पानी कहां से लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वाद-विवाद में पड़ने से कोई लाभ नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं करूं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कैसी बात कर रहे हैं, विधायक होते हुए। आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं साधारण नागरिक होता तो बात थी, मैं जन प्रतिनिधि हूं, जब उनकी समस्यायें यहां समाधान नहीं कर सकते ...

श्री अध्यक्ष : आपने फर्मा दी न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने नामन्जूर कर दिया। इस प्रकार का यह प्रावधान ही नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मेरा....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सरकार से निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : लोग वाग प्यासे मर रहे हैं वहां।

श्री अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा समझिये।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या करूं, अध्यक्ष महोदय, हालत बहुत खराब है। लोग मर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां भी बहुत खराब है, हम दोनों ही क्या करें। यह बतायें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मानता हूं गांवों में हाल बहुत खराब है। पर यह उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, पहले उनको बसने के लिए अलाउ करते हैं और उसके बाद में पानी की व्यवस्था नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : सबसे सरल इलाज यही था कि आपको यहां बोलने का अवसर दे देता। अवसर दे दिया, आपने उसका उपयोग कर लिया। अब कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। दूसरी कार्यवाही हाथ में लें।

श्री देवीसिंह भाटी : उसका समाधान किस प्रकार होगा ? मैं उनको क्या जवाब दूंगा ?

श्री अध्यक्ष : आप जाना ही मत वहां। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप कैसी बात कर रहे हैं। कृपया थोड़ा नियमों का ध्यान कीजिए, ऐसे कोई पानी प्राप्त हो जायगा ! आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन ! प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत एक विषय उठायेंगी।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

राजस्थान हायर सैकण्डरी परीक्षान्तर्गत 27 मार्च, 1981 को नीयत प्रेक्टिकल परीक्षा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय शिक्षा मन्त्री यहां होने चाहिए। यह ऐसा इश्यू है जिसे आप रखेंगे, मेरा कहना है कि आपको जानकारी हो जायगी कि वे तो....

एक माननीय सदस्य : रिकार्ड में आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो आज सभा में बात आ गई, यह सब जगह तत्काल पहुंच जायगी।

एक माननीय सदस्य : जो मसला उठाया है, यह महत्वपूर्ण है। जो एग्जामिनेशन्स हो रहे हैं, वह स्थगित नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यहां मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मसले उठाने की ही इजाजत देता हूं। साधारण तो यहां उठाये ही नहीं जाते। इसलिए ही कृपया....

एक माननीय सदस्य : आपका फर्माना सही है लेकिन जो आप जवाब देंगे....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हायर सैकण्डरी की प्रेक्टिकल परीक्षा ली जा रही है। प्रेक्टिकल परीक्षायें लिया जाना कोई नयी बात नहीं है, लेकिन नयी बात यह हो रही है कि कल अचानक दोपहर में इन्स्पेक्टर्स आफ स्कूल एवं प्रधान अध्यापकों की मीटिंग हुई, उसमें तय किया गया कि आज ही 27 तारीख को प्रेक्टिकल परीक्षायें हायर सैकण्डरी की ले ली जाय। लिहाजा कल रात को स्कूल्स में आर्डर्स पहुंचे और कल रात को ही लोगों में भागदौड़ मची, बच्चों को सूचना देने हेतु। आज स्थानीय अवकाश का दिन है, बच्चे त्यौहार होने के कारण इधर-उधर

Page No.56

(५८)

(सुश्री पुष्पा जैन)

गये हुए हैं, गांव के बच्चे गांव गये हुए हैं, यहां के बच्चे मूड में नहीं हैं, किसी को सूचना मिली, किसी को नहीं मिली....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बीच में वहां आ रहे हैं। बाहर हमारी बात नहीं जा रही हैं। कुछ व्यवस्था तो करें। मुख्य मन्त्री जी को हटाने की साजिश हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : नहीं उनको परमानेन्ट करने की हो रही है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : विधान सभा के भाषणों व प्रश्नों का जवाब मुख्य मन्त्री को देना होता है।

श्री नाथूसिंह : कल आप लोग मुख्य मन्त्री जी के ऊपर आपत्ति ले आये थे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में है जो बाहर घटनायें होती हैं, उसको नहीं लेते। सुनी हुई भी अनसुनी कर दीजिए। आप वही चर्चा करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : देखी हुई हैं, सुनी हुई नहीं है।

श्री अनंतकुमार जैन (झालरापाटन) : हम तो आपके मातहत हैं। आप हमारे संरक्षक हैं, आपको देखना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा एक्शन। हम किसके पास जायेंगे, साहब। यहां न कोई सरकार है, न कोई सुनने वाला है, न मन्त्री है। × × × की बात हुई, उसमें तो कोई नहीं बोला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह विचारणीय विषय है, इसको कृपया आप सुनियेगा। माननीय सदस्यगण, बाधा उपस्थित नहीं करें। कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आज जब सब विद्यार्थियों को सूचना मिली तो उनके अभिभावक एकदम हतप्रभ हो गये कि कोई सूचना नहीं है, यह कौन सा तरीका हुआ, परीक्षायें लेने का। परीक्षायें जो बोर्ड की एक के बाद एक ली जाती हैं। जैसे म्यूजिक की परीक्षा होती है, तत्काल उसके बाद होम साइन्स ली जाती है। एक के बाद एक कैमिस्ट्री, बायलोजी, फिजिक्स की प्रेक्टिकल परीक्षायें ली जा रही हैं। जबकि उनको कम से कम एक हफ्ते पहले या दो दिन पहले और नहीं तो 24 घण्टे पहले इसकी सूचना होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय आज अवकाश का दिन होने के कारण सारा स्टाफ छुट्टी पर गया हुआ है। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। कई बच्चों को सूचना पहुंचाने तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने अपने आप निर्णय लेकर परीक्षाओं का समय घोषित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बच्चों को सूचना मिलने से कुछ बच्चे आये हैं और कुछ बच्चे नहीं आये हैं। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे आज

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

स्कूलों में नहीं आ सके उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी, उनकी परीक्षाओं का क्या होगा ? क्यों हड़बड़ाहट में परीक्षायें ली गईं ?

दूसरी एक बात और बताना चाहती हूं कि जो परीक्षक तय किये गये हैं वे भी जल्दबाजी में तय किये गये हैं। यहां के ही लोगों को परीक्षक तय कर दिया गया है। यह एक स्वस्थ परम्परा है कि प्रेक्टिकल परीक्षाओं के लिए बाहर का परीक्षक होना चाहिये। उससे परीक्षाओं में अच्छा रहता है और उससे राजनैतिक प्रभाव या दूसरे कोई प्रभाव हैं उनके प्रभाव का अंदेशा नहीं रहता है। स्थानीय परीक्षकों के कारण यह सब रहने की सम्भावना रहती है। इसलिए बच्चों को जल्दबाजी में सूचना दी गई, अचानक निर्णय किया गया और एक के बाद एक परीक्षायें तय कर दी गईं, नहीं मालूम, ये इंस्पेक्टर आफ स्कूल किस होशियारी का परिचय देना चाहते थे, या कौन सी अपनी आफ़त टालना चाहते थे। लिहाजा मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इससे बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनका परीक्षा फल खराब हो सकता है अनावश्यक जल्दबाजी से। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर आप तुरन्त सूचना प्राप्त कर इन प्रेक्टिकल परीक्षाओं को तत्काल रुकवाने की व्यवस्था करें। अन्यथा यह होगा कि जो बच्चे परीक्षा में रह जायेंगे उनका सारा का सारा साल नष्ट हो जाएगा, सारा साल खराब हो जाएगा। इससे बच्चों का, विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कमला नेहरू स्कूल में फोन किया था। मैंने यह सोचा कि यह मुद्दा यहां पर उठाने से पहले इसको कन्फर्म कर लूं। वहां की प्रधानाध्यापिका एकदम घबरा गई। उन्होंने सोचा, घर से मेरी कोई बहिन, बेटी या कोई रिश्तेदार परीक्षा में नहीं आ सके हैं। उन्होंने कहा कि बहिन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं आप किसी भी तरीके से अपने बच्चे को भिजवा दीजिए। मैं परीक्षा को रुकवा देती हूं। एक घण्टे के लिये, आधा घण्टे के लिए जितना भी कहें। मैंने उनसे कहा कि इतनी जल्दी बच्चे कैसे आ पायेंगे ? आपने सूचना नहीं भेजी। तो प्रधानाध्यापिका ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे रात को आदेश प्राप्त हुए हैं और सुबह ही जो भी लड़कियां आ पाई हैं उनको दौड़ा रही हूं। लड़कियों की परीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी है। मेरे पास स्टाफ भी पूरा नहीं है, फोर्थ क्लास भी नहीं है। आज सुबह जो लड़कियां आई हैं मैं उन लड़कियों को भी दौड़ा रही हूं। मेरे पास सारा का सारा सोर्स जो उपलब्ध है उसको इस्तेमाल कर रही हूं। मैं आपके हाथ जोड़ कर कहती हूं कि आप बच्ची को भेज दें वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा ? क्या इन विद्यार्थियों का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है इस सरकार के होते हुए ? उनके प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स इस सरकार से भी बड़े हो गए कि बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई प्रायर नोटिस या सूचना दिए आज एकदम उनके दिमाग में भूतनी आई कि आज ये परीक्षायें हो जावें और उन्होंने शुरु करवा दीं। फिर, अध्यक्ष महोदय,

(सुश्री पुष्पा जैन)

हायर सैकण्डरी कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है । कोई दूसरी तीसरी क्लास की बात नहीं है । हायर सैकण्डरी के बाद बच्चों का कैरियर शुरू होता है । बोर्ड की परीक्षा है, लिहाजा बेहतर होता कि शिक्षा मंत्री जी यहां पर होते लेकिन वे अपने किसी राजनैतिक कार्य में लगे हुए हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगी कि शीघ्रातिशीघ्र आप शिक्षा मंत्री जी को यह सूचना भिजवाइये और उनसे कहें कि इसकी जांच करके इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को बुला कर इन परीक्षाओं को तत्काल रोका जावे वरना यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी और सारी की सारी जिम्मेवारी इस सरकार पर होगी ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बच्चों के भविष्य का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : I have taken note of it.

सदन की मेज़ पर रखने जाने वाले पत्र ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो एलान किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम पुकार लिया था, उस पर चर्चा समाप्त हो गई । अब अगला विषय 295 का आ गया ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । परसों आपने व्यवस्था सुनी कि आपका तो कण्टेम्प्ट हो जाता है, अगर मैं नाम पुकारूं और आप....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में निवेदन कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता । आर्डर प्लीज...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी पीने गए थे । सदन में उस वक्त अगर कोई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैंने नाम पुकारा उस वक्त माननीय सदस्य को उपस्थित रहना चाहिए था । अगर वे उपस्थित नहीं हों तो वह कण्टेम्प्ट आफ दी हाउस है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पानी पीने के लिए गए थे, मैंने अवगत भी करा दिया था । सदन में पानी लाने की कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आज टाइम नहीं है । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री हनुमान प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट...

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव था...

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले के देवपुरा बांध...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। एक एक माननीय सदस्य बोलें तो मैं सुन सकूं। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, तहसील सवाई माधोपुर की जो देवपुरा बांध की 13 बीघा भूमि नीलाम की गई है और उस नीलामी के बदले में 108 बीघा में जंगल काटे गए हैं उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : अभी जुबानी मुझे याद नहीं है। पचासों प्रस्ताव लगभग प्रतिदिन आते हैं...

श्री हंसराज शर्मा : नाम पुकारा गया था, साहब।

श्री अध्यक्ष : पहले नाम पुकार लिया उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता।

श्री चुन्नीलाल : दो दो मिनट के लिए जो हमें अवसर मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिल पाया है। आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार से जानकारी आ गई है।

श्री अध्यक्ष : जब व्यवस्था दे दी तो उस वक्त आपको सुनना चाहिए था।

श्री चुन्नीलाल : हमको अवसर नहीं मिला बोलने का।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप दोनों का प्रस्ताव, श्री चुन्नीलाल एवं श्री हंसराज शर्मा, तहसील देवपुरा बांध की डूब में आई जंगलात की कटाई के बारे में है ?

श्री चुन्नीलाल : हां साहब।

श्री अध्यक्ष : इस पर जवाब आ गया है सरकार का। उसका अध्ययन किया जा रहा है। इस पर व्यवस्था दी जायगी।

(व्यवधान)

अब प्रश्न नहीं होंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : पाइन्ट आफ आर्डर ...

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, 295 के अन्तर्गत मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : वह केवल विषय को इण्ट्रोड्यूज करने के लिए होता है। उसमें सभी को अवसर दिया जावे यह आवश्यक नहीं है। विषय आ गया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने अगला विषय पुकार लिया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण का मामला है....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो खुलासा नहीं किया।

श्री नाथूसिंह : आप मुझे एक मिनट का समय दे दें। मैं अभी समाप्त कर देता हूं।

Page No.60

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से समय नहीं दूंगा । आर्डर प्लीज । मैने नाम पुकार लिया था, आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय दे दें....

श्री अध्यक्ष : समय का अभाव है आज, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस 54 का खुलासा कर दीजिए। आप व्यवस्था दे दीजिए। मेरा इतना महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है, इसके कारण तो दें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं सदन की कार्यवाही में... आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य मैनें आपसे बार बार निवेदन कर दिया कि इस पर कुछ नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय । नियम 54 के बारे में आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : मैने व्यवस्था दे दी। उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पर आपको बोलने का अवसर दे दिया, समाप्त हुआ ।

श्री देवीसिंह भाटी : इसके कारण तो बतायें ।

श्री अध्यक्ष : मैं कारण किसी को नहीं बताता ।

श्री देवीसिंह भाटी : नियम 54 में लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : पानी से सम्बधित है इसलिए आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं । मुझे बहुत अफसोस है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । इस तरह की खींचातानी नहीं करें । पानी क्या मैं लिए बैठा हूं जो पानी दे दूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं । आप जनता को नहीं बचा सकते । आप अधिकारियों के भरोसे छोड़ रहे हैं हमें । ये अधिकारीगण जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया बाधा उपस्थित नहीं करें, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । वरना मुझे अगली कार्यवाही करनी पड़ेगी । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन

(श्री हनुमान प्रभाकर)

एवं लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का वितरण वर्ष 1975-76,

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण वर्ष 1976-77,

(3) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण वर्ष 1977-78,

(4) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1978-89, एवं

(5) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1979-80।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

विशेषाधिकार हनन-प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा मांगों का क्रम निर्धारण

माननीय सदस्य, कृपया समय न लें। मैंने आपसे निवेदन किया कि समय का अभाव है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन दिया है प्रिविलेज का, उसे आज ही लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां पर बैठा हूं। अभी अन्दर जाकर अध्ययन करूंगा। मैंने जानकारी मंगाई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आज के लिए ही है। मेरा आग्रह है कि वह आज ही लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं चैम्बर में जाऊंगा, अध्ययन करने के बाद में उसके बारे में बताऊंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बयाना कस्बे के मीराना क्षेत्र पर अवैध कब्जा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री जगनसिंह, श्री मुराद खां, श्री ज्ञानसिंह और श्री भरूसिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, बयाना कस्बे के मीराना क्षेत्र पर अवैध कब्जे की ओर वक्फ मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जगनसिंह।

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, बयाना में एक मीराना नाम से कब्रिस्तान इतना पुराना है, जब बाबर और राणा सांगा में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वह इस स्थान पर हुआ था। बयाना में एक कहावत है, इस क्षेत्र में अगर दो कब्र और बन जातीं तो मक्का मदीना जैसा धार्मिक क्षेत्र मोमडन्स का बन जाता। इस क्षेत्र में बाबर के सेनापति अबू बकर कंदारी का भी मकबरा है। इसी क्षेत्र में जब बाबर को चारों तरफ से दबने के कारण हार का मौका आया, उसने अपनी सेना को इस क्षेत्र में इकट्ठा किया और वहां एक मस्जिद है

(श्री जगनसिंह)

उस मस्जिद में शराब के प्याले छोड़कर शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, वह भी इसी क्षेत्र में है। अब इस क्षेत्र की यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र को चारों तरफ से तोड़फोड़ करके, मकबरे और उन कब्रों को उखाड़ उखाड़ कर लोग कब्जा कर रहे हैं। उन पत्थरों को, जो मकबरों और कब्रों में निकलते हैं, क्रशर मशीन में डालकर गिट्टी बनाई जा रही है। उन मकबरों की जालियां निकाल कर अपने मकानों में लगा रहे हैं और इसके चारों तरफ बाउण्डरी बना करके उसे अपने काम में ले रहे हैं। इस क्षेत्र में पैट्रोल पम्प भी लग गया है, इस क्षेत्र में पशु बांधने का नोहरा भी बनाया गया। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र में नाजायज कब्जा किया जा रहा है। ऐसी विकट स्थिति आ गई है कि मुसलमानों को अपने मुर्दे दफनाने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है। वह मना करते हैं। इस प्रकार ऐसी नौबत आ सकती है कि वहां किसी समय साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है। इस जगह पर जो कब्जा है, वह एक बहुत बड़े पैसे वाले आदमी का है जो कि हर तरीके से कब्जा करने पर तुला हुआ है। इस क्षेत्र में तत्कालीन मुख्य मन्त्री, सन् 1978 के थे, एक छात्रावास का उद्घाटन करने गये थे। लेकिन जन आक्रोश और घेराव करने के कारण वह बगैर उद्घाटन किये लौट आये थे। ऐसी स्थिति सामने आयी थी। फिर भी अब तक कोई काम नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से वक्फ मन्त्री से निवेदन करता हूं कि ऐसी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जमीन पर तुच्छ आदमी, एक दो परिवार कब्जा कर रहे हैं। ऐतिहासिक महत्व की जमीन को मिटा रहे हैं, अपने कब्जे में ले रहे हैं, उसको शीघ्र से शीघ्र खाली करवाया जाये। जिससे वहां जो स्थिति बन रही है, वह शान्त हो सके।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)। बैठ जाइये, साहब।

श्री चाव खां : क्यों?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार के वक्फ मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। भरतपुर जिले में बयाना नामक कस्बा है, उसमें कब्रिस्तान मीराना नामक स्थान है, वह स्थान ऐतिहासिक स्थान है। अध्यक्ष महोदय, आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व मुस्लिम साम्राज्य के बादशाह थे बाबर, उन्होंने वहां पर प्रसिद्ध खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था। वह स्थान वैसे भी ऐतिहासिक हो जाता है, उस वक्त जितने भी वहां सेनापति मारे गये, जो उनके सूबेदार सैनिक मारे गये, उनकी कब्रें वहां बनाई थी और उस स्थान पर एक मस्जिद है, जो धार्मिक स्थान हिन्दुओं में मंदिर होता है, उसी प्रकार का धार्मिक स्थान मुसलमानों में मस्जिद होती है। जब बाबर को पता लगा, उसका बेटा हुमायूं सख्त बीमार था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो बाबर ने घुटने टेक कर उस मस्जिद में मिन्नत मांगी थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तब से....

श्री अध्यक्ष : शराब तो पहले ही छोड़ चुके थे। 1536 थानवा के युद्ध में।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : थानवा के युद्ध की ही बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

ऐसा है, उजलाजी, आप इस बारे में उतना नहीं जानती हैं, जितना मैं जानता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भरतपुर की रहने वाली हूं, इनका भरतपुर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं। इतिहास मैं जानती हूं कि ये जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : थानवा का युद्ध तो विश्व विख्यात है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, शायद उजला जी को यह पता नहीं कि मेरी पैदाइश ही भरतपुर की है।

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : ....यह क्षेत्र वहां से 15 किलोमीटर दूर नहीं है 8 किलोमीटर दूर है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : यह मीराना ऐतिहासिक स्थान है। जब बाबर ने मिन्नत मांगी थी तब उसका बेटा ठीक हो गया था तब से उसने शराब के प्याले छोड़ दिये। अपने सैनिकों से शराब छुड़वा दी। वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। इतिहास में प्रसिद्ध होने के बाद वहां पर बड़े बड़े मुसलमानों के धार्मिक गुरू, धार्मिक नेता जाते हैं और मिन्नतें मांगते हैं और उनकी मिन्नतें पूरी भी होती हैं। ऐसे धार्मिक स्थान को इतिहास में मक्का मदीना की तरह से पूजा जाता है। उसमें क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, ××× इस बाबूलाल दमदमे वाले ने सारा कब्जा कर लिया। मकान बनाना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ पैट्रोल पम्प लगाना शुरू कर दिया।

श्री अनंगकुमार जैन : दम हो तो उखाड़ फेंको सरकार को।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : हमारे में तो इतना दम था कि तुम्हें ही उखाड़ कर फेंक दिया।

(12.55 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामकिशन जी का नाम लिया जा रहा है। जो सदन में नहीं हैं उनके नाम का उल्लेख किया जाय, यह गलत तरीका है। यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : आप जांच करा लीजिये उनके कारनामों की। ये लोग हमेशा दंगा फैलाना चाहते हैं, ये लोग साम्प्रदायिकता की आग लगवाना चाहते हैं। ये मुसलमानों को नहीं चाहते। यह धर्म निरपेक्ष

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

राज्य नहीं चाहते। सभापति महोदया, मैं बताता हूं, तत्कालीन मुख्य मन्त्री वहां इस मन्शा से गये, उनकी यह मन्शा थी कि मैं वह स्थान देखूं और × × × उसका शिलान्यास करने गये।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष की पूर्व अनुमति बिना भूतपूर्व सदस्य पर आरोप

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं। पण्डित रामकिशन का नाम यहां सदन में लिया। उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो यहां नहीं हैं। यह नियमों के विपरीत है। अगर उन्होंने गलत काम किया तो प्रश्न लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह सुखाडिया जी का नाम कई बार लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह हमारे मुख्य मन्त्रियों का नाम लेते हैं। इन्होंने जनता पार्टी के राज में कब्जा किया है, इनमें सुनने की शक्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : अगर दम है तुम्हारी सरकार में तो उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक देते हो ?

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

श्री नन्दलाल मीणा : ताकत हो तो हटाओ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूं। नाम लेना उचित है या नहीं, आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था देती हूं। जहां तक मैं समझ पायी हूं, मैं अभी आयी हूं, मैं समझती हूं शायद किसी व्यक्ति का आपने नाम लिया जो सदन में नहीं है, आपका एतराज यह है। मैं माननीय सदस्या से पूछती हूं जो सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन पर आप खुद कितनी बार आरोप लगाती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अगर ऐसी व्यवस्था देती हैं तो मान्य हो जायगी। लेकिन नाम लेकर पुकारा जाना उचित है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने कह दिया ना, मैं नाम नहीं लूंगा।

श्री सभापति : जो कुछ कहना है कह कर समाप्त करिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैंने शुरुआत ही नहीं की इन लोगों ने इन्टरफियरेंस करना शुरू कर दिया।

ऐतिहासिक स्थान पर साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है।

(व्यवधान)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

आप व्यवस्था दीजिये। इनको बाहर करें।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है माननीय सदस्य, टौंक से आने वालों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है सभापति महोदया, पं. रामकिशन जी भूतपूर्व संसद-सदस्य हैं, इस सदन के भी वरिष्ठ सदस्य थे, काफी दिन विराजे थे, हिन्दू धर्म का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं और कोई दूसरे मजहब को ठेस पहुंचाने वाले नहीं हैं इसलिये माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर व्यवस्था चाहता हूं कि वे अपने शब्द वापस लें।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्यों ने कहा जो आदमी उपस्थित नहीं है यहां पर उस पर आरोप नहीं लगाने चाहिये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नियम 273 में स्पष्ट लिखा है—

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the minister concerned so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

तो कोई भी किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं किया जा सकता जब तक कि पहले इंडिकेशन न हो। तो मैं विनती करूंगा कि नियमों के अनुसार माननीय सदस्यों को बोलना चाहिये और आरोप नहीं लगाने चाहियें।

श्री सभापति : आप भी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं क्या टौंक से आने वाले ?

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा : माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि XXX। माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लें।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो ऐसा ही करते हो।

श्री जगनसिंह : XXX

श्री बाऊदयाल जोशी : XXX तुम्हारे तो पिता बराबर हैं वह, समझे।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं प्रूफ दे सकता हूं।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No.66

(66)

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : इन्होंने इस तरह की XXX बात की है।

(व्यवधान)

मैं समझती हूं जो यहां उपस्थित नहीं है, मैंने कोई बात कह दी तो वह परम्परा हो जायगी, मैं समझती हूं, यह उचित नहीं है, सभापति महोदया, आपको उचित व्यवस्था देनी चाहिये। जो इनका पक्ष है, अगर कोई अन्याय किया जाता है तो उसका न्याय होना चाहिये, मैं इस पक्ष में हूं। लेकिन बिना लिखित में आरोपित किये हुए इस तरह नाम लेकर पुकार जाना, XXX

(व्यवधान)

कवि हुल्लड़ ने अगर कविता पढ़ दी, XXX तो यहां इस तरह की बात करनी चाहिये

(व्यवधान)

अरे, रहने दो। तुमने कभी घी देखा भी है। उस संत आदमी के नाम पर इस तरह चरित्र हनन की बातें होती हैं।

श्री जगनसिंह : चरित्र है ही कहां ?

श्री अनंगकुमार जैन : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दुबारा पाइन्ट आफ आर्डर आया है। आप बैठिये, एक साथ दो दो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं चलते हैं, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदया, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्या ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था उस पर आपने व्यवस्था दी उसका मतलब यह है कि मैं कहूं कि XXX तो आप यह कह देंगे कि आपने कहा इसलिये इन्होंने भी कहा। आपको तो व्यवस्था देनी है कि नियमों में क्या आता है नियमों के हिसाब से जो कार्यवाही अंकित नहीं होनी चाहिये वह नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था नहीं है कि आप गाली देते हैं तो वे भी गाली देंगे। आपको सदन की परंपरा के हिसाब से व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री भालू खां (चूरू) : आप आसन को परंपरा सिखाना चाहते हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बात सुनिये। आप जरा एक मिनट सुन तो लीजिये, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया। जैसे माननीय राजबहादुर जी ने बताया वह बिलकुल ठीक है। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता उसके बारे में आरोप नहीं लगाये जायं, अगर लगाये जायं तो वह लिखकर दिया जाय यह बिकुलल ठीक है, लेकिन यह प्रश्न रोजाना आपके सामने आता है तब आपके कहे हुए शब्द वापस नहीं लिये जा रहे है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री सभापति : अगर आपको स्वस्थ परंपरा कायम रखनी है तो एक तरफ से नहीं रह सकती, दोनों तरफ से रखी जायगी।

(व्यवधान)

अभी जो आपने क्या शब्द कहे हैं वह मैंने सुने नहीं हैं, मैं नहीं कह सकती। अगर आप दुबारा उन्हें कहें तो मैं कह सकूं कि पार्लियामेंट्री हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, सदन की अपनी मर्यादा है और इससे सदस्यों को बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मेरे द्वारा मर्यादा तोड़ी जाय तो मैं दण्ड की भागीदार होने के लिये तैयार हूं जो सदन की परंपरा बनी हुई है उसको बनाए रखने के लिये आप निश्चित रूप से व्यवस्था देंगी। यहां जो पं० रामकिशन जी के बारे में नाम लेकर अमर्यादित बातें कही गईं वे निकाल दी जायं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं वह रिकार्ड देख लूंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है-अनपार्लियामेंट्री है या नहीं। आप आगे बोलिये।

एक माननीय सदस्य : मैं भैरू सिंह जी से पूछना चाहता हूं XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : इसको देख लिया जायगा। क्या शब्द हैं। फिर निर्णय ले लिया जायगा। आप बोलियेगा। फिर बाद में रिकार्ड देख कर निर्णय ले लेंगे।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कर दीजिये, आपको जो कुछ भी कहना है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अगर इस प्रकार बीच में व्यवधान होगा तो कैसे बोलूं।

श्री जगन सिंह : XXX उनके लिये कहो!

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हिस्टोरिकल प्लेस बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है। उन पर कब्जा हो रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जे भी कर रहे हैं। आप हंसी में टाल रहे हैं मेरा निश्चित आरोप है कि XXX

श्री सभापति : ये शब्द निकाल दें।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं, XXX

श्री सभापति : अंकित न हो।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No.68

श्री यदुनाथसिंह : +++

श्री जगतसिंह : इस आरोप को सिद्ध करने को तैयार हूं....

श्री अनंग कुमार जैन : आप लोगों में दम है ....

श्री जगतसिंह : XXX थोड़ा सुनने का धैर्य रखो....

श्री सभापति : अंकित न हो। आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : XXX

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : XXX

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बयाना कस्बे के सीमाना क्षेत्र पर अवैध कब्जा

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं यह कह रहा था, सभापति महोदय..

(1.10 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह धार्मिक स्थान है यह ऐतिहासिक स्थान है। पिछली सरकार के XXX ने, जिनका मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुख्य मंत्री को बुलाया वहां पर एक छात्रावास का उद्घाटन, शिलान्यास करना चाहते थे...

श्री नंदलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने कहा है स्टेट हैड का सदन में नाम नहीं लिया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राष्ट्रपति का नाम यहां पर लिया जा सकता है...

श्री तेजपाल यादव : भूतपूर्व मुख्य मंत्री के बारे में कहा गया है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। केवल राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल होते हैं स्टेट हैड। मुख्य मंत्री तो सदा चर्चा का विषय रहता है इस सदन में...

श्री नन्दलाल मीणा : XXX का प्रश्न है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : उसको बनाने वाला XXX उसकी सरकार को बनाने वाला XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कुछ भी कहें धैर्य के साथ कहें ताकि मैं भी सुन सकूं...

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा निवेदन करना यह है, माननीय अध्यक्ष, कि माननीय सदस्य ने यह फर्माया है कि तत्कालीन XXX ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को भरतपुर किसी

+++ आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

XXX अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

XXX अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री नन्दलाल मीणा) :

छात्रावास भवन का शिलान्यास करने के लिये बुलाया। मेरी आपत्ति यह है कि यह राजस्थान के मुख्य मंत्री का XXX कौन है ?

श्री अध्यक्ष : यह सदन ? यह सारा सदन है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह सदन की मखौल बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सारा हो हल्ला का कारण यह है कि भैरू सिंह की पार्टी भैरू सिंह से घबराती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वाद विवाद के अन्दर जिन शब्दों का प्रयोग करें उसमें संयम बरतें। ऐसे शब्द नहीं कहे जायें जो अपमानजनक हों मानहानिकारक हो ताकि वाद विवाद अच्छी तरह से हो सके। वाद विवाद के जो साधारण नियम हैं वह सदैव ध्यान में रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह धार्मिक स्थान है, उस पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार ने जो कब्जा कर रखा है उसमें पंचायत समिति भवन है, विद्युत मण्डल का आफिस है, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का कार्यालय है। इसी प्रकार जहां अन्य लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, सरकार ने भी कब्जा कर रखा है, दूसरी ओर सरकार द्वारा 145 की कार्यवाही भी की जा रही है। फिर भी यह मामला ज्यों का त्यों है। इसका क्या कारण है कि कार्यवाही भी की जा रही है और मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। इतना ही नहीं यह धार्मिक स्थान है। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। इससे मुसलमानों की भावना को ठेस लगती है। यह धार्मिक पर्यटक स्थल है और हिन्दुस्तान में पर्यटकों के आने से इनकम भी होती है। जिनका कब्जा है, उस बारे में विधान सभा के सदस्यों द्वारा पहले भी ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह मामला ज्यों का त्यों है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा, कि मन्त्री महोदय, इस मामले की जांच करके ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाय।....

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हरसहाय मीणा (देवस्थान मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ ध्यान आकर्षित किया है निश्चित रूप से वह महत्व का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश जब आजाद हुआ था, आजाद होने के साथ ज्यों ही इस देश से अंग्रेज गये, एक बीमारी ऐसी छोड़ गये कि देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के हमारे

(श्री हरसहाय मीणा)

ही हजारों भाई पाकिस्तान गये, पाकिस्तान नाम के देश में अलग से रहने लगे। निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करूंगा कि बयाना भी एक एक ऐसी जगह थी जो कि मुस्लिम बाहुल्य कस्बा था। उसमें बहुत सारे मुसलमान लोग रहते थे। जो बंटवारा हुआ तो करीब करीब 90 प्रतिशत लोग बाहर चले गये और जो प्रापर्टी थी वह उसी रूप में बेकार पडी रही, किसी का ध्यान नहीं गया। राजस्थान सरकार ने सन् 1966 में इसका एक सर्वे करवाया कि वह प्रापर्टी कहां कहां पर, कितनी कितनी, किस किस प्रकार से है और उसके अन्तर्गत सन् 1968 में एक गजट नोटिफिकेशन होकर तय हुआ कि अमुक अमुक सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की है। उसके तहत बयाना में भी खसरा नम्बर 1215, 1217 और 1219 की आराजी भूमि 89 बीघा 19 बिस्वा, जो वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी है, के बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की भूमि पर जो राज्य सरकार के कार्यालय या आवास गृह बनाये गये हैं उसके बारे में एक बार राज्य सरकार ने चर्चा भी की थी और एक फैसला भी दिया था कि जो भवन बन गये हैं उनका कुछ किराया वक्फ बोर्ड को दे दिया जाय, वह पांच नये पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से था। उन्होंने तत्काल आदेश फर्मा दिया था कि यह तो ले लिया जाय। इसके अलावा जो भी अवैधानिक कब्जे हो रहे हैं, 145 की कार्यवाही उनके ऊपर की गई है। कोई इस तरह का ट्रान्सफर नहीं हो, सबको बेदखल करने के लिए गवर्नमेन्ट ने यह स्टेप उठाया है और वह न्यायालय के विचाराधीन है। इसके सम्बन्ध में यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जो 145 की कार्यवाही की गई है उसके बाद में कितने नाजायज कब्जे कब हुए? नम्बर एक। नम्बर दो, जो मन्त्री महोदय ने बताया है, कितनी कितनी भूमि पर किस किस का कब्जा है उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई है अब तक?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : एक प्रश्न मेरा भी है ...

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि जिन्होंने ट्रेसपास किया है उनके खिलाफ 145 की कार्यवाही जारी है। उनसे खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ है।

श्री जगनसिंह : 145 की कार्यवाही कब से की है सरकार ने?

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह फर्माया है कि उस भूमि पर सरकारी कब्जा है तो सरकारी इमारतें जो बनी हुई हैं, को हटाने के लिए क्या प्रयत्न चल रहा है?

श्री अध्यक्ष : कुछ और जानकारी चाहते हैं आप?

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : मैं यह पूछ रहा हूं कि 145 की जो कार्यवाही की गई वह कब की गई, कितने दिन पहले वह कार्यवाही की गई है और क्या इस कार्यवाही के करने के पश्चात् वह कब्जे हट गये?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, इसका उत्तर आने दें। एक एक करके पूछें।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, 145 की कार्यवाही सन् 75 में चालू कर दी गयी थी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, सर। फाइल कवर आगे से हटा लें। आपको हम नहीं दिख रहे हैं।

श्री सजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 75 में अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की गयी लेकिन वे कब्जे आज दिन तक बदस्तूर जारी हैं। जो पुराने कब्जे हैं उनको हटाया जाना चाहिए। आज नये कब्जे भी जारी हैं और रोज नये कब्जे हो रहे हैं। न तो सरकार ने कोई कार्यवाही की, न कोर्ट ने कोई कार्यवाही की है और न ही वक्फ बोर्ड ने कोई कार्यवाही की। आज हालत यह है। बयाना में ऐसी स्थिति चलती रही तो ऐसी हालत में साम्प्रदायिक दंगे होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। साम्प्रदायिक दंगे निश्चित हो जायेंगे। बड़े पैसे वाले लोग कब्जे कर रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कब तक वे नाजायज कब्जे हटा दिये जायेंगे?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने निवेदन किया कि यह तो विचाराधीन कोर्ट के है जब फैसला हो जायगा, आदेश होगा तो सरकार पालन करेगी, अभी भी तारीख है 2-4-81 को इसी दिन फैसला हो जायगा तो सरकार सरकार उसी दिन कार्यवाही चालू कर देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि 145 की कार्यवाही की गयी लेकिन 145 के कार्यवाही करने के बावजूद भी रोजाना कब्जे हो रहे हैं। सरकार इसके बारे में व्यवस्था करने जा रही है? जो कब्जे हो गये उन पर तो सरकार कार्यवाही करेगी लेकिन जो आगे हो रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या कल्पना है जिससे कि ये आगे न हो? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आगे कब्जे न हो। विचार कर सकते हैं या नहीं?

श्री हरसहाय मीणा : उनके खिलाफ भी 145 के तहत कार्यवाही की जायगी।

श्री यदुनाथ सिंह : 145 से कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मन्त्री महोदय ने इस स्थान को धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थान माना है और वहां पर कार्यवाही कर रही है। अब मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थान है तो सरकार उस स्थान को ऐतिहासिक स्थान घोषित करेगी ताकि उस हिसाब से....

Page No.72

(72)

श्री अध्यक्ष : सरकार उसको ही वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर चुकी है। श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि अवैध कब्जे किन किन माननीय सदस्यों ने किये हैं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने नहीं किये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, जिन लोगों ने किये हैं उनमें माननीय सदस्य ने यह बताया कि राज्य सरकार के भी आफिसेज बने हुये हैं क्या वह भी अवैध कब्जे की गिनती में आते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे चुके हैं मन्त्री महोदय। श्री अनंगकुमार जैन।

श्री मोहनलाल मोदी : इसका तो जवाब आ जाय, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में ऐसा समझौता हो चुका है कि प्रति बीघा के हिसाब से कुछ किराया वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार देगी।

श्री मोहनलाल मोदी : वक्फ बोर्ड और जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं अगर उनके बीच में कोई समझौता हो जाय तो क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि धारा 145 की कार्यवाही की गयी तो जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है जिन लोगों ने कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे किये उनके बारे क्या सरकार कोई रिसीवर अपाइन्ट करने का विचार रखती है? क्या कर रखा है या नहीं तो क्यों नहीं? और अब कब तक कर देगी?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, जरा जोर से दुबारा पूछ लें तो ठीक है।

श्री अनंगकुमार जैन : आप जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं 145 के तहत नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोर्ट में कोई रिसीवर अपाइन्ट करने की कार्यवाही की है? यदि नहीं की है तो क्यों और भविष्य में सरकार रिसीवर अपाइन्ट करने का विचार रखती है क्या?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, 145 में कार्यवाही करने के बाद रिसीवर पहले ही अपाइन्ट कर दिया गया है। इसलिए दुबारा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री अनंगकुमार जैन : इससे सम्भव नहीं है....

श्री अध्यक्ष : उस पर वाद विवाद नहीं होगा, केवल मैंने एक एक प्रश्न पूछने के लिए कुछ माननीय सदस्यों को अपने विवेक के अनुसार इजाजत दी है। आर्डर प्लीज। श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

Page No.73

73

श्री यदुनाथ सिंह : यह राणा सांगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दिया जा चुका है माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : एक प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूं इससे सम्बन्धित प्रश्न है, मन्त्री महोदय के उत्तर से उत्पन्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं। विवाद यह है कि कुछ लोगों ने वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जे किये हैं और सरकार उनको हटाने का विचार भी रखती है। नाजायज कब्जे हटाने के लिए क्या धारा 145 काम में ली जाती है? धारा 145 में, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जब दो पार्टी के बीच में पजेशन का झगड़ा होता है तथा शान्ति भंग होने का आदेश हो तब इसका उपयोग होता है।

श्री अध्यक्ष : अथवा अवैध कब्जा कर लिया हो....

श्री भंवरलाल शर्मा : Even then sir, it is between the parties.

यह दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो कब्जे का। यहां पर कब्जे का विवाद नहीं है कब्जा तो राज्य सरकार ने माना है, तो नाजायज कब्जे को हटाने के लिए धारा 145 सी. आर. पी. सी. को काम में लिया जाना उचित है क्या? यह जानकारी आपको है?

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी जानकारी का प्रश्न है। कृपया इसको किताबों में देखें। चर्चा समाप्त हुयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सवाल....

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पूरा कर दूं तब। सैक्शन 145 यह किसी भी व्यक्ति के नाजायज कब्जों को हटाने के लिए काम में नहीं आती है तो मैं चाहता हूं कि ये जानकारी होने के बाद भी उसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे या इसी तरह ढील ढाल कर लम्बा करेंगे?

श्री हरसहाय मीणा : इसके लिए तो वक्फ बोर्ड खुद सक्षम है। दावा करके उनको हटा सकता है वह उसके लिए कार्यवाही करने में सक्षम है। राज्य सरकार तो कोई टेंशन नहीं हो, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो 145 के तहत कार्यवाही की गई है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजबहादुर।

मैंने राजबहादुर का नाम पुकारा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे बाद पुकारा है।

श्री राजबहादुर : आप तो कभी संतुष्ट होंगे कानूनी मसला है, क्या प्रावधान है इस विषय की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है किसका क्या क्षेत्र है ?

एक माननीय सदस्य : मन्त्री को पढ़कर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी पढ़कर आये हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। यहां पर मन्त्री महोदय का लॉ का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है।

श्री राजबहादुर : मैं बिलकुल एक साफ प्रश्न जानना चाहूंगा कि मीराना वक्फ की जो जमीन है। उसके एक एक गज के आंकड़े लिखित में सरकारी रिकार्ड में सम्वत् 1903 और उससे पहले के भी होंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने एकड़ भूमि कब्रिस्तान में है और कितने पर कब्जे हो चुके हैं ? इसके आंकड़ें दें।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री राजबहादुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि आज आपके पास सारा रिकार्ड मौजूद है, कितने पर अनधिकृत कब्जा हो चुका है यह भी आप मालूम कर सकते हैं कुल कितनी जमीन है यह भी मालूम कर सकते हैं और उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं ये तीन प्रश्न हैं....

श्री हरसहाय मीणा : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है। चर्चा समाप्त हुई।

श्री गोविन्द सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रश्न करना चाहती हूं कि मुझको आपने ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री गोविन्द सिंह !

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पंडित रामकिशन के विरोधी बाबूलाल दमदमे वाला ने कितनी जमीन कब्जे में कर रखी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : ज्यादातर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड में कितना पैसा सरकार को देना था वह आपने अभी तक नहीं दिया है। मुझे अपने प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, उसका जवाब सदन में तो दिया नहीं गया लेकिन लिखित में आया था। आपने वक्फ बोर्ड की जितनी सम्पत्ति ली है राज्य सरकार के काम के लिए उसका पैसा आप कब तक चुका देंगे जो जमीन आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष : कौनसे वक्फ का....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह ही जहां कब्रिस्तान का झगड़ा है और इसमें कुछ कब्जा है राज्य सरकार का, मीराना क्षेत्र है, मैंने जो प्रश्न पूछा था उत्तर यहां तो आया नहीं था

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लेकिन मुझे लिखित उत्तर मिला था कि काफी पैसा राज्य सरकार के पास बकाया है ...

श्री अध्यक्ष : मीराना कब्रिस्तान के बारे में था क्या ?

(व्यवधान)

मीराना कब्रिस्तान के बारे में पूछा था आपने ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय यह वक्फ के प्रति वफादारी नहीं है, इन्होंने वक्फ की हालत खराब कर रखी है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगी कि जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड का काम करा दें ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज ।

याचिका का उपस्थापन

डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में वरवानिया ग्राम में आवागमन हेतु पुलिया का निर्माण

याचिका का उपस्थान । श्रीमती कमला भील ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में वरवानिया ग्राम में आगमन हेतु पुलिया का निर्माण करवाये जाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : याचिका उपस्थापित की गई । श्री हंसराज शर्मा ।

जिला सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत सुनारी में बंध में आई भूमि का मुआवजा

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला सवाई माधोपुर के ग्राम पंचायत क्षेत्र सुनारी में बंध में आयी हुई भूमियों तथा कुओं का 25 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं दिलाये जाने सम्बन्धी याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उपस्थापित की गई । श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

कानोता प्रोजेक्ट का कार्य-प्रारम्भ

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले की तहसील बस्सी में सिंचाई के कुओं में पानी के स्तर में निरन्तर आ रही कमी को रोकने हेतु कानोता प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने से सम्बन्धित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उपस्थापित हुई ।

अनुदान की मांग

मांग की संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

अनुदान की मांग पर विचार । मांग संख्या 26. मन्त्री जी ।

Page No.76

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,79,13,000/-रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोबाइल यूनिट्स की और अधिक संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गन्दगी एवं अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. तहसील प्रतापगढ़ के अम्बामाता, थड़ा रामपुरिया की निर्माणाधीन डिस्पेन्सरी भवन का कार्य धीमी गति से चलाये जाने से क्षेत्र के लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुलभ नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

4. जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में चल रही अव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)—

5. इस वर्ष में खोली गई डिस्पेन्सरियों में हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध चर्चा के लिए।

6. विभाग द्वारा चलाये जा रहे औषधालयों में वैद्यों द्वारा एलोपैथिक दवाइयां काम में लाने बाबत चर्चा के लिए।

7. चालू वर्ष में बिना किसी माप दण्ड के खोली गई डिस्पेन्सरी पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

8. बीकानेर के अस्पतालों में दवा एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ओमप्रकाश जैन (अलवर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री रामकिशोर मीना (सिकराय)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

9. 4000 रु० वार्षिक से कम आय वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जायं तथा मेडिकल भत्ता निश्चित किया जाय जिससे लाखों रुपये की चोरी रोकी जा सके पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आपातकाल की तरह पुनः नसबन्दी का कोटा निर्धारित करने पर चर्चा के लिए।

11. श्री कल्याण अस्पताल सीकर के श्रेणी अनुसार स्टाफ की कमी तथा सरकार द्वारा उसकी अनदेखी करने पर चर्चा के लिए।

12. श्री कल्याण अस्पताल सीकर में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं डाक्टरों की लापरवाही से होने वाली मौतों की चर्चा के लिए।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

13. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

14. जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के और विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

15. सिकराय क्षेत्र के ग्राम जोध्या, पीलवाकला, बणिका बरखेडा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. सिकराय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के और विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. सिकराय क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की लगातार कमी व उनकी अनुपस्थिति से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

18. चिकित्सालय खोलने में सरकार ने भारी असंतुलन का बर्ताव किया है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

19. जैसलमेर जिले में चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपकेन्द्रों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं नर्सों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

20. राज्य में एक और आयुर्वेद कालेज की स्थापना करने एवं होम्योपैथिक कालेज को अपने हाथ में लेने बाबत चर्चा के लिए।

21. आयुर्वेद पद्धति को राज्य मुख्य चिकित्सा प घोषित करने एवं स्ना ि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान वेतन देने बाबत चर्चा के लिए।

22. राज्य सरकार आयुर्वेद के प्रति घोर उपेक्षा बरत रही है। औषधालयों की बड़ी हीन स्थिति है। विभाग इस स्थिति से उन्हें उबारने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिए।

23. राज्य में मिलावटी वस्तुओं को रोकने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिए।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

24. नैनवा तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई जिला बूंदी को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने व ग्राम सहण, बालीला ख्यावदा, गुढ़ा सदावरतिया जिला बूंदी में आयुर्वेदिक औषधालय, होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शोतमल जैन (अलवर)

25. खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

26. डाक्टरों के भौतिकवादी रवैये से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. 15 से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भी कम्पाउन्डर्स की कोई पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

28. भ्रमणशील चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिए।

29. अलवर के जनरल अस्पताल में साधारण दवाइयों की अनुपलब्धि एवं वार्डों में यूरिनपोट, चिलमची आदि साधारण वस्तुओं के अभाव पर चर्चा के लिए।

30. अलवर जनाना अस्पताल की सीमा में डाक्टरों के निवास हेतु क्वार्टर्स के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

31. चिकित्सा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त कर गांवों में सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाय, इस हेतु चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)

32. आम गरीब आदमी को चिकित्सा सुविधा सुलभ हो इसकी समुचित व्यवस्था की जावे। गांवों में चिकित्सक रह सके इसके लिए आवासीय सुविधा सुलभ करायी जावे, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

33. डूंगरगढ़ व चूरू विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम)

34. दूरबीन से आपरेशन कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना बन्द की जावे, इस पर चर्चा के लिए।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

35. पे-क्लिनिक सिस्टम चालू करने से स्पेशलिस्ट डाक्टरों को सेवायें गरीब मरीजों को उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. दवाइयों का अभाव, एक्स-रे मशीनों का बन्द पड़े रहना एवं युवा डाक्टरों का गांवों की तरफ न जाने से जनता को राहत नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

37. ग्राम मालवाड़ व गुदाऊ में एड-पोस्ट खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव)

38. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर व गांवों में चिकित्सा की कमी पर चर्चा के लिए।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर)

39. अस्पतालों में सफाई के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

40. बाड़मेर जिले में चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े पदों पर डाक्टर, कम्पाउण्डर्स, नर्स, चपरासी इत्यादि लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. बाड़मेर में नर्स प्रशिक्षण भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. ग्राम भेडाणा तहसील एवं जिला बाड़मेर में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा)

43. गरीब व असहाय बीमारों के चिकित्सा के लिए अस्पताल से निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायी जावें, इस हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

44. ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

45. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. डग विधान सभा क्षेत्र के पगारिया ग्राम में चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

47. रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

48. पे-क्लिनिक के रूप में बड़े डाक्टरों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध के चर्चा के लिए।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

49. श्री मांधोपुर (सीकर) में चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

50. चिकित्सालयों में दवाईयों व अन्य उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52. सीकर में जनाना अस्पताल चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

53. समदड़ी में रेफरल अस्पताल बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

54. मोड़क में रेफरल चिकित्सालय खोलने से मोड़क के स्वास्थ्य केन्द्र को चेचट में स्थानान्तरित करने एवं घाटोली मंदनपुरा पं० स० चेचट, कांचरी पं० स० अन्ता में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने तथा रामगंज मण्डी में चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पंचेरवाल (पाटन)

55. केशोरायपाटन क्षेत्र में नये औषधालय खोलने में सरकारी पक्षपात समाप्त करने हेतु चर्चा के लिए।

56. केशोरायपाटन क्षेत्र में प्रावधानित पदों पर चिकित्सकों की नियुक्तियां हेतु चर्चा के लिए।

57. स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा के लिए।

58. अस्पतालों में आपरेशन के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

59. राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने तथा चिकित्सालयों में सफाई का उचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

60. बगड़ी पंचायत समिति टौंक में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिए।

61. सहादत अस्पताल टौंक को क्रमोन्नत करने तथा जनाना अस्पताल टौंक में दवा आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

62. राजगढ़ तहसील (अलवर) में पिछले वर्षों से एक भी औषधालय न खोलने के क्रम में चर्चा के लिए।

63. राजगढ़ तहसील की डिस्पेन्सरियों में डाक्टर की कमी के कारण असंतोष होने के क्रम में चर्चा के लिए।

64. राजगढ़ अस्पताल में एक्स-रे मशीन के निरन्तर खराब हो जाने से असंतोष के क्रम में चर्चा के लिए।

(श्री समर्थलाल)

65. राजगढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम स्कीम न खोलने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

66. ग्राम खोजास, मणकोली, आकोदा, बिचावा खूड़ी तथा खाखोली में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

67. खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम में सरकार की असमर्थता की चर्चा के लिए।

68. परिवार कल्याण कार्यक्रम को और तेज गति देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

69. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डाक्टरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70. राजस्थान के नर्सिंग कालेज (बी० एस० सी० नर्सिंग) का अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने में विभाग की असमर्थता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

71. जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

72. पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुरवाटी के मणकसास, पचलंगी, धमोरा, सराय में चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

73. नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं बाबत चर्चा के लिए।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा)

74. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव मचीन्द एवं असरवास में सी०एम०एच० ओ० उदयपुर द्वारा डिस्पेन्सरी खोलने की स्वीकृति के कारण पंचायत समिति में भवनों का निर्माण कर दिया परन्तु अभी तक डिस्पेन्सरी प्रारम्भ नहीं करने की चर्चा के लिए।

75. नाथद्वारा की जनता द्वारा प्रस्तावित 10 लाख रुपये से चिकित्सा हेतु भवन में जिला अस्पताल की सुविधा सरकार द्वारा खर्च व्यय की स्वीकृति की चर्चा के लिए।

76. नाथद्वारा रेफरल हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत वाहन का सी०एम०एच०ओ० उदयपुर द्वारा उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

77. बीकानेर के हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

Page No.82

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

78. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

79. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति एवं एक्स-रे मशीनों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

80. अस्पतालों में डाक्टरों की तथा मेडिकल कालेजों में शिक्षिकों की औषधालयों में दवाइयों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नानूराम (आसीन्द)

81. चिकित्सा सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

82. ग्राम चौथवाड़ी (चौमूं) में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री छेतराम मीणा (टोडाभीम)

83. राज्य में जनसंख्या के अनुपात से चिकित्सा सुविधा का विस्तार न करने एवं औषधियों में मिलावट की रोकथाम करने तथा दूरबीन द्वारा नसबन्दी के लिए बजट में प्रावधान करने हेतु चर्चा के लिए

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

84. नीम का थाना के छावनी स्थित कस्बे में डिस्पेन्सरी बन्द कर दी गई इस पर चर्चा के लिए।

85. नीम का थाना में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में में चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

86. भीलवाड़ा जिले में नये चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

87. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

88. जैतारण में अस्पताल को रेफरल अस्पताल बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

89. जोधपुर शहर में कोबाल्ट यूनिट जल्द से जल्द स्थापित करने तथा सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

90. डूंगरपुर जिले में विभिन्न अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स की कमी से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी राम (हिण्डौन)

91. राज्य में अस्पतालों, चिकित्सालयों, औषधालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

92. आयुर्वेद निदेशक पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

93. चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

94. पीपाड़ हॉस्पिटल को रेफरल अस्पताल बनाने व नये चिकित्सालय नहीं खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बुलकीदास कल्ला (बीकानेर)

95. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 99 में प्रावधान होने के बावजूद भी सरकार द्वारा जिला बीकानेर के मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को गत दो वर्षों से निर्योग्यता अवकाश (disatility leave) स्वीकार नहीं किये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

96. अतिरिक्त निदेशालय मलेरिया विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जिले के मलेरिया कर्मचारियों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर)

97. रेवदर क्षेत्र एवं आबूरोड़ ट्राइबल क्षेत्र में महिला चिकित्सालय में चिकित्सक के अभाव में महिलाओं को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची)

98. तहसील स्तर पर रेफरल अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

99. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में नये चिकित्सालय खोलने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

100. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

101. गांवों में आंचलिक स्थानों तक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

102. करौली क्षेत्र में डाक्टरों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मंडावा)

103. श्री बृजमोहन सर्राफ राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मंडावा (झुंझुनू) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये।

(श्री लच्छू राम)

104. गांवों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

105. पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. गैता में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी तथा अयानी व नोनेरा में एडपोस्ट कायम करने तथा रनोदिया, बमोलिया, जोरावरपुरा, डूंगरली, बागली, वोरदा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. इन्द्रगढ, इटावा, खातोली के चिकित्सालयों में बैड्स, दवाइयां आदि की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. इटावा तथा खातोली में लेडी डाक्टर को पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

109. अस्पतालों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

110. नगरों के स्थान पर ग्रामों में असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु बड़े अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

111. गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

112. बगरू नगर राजकीय सूरजमल झालानी अस्पताल में बैड्स व डाक्टर एवं कमरे बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

113. राज्य में नये चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

114. ग्राम सारसोप, गण्डावट में पी. एच. सी. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र सवाई माधोपुर को शहर से हटाकर शहर से दूर अन्य स्थान पर स्थापित कराने तथा उसी भवन में अन्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

116. चिकित्सा सुविधा ग्राम में कतई न होने से जनजीवन संकटमय है इसके निवारणार्थ गांवों में चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

117. नये चिकित्सालय खोलने व विद्यमान चिकित्सालयों में दवाइयों में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डोली)

118. हिण्डोली क्षेत्र में चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा)

119. ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

120. सूरसागर क्षेत्र के ग्राम जोलयाली, सुरपुरा, चावन्डा, जाबुपुरा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

121. सांचोर अस्पताल में कम्पाउण्डरों की कमी व स्वास्थ्य निरीक्षकों की निष्क्रियता से खाद्य पदार्थों में मिलावट को नहीं रोका जाना एवं अस्पतालों में वेकसीन इन्जेक्शन का अभाव तथा आपरेशन के इन्स्ट्रूमेन्ट्स की कमी और भवन की जीर्ण शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

122. उदयपुर से केसरिया जी तक कोई अस्पताल नहीं है। अतः इस आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा)

123. जनजाति क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

124. जनसंख्या की वृद्धि से सागवाड़ा में रेफरल अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

125. नर्सेज स्टाफ को एक दिन की छुट्टी की सुविधा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा असुविधाओं बाबत चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

126. चिकित्सा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

127. गांवों में चिकित्सा की उचित व्यवस्था न कर सकने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (सीकर)

128. राजस्थान में नर्सिंग कौंसिल का पुनर्गठन करने तथा उसमें रजिस्ट्रार की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ की पोस्टों के अनुसार पोस्टिंग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति में मेल-फिमेल का भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये।

131. राजस्थान नर्सिंग कालेज में बी. एस.सी. नर्सिंग में सन् 1979 में लड़कों को प्रवेश न देने के बाबत चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

132. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेडियोग्राफर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को रेडियोग्राफर पद का वेतनमान आश्वासन देने के उपरान्त भी न दिये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

133. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेडियोग्राफर्स की आवश्यक सेवाएं मानकर नर्सिंग स्टाफ की भांति रेलवे कन्सेशन दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. डाक्टर्स द्वारा दवाई निर्माताओं व विक्रेताओं से कमीशन प्राप्त करने की नीयत से आवश्यकता से अधिक दवाइयां मरीज को लिखने व बारी बारी से दवाइयां बदल देने से गरीब आदमी पर चिकित्सा पर अनावश्यक भार पड़ने से सरकारी चिकित्सा व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ जाने व लोगों का झुकाव निजी चिकित्सकों की ओर होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. सरकारी सेवा में सेवारत डाक्टर्स द्वारा निजी चिकित्सा प्रवृत्ति अपनाये जाने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति तथा निर्धन लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये जयपुर जिले में बड़वा, देवगांव, जटवाड़ा, रूपाहेड़ी, सांभरिया में चिकित्सालय खोले जाने तथा राजपुरा भूडला, दूधली, रामनगर, देलाली, भटेरी, महादेवपुरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

137. ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े व गरीब तबके के लोगों को सस्ती चिकित्सा सुलभ कराने के लिये प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

138. ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये जयपुर जिले के प्रमुख कस्बों में कूंथाड़ा, बस्सी, लालगढ़, गढ, दूधली-सुजानपुरा, दयालपुरा, मोहनपुरा, टहटड़ा, ठीकरिया मीणान, ठीकरिया गूजरान में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

139. चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत रेडियोग्राफर्स के लिये अन्य स्टाफ की भांति पदोन्नतियों के अवसर न होने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

140. जयपुर जिले की राजकीय चिकित्सालय बांसखोह में डाक्टर्स, नर्स के लिये क्वाटर बनाकर आवासीय सुविधा सुलभ कराये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले की तहसील बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र में वर्तमान विद्यमान आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन की कमी को दूर करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

142. चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने से महिलाओं को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

144. मेडिकल कालेजों में भर्ती सम्बन्धी नियमों में विषमता होने से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

145. मेडिकल विभाग के उपविभागों में सेवारत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

146. इन्वेस्टिटेटिव सर्विस और एक्सीडेन्डल इमर्जेन्सी सर्विसेज में अव्यवस्था के कारण जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

147. मेडिकल कालेजों में ग्रेजूएट और पोस्ट ग्रेजूएट शिक्षकों की पदस्थापन में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा लिये।

148. चिकित्सा विभाग में नये व पुराने रोगी वाहनों की दुर्व्यवस्था के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. अनुदानित चिकित्सा संस्थाओं की सेवाए जनहित में प्रयोग ली जावें इस पर चर्चा के लिये।

150. पे-क्लिनिक (Pay clinic) की अव्यवस्था के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

152. ल्हास ग्राम (पं.स. मनोहरथाना) में एडपोस्ट कायम करने हेतु चर्चा के लिये।

153. पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमली हाट में औषधालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

154. पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चंदीपुर में एलोपैथिक औषधालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

155. मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र के चिकित्सालय जावर, मनोहरथाना में चिकित्सकों के अभाववश मरीजों के सामने उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

156. अकलेरा, खानपुर व अन्य चिकित्सालयों में आवश्यक सुधार कर जनता को सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)

157. गुढ़ा गौड़जी में मातृ शिशु सेवा सदन प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर)

158. पुष्कर में जनाना चिकित्सालय का अभाव एवं अन्य चिकित्सालय में दवाई व सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री सुरजाराम (नोखा)

159. निदेशक, चिकित्सा विभाग के रवैये से जनता को होने वाली असुविधा एवं विभाग में हो रहे गलत कार्यों से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

160. चिकित्सालयों के कर्मचारियों द्वारा रोगियों एवं अटेण्डेण्टों के साथ अभद्र व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. नोखा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

163. राजस्थान विधान सभा परिसर में स्थायी एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबीदास कल्ला (बीकानेर)

164. पी.बी.एम. हास्पिटल बीकानेर में ग्लूकोज संयंत्र पिछले पांच वर्षों से बंद होने के कारण उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा के लिये।

165. बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कालेज में फोरेन्सिक मेडिसन, ट्यूबर क्लोसिस, स्किन साइकेट्री विषयों में स्नातकोत्तर विषय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. छठी पंचवर्षीय योजना में पी.बी.एम. हॉस्पिटल बीकानेर एवं सरदार पटेल, मेडिकल कालेज बीकानेर को और अधिक राशि का प्रावधान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. बीकानेर एस. पी. मेडिकल कालेज में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. सरदार पटेल मेडिकल कालेज के स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य रुकने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

169. पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर एवं सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ताओं के रिक्त पद वर्षों से नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

170. पी.बी.एम. हॉस्पिटल, बीकानेर में कैन्सर के मरीजों के लिये वार्ड में बिस्तरों की कमी एवं वार्ड के छोटे स्थान से उत्पन्न कठिनाइयों एवं विभाग के विस्तार के बारे में चर्चा के लिये।

171. पी.बी.एम हॉस्पिटल बीकानेर में कैन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

172. बीकानेर शहर में मलेरिया को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

173. बीकानेर शहर में ग्रांत्रशोथ के कारण निरंतर बढ़ रही मृत्यु दर को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

174. बीकानेर की पी.बी.एम. हॉस्पिटल एवं सिटी डिस्पेन्सरी में दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

175. बीकानेर शहर में जिला चिकित्सालय एवं तीन नयी सिटी डिस्पेन्सरी, दो आयुर्वेद एवं 2 होम्योपैथी चिकित्सालय एवं मेटरनिटी होम के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर)

176. जिला एवं अधीनस्थ स्तर पर अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरियों की दुर्व्यवस्था, गंदगी, स्थानाभाव तथा दवाइयों का अभाव आदि पर चर्चा के लिये।

177. एस. एम. एस. हॉस्पिटल, जयपुर के स्टोन रिसर्च विभाग तथा यूरोलोजी विभाग में एक महत्वपूर्ण उपकरण (Atomic Absorption spectro photo meter) के फरवरी, 1980 में आयात होने के बावजूद इस समय तक स्थापना (installation) न होना विषयों पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

178. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में ग्राम पंचायत स्तर पर डिस्पेन्सरी खोलने बावत चर्चा के लिये।

179. उदयपुर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में प्रत्येक आदिवासी परिवार को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. उदयपुर जिले की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में अस्पतालों में शैयाओं की संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

181. उदयपुर जिले की पंचायत समिति की नान्देशमा में जनता के सहयोग से 10000/– की लागत से निर्मित भवन में रेफरल अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

182. सन् 1977 एवं सन् 1979 में लोक सेवा आयोग द्वारा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर कुल मिलाकर 13 डाक्टरों के चयन के पश्चात् भी उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. उच्चतम न्यायालय द्वारा जयपुर के मेडिकल जूरिस्ट (प्रवक्ता) के पद के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु दिये गये निर्णय को शीघ्र लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

184. जयपुर में मेडिकल जूरिस्ट के चयन हेतु पुनर्विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

Page No.90

(90)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

185. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के केन्द्रीय भण्डार में खादी ग्रामोद्योग भवन, ठोलिया सर्किल, जयपुर के बिल नं 84 दिनांक 7-10-80 का माल नहीं पहुंचने पर भी चुकारा करने हेतु डाले जा रहे दबाव पर चर्चा के लिये।

186. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के केन्द्रीय भण्डार में खादी ग्रामोद्योग, भवन, ठोलिया सर्किल, जयपुर के बिल नं. 315 तारीख 2–2–81 के द्वारा प्राप्त माल हल्का होने व एक गद्दा कम होने के बावजूद चुकारा करने पर चर्चा के लिये।

187. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के केन्द्रीय भण्डार का भौतिक सत्यापन कर वहां से गायब या कम हो रहे सामान के बारे में चर्चा के लिये।

188. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर को मेडिकल जूरिस्ट विभाग में मेडिको लीगल केसेज का परीक्षण करने तथा रिपोर्ट देने में जानबूझ कर विलम्ब किया जाने के बारे में चर्चा के लिये।

189. जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के एक्स-रे (रेडियोलोजी) विभाग में एक्स-रे लेने मे लापरवाही बरतने से सही फोटो नहीं आने और खास तौर से मेडिको लीगल केसेज में जानबूझ कर एक्स-रे बिगाड़ कर पुलिस केसेज को खराब करने तथा इस हेतु जाने वाले मरीजों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं रिपोर्टों को देने में विलम्ब पर चर्चा के लिये।

190. अजमेर नगर में फोकल स्प्रे की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद अक्टूबर, 78 से मार्च, 79 तक कागजों में फोकल स्प्रे किया जाना बता कर किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

191. मलेरिया विभाग अजमेर में वाहन मरम्मत में किये जा रहे घोटालों एवं वाहनों के पुर्जे बदलवाने के बहाने किये जा रहे भ्रष्टाचार, क्योंकि बदले हुये पुर्जे स्टोर में उपलब्ध ही नहीं हैं, पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

192. क्षय चिकित्सालयों में रोगियों की उचित देख भाल न होने पर चर्चा के लिये।

193. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर में विक्षिप्त रोगियों के द्वारा तोड़ी गई खिड़की व दरवाजों की तुरन्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर में कम स्टाफ व डाक्टर्स की कमी से हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. मेन्टल हॉस्पिटल, जयपुर में बाउन्डरी वाल के अभाव से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

196. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर को कम राशि दिये जाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

197. जनाना अस्पताल, जयपुर में कम बैड्स व स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

198. जनाने अस्पताल, जयपुर का नाम निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. जनाना अस्पताल जयपुर में लिफ्ट के सुचारू रूप से न चलने पर चर्चा के लिये।

200. राजस्थान के अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

201. गंगापोल डिस्पेन्सरी जयपुर के सामने सहकारी दवा की दुकान के अभाव पर चर्चा के लिये।

202. जयपुर ग्रामीण में डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट पर कम्पाउन्डर नर्स डाक्टर्स के अभाव पर चर्चा के लिये।

203. जयपुर ग्रामीण में मातृ शिशु शिशु कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये।

204. राजस्थान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की डिग्री को मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

205. राजस्थान में आयुर्वेदिक पद्धति चिकित्सालय को कम बजट दिये जाने पर चर्चा के लिये।

206. राजस्थान में होम्योपैथिक कालेज को सरकार द्वारा अधिग्रहण न किये जाने, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर के स्टाफ क्वार्टर्स के अभाव हर चर्चा के लिये।

208. राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत विक्षिप्त रोगियों के बैड्स की कमी पर चर्चा के लिये।

209. मानसिक चिकित्सालय, जयपुर में काटेज के अभाव पर चर्चा के लिये।

210. राजस्थान में बिक रही नकली दवाओं की जांच की कोई व्यवस्था न होने से हो रही मृत्युओं पर चर्चा के लिये।

211. गत वर्ष से मोती कटला डिस्पेन्सरी जयपुर में अभी भी छत बल्लियों पर टिकी हुई है दुर्घटना पर ध्यान दिलाने पर भी पैसा आवंटित न किये जाने पर चर्चा के लिये।

212. जयपुर ग्रामीण में साऊ व लांगड़ी वास में आयुर्वेद अस्पताल न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

213. समुचित दवाइयों के अभाव में अनाथ एवं दयनीय बीमारों को दवाइयां प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये।

214. कुत्ता काटने के इन्जेक्शन के अभाव पर चर्चा के लिये।

215. जे.एल.एन. हॉस्पिटल में सीनियर मेडिकल डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जावे इस पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

216. श्राम बीमारों को विटामिन युक्त जो आहार दिया जाता है उसकी मात्रा बढाई जाने पर चर्चा के लिये।

217. आयुर्वेद विभाग में जड़ी बूटियों एवं दवाओं को रजिस्टर्ड कम्पनी से मंगाने पर चर्चा के लिये।

218. जे.एल.एन. हॉस्पिटल, अजमेर में शैयाओं को वढ़ाया जावे इस पर चर्चा के लिये।

219. आयुर्वेद विभाग को सक्षम बनाने के लिये औषधालयों की नगरों में व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

220. आयुर्वेद विभाग में वैद्यों की तरक्की के लिये कोई नियम न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. आयुर्वेद विभाग में अनुसंधान के लिये ट्रेनिंग की विशेष सुविधा कराने हेतु चर्चा के लिये।

222. जे.एल.एन. हॉस्पिटल, अजमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव पर चर्चा के लिये।

223. अजमेर जे.एल.एन. मेडिकल कालेज से एम.बी.बी.एस. के पश्चात् जयपुर में एम.एस. व एम.डी. के लिये प्रवेश नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर विचार हेतु कम समय

श्री रतनलाल ताम्बी : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आज की डिमाण्ड बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के जन-जीवन का सवाल है, आज की डिमाण्ड को देखते हुए आपने जो समय निर्धारित किया है वह बहुत कम है, साढ़े चार बजे की आपने सीमा निर्धारित की है, यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है, सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे। इसलिए कृपा करके 8–9 बजे तक का समय वढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस पर बाद में विचार करेंगे।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री नानूराम कुमावत।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(1.36 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभापति, पीठासीन)

मै आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में स्टाफ की ट्रेनिंग की वजह से आम आदमी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो स्टाफ कमी है, डाक्टरों, कम्पाउण्डर्स और नर्सों की जो कमी है, उसके लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जानी चाहिये। सभापति महोदया, मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जा र मेरे क्षेत्र की

(श्री नानू राम कुमावत)

जो समस्या है, उस समस्या के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में मेरे आसीन्द क्षेत्र में गत दस सालों से प्रपोजल बनता जा रहा है, उस प्रपोजल के ऊपर आज दिन तक कोई निर्णय नहीं लिया। सभापति महोदया, आसीन्द एक ऐसी जगह बसा हुआ है जिसके चारों तरफ करीब 60-60 किलोमीटर तक कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, भीलवाड़ा जाने पर कुछ सुविधायें मिल सकती हैं जो कि 60-62 किलोमीटर की दूरी पर है। सभापति महोदया, इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आसीन्द के चारों तरफ माण्डल क्षेत्र, भीम क्षेत्र, इधर मसूदा, इधर ब्यावर, और आगे हुरड़ा और बनेड़ा है। यहां पर रेफरल हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है और आसीन्द एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से बीच में पड़ता है। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चार-पांच तहसीलों के बीच में यह आसीन्द क्षेत्र पड़ता है लेकिन वहां पर एक रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां पर एक रेफरल हॉस्पिटल खुलवाने की व्यवस्था करें। उस क्षेत्र में पी.एच.सी., चार डिस्पेन्सरियां और 32 उपकेन्द्र हैं। आपके नियमों में भी आता है इसके बाद भी वहां पर रेफरल हॉस्पिटल नहीं खोला गया। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दस साल से हम तकाजा करते चले आ रहे हैं लेकिन आज दिन तक ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे और इस साल चालू करने की व्यवस्था करवायेंगे।

सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में सभी जगह पर दवाइयों की भारी कमी है। शहरों में लोग दवाइयां खरीद सकते हैं लेकिन छोटे-छोटे गांवों में गरीब आदमी दवाइयां नहीं खरीद सकते इसलिए सभी जगह पी. एच. सेण्टर्स, डिस्पेन्सरीज और केन्द्रों पर दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय, से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में नहीं बल्कि सारे देश में हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी, जो गवर्नमेंट सर्वेन्टस हैं उनको सरकार दवाइयों की सारी फेसिलिटीज देती है लेकिन हमारे गरीब लोग, जो गांवों में रहते हैं उनको आज तक कोई फेसिलिटी नहीं दी। जो थोड़ी बहुत दवाइयां मिलती हैं उनको भी, कहना नहीं चाहता लेकिन दिल में दर्द है इसलिए कह देना चाहता हूं कि उन दवाइयों को बेच दिया जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में जो दवाइयां या गोलियां दी जाती हैं वे बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं इसलिए जितनी भी सरकारी अधिकारी और गवर्नमेंट सर्वेण्टस को आप फेसिलिटी देते हैं उसी प्रकार छोटे-छोटे गांवों में जो गरीबी की रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको भी मुफ्त में दवाइयां मिलनी चाहिए।

सभापति महोदया, राजस्थान में खाद्य पदार्थों में काफी मिलावट होती हैं मैं इस

(श्री नानूराम कुमावत)

पर ज्यादा न कहकर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस पर भी ध्यान दिया जाय जहां-जहां मिलावट हो रही है उनको सख्त से सख्त सजा देने की व्यवस्था की जाय।

हमारी आसींद क्षेत्र में एक परिवार कल्याण केन्द्र आपका है लेकिन वहां पर 1975-76 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी उसकी बिल्डिंग की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान रखा था उसकी मंजूरी भी हो गई थी उसको ट्रांसफर कर आसींद में बिल्डिंग बनाने की योजना थी, आपके यहां से स्वीकृति हो गई लेकिन बदकिस्मती से 1977 में जनता पार्टी का राज आया और हमारी बिल्डिंग भी गायब हो गई। सभापति महोदय, जो सन 1975-76 में परिवार कल्याण केन्द्र की बिल्डिंग की योजना आपने स्वीकृत की उसको लागू करें. इस साल इस भवन का वापस निर्माण कराया जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि ग्रामीण क्षेत्र में जो राजस्थान में एक यूनिट काम कर रहा है, मोबाइल सर्जिकल यूनिट, वह बहुत सराहनीय है। मैं तो यह भी कह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो बार मोबाइल सर्जिकल केम्प लगा था उसमें हजारों आदमियों का इलाज हुआ। मैं यह भी कह सकता हूं कि जो गांव के छोटे छोटे गरीब किसान मजदूर हैं, जो बड़े शहरों में इलाज नहीं करा सकते और जो इलाज कराने पर हजारों रुपए शहरों में लगाते हैं कम पैसे में वहां मोबाइल सर्जिकल यूनिट के माध्यम से उन गरीबों का इलाज हो।

मैं इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बजट आप यूनिट को देते हैं वह बहुत कम है। इस बजट को दुगुना किया जाय ताकि जिन-जिन गांवों में आज तक सर्जिकल केम्प नहीं लग सका वहां पर भी एक केम्प लगाया जाय ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां आपके पी. एच. सेंटर्स हैं वहां एक्स-रे मशीन की व्यवस्था नहीं है। आज छोटे छोटे गांवों के गरीब किसान और मजदूर बड़े शहरों में एक्स-रे नहीं करा सकते अगर जाते भी हैं तो शहरों में इतनी भीड़ है गरीबों की सुनवाई नहीं होती, इसलिए जहां जहां पी. एच सेण्टर्स हैं वहां पर एक एक्स-रे मशीन की व्यवस्था की जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब, मजदूर और किसान लाभ उठा सकें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि पहले भी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि समय बहुत कम है इसलिए मेरी जो खास खास डिमांड्स थीं वे मैंने आपके सामने रखी हैं और राजस्थान में जो समस्याएं हैं वे मन्त्रीजी से छिपी हुई नहीं हैं। मन्त्री महोदय समय निकल जाएगा और बात यहीं रह जायगी। जनता पार्टी आई शासन में लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सब जगह चौपट पाट कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो, जो इन गरीब किसानों और मजदूरों की, शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के लोगों की आवाज आज तक हमने पहुंचाई है, आप भी

(श्री नानूराम कुमावत)

जानते हैं, इन पर नजर लगाकर ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय, डिस्पेन्सरीज खुलवाकर किसानों व मजदूरों को राहत दिलवायेंगे, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदया, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं उनका देश के सन्दर्भ में क्या स्थान है। जहां तक मैं अध्ययन कर पाया हूं, सम्भव है कुछ गलतियां हों, एलोपैथिक हॉस्पिटल की कुल संख्या आपके छपे हुए आंकडों के अनुसार 208, सारे देश में 5405, डिस्पेन्सरीज 741, हॉस्पिटल बैड्स 19486 हैं। सारे देश में 49,05,120 हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसका अगर अनुपात देखें तो अपने पापूलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल 62 कम हैं, अगर बैड्स की शार्टेज देखें तो 5267 कम हैं, अनुपात फैलाया जाय तो अपनी आबादी के हिसाब से।

आज हम क्या अवस्था अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज की देखते हैं, कामन फीचर्स जो मुझे देखने को मिले हैं वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप कहीं जायें, अस्पताल अत्यन्त ओवर-क्राउडेड हैं, इतनी भीड़ है, शायद ही कोई ऐसा अस्पताल होगा जहां अस्पतालों में वार्ड्स में जमीन पर मरीज लेटे हमें नहीं दिखें, जमीन पर लिटाने तक की व्यवस्था ठीक नहीं है। कोई नियम या मापदण्ड नहीं कौन जमीन पर लिटाया जायगा, कौन पलंग पर लिटाया जायगा। दूसरा फीचर है गन्दगी का। अनहैल्थी एण्ड फिल्दी कण्डीशन, अन्दर और बाहर। उनके जरिये से इन्फेक्शन और फैलता है। पता नहीं कैसे उपचार हो पाता होगा। तीसरा फीचर यह है कि हर जगह डाक्टरों और नर्सों की कमी है और उससे दवाइयों की कमी है और हर जगह बिल्डिंग की कमी तो है ही। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर इन बातों को जोर से बोलना उचित नहीं रहेगा। मेरी विनम्र आपसे विनती है और यह सुझाव है कि आप अपने इन अभावों को देखें, अपने बजट को देखें अपनी व्यवस्था देखें और सोचें। इसके अलावा यह भी देखें कि कौनसी शार्ट टर्म और कौनसी लांग टर्म परियोजना हो सकती है इन अभावों को दूर करने के लिए। इसके अलावा क्लीनलीनेस को आप देखें सभी जगह गन्दगी है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है। जहां पर मरीजों के बैड हैं उसी जगह मरीजों को लेटा दिया गया है, उनके कपड़े साफ नहीं हैं। उस गन्दगी से कई बार वहां पर इनफेक्शन्स से बीमारी फैल जाती है तो यह सारी व्यवस्था आपको ठीक करनी है, सभी जगह क्लीनलीनेस होनी चाहिए और शार्ट टर्म और लांग टर्म योजना बनानी होगी। बीमारियों की रेमेडी के लिए आपको देखकर चलना पड़ेगा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह मैं जानता हूं कि हमारी कठिनाइयां हैं वह सरकार को मालूम है इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा और यह भी मालूम नहीं है तो उसके लिए आप पर दोषारोपण करना चाहूंगा यह तो

(श्री राजबहादुर)

आपको देखना है कि आप किस प्रकार से अपना व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं। माननीय देवपुरा साहब इसके मन्त्री हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं यहां पर यह चर्चा इसलिए नहीं करता हूं कि मैं मेरे क्षेत्र की ही बात करता हूं। लेकिन आज राजस्थान में जितनी भी डिस्पेन्सरीज हैं उनकी हालत सभी जगह बहुत खराब है। आप देखें, सभी जगह पर ओवर क्राउडेड है। मेरे क्षेत्र में आबादी का दबाव अधिकतम है। विशेषकर मेरे क्षेत्र से, जहां से कि मैं चुनकर आता हूं वह तो अत्यन्त ओवर-क्राउडेड है क्योंकि वहां पापूलेशन राजस्थान में सर्वाधिक है। मोस्ट थिकली पापूलेटेड है ईस्टर्न राजस्थान का हिस्सा भरतपुर। वहां के अस्पताल की हालत तो, सभापति महोदया, बहुत ज्यादा खराब है। उसकी तो बहुत ही दयनीय हालत है। अभी जब मुख्य मन्त्री जी भरतपुर गये तब मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप चाहे अपने सभी कार्यक्रम करें पर एक आधा घण्टे का समय जरूर भरतपुर अस्पताल के लिए रखें। वहां चलें और देखें कि अस्पताल की हालत क्या है इस अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। वहां की गन्दगी, पीप, मैला जो भी उस अस्पताल का है उसकी करीब 10-20 नालियां जाकर हमारे किले की नहर के अन्दर पड़ती हैं। यह नहर किले के चारों तरफ है उसको मोट कहते हैं। इसमें वैसे चारों ओर से 83 नालियां पड़ती हैं कुल। इस अस्पताल की नालियां भी वहां पर पड़ती हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि वह सारा मैला नहर में पड़ने से और लोगों के द्वारा उस नहर के पानी के काम में लेने से और ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि आपको उस अस्पताल को वहां से हटाना पड़ेगा, उसका वहां रहना ठीक नहीं है। नयी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, यह आपके सोचने की बात है कि आप किस प्रकार की योजना उसके लिए बनायेंगे। पर यह बात निश्चित है कि अस्पताल को वहां से हटाकर दूसरी जगह आपको ले जाना पड़ेगा। आपको उसको माडर्न अस्पताल बनाना पड़ेगा। इसके अलावा वहां पर उपकरणों की कमी है। उस कमी को भी आपको समाप्त करना पड़ेगा।

अब थोड़ा मैं आपके सामने, सभापति महोदया, जैसा कुछ मुझको मालूम पड़ा और जैसा कि मेरी जानकारी में आया है, जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल के बारे में, वह मैं निवेदन करूंगा। जयपुर तो राज्य की राजधानी है लेकिन वहां के अस्पताल के बारे में तीन चार चीजें मुझे आपको निवेदन करनी पड़ेंगी, सबसे पहली बात है कि हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल में कैंसर के रोग के उपचार के लिए मशीन है, उपकरण हैं पर वह कितनी एफिसियेन्टली काम करती हैं यह देखने की बात है। दूसरे वहां पर कितने रोगी कैंसर के उपचार के लिए आते हैं, आप उनको किस प्रकार से डिस्पोज आफ करते हैं? मुझे ऐसा लगा कि वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं है। मरीजों की संख्या बहुत है और वहां पर बड़ा ओवर क्राउडिंग है इसके बारे में आप आगे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? तीसरी बात यह है कि वहां पर जो अस्पताल है वह बहुत अनक्लीन है वहां पर जगह जगह गन्दगी है, कहीं पर मरीजों के बैड के नीचे लोग पड़े हुये हैं।

(श्री राजबहादुर)

मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास बेड्स नहीं हैं तो जिन लोगों को नीचे लिटा रखा है उन मरीजों के लिए जमीन पर क्लीनलीनेस रखें, उन्हें साफ चादर दें उनके कपड़े भी गन्दे नहीं हों, ताकि वहां पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की गुन्जाइश नहीं रहे। आप जानते हैं कि कैन्सर कैसा भयानक रोग है। यह रोग विशेष तौर से महिलाओं में अधिक होता है। इसके डाइग्नोसिस की भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। यह आप सभी जानते हैं कि कैन्सर रोग बहुत जल्दी फैलता है। मैं इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं पर इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस रोग से अधिक सफर कौन करते हैं। इससे भी सफर वही लोग करते हैं जो कि गरीब हैं। भुगताना तो उनको ही पड़ता है। गरीब तबके के लोग वही कमबख्त गरीब तबका इसकी ज्यादा चपेट में आता है। इसका कारण यह है कि उनकी फिजीकल केपिसिटी नहीं होती है उस रोग से लड़ने की। इसलिये उन पर वह हावी हो जाता है। आप यहां पर कहते हैं कि हम गरीबी मिटायेंगे। गरीबी मिटे, अगर यह आप चाहते हो तो आपको गरीबों को जो रोग लगते हैं पहले उनको मिटाना होगा क्योंकि यह कहा गया है, हमारे देश में कि सबसे बड़ा पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में हो माया। तीसरी बात जो है वह मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके पास है ?

श्री राजबहादुर : मेरे पास तो ईश्वर की कृपा से सभी कुछ है मैं निरोग हूं और आप जैसे लोग मेरे पास हैं तो फिर क्या तकलीफ है मुझे। मैं निवेदन कर रहा था कि लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिये काम करना आपकी रेस्पान्सिबिलिटी है। You have to do something. एक स्टोन रिसर्च के बारे में, पथरी के रोग के बारे में, जो जानकारी मिली है इसके विषय में कहना है। एक रिसर्च का विभाग स्टोन के लिए स्थापित करने के लिए शायद एक फिल्म फाइनेन्सर ने, एक दानदाता ने कहा था कि मैं आपको इसके लिये पैसे दूंगा। पर उसका दान स्वीकार करने में देरी हुई। कुछ समय बाद उस मशीन के पैसे बढ़ गये, किन्तु बाद में उस दानदाता ने कहा कि अब आगे अगर आधा हिस्सा मूल्य का सरकार दे तो वह पैसा देगा। उसके वट का आधा वह दे देगा। इसके दान सम्बन्धी कागज आपके चीफ मिनिस्टर सैक्रेटेरियट में कई दिन तक पड़ा रहा और अंत में 17-1-80 को मैचिंग ग्रान्ट मिली। यह जानकारी मुझे मिली है। इसी बीच में मशीन की कास्ट बढ़ी। खैर वह हुआ। इसके लिये पहले सम्बन्धित आल इण्डिया कौन्सिल ने भी एक लैटर लिखा। ऐसा बताया गया वह आया। 19-5-78 को इसमें स्ट्रांगली रिकमण्ड किया है कि कम से सारे प्रान्त के लिये एक मशीन तो इसके लिए आनी चाहिये। इस यूनिट में सभी फेसिलिटीज होगी जैसे कि कैल्सियम कैसे जमा होता है, पथरी कैसे बनती है और कैसे पथरी की बीमारी पैदा होती है यह मशीन भी आ गई, ऐसा सुना है। इसका इंस्टालेशन जो फरवरी 1980 में हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ और अभी तक वह मशीन काम में नहीं आयी और हो

(श्री राजबहादुर)

सकता है कि मशीन अगर पड़ी रहती है तो खराब भी हो सकती है। आउट आफ डेट हो सकती है। लेकिन इसमें इतनी देरी, आखिर क्यों हो रही है, क्या कारण है? क्या वजह है? कोई कमरा नहीं है या क्या बात है? How can you improve things.

सभापति महोदया, मैं पहले हॉस्पिटल रोड पर जब रहने आया, उस समय जितनी आबादी तो अब नहीं है पर उस समय आबादी सितम्बर, 1980 में बहुत हो गयी। वहां पर मेरे मकान के सामने मोबाइल हॉस्पिटल की वेन जो बिना काम वहां खड़े थे। तीन वेन सभी डिवीजनों को दिये। इस तरह पर 15 वेन खड़े थे। आजकल वह उतने नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं है। इस प्रकार स्टोन रिसर्च की बात है।

इसके अलावा आज हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की ख्याति काफी बढ़ी हुई है। दूर-दूर तक इसकी ख्याति है। लोग दूर दूर से आते हैं इलाज कराने के लिए प्रोस्ट्रेट के आपरेशन के लिए। यह एक देन है यूरोलोजी के विभाग की, डाक्टर मिलर की जो कि यहां आये; वह शायद अमेरिकन हैं या केनेडियन हैं उनको यहां बुलाने में मेरा भी योगदान रहा। उन्होंने यहां आकर तत्कालीन गवर्नर साहब का आपरेशन किया। इसके अलावा स्थानीय डाक्टरों को ट्रेण्ड किया, सिखाया। इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कितना मेटीरियल चाहिये, कितना इक्विपमेंट चाहिए। यह वर्क सर्जरी का ही लें। वह भी आई ओपनिंग है, उसके लिए भी पर्याप्त वार्ड नहीं है। जनरल सर्जरी का वार्ड अलग रखा जाना चाहिए पर ऐसी चीज नहीं है। It should be maintained by well trained nurses. यह सारी आवश्यकतायें हैं जो कि आपके थोड़े से एडजस्टमेंट में पूरा हो सकता है। Were there is a will, there is a way?

ऐसी चीज है जबकि लोग दूर दूर से आते हैं। थैंक्स टू योगेन्द्रसिंह जिन्होंने पहल की क्योंकि उनका खुद का आपरेशन था। वहां पर डाक्टर आये और उन्होंने यह किया।

इसके अलावा आज एक्स-रे की भी पूरी सामग्री ठीक नहीं है। एक्स-रे मशीन कम हैं जो यहां बहुत आवश्यक हैं। उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है पर कितनी आप व्यवस्था कर पायेंगे यह देखने की बात है।

मैं आपसे विनती करता हूं कि जहां तक सामान्य बातें हैं, वह मैंने आपको बताई। स्टोन रिसर्च सेन्टर और यूरोलोजी के लिए जो चाहिये वह भी कहा वह बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आम तौर से आज अस्पतालों की जो हालत है वह सोचनीय है और कुछ नहीं तो दवाइयां तो भिजवा दीजिए। पेश्तर इसके कि आप और डिस्पेन्सरीज बढ़ायें। उससे एक फायदा तो होता है कि लोगों की डिमाण्ड पूरी हो जाती है, वोटों को प्राप्त करने में सुविधा मिल जाती है लेकिन यह निश्चित बात है कि अब समय आ गया है कि You have first to consolidate now what has

(श्री राजबहादुर)

already been achieved or done. बजाय इसके कि हम एक्सपेण्ड करें उतना ही एक्सपेण्ड कीजिए उतना ही You bite only that much that you can chew and no more. लेकिन पहली जो चीज है वह हमारे अस्पताल हैं उसकी हालत तो ठीक कर लीजिए। उसकी हालत ठीक कर लेते हैं तो फायदा होगा वरना If you spread your butter too thin on your bread you won't enjoy it. इसलिए मैं विनती करूंगा कि इन शब्दों के साथ कि जहां आपके साथ पूरी सहानुभूति और शुभ कामनायें हैं वहां जनता के जो अभाव हैं उनको देखिये। आगे बढ़ाइये और उनका निराकरण कीजिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मानव जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। जो सरकार चिकित्सा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान देगी उस राज्य में वहां के निवासी अपने स्वस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए राष्ट्र की आमदनी के अन्दर वृद्धि कर सकेंगे। जो राष्ट्र जितना निर्बल होगा, जहां का मानव, जहां का नागरिक बीमारी से त्रस्त होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आदमी स्वस्थ नहीं होगा वह नागरिक तथा वह राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से, जिनका मस्तिष्क स्वस्थ है, निवेदन करूंगा वह अपने खुले दिमाग से राज्य के अन्दर जो कई तरह की बीमारियां लगी हुई हैं उन्हें दूर करने के उपाय सोचें।

माननीय सभापति महोदया....

श्री राजबहादुर : किन बीमारियों के बारे में कह रहे हैं, शारीरिक या भौतिक ?

श्री रामसिंह विश्नोई : असल में राज्य के अन्दर जो पुरानी व्यवस्था हमारे देश के अन्दर चल रही है वह राज्य के अन्दर बड़े बड़े शहर हैं वहां पर सभी तरह की फैसिलिटीज विभाग ने और सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं। मैं जैसे जयपुर की या जोधपुर की बात करूं तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि जहां पर जोधपुर के अन्दर महात्मा गांधी अस्पताल के अन्दर 1100 की व्यवस्था है जिसकी आबादी 5 लाख की है और पूरे जिले की आबादी करीब 15 लाख है और पीपाड़, फलौदी और बिलाड़ा के अन्दर केवल मात्र 100 बैड की व्यवस्था है। पूरे जिले के अन्दर मैं ठीक कहता हूं 10 और 15 डाक्टरों से ज्यादा गांवों के अन्दर जहां कि 10 लाख आबादी है और गरीब भी हैं, बीमारियों से त्रस्त भी हैं। वहां कुल 15 डाक्टर उनका इलाज करते हैं और बाकी सैंकड़ों की संख्या में डाक्टर जोधपुर के अन्दर, जयपुर के अन्दर, अजमेर के अन्दर बड़े बड़े शहरों के अन्दर जनता का इलाज करने के लिए नहीं बल्कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए और अपने खुद की समृद्धि के लिए वह बड़े बड़े शहरों की शरण में बैठे हुए हैं। वह येन केन प्रकारेण चाहे मन्त्री महोदय या विधायकगण

(श्री रामसिंह विश्नोई)

या कार्यकर्त्ता उन्हें अच्छे स्थान पर ले जाना चाहें, उनमें जो योग्यता है उसका उपयोग कराना चाहें तो वह कतई जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दो-दो और तीन-तीन महीने 6–6 महीने तक गांवों के अन्दर उनका पद रिक्त रहता है। यह स्थिति है हमारे इस राजस्थान की और उस ग्रामीण इलाके की जहां पर लोग बीसियों तरह की बीमारियों से गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, उनको अच्छे फैट्स नहीं मिलने के कारण, दूध दही और अच्छी चीज नहीं मिलने के अभाव में कई तरह की बीमारी उनको घर किए हुए हैं। सबसे पहले तो माननीय मन्त्री महोदय का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो जनसंख्या 80 प्रतिशत गांवों में बसती है, जहां गरीबी की रेखा से नीचे लोगों का स्तर है आपको चाहिए कि आपने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोल रखे हैं पंचायत समिति स्तर पर वहां केवल एक डाक्टर से काम नहीं चलेगा। आपको एक्स-रे मशीनें, सब तरह के इक्विपमेंट्स और लेडी डाक्टर्स आदि की सुविधाओं को आपको वहां पर उपलब्ध करानी चाहिए। आपने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को एक गाड़ी दे दी और 200 लीटर पैट्रोल दे दिया लेकिन केवल एक डाक्टर किसी तरह से इलाज नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदया, आज साइन्स इतनी आगे बढ़ गयी है कि आज गांवों के अन्दर "लिटिल नालेज डेंजर्स थिंग्स" से एक ही डाक्टर सब तरह का इलाज करता है। वह आंख का डाक्टर नहीं है, पेट का डाक्टर नहीं है, टी. बी. का डाक्टर नहीं है लेकिन सब तरह का इलाज डाक्टर वहां गांव में करता है। इसलिए करता है कि दूसरे डाक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शहरों के अन्दर राइट आई का अलग डाक्टर, लेफ्ट आई का अलग डाक्टर, नोज का अलग डाक्टर और ऊंगलियों तक के एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। यह फेसिलिटीज आपने शहरों के अन्दर दे रखी हैं जहां गरीब आदमी, आम आदमी और जीवन स्तर के नीचे रहने वाला आदमी उन डाक्टर्स के पास नहीं जा सकता। उसकी हालत इतनी खराब होती है और ऐसे अच्छे डाक्टर होते हैं उनके पास गरीब का पहुंचना बहुत ही दुर्लभ है। उनमें बदबू आती है, स्नान करते नहीं हैं तो वह डाक्टर उनको हेय दृष्टि से देखते हैं और वह उनको अलाउ करते नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो शहरों में डाक्टरों की भारी भीड़ इकट्ठी कर रखी है हमारे गांवों से आदमी आकर जो बीमारियां फैलाते हैं और हजारों की संख्या में बीमार आते हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए आपको पंचायत समिति स्तर पर सब तरह के डाक्टर उपलब्ध कराने चाहिए। यह जब तक नहीं होगा यह भार कम नहीं होगा और दबाव कम नहीं होगा तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। एक गांव का आदमी जो अकाल से ग्रसित है, जिसकी कोई भी आमदनी नहीं है, वह शहर में नहीं जा सकता और जाता है तो पैसे की कमी है। आज एक आम आदमी भर्ती नहीं हो सकता। आज वार्ड में भर्ती होने के लिए बीस बीस आदमियों की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वेटिंग लिस्ट होती है तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, वह वहां नहीं पहुंच सकता । इसलिए आपका फर्ज है, दायित्व है, कर्त्तव्य है कि इस देश के अन्दर चिकित्सा सेवायें सुव्यवस्थित करने के लिए गांवों और शहरों के अन्दर जो इम्बेलेन्स बना हुआ है उसको मिटाना चाहिए ।

सभापति महोदया, आपको अच्छे डॉक्टरों के लिए गांवों में अट्रैक्शन पैदा करना चाहिए । अट्रैक्शन पैदा करने का मतलब यह है कि सारे माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि एक पढ़ा लिखा डाक्टर जो गांव में जाता है वहां सब तरह की फेसिलिटीज नहीं मिलती हैं; उसको पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए स्कूल चाहिए; यातायात के लिए बस और रेलवे के साधन चाहिए, अच्छी साग सब्जी चाहिए और जो जो फेसिलिटीज डाक्टर को आवश्यक चीजें या अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए चाहिए वह मुहैया होनी चाहिए ऐसे स्थानों पर, उसके बाद 200 या 300 रुपये स्पेशल अलाउन्स देकर अट्रैक्शन पैदा नहीं करेंगे तब तक वहां कोई नहीं जायेगा । या फिर आपको यह करना चाहिए कि इतने साल की सर्विस किये बिना बड़े शहरों में नहीं लगायेंगे तब तक यह समस्या पूरी नहीं हो सकती ।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा बीमारी हमारे देश के अन्दर है, इन्सान के अन्दर है उसको इतनी दवाइयां बन चुकी हैं । मामूली सिर दर्द के लिये, पेट दर्द के लिये 50 तरह की दवाइयां बाजार के अन्दर हैं । एक आदमी डाक्टर के पास जाता है, डाक्टर बहुत होशियार होते हैं । एक आदमी का सिर दुखता है, पेट में गड़बड़ है एक दवाई नहीं लिखकर वह 50 दवाइयां लिख देता है और ऐसी कम्पनी की दवाइयां लिखता है जो ज्यादा से ज्यादा पर्सेंटेज दे, पैसा दे । इसका एक ही उपाय है । राज्य स्तर पर विभाग की ओर से जो एक्सपर्ट ओपीनियन है कि 28 दवाइयां ऐसी हैं, जो 80 पर्सेन्ट इलाज के लिये 28 दवाइयां हैं यह 28 दवाइयां विभाग अपनी अपनी ओर से बना लेता है तो बहुत बड़ी बचत हो जायगी । आज जो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है उसमें काफी बचत हो जायगी । जो 28 दवाइयां रिकमण्ड की गई हैं उनके लिये सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये; इस पर जो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं वह न हों । प्राइमरी हेल्थ सेण्टर पर जो 8-10 हजार की दवाइयां देते हैं, 15-20 हजार दे सकते हैं ।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेण्ट को आपने मेडिकल में नहीं रखा है । शहरों के अन्दर जो गन्दी चीज हैं जो केला आदि फ्रूट है काम के नहीं हैं, उनका उपयोग न हो । मच्छरों की बात है, वह भी हमेशा की चीज है, किस तरह की चीजों का उपयोग हो जब इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने अण्डर नहीं लेंगे तब तक यह बीमारियां बढ़ती रहेंगी ।

आखिर में अब मैं निवेदन करना चाहूंगा । इसमें जो गांवों के अन्दर औषधा-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लय खोले गये हैं वास्तव में अच्छी व्यवस्था है। गांव के लोगों को दूर दूर तक इलाज के लिये न जाना पड़े, अच्छी व्यवस्था की है। जो वैद्य और उपवैद्य लगाए हैं यह इलाज न करके अपनी साइकिल रखते हैं, मोटर साइकिल रखते हैं। जैसे ही टाईम निकलता है साइकिल पर सवार होकर अंग्रेजी दवाइयां और इन्जेक्शन लगाते हैं या तो आप कोई न कोई व्यवस्था कीजिये। अगर महत्व नहीं देते हैं लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्यों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। उस पर रोक लगनी चाहिये। अगर आप चाहते हैं इसका विस्तार हो, प्रचार हो तो आपको इसकी तरफ तवज्जोह देकर गांव के अन्दर जो पुराने जमाने से इलाज चला आ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। दूसरे काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो प्राइवेट प्रेक्टिस है, जहां पर मेडिकल कालेज है जयपुर, जोधपुर, अजमेर बीकानेर, जहां पर डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं जब तक आप इनकी प्रेक्टिस टोटली बन्द नहीं करेंगे, जहां मेडिकल कालेजेज हैं, बड़े शहरों की तरफ जायेंगे। जो अच्छे डाक्टर्स हैं ये गांवों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जब यह नहीं होगा, इसका इलाज है नहीं। जो अच्छे डाक्टर्स हैं ये गांवों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं बड़े बड़े शहरों के अन्दर जाकर रहते हैं। आपका फर्ज है इनकी प्राइवेट प्रेक्टिस टोटली बन्द कर दें ताकि गांवों के अन्दर डाक्टर सेवा दे सकें।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिंधी।

श्री अहमद बक्श सिंधी : सदरे मोहतरमा, पहली बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई डाक्टर और पी. एम. ओ. वर्षों तक, उसका कारण कोई आवश्यक भी हो सकते हैं, कुछ सिफारिश, कुछ और जरिया भी हो सकता है लेकिन पांच साल से ज्यादा किसी डाक्टर को एक अस्पताल में नहीं रहने दिया जाय इससे करप्शन कम होगा।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अस्पतालों में जो लेट्रिन्स बनी हुई हैं बाथरूम हैं, इस कदर गन्दे हैं। मैं और जगह तो नहीं गया लेकिन जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में बहुत ही गन्दगी है। कोई सफाई का इन्तजाम नहीं। फ्लश सिस्टम भी है तो डिफेक्टिव है। कोई ठीक करने वाला नहीं है। ऐसी हालत में बीमारियां वहां होती हैं और वैसे बीमार नहीं मरता हो तो मर जाय इसलिये सफाई का खास तौर से ध्यान रखा जाय।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो नये डाक्टर्स हैं, एम. बी. बी. एस. करके निकलते हैं उनको कम से कम 3 साल के लिये पहले गांवों में भेजा जाय ताकि थोड़ा बहुत हाथ साफ कर सके ...

श्री महाराम चौधरी : क्या गांव वालों को मारना चाहते हैं? यहां तो रहम करो।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं अपनी बात को अमेंड करता हूं।

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

दूसरा प्राइवेट प्रेक्टिस छंगानी साहब के जमाने में बन्द की गई डाक्टरों की। इसमें कुछ कठिनाइयां हुई हैं। आप कितनी कोशिश कीजिये, डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस किये बिना नहीं रह सकता। जो उनसे मिलने वाले हैं उनके यहां आना जाना अक्सर रहता है। अस्पताल में रकम जमा कर करके किसी अमुक डाक्टर से सलाह मश्विरा ले ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं लेकिन अगर वह डाक्टर मौजूद नहीं हो तो जो भी वहां डाक्टर हो उससे इलाज करवाना पड़ता है। मैं अमुक डाक्टर में विश्वास रखता हूं, मेरी मर्जी है, मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि आप ऐसे डाक्टर से इलाज करायें, जिसको मैं जानता नहीं, जिसका तजुर्बा बहुत कम हो, जिस पर मुझे फेथ न हो। यह एक कमी है इस सिस्टम में। तो मेरी राय तो यह है कि उनकी तनख्वाह कम करके प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत दे दी जाय। आपका यह सिस्टम फेल हो गया।

कुछ नकली दवाइयों का बड़ा जोर चल चल रहा है। मैं जानता हूं कि कई नकली डाक्टर्स भी हैं जो नकली सर्टिफिकेट लेकर अपनी प्रेक्टिस करते हैं और वह दवाइयां या इन्जेक्शन नकली लाकर लगाते हैं, असली नहीं होता है ....

एक माननीय सदस्य : कई नकली नेता भी हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : यह आप कह सकते हैं। जोधपुर में एक दफा एक दुकान पर छापा पड़ा उसमें 50 पर्सेन्ट दवाइयां नकली निकलीं। जिस दवाई की मियाद खतम हो जाती है उसका लेबल उतार कर दूसरी मियाद लिख देते हैं-यह जहर हो जाता है। जो पब्लिक हैल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये। उनके खिलाफ एक जुर्म ताकीदी बनाई जाय और उनको डिटरेंट पनिशमेंट दिया जाय। मैं तो कहता हूं ऐसे किस्म के डाक्टर जो महज ह्यूमन बाडी से जिनको डील करना चाहिये बजाय इसके कि किसी के कहने से दुश्मनी में मारने का इन्जेक्शन दे दें तो ऐसे डाक्टर को सरेआम चौक में लोगों के सामने ऐसी सजा दी जाय जो काबिले गौर हो ताकि दूसरे डाक्टर इस तरह की हरकत नहीं करें....

(व्यवधान)

अब आपका पब्लिक हैल्थ का जो डिपार्टमेंट काम करता है उसमें भी डी. डी. टी. नकली। पिछले वर्ष की बात है 17 नवम्बर के विधायक क्वाटर में था उस समय डी. डी. टी. कराई और उसी समय मच्छर उड़ते हुए नजर आये। मैंने कहा क्या बात है? इसका मतलब मच्छर मार दवा है वह तो थोड़ी है और नकली दवा ज्यादा है या चूना ज्यादा डाल दिया। हम चाहते हैं मच्छर को मारना लेकिन वे मरते ही नहीं हैं और डी. डी. टी. की बदबू दो-तीन दिन के लिए और फैल जाती है।

(व्यवधान)

जोधपुर में तो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के पास न डी. डी. टी. है, न फिनाइल है न फ्लिट है। मैंने कई बार उनसे कहा, भई मेरे, घर में मच्छर हो गये हैं आप जरा डी. डी. टी. डाल दें....

(105)

श्री दाऊदयाल जोशी : अहमद साहब यहां भी मच्छर हो गये हैं....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप बड़े मच्छर हैं।

एक माननीय सदस्य : जोशीजी इधर तो मच्छर नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उधर खटमल हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मेरा सुझाव यह है कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के पास नकली तादाद में फिनाइल होनी चाहिये। माननीय सभापतिजी....

(व्यवधान)

नाजायज फायदा न उठायें....!

(व्यवधान)

वे मना नहीं करती हैं इसलिये आप परवाह नहीं करते हैं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल तांम्बी : (जहाजपुर) जहां गन्दगी होती है वहां मच्छर होते हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मेरा जो सुझाव है, वे मंत्री महोदय नोट फर्मा लें और इस पर गौर फर्मा लें तो अच्छा रहेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, सर्वे भवन्तु सुखिणाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख-भग्भवेत्-सर्वे भद्राणी,... सर्वे भवन्तु सुखिन....

एक माननीय सदस्य : देववाणी है। अध्यक्ष महोदय, लिखा नहीं जायगा....।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसके आगे लिखा है सर्वे सन्तु निरामया यानि सुख के बाद जो दूसरी कल्पना की जा सकती है-सुख के बाद स्वस्थ शरीर और इसके लिये सोचना पड़ेगा कि आदमी निरामय कैसे रहे और इस निरामय पद्धति को देने वाली कौनसी थ्योरी है। क्या वर्तमान में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाये रखने की कल्पना दे सकती है, कदापि नहीं। तो निरामय रखने के लिये अगर कोई थ्योरी है तो वह केवल आयुर्वेद की थ्योरी है। एलोपैथिक तो केवल सिस्टम आफ ट्रीटमेंट है लेकिन आयुर्वेद की थ्योरी सिस्टम आफ हैल्थ है उसके पक्ष में मैं निवेदन करूंगा कि एलोपैथिक की जो जो थ्योरी है ट्रीटमेंट की आज वह बिलकुल फेल हो गई है, कितनी रद्दी हो गई है-उसकी कल्पना तो हम लोग तो कर ही रहे हैं लेकिन माह दिसम्बर की नवनीत में इस थ्योरी को कण्डेम करते हुए ईवानइलिच नाम के एक पाश्चात्य चिकित्सक ने लिखा है....

श्री अहमद बक्श सिंधी : सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर। मुझे यह बताया गया कि पब्लिक हैल्थ की मांग पर ही बोलना है। आयुर्वेद पर तो मैं बहुत बोलना चाहता हूं। इस वास्ते इजाजत चाहता हूं इसके बाद मुझे 5 मिनट का मौका दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि लेनिन थामस ने इस लेख....

(श्री दाऊदयाल जोशी)

को लिखते हुए उसकी आलोचना के साथ उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है-चिकित्सा शास्त्र का ईवान इलिच का अध्ययन विशद और प्रभावशाली है। आयुर्वेद के बारे में काफी प्रशंसा लिखी है। मैं उन्हीं के उद्धरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं उन्होंने लिखा है दवाइयों द्वारा रोगों के इलाज से उत्पन्न हुए नये नये रोग एक समस्या बन गये हैं। जरूरत से ज्यादा लोगों को जरूरत से ज्यादा दवाइयां दी जा रही हैं जो उन्हें अन्त में फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाती हैं। जरूरत से ज्यादा और गैर जरूरी आपरेशन भी हो रहे हैं। इलिच का यह कथन बिलकुल सत्य है यह एलोपैथिक का विज्ञान रोग और रोगी पैदा करने में बदल गया है।

इसी के साथ आगे वे लिखते हैं-आधुनिक दवाएं यानि सिस्टम आफ एलोपैथी आज के मानव के लिये जी का जंजाल बन गयी हैं। वे न उसे सुख से जीने देती हैं और न सुख से मरने देती हैं....

(व्यवधान)

श्री अहमद बख्श सिंधी : आप खुद तो एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : बिलकुल नहीं लेता हूं। सभापति महोदया, आज जो सिस्टम आफ ट्रीटमेंट है वह कितना रद्दी हो गया है उसके मुकाबले में हमारा जो सिस्टम आफ हैल्थ है वह कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : क्या आपका क्टमोशन यह है कि अस्पताल बन्द कर दिये जायं?

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बाद में बाकायदा आयेगा।

सभापति महोदया, मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एम्पडिल का वक्तव्य है कि भारत वासियों को कर्नल किंग का कृतज्ञ होना चाहिये, उन्होंने पूर्ण रीति से बता दिया है कि जिस समय यूरोपवासी अज्ञान और जंगलीपन के घोर अन्धकार में थे, भारतीय लोग उस समय चिकित्सा पद्धति के बड़े-बड़े सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानते थे। यह बात प्रमाणित हो गई है कि सिस्टम आफ आयुर्वेद ही एक मात्र पद्धति है जिसके आधार पर स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने की सीख देता है-एलोपैथिक सिस्टम तो केवल ट्रीटमेंट की पद्धति है वास्तविक पद्धति नहीं है। मेरा निवेदन करना है कि हमारे यहां लिखा है एलोपैथिक की जो पद्धति है और जो दवाइयां हैं वह एक रोग के बाद दूसरी व्याधियां पैदा कर देती हैं यानि आदमी के स्वास्थ्य को उलझाये हुये चली जाती हैं।

आयुर्वेद की पद्धति के आधार पर जो औषधियां हैं वह रोग को मिटाने वाली हैं लेकिन आज की एलोपैथिक जो पद्धति है वह पद्धति नहीं है। सिरदर्द हो गया तो सेरीडोन दवा लेने के बाद उसका दूसरा रीएक्शन हो जायगा इसलिये वह कोई पद्धति नहीं है। इस पद्धति के लिये मेरा निवेदन करना है एक बहुत बड़ा धोखा हमारा भारत सरकार का सचिवालय कर रहा है जिसका उत्पीड़न हमारा आयुर्वेद विभाग भी हो गया है। मेरा निवेदन करना है भारत सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग ने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एक परिपत्र जारी किया है-24-10-80 को जिसमें उन्होंने कहा है भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति न कह कर पारम्परिक चिकित्सा पद्धति कहा जाय अर्थात् आयुर्वेद समूलतः नष्ट करने का एक षड़यन्त्र केन्द्रीय सरकार के एक परिपत्र के आधार पर इश्यू हुआ है और उसी आधार पर वार्षिक प्रगति विवरण में आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर ने आयुर्वेदिक मनीषी होते हुए भी उस बात को मान लिया। उन्होंने लिखा है कि पारम्परिक पद्धति आयुर्वेदिक पद्धति शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, सिस्टम आफ आयुर्वेद एक वैज्ञानिक तरीका है। उसके बाद भी समूलतः नष्ट करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से एक षड़यन्त्र किया जा रहा है, इसको रोका जाय। आयुर्वेद डिपार्टमेंट से जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश की गई है उसको संशोधित करें और पारम्परिक पद्धति न लिख करके यह ठीक है कि उन्होंने अपनी भाषा में अच्छी प्रकार से कहा है कि औषधि के सेवन से रोगी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह बात सही है। यह जीवन विज्ञान है सिस्टम आफ लाइफ है, यह चिकित्सा क्षेत्र में विश्व का सबसे प्राचीन विज्ञान है। यह सारी बातें कही गयी हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि इस तरह आयुर्वेद के साथ धोखा चल रहा है। मैं निवेदन कर रहा था, मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि 30 साल बाद पहली बार मेरे आग्रह के कारण या पिछली बार मैंने सदन में भी इस बात को उठाया था, इस कारण या जो सचिवालय है, उसके कारण आयुर्वेद का निष्पादन आय व्ययक उपस्थित हुआ है। मैं तेजकुमारजी को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 56 लाख का जो बजट है उसका निष्पादन आय व्ययक यहां प्रस्तुत किया उसके आधार पर आयुर्वेद का आय-व्ययक वास्तव में हमको ठीक प्रकार से समझने का मौका मिला। मेरा निवेदन है, इसमें कहा गया है कि निदेशक का कार्यालय एक है, निदेशक महोदय का कार्यालय चलता है यह सौभाग्य की बात है लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके तहत 5 पद उप निदेशक के फालतू में रखे गये हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। उप-निदेशक करके 5 उप निदेशक राजस्थान भर में काम करते हैं मैं समझता हूं....

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपको तो च्यवनप्राश वगैरह सभी फ्री मिल जाता होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : च्यवनप्राश तो जरूर मिलता है। मैं बनाता भी हूं। खाता भी हूं! खाता हूं इसीलिए तो मेरी आवाज बुलन्द है और अहमद बक्शजी आपको भी निवेदन करता हूं कि च्यवनप्राश खाया जाय। आप कहें तो आज ही मैं आयुर्वेद विभाग से लाकर दे दूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप तो बुड्ढे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और अन्यों के उदाहरण मैं आगे चल कर दूंगा। ऐसा एक महेन्द्रसिंह लिपिक है वह 15-1-65 से 20-10-74 तक अनुपस्थित

(श्री दाऊदयाल जोशी)

रहा, रहने के बाद 8-3-77 को इसके खिलाफ विभाग ने एक आदेश प्रसारित किया जिसमें लिखा गया था कि इसको नौकरी में नहीं लिया जा सकता, न किसी प्रकार का कोई वेतन देय है लेकिन मुझे पता लगा है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा उसका 55 हजार रुपये की राशि का भुगतान मुफ्त में किया जा रहा है जो आम चर्चा का विषय है। मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद विभाग के अन्दर आज जो मैं निवेदन कर रहा था कि 2425 औषधालय राजस्थान में चलते हैं, आयुर्वेद विभाग के मातहत 2425 औषधालय चल रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है लेकिन उनकी जो दुर्दशा है गत साल भी राज्य सरकार औषधालय खोलने जा रही थी 130, विभाग के निकम्मे कर्मचारियों के कारण आयुर्वेद विभाग के औषधालय कुल पिछले बजट में स्वीकृत होते हुए भी 130 में से केवल 86 औषधालय मात्र खुल पाये। बाकी नहीं। बाकी क्या हुए, अब औषधालय की रकम का क्या होगा, उस बजट भाषण का क्या बनेगा, वह पैसा कहां जावे? आखिरकार नये औषधालय 130 में से 86 खुले, बाकी के 44 औषधालय राजस्थान के भिन्न-भिन्न गांवों में क्यों नहीं खोले गये? उसका निवेदन करना है कि आज हम अन्तिम दिन में हैं, अगर यह आयुर्वेद की मांग पहले होती तो मैं आयुर्वेद मन्त्री महोदय से एवं निदेशक साहब से निवेदन करता कि इस बजट की राशि को आयुर्वेद औषधालय की सजावट में, उसके फर्नीचर में, उसको अच्छे सुसज्जित औषधालय के रूप में परिवर्तित करने के लिये खर्च करते लेकिन वह नहीं किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य में जो आयुर्वेदिक कालेज चलते हैं, राजस्थान में 3 कालेज चलते हैं जिसमें से राजस्थान सरकार केवल एक आयुर्वेदिक कालेज चलाती है उददयुर में। उदयपुर का कालेज जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है, उस पर 16 लाख रुपये खर्च होता है। एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान करके केन्द्र सरकार द्वारा यहां पर एक और कालेज चलाया जा रहा है। उसको हम 13 लाख रुपये अनुदान देते हैं। सारा का सारा इस साल से केन्द्र सरकार के द्वारा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। मेरा निवेदन है कि उसको जब केन्द्रीय सरकार चलायेगी। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स दिल्ली में जो कालेज चलता है, उसी प्रकार का नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेद का कालेज जयपुर में चलेगा तो राज्य सरकार ये 13 लाख रुपया तुरन्त बन्द करके राजस्थान में इन 13 लाख रुपयों से नये कालेज की स्थापना और

(व्यवधान)

यह मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह कोटा नगर में चलायें, यह पैसा आप तुरन्त राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान को बन्द कर दें। वहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता। यहां एक किशनपोल बाजार में जो हॉस्पिटल चलता है, वहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता। बैठता है तो वहां के लोग मान्यता नहीं देते इस प्रकार से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को एक अछूत के प्रकार ट्रीट करते हैं। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की धनराशि को तुरन्त एक नये कालेज के रूप में परिवर्तित किया जाय। इसके अलावा भी

Page No.108

(108)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एक कालेज और चलता है सीकर के अन्दर यहां 86 हजार रुपये की एड दी जाती है जो काफी कम है। तो राज्य सरकार केवल मात्र 16 लाख रुपये खर्च करती है यह आयुर्वेद के साथ अन्याय है। जिसमें 60 विद्यार्थी एक जगह, 70 दूसरी जगह और 60 विद्यार्थी तीसरी जगह। इस प्रकार केवल इतने से स्नातक राजस्थान से निकलते हैं, हर साल हॉस्पिटल खुलते हैं, डेढ़ सौ दो सौ और परिणाम यह होता है कि हमको विवश होकर राजस्थान से बाहर के विद्यार्थियों को, आदमियों को आमन्त्रित करना पड़ता है, फिर हमारे नौजवान आयुर्वेद कालेज से निकलकर बेकार होकर त्रस्त होकर सड़कों पर फिरते हैं। अभी दो महीने पहले आयुर्वेद निदेशक ने नियुक्तियां की हैं। उसमें राजस्थान के विद्यार्थियों को मौका नहीं मिला, वह पिछड़ गये। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्नातकों ने यहां आकर नौकरी करी। आने वाले इस एक साल में जो स्नातक निकलेंगे, वे बेकारी से त्रस्त हो जायेंगे। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय निदेशक महोदय को भी अपनी तरफ से एक पत्र लिखा था उस पर कोई कार्यवाही नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हुई। मेरा निवेदन करना है आयुर्वेद रसायनशाला चलायी जाती हैं इसमें काफी घोटाला है आयुर्वेद रसायनशाला राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में तीन जगह चलायी जाती हैं। 5 जगह गड़बड़ी है, हम 60 लाख रुपये की औषधियां बनाने के बावजूद भी उसको ठीक प्रकार कन्ट्रोल नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि मैं दो पुड़िया लेकर आया हूं, आयुर्वेद विभाग की काला जीरा, हिंग्वास्टिक चूर्ण जो आयुर्वेद का मुख्य द्रव्य है। काला जीरा दो प्रकार का होता है, एक 27 रुपये किलो दूसरा 70 रुपये किलो। आयुर्वेद विभाग में 70 रुपये किलो का जीरा न खरीदकर 27 रुपये किलो का जीरा खरीद लिया गया। खरीद कर किसी संतोष फार्मास्युटिकल वर्क्स, लश्कर, ग्वालियर की एक पार्टी थी, 70 रुपये के भाव से खरीदना था एक हजार किलो जिसके बजाय खरीद लिया 56 सौ किलो इस पर कोई आब्जेक्शन नहीं किया, डिपार्टमेंट ने और वह जीरा अपने पास रख लिया उसमें राज्य सरकार को, आयुर्वेद विभाग को जो अतिरिक्त व्यय देना पड़ा जो स्कैंडल हुआ, धोखा हुआ 2 लाख 27 हजार 2 सौ रुपये का। 27 रुपये किलो का जीरा डिपार्टमेंट में आ गया, आयुर्वेद निदेशक को जब यह मालूम हुआ, उसको टैस्ट कराया, वहां यह प्रमाणित हो गया कि यह नकली है उसके बाद केस बना उसमें ओ. पी. मित्तल, सह सचिव, आयुर्वेद, जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे। जांच करने के बाद उन्होंने तीन व्यक्तियों को दोषी पाया था, श्री प्यारेलाल जैन, व्यवस्थापक ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, आयुर्वेद में मैं ही बोलने वाला हूं और तो एलोपैथी पर बोलने वाले हैं। इसलिए मुझ पर कृपा की जाय। इन्चार्ज रसायनशाला, अजमेर, दूसरे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

श्याम सरोज दीक्षित, टी. ग्रो. ग्रजमेर एवं सदस्य सचिव पर्चेजिंग कमेटी ग्रायुर्वेद विभाग तीसरा। इनका ग्रारोप-पत्र, उप-सचिव, ग्रायुर्वेद विभाग ने दिया इन तीनों ने मिलकर इसमें गड़बड़ी की ग्रौर यह प्रमाणित हो गया। इसके बाद ग्रायुर्वेद विभाग ने, यहां पर निदेशक महोदय ने, श्री ग्रो. पी. मित्तल को यह सारा केस बना कर भेजा।

इसी प्रकार से एक दूसरा घोटाला हुग्रा। ग्रतीस के मामले को लेकर, ग्रतीस में भी इस प्रकार गड़बड़ हुई। इस गड़बड़ में नकली ग्रतीस 56 रुपये किलो की 300 रुपये किलो में खरीदी। उसमें 65 हजार रुपये का घोटाला हुग्रा। उसका भी केस बना। केस बन करके वह भी ग्रो. पी. मित्तल, उप सचिव, ग्रायुर्वेद के पास ग्राया। दुर्भाग्य है कि ग्रायुर्वेद के लिए हमें जो राशि प्राप्त होती है, ग्रायुर्वेद का 6 करोड़ रुपये का बजट है यानि एलोपैथिक के एस. एम. एस. हॉस्पिटल जयपुर का जितना बजट है उतना सा केवल ग्रायुर्वेद का है। उस बजट में भी यह घोटाले ग्रौर उसमें हुग्रा क्या कि ग्रो. पी. मित्तल साहब के पास जब वह फाइलें ग्रा गई तो मित्तल साहब ग्रजमेर पहुंचे उन्होंने लश्कर की पार्टी को बुलाया। लश्कर की पार्टी 13-2-81 को जयपुर में ग्राई ग्रौर जयपुर में ग्राने के बाद चांदपोल बाजार स्थित कल्याण जी के रास्ते पर उनके मकान पर ग्रो. पी. मित्तल साहब की भेंट हुई। मैं चार्ज लगाता हूं कि यह दोनों फाइलें ग्राज ग्रायुर्वेद विभाग से गुम हैं। पचास हजार रुपयों की राशि सन्तोष फार्मास्यूटिकल वर्क्स लश्कर से प्राप्त करके माननीय श्री पी. मित्तल वहां से चले ग्रजमेर। उनको केवल पचास हजार रुपये मात्र से संतोष नहीं हुग्रा ग्रौर वह जाकर 15 ग्रौर 16 तारीख को ग्रजमेर पहुंचे। × × × वह साथ में ग्रौर संतोष फार्मास्यूटिकल वर्क्स के एक एजेन्ट, ये चारों व्यक्ति मिल कर....

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदया, ये ग्राक्षेप लगा रहे हैं महिला पर।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस ग्रारोप को मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। ग्रौर गलत हो तो कुछ भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन ग्राज तक इस प्रकार से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, महिलाग्रों पर ग्राप ग्रारोप नहीं लगायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतनी सी बात नहीं है। उसके बाद वे पहुंचे ग्रजमेर में ग्रौर ग्रजमेर में जाने के बाद वहां पर ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। ग्राप महिला के चरित्र के बारे में ग्रारोप न लगायें। जो शब्द कहे गए हैं उनको एक्सपंज कर दीजिए।

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने किसी महिला पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं लेकिन मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चारों मिल कर पहुंचे अजमेर और अजमेर में पहुंच कर वे फ़ाइल, मेरे पास फाइल नम्बर हैं....

(व्यवधान)

वे कार नम्बर आर० एस० जेड० 533 में अजमेर गये। जाने के बाद में अजमेर के अन्दर रेलवे ब्रिज के नीचे एक गुजराती शू-कम्पनी से एक हजार रुपये के शू और बाम्बे सिल्क स्टोर से 5 हजार की साड़ियां, सूट के कपड़े आदि वहां खरीदे गये। उसके बाद वह फाइल, जिनके नम्बर मेरे पास हैं, 73 और 74, आज आयुर्वेद विभाग से गायब हैं। आयुर्वेद निदेशक आज उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा संक्षेप में निवेदन यह है ...

श्री सभापति : आपको काफी समय दिया जा चुका है। बहुत समय दिया गया है। अब समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आयुर्वेद पद्धति ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों, भगवान के नाम पर मुझे बोलने दें। आयुर्वेद पर तो मैं अकेला ही बोलने वाला हूं बाकी तो सब एलोपैथी पर बोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 79-80 के अन्दर ये सारे घोटाले हुए हैं। इसी प्रकार से शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां न मिलें इसके लिए....

श्री तेजपाल यादव : ये लांछन लगा रहे हैं, ये सौदेबाजी करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ऐसी अशुद्ध दवाइयां नहीं मिलें उसके लिए जनता पार्टी के शासन में हमने प्रयत्न किया था। लोगों से जमीनें प्राप्त करके हमने वन औषधि उद्यान लगाने का प्रयत्न किया था उसके तहत हमने तय किया था कि उसके लिए हम वनौषधि उत्पादन उद्यान राजकीय तौर पर अनेक स्थानों पर लगावेंगे निःशुल्क भूमि प्राप्त करेंगे। उसके तहत आलोच्य वर्ष में किशनगढ़ (अजमेर) में 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी जिसमें 8 पक्के कमरे बने हुए थे। इसी तरह से ग्राम देरड़ा, देराज, पड़ी सदड़ी, पडिहार और हुडिल में क्रमशः 92 बीघा, 9 बीघा, 7 बीघा, इस प्रकार से जमीन मिली थी। मेरा निवेदन करना है कि यह सारी जमीन मिलने के बावजूद आयुर्वेदिक वनौषधि उत्पादन उद्यान कहीं नहीं पनप रहे हैं। अगर पनप रहा है वास्तविक वनौषधि उत्पादन उद्यान देखना है तो अजमेर जाकर देख लें जहां पर केवल वनौषधि के नाम पर एक उजड़ा हुआ उद्यान है। पांच जगह वनौषधि उद्यान इस साल में खोले गए हैं जिनमें एक माली, दो चौकीदार और एक बेलदार ऐसे कुल मिला कर चार व्यक्ति हैं। क्या वनौषधि उत्पादन उद्यान का मतलब ये माली या चौकीदार ही है? मेरा निवेदन करना है कि अगर आयुर्वेदिक दवा-

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इयां शुद्ध देना चाहते हैं तो अनिवार्यतः बजट में धनराशि तय करनी चाहिए थी जिसके तहत वास्तव में राजकीय वनौषधि उत्पादन उद्यान लग सकें और राज्य राज्य की जिम्मेदारी हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में मैं एक ही बात कह कर बैठता हूं। माननीय सभापति महोदया, आज के चार दिन पहले आयुर्वेद मन्त्री जी ने समझौता किया है, आयुर्वेद की धात्री उपवैद्यों के साथ और समझौते में तीन बातें मुख्य रूप से मानी हैं जिनका वास्तव में बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। एक तो बात मानी है मांग संख्या 17 कि आतुरालय के चिकित्सालयों के साथ धात्री उपवैद्यों के आवास की सुविधा होगी। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हम धात्री उपवैद्यों के लिए क्वाटर्स बनायेंगे। इस बजट में कहीं भी उनकी व्यवस्था की बात नहीं कही गयी है।

इसी के साथ दूसरी एक बात की गई है कि धात्री उपवैद्यों की मांग संख्या 20 है वह ड्रेस के बारे में है। इस मांग के बारे में भी बजट में कपड़े के प्रबन्ध की बात नहीं कही गई है।

तीसरी बात यह कही गई है कि साल भर में एक बार राजकीय व्यय पर धात्री उपवैद्यों की बैठक का जिला मुख्यालयों पर आयोजन होगा, इसी के साथ उनकी और कोई मांग नहीं मानी गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री घनश्याम सिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश का कल्याण चाहिए तो केवल एक ही पद्धति है आयुर्वेद और उसके लिए मैं मांग करता हूं मेरी सरकार से, मेरी राजस्थान की सरकार से कि वह कृपा करके राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को राजकीय चिकित्सा पद्धति घोषित करके आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रतिष्ठापित करें। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय आयुर्वेद।

श्री सभापति : श्री घनश्यामसिंह।

श्री घनश्याम जैन (वेगूं) : माननीय सभापति महोदया, मैं आज चिकित्सा और स्वास्थ्य पर मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। आज देश में ज्यों ज्यों विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमारे जीवन में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कैंसर और टी. बी. जैसे भयंकर रोगों का भी हमारे चिकित्सा विभाग द्वारा इलाज हो रहा है लेकिन मुझे इसके मुत्तल्लिक एक ही बात निवेदन करनी है कि ये चिकित्सा सुविधायें बड़े बड़े इलाकों में है, हांलाकि बड़े बड़े शहरों में होनी चाहिए लेकिन इसमें देहातों को और छोटी जगहों को नजरन्दाज किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि छोटे जिले और छोटे विधान सभाई क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो। मैं विशेष नहीं कहूंगा मैं कुछ

(श्री घनश्याम जैन)

मेरे चित्तौड़ जिले और मेरे क्षेत्र बेगूं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

चित्तौड़ जिला बहुत बड़ा जिला है लेकिन वहां केवल दो तीन ही रेफरल हास्पिटल हैं। चित्तौड़गढ़ जिला होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर रेफल हास्पिटल को प्रथम श्रेणी हास्पिटल में घोषित किया जावे। चित्तौड़गढ़ जिला एक बहुत बड़ा जिला है वहां केवल एक डिस्ट्रिक्ट सी. एम. एच. ओ. का एक ही आफिस है। मेरी मांग है कि इनको दो किया जावे क्योंकि इनका आफिस प्रतापगढ़ में है जो एक साइड में पड़ता है। बहुत सारी डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां पर दो डी. एम. एच. ओ. के आफिस खोले जावें।

इसके अलावा जहां तक मेरी बेगूं कांस्टीट्यूएन्सी का सवाल है, बेगूं पिछड़ी हुई कांस्टीट्यूएन्सी है। एक पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ है जो बिल्कुल आदिवासी इलाका है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं है। वहां कई गांव ऐसे हैं जो पहाड़ों पर हैं लेकिन वहां 15–15, 20–20 मांइल तक कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से वहां के लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक बस्सी गांव है उसके आसपास 15 और 20 माइल के क्षेत्र में कहीं भी न चिकित्सा सुविधा है न औषधालय है। बरसात में सड़कें नहीं होने की वजह से लोग बाग बीमार हो जाते हैं कम से कम 20 माइल तक बीमार आदमी को खाट पर डाल कर ले जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थानों को प्रिफरेन्स दिया जावे। वहां चाहे औषधालय खोलें या छोटी डिस्पेन्सरी वहां खोलना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा छोटी जगहों पर जैसे मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में दो तीन डिस्पेन्सरीज हैं जैसे लाडपुरा, नदबई, चंची, वहां करीब तीन तीन साल से डाक्टर नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थान जहां हमारी डिस्पेन्सरीज हैं वहां डाक्टर पहुंचाया जावे। क्योंकि पहाड़ी और पिछड़ा इलाका है, डाक्टर नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को सौ-सौ किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। जहां तक मेरे बेगूं खास का सम्बन्ध है, बेगूं की आबादी 15 हजार की है। वहां पर जो भवन अभी बना है उसमें छः लाख रुपये करीब जन सहयोग से लगाकर भवन तैयार कराया गया है। वहां एक्स-रे मशीन भी है लेकिन अभी तक ट्वन्टी बैडेड हॉस्पिटल ही है। मेरा निवेदन है कि इसको रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया जावे।

इसके अलावा मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि यदि भवन की और भी आवश्यकता हुई तो हम जन सहयोग से करने को तैयार हैं। एक्स-रे मशीन चार पांच साल से है लेकिन एक्स-रे टेक्निशियन का पद नहीं होने की वजह से वहां बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मेरी कांस्टीट्यूएंसी बेगूं है, उससे लगा हुआ रावतभाटा बहुत बड़ा शहर है। वहां की आबादी बीस हजार करीब है। राणाप्रताप सागर जैसा बांध है और राजस्थान अणु-शक्ति जैसी योजना जहां विद्यमान है, कई मजदूर बसते हैं लेकिन उनके लिए चिकित्सा

(श्री घनश्याम जैन)

सुविधा, व्यवस्था नहीं होने से बड़ी मुसीबत है। मेरा निवेदन है कि यहां पर एक डिस्पेन्सरी की स्थापना की जाय। इसके अलावा कई स्थान जो छोटे छोटे हैं, और कम से कम तीन जगह जहां पर हमारे वहां पर औषधालय की बिल्डिंग बनी हुई है, मेरा निवेदन है कि जहां जहां हमने जन सहयोग से अस्पताल, औषधालय के भवन बना रखे हैं, वहां पर औषधालय स्वीकृत करें। जैसे खातुकड़ी, राजपुरा, मलकुंडी हैं। तीनों जगह तीन साल से भवन बने हुए हैं। वहां औषधालय स्वीकृत नहीं हुए हैं। मेहरबानी करके औषधालय स्वीकृत करने का कष्ट करें। इसके अलावा कई, ऐसी जगह है, राजगढ़ है, काटून्दा, मोतीपुरा, मेघपुरा जो बहुत इन्टीरियर जगह है। मैं चाहूंगा कि वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय या डिस्पेन्सरी खोली जाय। इसके अलावा राजगढ़ में डिस्पेन्सरी होम्योपैथिक की है लेकिन कम्पाउन्डर एलोपैथिक का है, उसकी वजह से तालमेल नहीं बैठता है। ना वह समझता है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर नहीं होने की वजह से दवाइयां उपलब्ध नहीं होती और डाक्टर होना न होना बराबर है। मेरा निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहां चिकित्सा सुविधा दिलाने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री शोभराज।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप साढ़े चार बजे मुख बन्द का प्रयोग कर देंगे, लोगों की जुबान बन्द कर देंगे। कम से कम यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिकित्सा सम्बन्धी मामला है, इसमें सबको समय दें। ट्रेजरी बैंचेज के लोग तो मन्त्रीगण से बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत टाइम है वह सारा अपोजिशन को देना चाहिए।

श्री सभापति : अभी 20 मिनट तक बोले हैं केवल सात मिनट यह बोले हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : इनके बोलने से हमारा पेट तो नहीं भर गया। हमारे को खुद को बोलने की इजाजत दें।

श्री सभापति : यह आपका वक्तव्य है। उसके बाद इधर की पार्टी के बोलने के बाद आपका ही नम्बर स्वतः आने वाला है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, आनेस्टली सुझाव आयेंगे तो विपक्ष की ओर से ही आयेंगे।

श्री सभापति : मैं बोलने वाली होती हूं, उसके पहले ही आप लोग बोल देते हैं जबकि स्वतः ही आपका नम्बर आने वाला है।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : आपकी आई भी कैंच करनी पड़ती है।

श्री सभापति : मैं बराबर हिसाब से समय देती हूं, किस पार्टी को समय दिया जाना चाहिए।

श्री शोभराजमल : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री का ध्यान

(श्री शोभराजमल)

आकर्षित करना चाहूंगा। चित्तौड़ जिला हैडक्वार्टर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लिखा हुआ दे देना।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलिये, हां पढ़िये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) : वहां पर रेफरल हॉस्पिटल है, उसको बी क्लास में क्रमोन्नत किया जाय। चित्तौड़ जिले में कोई भी बी क्लास अस्पताल नहीं है। सी. एम. एच. ओ. का हैड क्वार्टर प्रतापगढ़ वहां होना भी जरूरी है। चित्तौड़ में सी. एम. एच. ओ. की अलग से व्यवस्था करने का कष्ट करें जैसा कि धौलपुर भरतपुर में है गांवों में डिस्पेन्सरी है, वहां दवाओं का अभाव है, गरीबों को दवायें मिल नहीं पाती हैं जबकि 80 प्रतिशत जनता गांवों में है। उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाय।

व्यवस्था का प्रश्न
लिखित भाषण का पठन

श्री भंवरलाल शर्मा : पढ़ने के लिए कैसे अलाउ कर रही हैं ?

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदया, जैसे यह अभिभाषण पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर सुनना पड़ेगा आपको। यह लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह लिखित भाषण ही पढ़ना है तो यों का यों लिखा हुआ मन्त्री महोदय को दे दें ताकि सदन में अन्य माननीय सदस्य बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अरे वडी बैठ जाइये, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियम यह है कि कोई माननीय सदस्य सबसे पहले अगर अपनी स्पीच देता है तो वह कितनी ही देर बोले उसे रोका नहीं जायगा। अगर आप मुझे कहते तो मैं उनको रोकूंगी नहीं। इसलिए बेहतर है, आप इनको जल्दी समाप्त करने दें। जब मैडन स्पीच होती है तो माननीय सदस्य को रोका नहीं जा सकता है। इनकी पहली स्पीच है. हाउस में। मेहरबानी करके इनको टोके नहीं। इनकी पहली स्पीच है।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न यह नहीं है, इनको चाहे रोकिये मत लेकिन he cannot read.

श्री सभापति : पहली स्पीच जब होती है तो माननीय सदस्यों को मेजें थपथपाकर इनका स्वागत करना चाहिए। टोका टाकी नहीं चाहिए। जैसे भी आप बोल सकें वह बोलिए।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : वडी अब बोलिए।

श्री शोभराजमल : गांवों में जहां डिस्पेन्सरी हैं, वहां डाक्टर, कम्पाउण्डर जाने के लिए तैयार नहीं है। हर डाक्टर कम्पाउण्डर यह चाहता है कि हम शहर में रहें, गांवों में डाक्टर नहीं जायेंगे तो वहां क्या हालत होगी ? कई जगह रिक्त स्थान पड़े हैं। उनको भरने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांवों में डाक्टर न होने से गांवों के गरीब लोग शहरों की तरफ आते हैं, उनको काफी खर्चा करना पड़ता है। उनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा गांवों में डाक्टर भेजे जायं। हमारी पंचायत अमरपुरा, सादी, अभयपुरा और पंचायत ओरून्दा में भवन बने हुए हैं, वहां डिस्पेन्सरी होनी चाहिए। वहां पर डिस्पेन्सरी खोलने का कष्ट करें ताकि गांवों में रहने वालों को सुविधा मिल सके। इस साल इन गांवों में डिस्पेन्सरी खोलने का कष्ट करें। इस साल आप डिस्पेन्सरी खोलने का आदेश देंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने टाइम दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मैं, सभापति महोदया, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। विशेष समय नहीं लूंगा। एक माननीय सदस्य मेरे दल के हैं, उनको भी समय दें। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि ताम्बी जी को समय दें।

मैं आपके माध्यम से दो एक बातों की ओर चिकित्सा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चिकित्सा आदमी के लिए बहुत आवश्यक है। जब वह स्वस्थ नहीं रहेगा, तो अच्छा दिमाग पैदा नहीं कर सकेगा। अच्छी तरह से चल नहीं पायेगा। सबसे बड़ी इसके लिए सुविधा गांवों में देनी चाहिए। शहरों में बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी सुविधा होती है। थोड़ा मैं मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाह रहा था। नीम का थाना में छावनी एक अलग जगह है, जहां सारे आपके विभाग हैं। एस. डी. ओ. का दफ्तर है, डीवाई. एस. पी. का आफिस है, वहां 25 साल पुरानी डिस्पेन्सरी थी उस पर हमारे भूतपूर्व उद्योग मन्त्री, जो जनता पार्टी के थे, की कृपा हो गयी। उन्होंने उस हॉस्पिटल को हटावा दिया, और वहां से उठ करके वह सिरोही चली गई। सिरोही में पी. एच. सी. चली गई और वहां का हॉस्पिटल टोड़ा चला गया। थोड़ा ध्यान दें, मन्त्री महोदय।

श्री अनंगकुमार जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। तबादलों का काम तो घर बैठकर कर सकते हैं। यह तबादलों में लगे हुए हैं, अभी मन्त्री महोदय बात तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था, छावनी हॉस्पिटल 25 साल पुराना है। चारों तरफ से 4-5-6 मील से ढाणियों के लोग अपना इलाज कराते हैं। इसको बन्द कर दिया गया है। अब सिरोही में केवल पी. एच. सी. का एक डाक्टर लगा रखा है। वह घण्टा दो घण्टा आता है। वहां न दवाइयां मिलती हैं, न किसी तरह की फेसिलिटी है। इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि नये हॉस्पिटल खोलें उसमें उसको स्वीकृति दें।

श्री अनंग कुमार जैन : व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय के पास कोई मैम्बर खड़ा हो जाता है, बातें करते रहते हैं, यह अव्यवस्था कैसे चलेगी। सदन को चलाने की आपकी जिम्मेदारी है, सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनका समय क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह अच्छे सुझाव देंगे, यह मन्त्री महोदय को कैसे ध्यान रहेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरा मैं, निवेदन करना चाह रहा था, नीम का थाना क्षेत्र में कपिल हास्पिटल को रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट करायें। वहां 15–20 हजार की आबादी है। कालेज है। बहुत सारे लेक्चरर हैं। बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। तो आप इसका ध्यान देंगे। एक मेरे क्षेत्र में सावलपुरा तवरान है जहां पांच साल हो गये बिल्डिंग बनी हुई है वह पहाड़ी एरिया है, कोई सुविधा नहीं है। आयुर्वेद मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, मेरा क्षेत्र है, आवागमन के साधन नहीं हैं अगर कोई लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल ले जाना कठिन होता है इसलिये 2–3 जगहें ऐसी हैं जहां आयुर्वेद औषधालय खोलने की कृपा करें। एक मैं निवेदन यह भी करने जा रहा हूं कुछ लोग मेरे से मिले थे आपके नर्सिंग स्टाफ वाले उनको थोड़ी सी दिक्कत ऐसी है आप इसकी तरफ ध्यान देंगे। नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र जहां प्रशिक्षार्थी ट्रेनिंग लेते हैं उनको आप 77 तक के लोगों को तो पूरी पे देते हैं और 78 वालों को हाफ पे देते हैं यह आपको सोचने वाली बात है, जब 77 वालों को पूरी पे देते हैं तो 78 वालों को क्यों नहीं देते हैं? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तरफ ध्यान देकर पूरी तनख्वाह देंगे।

एक और निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सा।

श्री सभापति : मुखबन्द कितने बजे होगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : साढ़े चार बजे।

श्री मोहनलाल मोदी : आप समय बढ़ा दीजिये, साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अधिकार है समय बढ़ाने का। राज्य सरकार के एक आदेश के मुताबिक, खण्ड शिक्षा प्रसारक हैं पी.एच.डी.ई में वह 90 से 225 की तनवाह में चल रहे हैं और 28-9-70 को आदेश दिये उसके अन्दर 130-320 उनकी तनख्वाह आज कर दी लेकिन आज तक उन लोगों का स्क्रिनिंग नहीं किया गया 1-1-63 के मुताबिक इसलिये वे लोग इनमें नहीं आ पाये इसकी तरफ ध्यान देंगे। मैं विशेष निवेदन नहीं करूंगा। आपसे बड़ी आशा है राजस्थान को। आपके विभाग से भ्रष्टाचार वाले मंत्री जी तो चले गये बद्रीप्रसाद जी, उनकी बात ही नहीं करूंगा। आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिये अधिक से अधिक कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

समय कम लेंगे यह मेरा निवेदन है, मुझे रोकना नहीं पड़े। आज पहली दफा बोल रहे हैं कई दिनों से।

एक माननीय सदस्य : लोकदल की तरफ से कोई माननीय सदस्य नहीं बोला कृपया करके हम को भी....

श्री सभापति : आपको भी मौका देंगे मुझे खयाल है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदया, मैं तीन मुख्य बातों पर निवेदन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं यह कि विशेष समय लूं....

श्री सभापति : फिर भी नहीं, आपको समय का खयाल तो रखना पड़ेगा।

मुखिवन्द होगा इसलिये समय का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं निवेदन करना चाह रहा था सभापति महोदया, कि एलोपैथिक चिकित्सा में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का वर्ग हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं एक तो वे अधिकारी जो डिग्री लेकर डाक्टर्स, सीनियर डाक्टर्स या स्पेशलिस्ट्स है वे हैं और एक वे कर्मचारी या अधिकारी जो नर्सिंग में चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों। डाक्टरों का तो सब कोई निवेदन करते हैं शिकायतें भी करते हैं लेकिन मैं विशेषकर नर्सिंग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। इससे पूर्व यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि डिमाण्डस पर पिछली बार, पिछले वर्ष भी मैंने काफी कुछ निवेदन किया था और निवेदन इसलिये करते हैं कि राज्य सरकार की जानकारी में न हो तो वह जानकारी में लावें और फिर अपेक्षा, आशा की जाती है कि जिन शिकायतों में सच्चाई न हो अगर हमने गलत लिखा हो तो हमें लिखा जाना चाहिये। अगर हमने ठीक लिखा हो तो कार्यवाही करनी चाहिये और हम को सूचना देनी चाहिये। पिछली बार भी मैंने बहुत मुद्दे उठाये थे, जो बहुत तथ्य वाले थे, सबूत भी थे लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस सदन में कोई बात कहने का कोई महत्व ही नहीं रहता। मैं नहीं चाहूंगा कि दुबारा दोहराऊं लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जिन डिमाण्डस पर बात होती है, विभाग के अधिकारी और मंत्री जी विराजते हैं उनका फर्ज होता है कि उन बातों को नोट करें, मंत्री जी नोट नहीं कर सकें तो अधिकारी नोट करें और उनके ऊपर तत्परता से कार्यवाही करें। अगर उनमें कुछ नहीं मिले तो बात समझ में आती है यह तो समझ में आता है लेकिन अगर तथ्य हों, सबूत हों तो समझ में नहीं आता, कोई कारण नहीं होता कि कार्यवाही न की जाय।

मैं मेल और फीमेल का इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि हमें यहां पर जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसमें भी और वैसे कुछ पूर्व से भी, जो ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनके बारे में यह लिखा गया है कि ये प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उन्होंने लिखा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। जब हाई स्कूल के बाद या हायर सैकण्डरी के बाद उनको बी. एससी. के बाद ये डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट देने हैं तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम कैसे हुआ? यह जो डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम हुआ है, जो आदमी मेडिकल कालेज में पढ़ता है वहां एम. बी. बी. एस. करता है वह तो डिग्री होती है और जो इंजीनियरिंग करता है उसको भी डिप्लोमा या डिग्री मिलती है लेकिन आपने प्रशिक्षण कैसे लिख दिया? उनको डिग्री या डिप्लोमा देने के बाद अलग से प्रशिक्षण देने का प्रावधान है तब तो लिखना होगा। इसलिये, सभापति महोदया, मैं इससे बिलकुल इत्तफाक नहीं करता और एतराज करता हूं कि यह जो प्रतिवेदन लिखा गया है यह कतई गलत लिखा गया है क्योंकि यह प्रशिक्षण है ही नहीं। यह तो डिप्लोमा डिग्री की बात है। इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम, ए. एन. एम. एस. भी कहते थे उसमें मैट्रिक के बाद डेढ़ साल और मिडिल के बाद दो साल का कार्यक्रम है। कोई व्यक्ति या महिला अगर मिडिल हो उसको 2 साल का पाठ्यक्रम लेना पड़ेगा अगर सैकण्डरी हो तो उसका डेढ़ साल में पूरा हो सकता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडियन कौंसिल आफ नर्सिंग या मेडिसन है उससे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके तहत सारा कार्य होता है। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है हम अगर मिडिल से करेंगे तो राजस्थान की सेवाएं तो उपलब्ध हो जायेंगी और जल्दी करा सकेंगे लेकिन आज अगर यहां की पढ़ी लिखी महिला या पुरुष बाहर जाकर नौकरी करना चाहता है तो मेरे खयाल से नहीं कर सकता है। जैसे एक महिला की शादी बाहर हो गई उसने आपके यहां ट्रेनिंग ली, आपकी जितनी भी बंदिशें थीं वे पूरी कर लीं तो बाहर जाने के बाद तो पढ़ाई बेकार हो गई। इसलिये इंडियन कौंसिल आफ नर्सिंग को लिखिये कि वह रिलेक्सेशन करें बैकवर्ड स्टेट्स को देखते हुए या जो शिक्षा और योग्यता का स्तर किया गया है वह ठीक से करिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने यहां ट्रेनिंग भी अलग अलग केन्द्रों में, मैट्रिक वालों के लिये अलग केन्द्र खोले हैं और मिडिल वालों के लिये अलग केन्द्र खोले हैं जबकि कुल मिला कर इसकी क्वालिफिकेशन एक ही है इसकी डिग्री स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहलायेगी वह एक ही है। मुझे समझ में नहीं आता, जो महिला मिडिल पास है वह तो ठीक है लेकिन उस क्षेत्र में मैट्रिक पास है वह अगर एडमिशन लेना चाहता है वहीं तो उसको पहले तो एडमिशन इसलिये नहीं मिलेगा क्योंकि उसने गुनाह कर लिया, मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर ली तीन कक्षाएं ज्यादा पढ़लीं और अगर वहां ले भी ले तो दो साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो एडथ के बाद और मैट्रिक के बाद ट्रेनिंग करने का क्या अन्तर है? यह क्यों है? अगर है, तो क्या आप मिडिल वालों को मैट्रिक की शिक्षा देते हैं या उनको ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब तक इस अन्तर को न भी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मिटा सकें तुरन्त तो इसमें स्टडी कीजिये। जो इसमें सेन्टर खोले हैं चाहे मिडिल का हो या मैट्रिक का हो। मिडिल वाला मैट्रिक के सेंटर में न भी पढ़े तो कोई बात नहीं लेकिन अगर मैट्रिक पढ़ी हुई महिला या व्यक्ति हो उनको मिडिल वाले केन्द्र से एडमिशन मिलना चाहिये यह उसका अधिकार है।

मैं इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह तय शुदा भी है और योजना में भी है कि जहां पर इस तरह के केन्द्र चलाये जायेंगे वहां होस्टल भी साथ में होंगे। होस्टल हैं भी लेकिन सारी जगह, मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार, सब जगह होस्टल नहीं है इसलिये जो भी इस तरह के सेन्टर्स चल रहे हैं उनके साथ वहां होस्टल होना अनिवार्य है, क्योंकि आप उसको स्टाइपेन्ड भी देते हैं, केन्द्रीय सरकार से पैसा मिलता है, उसमें राज्य सरकार का मिला कर 125/- रुपया प्रतिमाह उनको देते हैं। 125/- रुपया प्रतिमाह आप स्टाइपेन्ड देते हैं उसके साथ आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिये फ्री निवास की व्यवस्था होस्टल प्रिमीसेज में, जहां पर उनका स्कूल चलता है, जहां पर उनको शिक्षा दी जाती है, होना अनिवार्य है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में। यहां आपने प्रशिक्षण लिखा है जबकि यह पाठ्यक्रम है। इसका डिप्लोमा मिलता है। इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुरुषों के हम 6 पाठ्यक्रम चला रहे हैं, 6 केन्द्र हैं और महिलाओं के भी 6 केन्द्र हैं। इसमें आपने महिलाओं को छूट दी है कि वह अगर हायर सैकण्डरी साइन्स बायलोजी में न हो तो मैट्रिक होने के साथ आर्टस् वाली भी आ सकते हैं। मैं इसमें इतनी-सी बात जानना चाहता हूं कि आप सामान्य नर्सिंग के बाद में सिस्टर ट्यूटर की ट्रेनिंग भी देते हैं और आपने 1980 में इस ट्रेनिंग की शुरूआत की है। चार सौ रुपया आप स्टाइपेन्ड प्रतिमाह दे रहे हैं और तनख्वाह भी वह प्राप्त कर सकती है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि आर्ट्स में मैट्रिक की हुई महिला को जो प्रशिक्षण, जो जनरल नर्सिंग की ट्रेनिंग करे क्या अगर वह सिस्टर ट्यूटर के लिये जायगी तो आपको अड़चन नहीं आयेगी? क्या वह बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करेगी, उसको बाद में दिक्कत नहीं आयेगी? यह मैं समझता हूं कि इसमें लेकूना है। इसकी आप स्टडी कीजिये। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आज लड़कियां जो आर्ट्स में आती हैं जनरल नर्सिंग में क्योंकि उनके बॉयलोजी नहीं होती है, इसलिये उनको आगे पढ़ने में दिक्कत होती है और आगे जाने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सामान्य नर्सिंग के बाद में सिस्टर ट्यूटर का पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। वह इसलिये किया है कि आपने जगह जगह बहुत से केन्द्र खोल दिये हैं लेकिन आपके पास में टीचिंग स्टाफ नहीं है। वैसे नियमों में प्रावधान है कि बी. एससी. जो मेल नर्सेज या फीमेल नर्सेज करते हैं, वह टीचिंग के लिये होते हैं क्योंकि टीचिंग के लिये जो क्वालिफिकेशन होती है वह बी. एससी. की डिग्री की होती है। लेकिन

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके साथ में यह प्रावधान है कि सिस्टर ट्यूटर का जो डिप्लोमा है, वह टीचिंग में जा सकता है। टीचिंग प्रोफेशन ले सकता है। इसलिये यह आपने सिस्टर ट्यूटर का कोर्स खोला है। ट्यूटर का कोर्स 1980 में शुरू कर आपने 60 सीटें खोली हैं। जैसा कि मैं आपके प्रतिवेदन से समझ पाया हूं या जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, आपने पूरे राजस्थान में 30 केन्द्र चला रखे हैं सभी तरह के चाहे वह ए. एन. एम. का हो, चाहे जनरल नर्सिंग का हो, जितने भी टीचर्स चाहियें, आन एन एवरेज जितने भी टीचर्स अभी लगे हैं, मेरे खयाल से एक केन्द्र में तीन, चार से ज्यादा नहीं हैं। कुल मिलाकर आपको 130 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 60 की जगह इस साल क्रियेट कर दी हैं। आप इसी स्पीड से सिस्टर ट्यूटर खोलते जायेंगे तो इनका आगे जाकर के क्या करेंगे? यह राजस्थान के बाहर जाकर सर्विस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका यह बी. एससी. नर्सिंग कालेज रजिस्टर्ड नहीं है। 1967 में जिस बी. एससी. नर्सिंग कालेज को आपने खोला है, वह कालेज रजिस्टर्ड नहीं है। इस पर बाद में मैं निवेदन करूंगा। अभी मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपका प्रशिक्षण केन्द्र है, सिस्टर-ट्यूटर का आप चला रहे हैं, उनमें आपने प्रपोर्शनेट रेश्यो नहीं बनाया है। 60 की जगह है लेकिन इसमें महिलाएं कितनी होंगी, पुरुष कितने होंगे, यह नहीं बताया है। तब आप मनमानी करेंगे। अगर महिलाओं की एप्लीकेशन ज्यादा होंगी तो उसमें आप पुरुष भर्ती करेंगे अगर पुरुषों की एप्लीकेशन्स ज्यादा होंगी तो महिलाएं भर्ती की जाएंगी। आपने कहीं यह नहीं बताया है कि 50:50 का रेश्यो होगा या महिलाएं ज्यादा होंगी। जब कि अमूमन हॉस्पिटल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि नर्सिंग लाइन में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं। यह डिवोटेड क्लास है। डिवोटेड क्लास इन दी सेंस उनको तनख्वाह कम मिलती है परन्तु जिस प्रकार से वे अपने परिवार का एक सदस्य समझ कर हॉस्पिटल में सेवा करती हैं तो इनको हम डिवोटेड क्लास में भी ले सकते हैं, लेते हैं और लेना चाहिये। उनको किसी तरह से निम्न श्रेणी का रख कर सोचने का अधिकार नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मनमानी जो आपने कर रखी है, इसमें रेश्यो, प्रपोर्शनेट स्पष्ट किया जाना चाहिये। जिसको आप यहां पर ट्यूटर बनाने जा रहे हैं, वह बाहर जा सके, इसलिये आपकी क्वालिफिकेशन में आता है या नहीं आता है उसकी भी आप स्टडी कीजिये।

फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सिस्टर-ट्यूटर बनाना है, उनके लिये तीन विषय होते हैं। एक सामान्य नर्सिंग, जिसको जनरल नर्सिंग भी कहते हैं, दूसरा पब्लिक हैल्थ नर्सिंग और तीसरा मिड वाइफ नर्सिंग। आपने पब्लिक हैल्थ नर्सिंग के लिये इशारा किया है। चूंकि इस तरह मेल, फीमेल नर्सिंग की आवश्यकता है जो पब्लिक हैल्थ नर्सिंग को भी पढ़ा सके। हमारे पास में उपलब्ध नहीं है इसलिये सरकार यह सोच रही है कि इस तरह के केन्द्र खोलें लेकिन आपने मिड वाइफ और जोड़ दी है। आप जनरल नर्सिंग में स्टाफ नर्स, मेल या फीमेल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सिस्टर ट्यूटर की ट्रेनिंग दें तो क्या वह मिड वाइफ को पढ़ा सकेगा ? इसलिये आप यह भी सोचिये कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एक टीचर को पढ़ाने के लिये, एक प्रशिक्षण देने वाले को पढ़ाने के लिये चाहिये, वह सारे सब्जेक्ट राजस्थान में ही होने चाहिये....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

क्योंकि बी. एससी. में....

अभी तो मैंने शुरू किया है ...

श्री सभापति : अन्य पार्टी के काफी सदस्यों को बोलना है ....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं शार्ट कर देता हूं। आपको पसन्द नहीं है तो ...

श्री सभापति : पहले आपको आपकी पार्टी का टाइम मिल जाता था।

लेकिन अब तो इतना टाइम नहीं ले सकते हैं....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो अपनी पार्टी का टाइम ले रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अगर आपने सिस्टर ट्यूटर की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाया है तो ये तीन सब्जेक्ट इसमें होने चाहियें। आपने जो 60 पोस्ट बनाई है उसमें यह बांट दीजिये कि इतने तो जनरल नर्सिंग के होंगे, इतने आपके मिड वाइफ के होंगे और इतने पब्लिक हैल्थ नर्सिंग के होंगे। जो आप अलग केन्द्र चला रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि इन्हीं 60 आदमियों को बांट करके अलग-अलग विषय में ट्रेण्ड कर सकते हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपको बी. एससी. नर्सिंग कालेज के बारे में निवेदन करना चाहता था। निवेदन करना यह चाहता था, सभापति महोदया, यह कालेज 1963 में आपने खोला और गवर्नर महोदय ने कृपा की थी और यह आदेश दिया था कि

"In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947, the State Government, with the consultation of the State Nursing Council, recognises the degree of Bachelor of Science, Nursing (B. Sc. Nursing) awarded by the University of Rajasthan since 1968 and onwards for the purpose of appointment to such posts under the State Government for which B. Sc. Nursing or ebuivalent degree has been prescribed as the requisite qualification."

और इसके अन्तर्गत यह आपकी बी. एससी. नर्सिंग कालेज विधिवत रूप से राजस्थान में शुरू हुआ था लेकिन मुझे इसके बाद में खेद यह है कि आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसकी कहीं पर मान्यता नहीं है, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर से जितनी भी महिलाए पढ़कर डिग्री लेकर निकली हैं,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। एक तरफ गवर्नर के आदेश से यह कालेज खुला है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के तहत यह चल रहा है दूसरी तरफ उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। आपको क्या अधिकार है? गवर्नर के आदेश से जब इस कालेज को खोला गया है और यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है तो आप इनका रजिस्ट्रेशन करें। पर इसमें बाधा है उस बाधा के लिये या तो सरकार जिम्मेदार है या यह मेडिकल डिपार्टमेन्ट जिम्मेदार है। यह आपके सोचने की बात है कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन मैं यहां पर जिम्मेदारी ठहराना पसन्द नहीं करता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये क्योंके इससे सैकड़ों लोगों पर असर पड़ता है जो कि 1968 से पढ़ते आये हैं जिन्होंने डिग्री भी प्राप्त कर ली है। इसके सम्बन्ध में यह जो पत्र लिखा है, वह इतना ही पढ़ना चाहता हूं।

"In view of these circumstances, your registration certificate cannot be renewed till any decision is arrived at from the Indian Nursing Council, New Delhi, to whom the matter has already been referred."

यह मेन चीज है। आप बताइये कि जब राजस्थान में डिग्री प्राप्त करने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, वह आथोरिटी रजिस्ट्रेशन करने से आज मना करती है, वह इसलिये मना करती है कि विभाग को यूनिवर्सिटी ने लिखा कि जब तक रजिस्ट्रेशन इण्डियन कौंसिल से नहीं आता है हम इसको नहीं मानते हैं।

माननीय सभापति महोदया, यह इम्पार्टेन्ट मुद्दा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभी सदस्य इम्पार्टेन्ट बात ही कहते हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि 1968 से लेकर आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। इतनी इम्पार्टेन्ट बात कह रहा हूं। आप कहें तो बैठ जाऊंगा। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। आज तक इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दस साल की प्रोसिडिंग्स मैंने देखी हैं लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है...

श्री सभापति : आपके बड़े सुन्दर खयाल हैं परन्तु समय का भी खयाल रखें। दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

माननीय सदस्य मुझे क्षमा करें। कई पार्टी के सदस्य बोले होनहींहैं, इसलिये क्षमा करें। आपने 15 मिनट का समय ले लिया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बहुत संक्षेप में इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल राजस्थान में ही इन डिग्री होल्डरों का मजाक नहीं होता है बल्कि राजस्थान के बाहर भी मजाक होता है। यहां के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको कद्र नहीं है इसको कोई डिग्री नहीं माना जाता है इसके सन्दर्भ में एक लैटर पढ़ना चाहता हूं।

श्री सभापति : पढ़ें नहीं। आप काफी समय ले चुके हैं। मैं टोकना नहीं चाहती हूं....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बहुत शोर्ट में....

श्री सभापति : साढ़े चार बजे मुख बन्द हो रहा है। अभी तक तीन चार पार्टी बोलनी बाकी हैं जिनको मौका नहीं मिला है। कृपा करके आप, दूसरों का भी ख्याल रखें। पार्टी के समय का सवाल नहीं है। मुखबन्द तक हर एक पार्टी का कम से कम एक मैम्बर बोल जाना चाहिये। इसलिये दूसरों का भी ख्याल रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के सेक्रेटरी ...

श्री सभापति : श्री वर्मा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मुझे खेद है, सभापति महोदया...

श्री सभापति : मुझे आपसे ज्यादा खेद है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं बात पूर्ण करके समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे जिद नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रही हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने जिस पाइन्ट को शुरू किया है उसको तो समाप्त करने दें कम से कम . . .

श्री सभापति : दो मिनट और बोल जाइये। लेकिन आप समाप्त नहीं कर पायेंगे। दूसरा विषय चालू कर देंगे एक के बाद में।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के सेक्रेटरी सूद ने एक चिट्ठी लिखी सभी स्टेट्स को कि राजस्थान के डिग्री होल्डर्स, जो बी. एस सी. डिग्री होल्डर हैं, को न तो नौकरी दी जाय और न ही उनको आगे पढ़ने के लिये एम. एस सी. में प्रवेश दिया जाय क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस विषय में निवेदन करना चाहूंगा। लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार और तो और जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन थे उनका रिन्युअल बन्द कर दिया। पांच साल के बाद आपको रिन्युअल बंद करने का कोई अधिकार नहीं था। माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका शायद ध्यान नहीं गया है। उन्होंने अभी इसको देखा नहीं है। यह खेदपूर्ण स्थिति नहीं है क्या कि जो डिवोटेड क्लास है, जो छोटी क्लास है, जो रात दिन सेवा में रत है उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं और रिन्युअल नहीं कर रहे हैं ? इस सारे मसले को आप देखें। मैं पूरी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि समय नहीं है इसलिये मैं एक लाइन सिर्फ यह कहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो, परिवार नियोजन में कुछ लोगों को आपने . . .

२९

श्री सभापति : यानी आपने नया पाइन्ट ले लिया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक लाइन कहूंगा।

वेतन वृद्धि करके 150-330 के रख दिये लेकिन, सभापति महोदया, जो सबार्डिनेट हैं उनको उनसे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। उनको स्वीकृति होने के बाद भी आज तक तनख्वाह नहीं दी है।

आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में एक लाइन और कहूंगा, आयुर्वेद एलोपैथी से अलग है...

श्री सभापति : श्री बैरवा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बड़ी मुश्किल से एक दोहा लिखकर लाया हूं आपको सुनाने के लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री बैरवा बोलें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपको सुनाने के लिये। आपने जो संस्थान करोड़ों रुपयों का खोला है उसमें ऐसा नुकसान हो रहा है इसलिये यह लिखकर लाया हूं कि विनायकम प्रकुर्वाणां रचयामास वानराम। मुझे कोई संस्कृत पढ़ने की इच्छा नहीं है यह तो आप विराजी हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी में बोलिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : भेमाता न सांसों करियो मिनख रूप एक डाठो। ठाडो बड़ियो करवा तो लोग र पूछ पर निकलेगी ढाढी और मूंछ। तो इस संस्थान को सुधारें।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदया, मैंने कटौती प्रस्ताव चिकित्सा मंत्रालय की मांगों पर दिये हैं। जो ग्रामीण लोग हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। गांवों में अधिकतर लोग डिस्पेन्सरीज के अभाव में या औषधालय के अभाव में या यातायात के अभाव में अधिकतर मौत के मुंह में चले जाते हैं उन गरीबों की तरफ आज तक न तो बुद्धिजीवियों ने ध्यान नहीं दिया है न तो अधिकारियों ने सोचा है और न सरकार ही उस ओर ध्यान दे रही है। मेरा निवेदन यह है कि गांवों में प्रत्येक पंचायत हेड क्वार्टर पर औषधालय डिस्पेंसरी या अन्य कोई चिकित्सा सुविधा का साधन होना आवश्यक है।

हिन्दुस्तान की 32-33 वर्षों की आजादी के बाद में गरीब लोग विशेषकर ग्रामीण अपना अच्छी तरह से इलाज भी नहीं करा पाते हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि गरीब लोग अपना इन्साफ और इलाज आज तक नहीं करा पाते हैं क्योंकि आज इलाज है वह भी धनी लोगों के ही बस का होता है और वह भी धनी लोगों के लिये ही उपलब्ध होने जैसी सुविधा हो गयी है। अगर गांवों के गरीब आदमी सवाई मानसिंह अस्पताल किसी भी तरह पहुंच भी जाते हैं तो दवाई के अभाव में ठीक नहीं हो पाते हैं और मर जाते हैं। मेरा यह निवेदन है सरकार से कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अब जो नयी जनगणना हुयी है उसके हिसाब से चार पांच हजार से कोई भी पंचायत हैड क्वार्टर पर कम आबादी नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है और मैं मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर डिस्पेंसरी होनी चाहिये, यह बहुत ही आवश्यक है। सभापति महोदय, मैं आपकी नोलेज में यह लाना चाहता हूं कि गांवों में जो औषधालय हैं उनमें तो कतई दवाई नहीं मिलती है। उपवैद्य और कम्पाउन्डर दवाई खरीदने के लिए कहते हैं तो दवाई के अभाव में गांव वालों की रुचि कम हो जाती है। दवाई देना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि औषधालय के जो अधिकारी हैं डायरेक्टर हैं या जिला अधिकारी हैं उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है और उसमें तरह तरह की पार्टीबाजी है, और किसी रूप में भी गांवों में जो औषधालय चलाने वाले वैद्य हैं वह लिखकर भेजते हैं तो कोई ध्यान नहीं देते हैं अधिकारी। अधिकतर वैद्य वहां पर अपने दिन गिनते रहते हैं क्योंकि अगर किसी प्रकार उच्च अधिकारी के खिलाफ लिखा पढ़ी करेंगे तो उनको दुःख होता है, मेरे ऊपर आफिसर नाराज हो जायेगा और मेरी तरक्की में बाधा पहुंचायेगा। इस तरह की व्यवस्था चल रही है। मेरा निवेदन है कि इस सारी व्यवस्था में सुधार होना चाहिये।

औषधालय और डिस्पेंसरी के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो तहसील हेड क्वार्टर है या पंचायत समिति है जहां पर थाना है और सब कुछ है लेकिन वहां पर जो पुरानी डिसपेंसरी है आज तक वही चल रही है, उसको आज तक आगे नहीं बढ़ाया गया है, उसका कोई विस्तार नहीं किया गया है, यह भी खेद का विषय है कि जो तहसील हैड क्वार्टर हैं वहां पर एक ही डाक्टर से काम चला रहे हैं, वह नहीं चला सकता है किसी रूप में। वहां पर बीमारों की संख्या ज्यादा है उनको सम्भालना बड़ी भारी समस्या है इसलिये, सभापति महोदय, वहां पर डाक्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिये कम से कम चार डाक्टर्स अवश्य तहसील हैडक्वार्टर पर बढ़ाने चाहिये ताकि तहसील में रहने वालों का वहीं इलाज हो जाये। यहां नहीं आना पड़े और वहीं अपना इलाज करा सकें। वहां पर बेड्स की संख्या भी बढ़ानी चाहिये।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां सरकार आज नये, नये कारखाने लगा रही है, वहां जो उनका गंदा पानी है उसके निकास की ठीक से व्यवस्था हो जैसे सांगानेर में छपाई का कारखाना चल रहा है वहां पर किसानों के खेतों में गंदा पानी जा रहा है। वहां जो छपाई करने वाले हैं उनको तो उसकी आमदनी होती है, वे तो किसी तरह से उससे संतुष्ट हैं लेकिन उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वे दुखी हो गये हैं। वहां पर उससे निकलने वाले पानी से गंदगी हो रही है और जीवन दूषित हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पक्की नालियां बनायी जायें पक्की नालियां बनाकर ही गंदे पानी का निकास किया जा सकता है। दूसरा मेरा मंत्री

(श्री रामकंवार बैरवा)

महोदय से यह निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में पहाड़ी गांव मेरा खुद का गांव है वहां पर स्योकरण को एक बार आपरेशन कराना पड़ा था हाथ का तो वह रिएक्शन कर गया जिससे कि उसका हाथ काट दिया गया था। उस पर सरकार ने उसको तीन हजार रुपया दिया था और इलाज पर भी तीन चार हजार रुपया खर्च किया था। मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि आप इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लायें। उस पर पैसा भी खर्च होगा और उसको नुकसान भी होगा इसलिये गांवों में जो काम करने वाले हैं डाक्टर, आप अनुभवहीन या अनट्रेंड कृपया गांवों में नहीं लगायें। गांवों में आप अच्छे लोगों को भेजें। इक दो केसेस खराब हो जाने से गलतफहमी हो जाती है और लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में नसबन्दी के मामले में कोई भी केस एक तहसील में खराब हो गया तो पूरी तहसील में अफवाह हो जायगी और लोग उसके नजदीक भी जाना पसन्द नहीं करेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पहले दस-बीस साल पहले जो दवाइयां असर करती थीं वे बहुत असर किया करती थीं, लेकिन आजकल की दवाइयां इतना असर नहीं करती हैं। नकली दवाइयां काफी मात्रा में चालु हो रही हैं इसको भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोका जाय और अच्छी फेक्ट्रीज की दवाइयां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय। नकली और असली सभी दवाइयों को एक ही स्तर पर रख दिया। नकली दवा बनाने वाले सफल होंगे तो अच्छी दवाइयां बनाने वालों का मानस ठीक नहीं रहेगा। वह देखेगा कि इस राज में अच्छी दवाई बनाने वाले को भी इनाम मिलता है और नकली दवाइयां बनाते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती है।

दूसरा मेरा निवेदन है स्वास्थ्य मंत्रालय में जो कर्मचारी हैं जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, कई कर्मचारी बीस बीस साल से जयपुर में बैठे हैं और बहुत से कर्मचारी छोटी छोटी जगहों में हैं। कोई कर्मचारी अगर कोशिश करके अपना ट्रांसफर करा भी लेता है तो एक साल के बाद ही उसको बाहर भेज दिया जाता है। उसकी पारिवारिक और कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तो कर्मचारी सत्यता से काम नहीं करेंगे। कर्मचारी परिवार से दुखी होने के कारण नौकरी छोड़ने पर भी मजबूर हो जाते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि गांवों में डिस्पेन्सरियां और औषधालय जो आप खोलने जा रहे हैं उनके बारे में मेरा निवेदन है कि गांवों में जो अच्छे लोग हैं, जो साधन सम्पन्न लोग हैं बिल्डिंग बनवा कर देते हैं, फिर भी आप अस्पतालों का विस्तार नहीं करते हो। जैसे कि जोबनेर में भीमाराम कुमावत अस्पताल की पिछले दिनों में काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुयी थी और जनता सरकार से भी उसका काफी विस्तार करने की मांग की गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो बिल्डिंग निर्माता है उसने कहा कि जितनी भी जरूरत होगी मैं और बनाकर दूंगा। अभी जो मौजूदा

(श्री रामकंवार बैरवा)

बिल्डिंग है वह भी काफी अच्छी और लम्बी चौड़ी है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार कोई दानदाता बिल्डिंग उपलब्ध करवाता है तो आप कर्मचारियों की वजह से उनकी मांग को नामंजूर मत करिये, इस प्रकार से मेरा निवेदन है।

(3·34 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सरकार के द्वारा जब तक गरीब से गरीब आदमी को स्वास्थ्य विभाग से लाभ नहीं होगा तब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गांवों में जो औषधालय हैं उनमें चंद लोगों को जो अच्छी दवाइयां हैं वह दे दी जाती हैं और गरीब लोगों को नहीं जैसा कि अभी जोशीजी ने कहा, उसका मैं स्वागत करूंगा। आयुर्वेद औषधालयों में पंडित लोग और ऊंची कास्ट के लोग अधिक बैठते हैं वे गांव के ऊंचे लोगों को तो कीमती से कीमती दवाइयां दे देते हैं और गरीब आदमी को नहीं देते हैं, इस बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात को भी देखा जावे, इसके लिए गरीब आदमी से पूछा जाय कि किस प्रकार की दवाइयां मिलती हैं और किस प्रकार से काम चल रहा है क्योंकि ऐसी कीमती दवाइयां उनके नाम डाल देते हैं और दवाइयां दूसरे को दे देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। अधिक समय नहीं लेकर मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस पैसे से जनसाधारण को लाभ पहुंचाने की नीति से हम काम कर रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा देख रेख हो और जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं वे सेवा के साथ साथ नौकरी करें तो सुन्दर होगा, मानव जीवन का लाभ जनता को मिल सकेगा और जो सर्विस में हैं उनको भी भलाई मिल सकेगी। यही कह कर खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुप्रसाद बजारी।

(व्यवधान)

आप विराजो अबार,

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, 20, 24 तारीख को माननीय सदस्यों ने आपसे मांग की थी कि जो कटौती प्रस्ताव गायब हो जाते हैं जिन पर सदन में विचार नहीं होता उनके लिखित उत्तर दिये जायं लेकिन पिछले 15 दिन में आज तक किसी के भी पास एक भी कटौती प्रस्ताव का उत्तर नहीं आया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो..

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इस मांग के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर जनरल प्रेक्टिस यह रही

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है कि जो प्रस्ताव यहां नहीं लिये जाते हैं और सदन की सूची में आ जाते हैं आपके आदेश से मूव हुए समझे जाने चाहिये उनका जवाब सरकार की ओर से दिया जाता है। सेशन खतम होने के बाद एक एक माननीय सदस्य के पास लिखित उत्तर पहुंचा दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था अब भी की जायगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आज की डिमाण्ड के बारे में नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा है, तीन माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, गये सत्र के कटौती प्रस्तावों के जवाब भी अभी तक नहीं आये। अब इस सत्र के कब तक आयेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार को चाहिये कि सत्रावसान के पश्चात् तुरन्त कटौती प्रस्तावों के उत्तर माननीय सदस्यों को पहुंच जायं।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री दिनेश प्रकाश बजारी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, फागी से पधारने वाले एक माननीय सदस्य ने अभी सांगानेर का नाम मेन्शन किया, वहां की समस्या को स्ट्रेस किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पॉलिटिकल असेसिनेशन हो जायगा। क्या आप मुझे मौका देंगे कि मैं स्थिति और अधिक स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब क्या बात कही गई, क्या नहीं कही गई। उपस्थित नहीं था और निश्चित तौर पर 4 बजे बाद विवाद समाप्त हो जायगा, और सरकार से उत्तर दिलाया जायगा। साढ़े चार बजे मुखबन्द का उपयोग करके और....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। यदि किसी दल के माननीय सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया तो मेरी यह कोशिश होगी कि उन माननीय सदस्यों को अवसर दूं लेकिन यदि कारणवश नहीं दे सकूं तो वह मेरी मजबूरी होगी, मुझे आप क्षमा करेंगे, क्योंकि 4.30 बजे मुखबन्द का उपयोग हो जायेगा उसके बाद सभी अवशेष मांगें....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस तरह से समय न लें, । यही सबसे बड़ी बाधा है कि चर्चा समाप्त नहीं होती। आर्डर प्लीज। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पांच-पांच सात-सात मिनट से अधिक बोलने का कष्ट न करें।

व्यवस्था

मुख्य मन्त्री द्वारा मांगों को क्रम परिवर्तन सम्बन्धी विशेषाधिकार हनन प्रश्न

बीच में मैं एक माननीय सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा ने विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न उठाया था उस पर व्यवस्था दे देता हूं।

सर्वश्री भंवरलाल शर्मा व नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचलन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी है कि नियम 143 के अन्तर्गत मांगों का जो क्रम सदन के नेता द्वारा निर्धारित किया गया है उससे जनलेखा समिति के विशेषाधिकारों का हनन होता है। श्री भंवरलाल शर्मा ने आज इस मामले को सदन में भी उठाया था और वे चाहते हैं कि मैं आज ही इस पर व्यवस्था दूं।

मैंने इस प्रश्न को प्रक्रिया के नियम 143 के सन्दर्भ में देखा है जिसके अनुसार अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जावेंगी जो सदन के नेता जनलेखा समिति की सलाह पर विचार के पश्चात् निश्चित करें। नियम 143 निम्न प्रकार है :—

143. मांगों का विन्यास-अनुदानों की मांगें ऐसे क्रम में रखी जायेंगी जो सदन के नेता, जनलेखा समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात्, निश्चित करें।

मैंने जनलेखा समिति द्वारा लिए गए निर्णय को भी देखा है और उसके अनुसार उन्हीं मांगों पर विचार किया जाना है जो सदन के नेता ने जनलेखा समिति की सलाह पर निश्चित की हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि विभागों से सम्बन्धित मांगों को कब लिया जाय किन्तु किस अनुदान की मांग को किस दिन लिया जाना है इसका निर्णय सदन के नेता जनलेखा समिति के परामर्श के बाद लेते हैं। जहां तक जनलेखा समिति की सलाह का सम्बन्ध है वह सिफारिश के रूप में होती है और उसका मान लेना सदन के नेता के लिए उक्त नियम के अन्तर्गत अनिवार्य नहीं है। सदन के नेता जनलेखा समिति द्वारा मांगों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन सदन के नेता द्वारा पूर्व में भी किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिस मांग के बारे में सदन के नेता ने परिवर्तन किया है उसके सम्बन्ध में जनलेखा समिति के सभापति से परामर्श कर लिया गया था। मैं समझता हूं कि इस विश्लेषण के बाद जो प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा एवं श्री नाथूसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें समिति के विशेषाधिकारों का प्रश्न निहित नहीं है। अतः मैं उस पर नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

अब इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा का सवाल नहीं है। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद किस बात की चर्चा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने व्यवस्था दी है, मेरे बिन्दुओं पर नहीं दी है, विचार भी नहीं किया है....

श्री अध्यक्ष : सभी बिन्दुओं पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अन्य बिन्दुओं पर बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि सदन के अन्दर जब बजट हम पेश करते हैं तो कानून में प्रक्रिया दी हुई है कि कौनसी मांगें सदन में विचारार्थ रखी जायं और कौनसी मांगें मुखबन्द में रखी जायं, इसकी प्रक्रिया तय हो।

श्री अध्यक्ष : नियम बता कर बात करें, किस अनुसार कैसे तय होती है मांगें।

श्री भंवरलाल शर्मा : बताता हूं। जो इस समय रेलवेंट रूल है वह है 114।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने पढ़ लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : समझने का फर्क तो हो ही सकता है। इसमें लिखा है :-

"The demands for grants shall be arranged in such order as the leader of the House may, after the advice of the Public Accounts Committee has been taken into consideration, determine."

मान लीजिए जनलेखा समिति ने यह तय किया कि इन 28 या 29 मांगों पर सदन में विचार किया जाना चाहिए। दो बातें हो गईं। एक तो उन्होंने नाम दे दिये कि इन मांगों पर विचार किया जाना चाहिये और यह भी तय कर दिया कि यह क्रम रहेगा। अमुक को दिनांक 10 को लिया जाय, अमुक को दिनांक 11 को लिया जाय, या 12 को लिया जाय। इस तरह एक क्रम तय किया दूसरे इन पर विचार किया जाय, उनके नाम भी तय कर दिए। दोनों अलग-अलग बातें हैं। रूल ने जो अधिकार दिया वह केवल इतना है कि सदन के नेता जिन मांगों पर विचार के लिए पी. ए. सी ने अपना निर्णय दिया है उसका क्रम तो बदल सकते हैं यथा उन्होंने कहा कि फलां मांग 15 तारीख को ली जाय, सदन के नेता उसे 16 या 17 को ले सकते हैं लेकिन जिन मांगों को विचारार्थ रखने के लिए निर्णय किया है उसमें से कम नहीं कर सकते हैं, उनको विलोपित नहीं कर सकते हैं। मेरी जानकारी यह है कि पी. ए. सी. ने विचार के लिए जिन मांगों को रखा था, जो विभाग रखे थे उनमें से पर्यटन और आबकारी हटा दिया गया है। सदन के नेता को यह अधिकार नहीं है कि इन दोनों मांगों पर विचार करना ही विलोपित कर दें और कहें कि इन पर विचार नहीं किया जा सकता, न ऐसा पहले कभी हुआ है। इसके पीछे कारण हमें देखना पड़ेगा, यह कोई इग्नोरेंस से नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक विभाग आता था आबकारी विभाग जिसका नशाबन्दी से बहुत बड़ा सम्बन्ध है और नशाबन्दी के मामले को लेकर सरकार इतनी अपमानित व इतनी कलंकित हुई है।

श्री अध्यक्ष : नियम बतायें। पब्लिक अकाउन्ट कमेटी को अरेंज करना है कि कौनसी मांग आएगी, उसको चेंज करने का अधिकार यह नियम देता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बताना चाहिए कि आखिर इसको क्यों उड़ाया गया ?

श्री अध्यक्ष : उन कारणों में मत जाइये। कौन कौनसी मांगें ली जायगी वह तय करने का अधिकार पी. ए. सी. को है अलग से, वह नियम बतायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसी के बारे में निवेदन करूंगा लेकिन मैं अपने हिसाब में बता पाऊंगा। टाइम तो लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो लगेगा, मेरा निवेदन है कि आबकारी विभाग....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आप क्या कह रहे हैं। मैं पहले ही कह दूं कि आप क्या कह रहे हैं, ये दो विभाग विलोपित किये गए हैं, कोई भी कारण हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : कारण नहीं बताता हूं। मेरे कारण से शायद आप सहमत नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : No. No. We are not goiug into it. डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप बताइये, एक प्रोविजन है 143।

श्री भंवरलाल शर्मा : 143 पढ़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया है। पी. ए. सी. की सलाह मानें या नहीं मानें, नेता उसके लिए बाध्य नहीं हैं, सिर्फ उसको कन्सल्ट कर लिया। उसके बाद दोनों, सभापति के और सदन के नेता के दस्तखत हो गये कि ये दोनों विभाग विलोपित किये जायें, उसके बाद तय हुआ। इसमें नियम....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि आपने यह दिमाग बना लिया है कि जो व्यवस्था आपने दी है उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अगर आप समझने को ही तैयार नहीं हैं तो मेरे साथ न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : कानून में स्थिति स्पष्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कानून की स्थिति ही एक्सप्लेन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समय का सवाल है, इसके सिवाय मैंने सब किताबें देख लीं। कोई दूसरा नियम नहीं है, कोई दूसरा प्रोविजन नहीं है, कोई कॉन्सटीट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। सिर्फ यही है जो मैंने पढ़ लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : Why I should not be allowed to enlighten the House ?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद में कोई भी चर्चा हो नहीं सकेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप मेरी बात सुनेंगे तो अपने निर्णय को बदलेंगे और जो बिन्दू रह गए निर्णय के लिए उन पर निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष : समय का सवाल है। तो फिर कल डिस्कशन के लिए ले लेंगे। Tomorrow we shall have emple time to discuss all these matters, कल ले लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है कल के लिए पैंडिंग रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे समय बचाना है, कानून में स्थिति स्पष्ट है उसके बाद कहना चाहें तो कह दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं टाइम बचाना चाहता हूं। पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर, आज तक अलाउ किया नहीं, निकलेगा नहीं, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया है और आपने जो व्यवस्था दी है इसका मतलब वह व्यवस्था पैंडिंग हो गई।

श्री अध्यक्ष : रूलिंग पैंडिंग नहीं है, फाइनल है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिर पैंडिग क्या है?

श्री अध्यक्ष : पैंडिग यह है कि कोई माननीय सदस्य कानूनी मसले पर राय सदन में व्यक्त करना चाहें या मुझे एनलाइटन करना चाहें तो उनको उसकी पूरी छूट है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तो फिर आज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आज समय का सवाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जो समझता हूं वह यह कि आपने निर्णय दिया और फिर आपने अनुमति दी....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा मुझे सुन लिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : You very kindly allowed me.

श्री अध्यक्ष : मैं रीओपन करने वाला नहीं हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात सुन लेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : कल सुनेंगे। लेकिन सबजेक्ट टू देट रूलिंग, वह फाइनल है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : विष्णु प्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसके पश्चात् ही अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान उसको आता है। वह सोचता है कि अच्छा स्वास्थ्य रहने के अन्दर किस प्रकार फायदा है उसको कितना लाभ मिल सकता है। जब तक आदमी बीमार रहता है तब तक उसको अच्छे स्वास्थ्य का आनन्द नहीं आता है। आज, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ चल रहा है। नागरिकों को खाने पीने की कोई भी अच्छी और शुद्ध चीज नहीं मिल पाती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर फूड इन्सपैक्टर्स और अन्य अधिकारी नियुक्त करें। मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने फूड इन्सपैक्टर्स की पावर्स अपने पास खींच रखी हैं जिसके कारण राजस्थान भर में खाने पीने की चीजों

(श्री विष्णु प्रसाद बजारी)

की चैकिंग नहीं हो पाती है। इससे जनता बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि फूड इन्सपेक्टर्स की जो पावर्स चैकिंग की है वह जल्दी से जल्दी उन्हें दी जाय जिससे कि खाने पीने की चीजों की चैकिंग हो और नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा शुद्ध चीजें खाने की मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एक मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा कि आज कल हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति है कि उनके अन्दर सरकार की ओर से कहीं 50 बैड्स हैं या कहीं पर 100 बैड्स की गुन्जाइश है और कहीं पर 150 बैड्स की गुन्जाइश है लेकिन अक्सर होता यह है कि मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है। साथ ही अस्पताल को जो सरकार के द्वारा औषधि उपलब्ध करायी जाती है वह मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण स्टाफ को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। जनता डाक्टरों को गालियां सुनाती है। इसलिए सरकार को मेरा निवेदन है कि जहां 50 बैड्स या ज्यादा बैड्स हों वहां पर अधिक दवाइयां भेजी जायें क्योंकि कहीं पर 50 बैड्स हैं और 100 मरीज पहुंच गये या 150 मरीज पहुंच जाये तो उनको औषधि वितरण नहीं हो सकती है। इसकी सारी बदनामी वहां स्टाफ को उठानी पड़ती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मन्त्री से और सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अस्पतालों की उपस्थिति देखकर वहां पर मैडिसन आवंटित करने की व्यवस्था करावें, ताकि वहां के स्टाफ को सुविधा हो सके।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जहां आज छोटे छोटे गांव हैं वहां पर 8-10 किलोमीटर में कोई भी डिस्पेन्सरी नहीं है या सब सेन्टर नहीं है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करायें कि दो या तीन किलोमीटर पर ही डिस्पेन्सरी या सब सेंटर अवश्य हों ताकि वहां के नागरिक अधिकाधिक सुविधा ले सकें।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र ब्यावर एक औद्योगिक नगर है। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और मजदूर वर्ग के लोग अधिक हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां औद्योगिक क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान आप सन् 81-82 के बजट में अवश्य करें ताकि मजदूर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके।

बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज चार बजे चर्चा समाप्त होने वाली है इसलिए माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय आपने लम्बी इन्तजारी के बाद दिया। उसके उपरांत आपने ज्यादा न बोलने की पाबन्दी भी लगा दी है। मेरे पास बोलने को काफी सामग्री थी लेकिन मैं अब ज्यादा न बोल कर सिर्फ बांसवाड़ा क्षेत्र के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणी भाग है। विशेष तौर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां आबादी जगह जगह पर बिखरी हुई है। ज्यादा इलाका पहाड़ी है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें नहीं हैं और न ही कोई यातायात के साधन हैं। देश की आजादी के तीस साल बाद भी वहां के गरीब आदिवासी, पिछड़े लोगों के लिए कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और न ही वहां कोई आयुर्वेदिक अस्पताल ही है इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सब सैंटर और डिस्पेन्सरीज की ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी व्यवस्था करायें जिससे कि उन लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह नीति बनायी है कि जिस गांव की पांच हजार पापूलेशन हो वहां पर डिस्पेन्सरी खोली जाय और जहां पर तीन हजार की आबादी हो वहां पर एक सब सैंटर खोला जाय। इस प्रकार की आपकी नीति हमारे बांसवाड़ा के क्षेत्र में नहीं चल सकती है क्योंकि वहां पर आबादी पहाड़ों पर बिखरी हुई है। जो गांव पहाड़ पर बसे हैं वह 200–300 घरों की बस्ती वाले होते हैं। आपने एक तरफ तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से जन संख्या घटाई है और दूसरी तरफ आप पांच हजार की आबादी पर डिस्पेन्सरी खोलने की नीति अपना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का आपका कार्यक्रम है तो न जाने कितने वर्षों में जाकर वहां पर डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था हो सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए इस प्रकार की नीति में बदलाव करें। जो आपने पांच हजार की आबादी पर एक डिस्पेन्सरी और तीन हजार की आबादी पर एक सब सैंटर की योजना बनायी है उसको आप चेन्ज करें। क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो नसबन्दियां की जाती हैं उनसे हमारे यहां तो अस्पताल खुलेगा ही नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बांसवाड़ा जिले में आप पंचायत समिति स्तर पर डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान करें। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें मिल सकेंगी नहीं तो वहां जब कोई गांव में बीमार पड़ता है तो उसको बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता है। इस प्रकार उन लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकती हैं।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज बांसवाड़ा के गांवों के बीच में नदियां और नाले आ जाते हैं इसलिए

(श्री बहादुरसिंह)

गांवों में आने जाने का रास्ते नहीं हैं। ऐसी जगह पर आप पहले डिस्पेन्सरीज और सब सैन्टर खोलने की व्यवस्था करावें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवा खेड़ा, नाड़िया, जहापुरा और बाड़ी गांव ऐसे हैं जो कि पहाड़ों के बीच में हैं और वहां आदिवासी लोग बसे हुए हैं। वहां कोई सब सैंटर नहीं है। इसलिए वहां पर डिस्पेन्सरी और सब सैन्टर खोलकर लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

इसके अलावा आज बांसवाड़ा जिले में डाक्टरों की सख्त कमी है। कम से कम 40 डाक्टरों की कमी है, जिनमें पुरुष डाक्टर और लेडी डाक्टर दोनों ही हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है मरीजों को देखने के लिए वहां पर डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउण्डर्स की यह हालत है कि उनका वहां पर बहुत अभाव है तथा नर्सें तो वहां पर हैं ही नहीं। वहां पर जो दाइयां काम करती थीं वह ही नर्स बना दी गयी हैं। वह जानती कुछ नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं इस कारण किसी का इन्जेक्शन किसी के लगा देती हैं। दवाइयों की गोलियां भी किसी की किसी को दे देती हैं जिससे मरीज ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें करके बांसवाड़ा के लोगों के साथ अन्याय किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप बांसवाड़ा को राजस्थान का अंग नहीं मानते हैं। वहां पर अधिक मात्रा में आदिवासी लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसी कि आपकी सरकार की नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाय तो मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके अनुसार आप अगर कार्यवाही करें तब ही जाकर वहां के लोगों का विकास हो सकेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा डाक्टर और डिस्पेन्सरीज की व्यवस्था कराने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। उत्तर होगा सरकार की ओर से। मैंने पूर्व में ही प्रातःकाल ही निवेदन कर दिया था।

(व्यवधान)

कृपया थोड़ा नियमों को पढ़ा करें।

श्री चाव खां (कामां) : मुझे भी दो मिनट का समय दें....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुबह निवेदन कर दिया था। नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर दिया था। उसके बाद आप कह रहे हैं।

श्री चाव खां : ....न डिस्पेन्सरी है न न अस्पताल है....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा स्वास्थ्य और सफाई पर आज इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रकट किये और कई माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स के माध्यम से राज्य सरकार के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत किये। जिन माननीय सदस्यों ने सदन में विचार व्यक्त किये उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए दिए। मैं उनका बहुत आभारी हूं और अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वयोवृद्ध सदस्य माननीय राजबहादुर जी ने एक बात कही जो वास्तव में बहुत सही है पहला सुख निरोगी काया। जब तक स्वस्थ शरीर नहीं है तब तक जीवन व्यर्थ होता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे भी एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था कि राजस्थान में पर-केपिटा हम स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से क्या प्रबन्ध कर पाये हैं। उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान कम से कम नार्दर्न इन्डिया में तो इस दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है चाहे वह आर्थिक मूल्यांकन की दृष्टि से सोचें. चाहे उसमें यह देखें कि कितने हजार की जनसंख्या के ऊपर हम डाक्टर दे पाये हैं उसके ऊपर सोचें।

राजस्थान की स्थिति पंजाब के बाद, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं नार्दर्न इण्डिया में दूसरे नम्बर पर आती है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पापुलेशन रेश्यो के आधार पर आज 8158 लोगों के ऊपर हमने एक डाक्टर पहुंचाने की कोशिश की है। यह स्थिति हम और सुधारना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना में चाहते तो यह हैं कि हमारा यह लक्ष्य 5000 लोगों तक पहुंच जाता। लेकिन 1971 की सैन्सस को और फिगर्स को देखा जाये और जो प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में हैं लगभग 600 डाक्टरों को अपाइन्ट करके करना चाहते हैं तब तो वह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है लेकिन क्योंकि पापुलेशन बढ़ गई उस दृष्टि से यह लक्ष्य है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान हम आज तक कर पाये हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसा समय भी मिले कि हम कुछ अधिक प्रावधान इन सुविधाओं के लिए कर सकें तो और ज्यादा नीचे इस रेश्यो को ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पांच हजार का लक्ष्य हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में रहा है। जहां तक यह प्रश्न है कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा आल इन्डिया का फिगर आन एन एवरेज ...

श्री अध्यक्ष : मर्दुमशुमारी से सारे फिगर्स पर फर्क पड़ेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : ....फर्क पड़ेगा लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी है वह राजस्थान में ही नहीं बढ़ी है। और फिर अन्तर सभी जगह आयेगा। तब भी राजस्थान की वही स्थिति बनेगी जो अभी निवेदन करने जा रहा हूं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान में 15.71 रुपया प्रति व्यक्ति हमारा खर्च हो रहा है इस चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से और आल इण्डिया का एवरेज लगभग आता है 13 रुपया प्रति व्यक्ति। हमारे ऊपर केवल एक पंजाब है जिसका खर्चा 1976-77 में 15.66 था ...

श्री महाराम चौधरी : ग्रामीण क्षेत्र में कितना आता है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं अब निवेदन करूंगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बारे में। पंजाब का 15 66 सन् 1976-77 का फिगर है। हो सकता है वह फिगर अब 17 रुपया तक और 18 रुपया तक पहुंच गया होगा। यानि केवल एक राज्य पंजाब है जो राजस्थान से इस मामले में आगे है वरना राजस्थान की काफी अच्छी स्थिति नादर्न इण्डिया में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार जागरूक है इस दृष्टि से कि हम राजस्थान के लोगों को हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें धीरे-धीरे गांवों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने पूछा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात, तो मैं अब शहरी क्षेत्र की बात करता हूं। निश्चित बात है कि आज शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में केवल जयपुर वासियों का ही इलाज हो रहा है। यहां पर राजस्थान के कोने कोने से जो लोग आते हैं, चाहे वह गांव में रहने वाले हों या शहरों में रहने वाले हों, चाहे किसी भी जगह के रहने वाले हों, उनका ट्रीटमेन्ट यहां पर किया जाता है। यही स्थिति कोटा, जोधपुर, बीकानेर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या दूसरे हॉस्पिटल हैं। यह हॉस्पिटल जिन क्षेत्र में बनाये गये हैं वहीं के लिए वह सेवायें दें ऐसी बात नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से इसको नहीं आंका जा सकता और शहरी क्षेत्र में कितना खर्चा किया जा रहा है और गांवों में कितना किया जा रहा है आन दी होल स्टेट पर जो खर्चा हो रहा है वह मैंने आपको निवेदन किया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम कोई परिपूर्ण हो गए व्यवस्थाओं में और हमें आगे कुछ नहीं करना है। हमें बहुत कुछ काम राजस्थान की जनता को सहूलियतें पहुचाने के लिए करना है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो कुछ भी प्रसार इन सेवाओं के लिए किया जा रहा है, विशेषज्ञों की बात छोड़िये, स्पेशलिस्ट्स की बात छोड़िये लेकिन जो कुछ प्रसार किया जा रहा है वह हमारे देहातों में किया जा रहा है। गावई क्षेत्र के अन्दर किया जा रहा है। रूरल एरिया में भी किया जा रहा है लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब आवश्यकतायें इतनी नहीं रही जितनी कि गांवों में हैं। एक बात जरूर है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें ऐसी स्पेशलाइजेशन डवलप करें कि जो इतनी बड़ी बीमारियों के लिए चाहे वह किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में हों उनको उपचार के लिए और लाभ के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। दिल्ली नहीं जाना पड़े, बम्बई नहीं जाना पड़े और वह सुविधाए राजस्थान में ही सुलभ करा सकें। चाहे जयपुर में सुलभ करा सकें, चाहे जोधपुर में करा सकें या उदयपुर, अजमेर और कोटा में करा सकें। आज हमारे बड़े बड़े सेन्टर्स 5 हैं, पांच बड़े बड़े हॉस्पि-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

टल हैं जो कि मेडिकल कालेज के साथ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 'ए क्लास हॉस्पिटल हैं और दूसरे श्रेणी के हॉस्पिटल हैं वहां हम यह सेवायें उपलब्ध करना चाहते हैं जिससे राजस्थान के लोगों को कुछ सुविधायें सुलभ हो सकें और उसी दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे यह हॉस्पिटल्स गत वर्ष खुले हों या आगे आने वाले वर्ष में खुलने वाली डिस्पेन्सरीज हों, वह गांवई क्षेत्र में ही खुलने वाली हैं। शहरी क्षेत्र में गुंजाइश नहीं रही है....

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत थोड़े खोल रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। अन्त में पूछ लीजिए। आप कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री मोहनलाल मोदी : थोड़े खोल रहे हैं इसलिए ज्यादा खोलने का एश्योरेन्स दे दो।

श्री हीरालाल देवपुरा : . . . अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर माननीय सदस्य जो बोले हैं वह यह बोले हैं कि सुविधाओं की कमी है, डाक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी की बात कही, दवाइयों की बात कही है तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस दृष्टि से हम बिलकुल सजग हैं, जागरूक हैं कि जहां अस्पताल खुले हैं वहां डाक्टर पहुंचे। डॉक्टर की कुछ कमी है लेकिन अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित डॉक्टर उपलब्ध हुए हैं उन डाक्टरों में से, जो कि संख्या में 500 के लगभग हैं, अभी कुछ का पोस्टिंग किया जा चुका है और कुछ का करना है। मैं समझता हूं विद इन ए वीक हम काफी डिस्पेन्सरीज के अन्दर डाक्टर्स पहुंचाने में सक्षम हो जायेंगे हमारे सामने जो स्टाफ की कमी का जिक्र आया, हमारे यहां प्रशिक्षित लोगों की कमी है। अभी नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य, श्री राम रघुनाथ जी चौधरी कुछ ट्रेनिंग के बारे में कह रहे थे। हमने कोशिश की है हमारे यहां ट्रेनिंग सेन्टर खोले गये हैं कुछ नौजवानों को, हमारी कुछ बहिनों को प्रशिक्षित करें और प्रशिक्षित करके हमारे राजस्थान के अन्दर उनका उपयोग ले सकें। वे कह रहे थे कि आल-इण्डिया में उपयोग नहीं होता। हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि प्रशिक्षित होने के बाद किसी को बेकार रहने देने वाले नहीं हैं। हम प्रशिक्षण देकर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते कि राजस्थान के बाहर न जायं हमारे यहां के प्रशिक्षित लोग राजस्थान के बाहर सेवा करें, हमें बड़ी खुशी होगी। जो हमारा मूल उद्देश्य है प्रशिक्षण देकर के राजस्थान के अन्दर हम उनका उपयोग करें लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। उनकी कुछ कमियों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं खुद इस बात में क्या क्या इसमें कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से इनको मान्यता नहीं मिली, हमारा प्रयत्न रहेगा जो हमारे यहां ट्रेनिंग खुली है चाहे डिग्री कोर्स की हो, चाहे डिप्लोमा की हो, मान्यता मिलनी चाहिये। चाहे देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से दे दें वह मान्यता

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसको मिले, इस बारे में बराबर जागरूक रहेंगे और देखेंगे क्या कमियां कहां पर रह गई हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं वह दवाइयों की कमियों के बारे में कहीं उसके बारे में मैंने निवेदन किया था कि यह लम्बे समय से पेटर्न बना हुआ है। आज उस हिसाब से दवाइयों की पूर्ति नहीं हो सकती। इतना रश भी अस्पतालों में नहीं था लोग समझने लगे हैं काफी आने लगे हैं। निश्चित रूप से इस हिसाब से सरकार सोचेगी इस सुविधा को बढ़ाये, यह सुविधा भी लोगों को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां तक चिकित्सा का सवाल है उस दृष्टि से काफी काम किये हैं। चिकित्सा अपनी जगह पर महत्व रखती है लेकिन हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है बीमारी फैले उससे पहले उसकी रोकथाम हम क्यों न करलें। उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं और आगे कई ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे माननीय सदस्यों को विश्वास होगा। राज्य सरकार जहां चिकित्सा की दृष्टि से जागरूक वहां बीमारियों की रोकथाम के लिये भी उतनी ही जागरूक है, बीमारी न फैल पाये गांव गांव के अन्दर इस बारे में कुछ किया है। उस दृष्टि से उन फैसलों के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहूंगा, और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। चिकित्सा सम्बन्धी भी हैं और स्वास्थ्य सम्बन्धी भी हैं जिससे रोग आगे बढ़ न पाये या बचपन से ही ऐसे उपाय करेंगे ताकि उन उन बीमारियों का असर न हो सके। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से हमने एक बात सोची है। हमारे यहां मोबाइल सर्जिकल यूनिट है। मैं निवेदन कर देना चाहूंगा कि दूसरे किसी भी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। मोबाइल सर्जिकल यूनिट गांव गांव में जाकर अस्पताल की तरह बड़े बड़े आपरेशन्स करती हैं और जिस भी बड़े से बड़े भारत सरकार के अधिकारी ने इसको देखा है उन्होंने इसकी सराहना की है कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट यहां बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे पास उदयपुर में जो मेडिकल कालेज है इसके साथ मोबाइल सर्जिकल यूनिट एक और है। लेकिन अब हमने पांचों मेडिकल कालेज के साथ में यह व्यवस्था की है मोबाइल सर्जिकल यूनिट रहे। इसके अतिरिक्त हमने राजस्थान के 10 जिलों के अन्दर और व्यवस्था की है। इस प्रकार 15 यूनिट मिलकर सभी जिलों के अन्दर अपने अपने हिसाब से भ्रमण करें और वहां जाकर के 10-10 कैम्प कर लें और विशिष्ट सेवायें जो हमारे सर्जन्स हैं, हमारे फिजिशियन्स हैं हमारे पैडियट्रिक्स डाक्टर्स हैं या दूसरे डाक्टर्स हैं ये सब गांवों के अन्दर पहुंचे और गांवों में जाकर उन सेवाओं को उपलब्ध करा सकें यह व्यवस्था हमने की है। गांवों के अन्दर जहां कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट्स की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं वे स्पेशलिस्ट्स की सेवायें भी गांवों के अन्दर मिलनी प्रारम्भ हो जायेंगी। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक खास प्रोग्राम हाथ में लिया जाएगा; अन्धापन दूर करना। हमारे देश की नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अन्धापन जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

होता है किसी तरह रोका जाय। उस दृष्टि से राजस्थान के अन्दर इस प्रोग्राम को हाथ में लिया है और गांवों के अन्दर जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेण्टर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनमें से कुछ जगह सलेक्ट करके इस प्रकार के आपरेशन्स कराए जा सकें जो मेनली आपरेशन्स होते हैं मोतिया बिन्द के वह आपरेशन्स तो हों लेकिन ट्रकोमा जैसी बीमारी के लिये भी और इसके साथ दवाइयों की भी व्यवस्था कर सकें। गांवों के लोगों को लाभ मिल सके। ट्रकोमा के आपरेशन्स में ट्यूब दी जायगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जायगा, फ्री दी जायगी और गांव गांव में पहुंचाने की व्यवस्था करके इस चीज को दूर करने के लिये सोचा है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पांचों मेडिकल कालेज हैं पांचों मेडिकल कालेज में आई बैंक शुरू करने चाहिये और आई बैंक शुरू करने के बाद आंखों के लिये जो कोनियल ग्राफटिंग की जो बातें हैं ऐसी स्थिति भी हो उसको हम करके चलना चाहते हैं यह हमने निर्णय लिया है। इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया बालकों की दृष्टि से जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट्स हैं उन जगहों पर यह फैसला किया है, कि वे नियमित रूप से महीने में एक बार दो बार प्रोग्राम बनाकर स्कूलों में पहुंचें और विशेषतः आंखों का टेस्ट जरूर करें और यदि कहीं कमजोरी पाई जाय तो उसकी व्यवस्था करें उसकी नजर वहीं टिक सके। हम कोशिश यही करेंगे दान दाताओं के पास भी जायं और आप भी सहयोग करें। स्कूल में शुरू में ही देखें उनकी आंखें आगे खराब न होने पायें और उनको बचाया जा सके। इसी तरह से हमने हमारे कुछ अस्पतालों मे पैड्यट्रिक्स के डाक्टर्स लगा दिये हैं। कुछ पंचायत समितियों के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र उनमें से सिलेक्ट कर वहां कुछ पेडियाट्रिक्स के डाक्टर्स रखे हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि एक प्रोग्राम बनाकर गांवों के अन्दर जायं और गांव गांव जाकर बच्चों के बारे में जो उनको वैक्सीन लगाने चाहिये वे लगायें। चेचक का टीका हम लगाते हैं लेकिन पोलियो जैसी बीमारी, जिससे बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, रोकथाम के लिये एक लाख के पोलियो वैक्सीन भारत सरकार ने दिये हैं और वह वैक्सीन तीन बार करके लगायेंगे। इसका प्रबन्ध भी हमने किया है जिससे यह पोलियो की बीमारी न होने पाये, इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा विकलांग वर्ष है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान मे हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने जो रिहेबिलिटेशन सेन्टर बनाया है इस रिहेबिलिटेशन सेन्टर के लिये आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में जो रिहेबिलिटेशन सेन्टर हैं उसमें दूसरे नम्बर पर आता है–एक सेन्टर पूना वाला है जो हमसे आगे है और पहले नम्बर पर है लेकिन जिस गति से हम चल रहे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं अगले साल जब उसका असेसमेंट किया जायगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का यह रिहेबिलिटेशन सेन्टर प्रथम नम्बर पर पहुंचेगा। आज यह व्यवस्था केवल जयपुर के अन्दर कही हुई है। हमारे जो भाई अपंग

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हो गए हैं और जिनको पांव की जरूरत पड़ रही है उन लोगों की व्यवस्था के लिये है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : डा. सेठी....

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, हां, डा० सेठी को यह क्रेडिट जाता है, मैं मानता हूं-बिलकुल मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भारत सरकार ने उनको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यही नहीं मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं जो वालन्टरी आगे आकर अन्य एजेन्सियों के रूप में हमें योगदान देकर सहयोग कर रहे हैं और खर्चा उठाने के लिये तैयार हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी को भी जवाब देना है।

श्री हीरालाल देवपुरा : समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिहेबिलिटेशन सेन्टर का न्यूकिलियर हम आज पांच मेडिकल कालेजों में स्थापित करना चाहते हैं—जोधपुर में शुरू किया है, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर में भी हम शुरू करना चाहते हैं ताकि सभी क्षेत्रों में इसका लाभ मिल सके।

श्री राजबहादुर : मैंने कुछ पाइन्ट्स निवेदन किये थे.... ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा हूं, इसके साथ साथ एक इम्पार्टेंट बात और कहना चाहता हूं-कुष्ठ रोग निवारण के लिये कुष्ठ रोग निवारण चिकित्सा के लिये। एक अस्पताल जयपुर में है लेकिन इसकी जानकारी करने की दृष्टि से, और सर्वे करने की दृष्टि से और काम कर रहे हैं लेकिन हमें सर्वे के हिसाब से मालूम हुआ कुछ पाकेट्स भरतपुर में, अलवर में तथा डीग और लक्ष्मणगढ़ में बहुतायत में हैं। वहां का सर्वे किया गया तो वहां काफी मिले हैं। हमारे यहां एक सोसायटी है जो डेनिश गवर्नमेंट से स्पोन्सर्ड है। उन्होंने हमें आफर किया है और डीग के अन्दर वे इसका 50 बैड्स का अस्पताल का काम करने को तैयार है। डीग में हमने स्वीकृति दे दी है, जमीन भी दे दी है-अभी फिलहाल डीग में 50 बैड्स के लिये बनेगा। पहले दो सालों में तो वे इसको चलायेंगे उसके बाद राज्य सरकार को अपने-आप चलाने की बात है। लक्ष्मणगढ़ के लिये भी वे हमसे सहयोग करेंगे और लक्ष्मणगढ़ में इस प्रकार की व्यवस्था की बात की जायगी।

कैंसर के बारे में माननीय राजबहादुरजी ने कहा और एक बात कही कि उसके लिये पूरे साधन नहीं हैं। यह बात सही है कैन्सर जैसा रोग जो आज एक असाध्य रोग के रूप में माना जाने लगा है उसको साध्य बनाने के लिये भी हमारे प्रयत्न चल रहे हैं और हमारे जो फिजीशियन्स और सर्जन्स हैं वे इस काम को कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं वह नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 7 रीजनल सेन्टर कैन्सर के स्था-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पित करने की बात कही है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सात में से एक सेन्टर हम निश्चित रूप से राजस्थान के लिये लेंगे और कैन्सर से सम्बन्धित सारी तरह के उपचार करने की पूरी कोशिश करेंगे।

दूसरे यूरोलोजी का एक सेन्टर हमारे यहां बहुत बढ़िया डवलप हो गया है और मैं इस स्थिति को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपने टोन के रिसर्च के बारे में कही, वह भी हम देख रहे हैं और साथ ही साथ किडनी ग्राफ्टिंग जयपुर में शुरू किया है। कई लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो वे ठीक करा सकें, ग्राफ्ट करवा सकें। इस तरह मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने निवेदन कीं। मुझे मालूम है आयुर्वेद मंत्रीजी को कहना है। मुझे कहना तो बहुत था लेकिन समय की कमी है अत: मैं माननीय सदस्यों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं आपकी जो चिन्ता इस बात की है कि राजस्थान में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवायें सुचारू रूप से चलें, इस चिन्ता में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं कि आपने महत्वपूर्ण सुझाव इस विषय में दिये। अन्त में मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि चिकित्सा सेवाएं अच्छे ढंग से चले और इस सब में मैं आपके सहयोग की कामना करता हूं। इसी सहयोग के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अध्यक्ष महोदय, मांग करता हूं कि मांग संख्या 26 को पारित की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये।

श्री घासीराम यादव (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग के बारे में जो यहां चर्चा हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोटा जिले से आने वाले माननीय सदस्य दाऊदयाल ने 2-4 बातें जो रखी हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं...

अनेक माननीय सदस्य : आवाज साफ नहीं आ रही है।

(व्यवधान)

दूसरा माइक भी साथ में कर दें।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे बोलने की इजाजत दे दें क्या ?

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने 24-10-80 को किसी परिपत्र के द्वारा आयुर्वेद का नाम जो शाश्वत है, अच्छा नाम है एक परम्परागत चिकित्सा पद्धति रख दिया गया और यहां एक आयुर्वेद का सम्मेलन हुआ वैद्यों का उसमें भी यह बात रखी गई तो समाज ने और लोगों ने जो इसके प्रेमी थे उन सबने इसका विरोध किया। केन्द्रीय सरकार के मंत्री शंकरानन्द साहब ने भी यह कहा कि

(श्री घासीराम यादव)

इस पर विचार करेंगे और सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे-विज्ञान तो है ही, परम्परागत से अर्थ नहीं है। मैं भी सदन में यह बात कहना चाहता हूं उन लोगों ने इसका विरोध किया था। आयुर्वेद एक बहुत पुराना नाम है, अथर्ववेद पर आधारित पुराना व शास्वत नाम है और विज्ञान पर पूर्णतया आधारित है। परम्परागत चिकित्सा पद्धति में नाम लेने से तो एक ध्वनि निकलती है कि यह कोई विमान तो है नहीं। परम्परागत तरीके में तो जादू टोना करते हैं, तावीज देते थे भाड़ा भी लगाते थे। अतः यह बिलकुल गलत है और मैं समझता हूं आयुर्वेद नाम सही है। इसको परम्परागत चिकित्सा पद्धति कहना उतना ही खराब है जितना कि अंग्रेज यहां के रहने वालों की जो भाषा हिन्दी है वह है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से सेन्टर को इस तरह का पत्र लिखेंगे कि इसका नाम आयुर्वेद ही रखें।

दूसरा, दाऊदयालजी साहब ने एक महेन्द्रसिंह कनिष्ठ लिपिक है उसके बारे में चर्चा की थी....

श्री अध्यक्ष : इतनी बात कहकर फिर लिपिक पर आ गये, यह खराबी हो गयी।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : यह महेन्द्रसिंहजी का रखा है दाऊदयालजी ने उसका तो जवाब दूंगा....

(व्यवधान)

उन्होंने यह कहा एक क्लर्क 15-1-65 से 30-1-74 तक अनुपस्थित रहा और उसको नौकरी से हटा दिया गया था। उसके लिये कहा कि राज्य सरकार तनख्वाह दे रही है वह कायदे के खिलाफ दे रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह नियम है कि पांच साल से ज्यादा गैर हाजिर होने से स्वतः रूप से हट जाता है। आठ साल अनुपस्थित रहने के कारण इसको हटा दिया गया था और दाऊदयालजी की जो सरकार थी 16-6-79 को उस समय के अतिरिक्त निदेशक ने उसकी सिफारिश की और सिफारिश के बाद दुबारा रख लिया और मौजूदा सरकार उसको..

(व्यवधान)

क्या कहते हैं, बोलिये बोलिये, आप क्या कहते हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इसका विरोध करता हूं कोई भी सरकार हो ...

(व्यवधान)

गलत काम कोई नहीं करे, हम आलोचना करेंगे। मेरी सरकार करे या आपकी सरकार करे। गलत काम को गलत काम ही माना जायगा। मैं उसको भी गलत मानता हूं, अगर मेरी सरकार ने गलत किया है.... लेकिन उस गलती को आप ठीक करेंगे?

श्री घासीराम यादव : ये कहते हैं हमारी सरकार उसको दबाना चाहती है और उस आदमी को तनख्वाह देनी चाहती है। यह आदमी 8 साल से गैर हाजिर था और सन् 79 में जनता पार्टी की सरकार थी उस समय अतिरिक्त निदेशक महोदय ने सिफारिश की 16-6-79 को और 30-1-79 को जब जनता पार्टी की सरकार थी उसको नौकरी दे दी–उस समय की राज्य सरकार ने उसको नौकरी दे दी लेकिन हमारी भी आज सरकार है उसमें इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि जो तनख्वाह उसने पास करवाई है उस पीरियड की, वह न दी जाय। इसमें कार्यवाही जारी है और पूरे प्रयत्न जारी हैं। मौजूदा सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि इसको तनख्वाह न मिले....

(व्यवधान)

इसके अलावा जब यह मालूम पड़ा कि यह अजमेर में रहता है और जांच के कागजात देखता रहता है–जांच सही नहीं होने देता तो हमारी सरकार ने 12–2–82 को ट्रान्सफर करके उसको जयपुर भेज दिया। एक दाऊदयालजी साहब ने सवाल उठाया कि राज्य में अभी तक कुल 86 औषधालय खुले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं बाकी के 44 औषधालय नहीं खुले हैं वे भी 44 औषधालय 31 मार्च तक खुल जायेंगे ...

(व्यवधान)

आदेश जारी कर दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपका बजट भी उसी में हो जायगा क्या ?

श्री घासीराम यादव : एक बात दाऊदयालजी ने यह कही कि वन औषधियों के लिये जो उद्यान चल रहा है वह अच्छा नहीं चल रहा है। वहां के कर्मचारियों से उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। यह बात सही है और हम मानते हैं कि वे उस उद्यान की पूर्णतया सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके लिये राज्य सरकार प्रयत्न करेगी कि आवश्यक कर्मचारी और उन चीजों को जानने वाले कर्मचारी लगें ताकि उसका सही उपयोग हो सके–जिस उद्देश्य से जमीन दी है उसका उपयोग हो। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों के लिये भी कहा ...

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : यूनानी पद्धति को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घासीराम यादव : आप कोई सुझाव देंगे तो सरकार उसका स्वागत करेगी। कई कई बातों के बारे में दाऊदयालजी ने बताया था, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है और पिछली सब बातें मान ली गयी हैं। ये मामूली बातें हैं जो तय कर दी जायेंगी। इसके बारे में बजट — —

मुख बन्द प्रयोग

श्री अध्यक्ष : मैं मुखबन्द करके सभी चर्चा समाप्त करूंगा। आर्डर प्लीज। मैंने

(श्री अध्यक्ष)

घण्टी बजा दी थी पहले। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मांग प्रस्तुत की जा रही हैं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में ही मुखबन्द का प्रयोग कर दिया। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य नियमों का ध्यान रखें। मुखबन्द का प्रयोग हो गया। सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज।

मांग संख्या 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,79,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,62,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

158

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,83,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,50,53,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,13,97,000 रुपये तक की रशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,88,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,45,29,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 94,83,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,94,61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,08,47,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,66,71,000 रुपये

Page No.148

(152)

(श्री अध्यक्ष)

तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28—सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,80,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32—नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45,46,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35—विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,19,35,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,49,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44—लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री अध्यक्ष)

1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,82,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45–राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,98,77,000 रुपये तक की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,29,77,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 78,70,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49–स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवज़ा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,46,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

विधायी कार्य। माननीय मन्त्रीजी, बिल का पुरःस्थापन।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से....

श्री भंवरलाल शर्मा : आज तो बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(148)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 मार्च, 1981 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 4.46 बजे शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1981 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

---

(152)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 526 की सूची

सूची "क"

नागौर जिले के पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची ।

क्र० सं० 1	पशु चिकित्सा संस्था का स्थान 2	तहसील 3	पंचायत समिति 4
पशु चिकित्सालय			
1.	नागौर	नागौर	न०प०
2.	कुचेरा	,,	,,
3.	मूंडवा	,,	,,
4.	खींवसर	,,	मूंडवा
5.	लाडनूं	लाडनूं	न०प०
6.	डीडवाना	डीडवाना	,,
7.	जायल	जायल	जायल
8.	परबतसर	परबतसर	न०प०
9.	मकराना	परबतसर	,,
10.	नांवा	नांवा	,,
11.	मारोठ	,,	कुचामन
12.	कुचामन सिटी	,,	न०प०
13.	डेगाना	डेगाना	डेगाना
14.	हरसोर	,,	,,
15.	मेड़ता सिटी	मेड़ता	न०प०
16.	रियां	,,	रियां
17.	आलनियावास		
पशु औषधालय			
1.	देह	जायल	जायल
2.	सांजू	डेगाना	डेगाना
3.	रेंन	मेड़ता	मेड़ता
4.	छोटी खाटू	डीडवाना	डीडवाना
5.	खुड़ीकला	डेगाना	डेगाना
6.	अलाय	नागौर	नागौर

(149)

1	2	3	4
पशु स्वास्थ्य केन्द्र :–			
1.	मौलासर	डीडवाना	डीडवाना
2.	गौठन	मेड़ता	मेड़ता
3.	पीह	परबतसर	परबतसर
4.	इडवा		
5.	गच्छीपुरा		
6.	वासनी		
7.	लिचाणा		
8.	पाचोड़ी		
9.	नालोट	नांवा	
10.	भादवा	परबतसर	
11.	पालड़ी	डेगाना	

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 529 का आदेश

कार्यालय जिलाधीश (रसद) जयपुर, जिला जयपुर

क्रमांक : रसद/संस्था/81/264 दिनांक 20–2–81

—: आदेश :—

चूंकि श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध एक विभागीय जांच अपेक्षित/विचाराधीन है। अतः निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण व पुनर्विचार) नियम 1958 के नियम 13 के अधीन प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए उक्त श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, प्र०नि० को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

ह०/–
जिलाधीश, जयपुर

क्रमांक/रसद संस्था/81/265–67 दिनांक 20–2–81

प्रतिलिपि :—

1. खाद्य आयुक्त एवं सचिव, राजस्थान जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. जिला रसद अधिकारी, जयपुर।
3. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।
4. आदेश/गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

ह०/–
जिलाधीश, जयपुर

(53)

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 533 की सूची

प्रश्न के भाग एक की सूची

क्रमांक	नाम माह	कोटा जिले को आवन्टित गेहूं की मात्रा	कोटा नगर को आवन्टित गेहूं की मात्रा
1.	दिसम्बर, 80	1000 क्विन्टल	400 क्विन्टल
2.	जनवरी 81	900 क्विन्टल	—
3.	फरवरी, 81	3000 क्विन्टल,	—

प्रश्न के भाग 2 की सूची

(मात्रा क्विन्टल में)

क्रमांक	नाम तहसील	दिसम्बर, 80	जनवरी, 81	फरवरी, 81
1.	रामगंज मण्डी	300	900	1800
2.	सांगोद	50	—	—
3.	अन्ता	50	—	—
4.	किशनगंज	50	—	—
5.	शाहबाद	50	—	350
6.	छबड़ा	50	—	350
7.	छीपा बड़ौद	50	—	500
8.	कोटा शहर	400	—	—

155

305] परिशिष्ट–27 मार्च, 1981–परिशिष्ट

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न संख्या 534 की सूची

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

क्र०सं०	विभिन्न विषयों के नाम	प्रोफेसर	रीडर	व्याख्याता	सीनियर	डिपो.
1.	सूरोटोमी	2	2	3	5	
2.	फिजियोलोजी	2	3	2	8	
3.	वायोकेपिस्ट्री	1	1	2	4	
4.	फार्मालोजी	2	3	3	4	
5.	पैथोलोजी	1	4	5	11	
6.	माइक्रोवायोलोजी	1	1	3	4	
7.	पी० एस० एम०	2	3	2	7	
8.	मेडिसन	4	7	12	—	
9.	फारेन्सिक मेडिसन	—	1	1	6 (क्लीनिकल)	
10.	साइकट्री (मनोवैज्ञानिक)	1	1	4	—	
11.	सर्जरी (जनरल)	2	4	8	—	
12.	कार्डियक थोरेसिक सर्जरी	—	1	2	—	
13.	यूरोलोजी	1	1	2	—	
14.	प्लास्टिक सर्जरी	1	1	1	—	
15.	पेडियाट्रिक सर्जरी	1	1	3	—	
16.	न्यूरो सर्जरी	—	1	2	—	
17.	रेडियोथेरेपी	1	1	2	—	
18.	रेडियो डायग्नोसिस	1	1	3	—	
19.	ओरथोपेडिक	1	3	5	—	
20.	ई० एन० टी०	1	1	4	—	
21.	एनेस्थेसिया	1	4	8	—	
22.	दन्त चिकित्सा	1	1	3	—	
23.	चक्षु चिकित्सा	2	2	4	—	
24.	स्त्री एवं प्रसूति चिकित्सा	2	4	9	—	
25.	गर्भ एवं रतिरोग	1	1	2	—	
26.	वक्ष एवं क्षय रोग	2	1	3	—	
27.	पैडिट्रिक मेडिसन	1	2	4	—	
28.	फिजिकल एजूकेशन	—	—	1	—	
		35	56	103	49	

(158)

JAWAHAR LAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, AJMER

S. No.	Particulars	Sanctioned strength			
		Professor	Reader	Lecturer	Sr. Demons-trator
1.	Medicine	2	3	7	—
2.	Surgery	2	2	8	—
3.	Obst. £ Gyn.	1	4	6	—
4.	Paediatrics	1	2	3	—
5.	Opthalmology	1	1	2	—
6.	Orthopeadics	1	1	2	—
7.	Anaesthesia	1	1	4	—
8.	E. N. T.	—	1	2	—
9.	Rediology	1	2	2	—
10.	Psychiatry	—	1	2	—
11.	Skin & V. D.	—	1	2	—
12.	T. B & Chest Diseases	—	1	2	—
13.	Dentistry	—	1	2	—
14.	Anatomy	1	2	2	5
15.	Physiology	1	1	4	5
16.	Pharmacology	1	1	4	3
17.	Pathology	1	2	2	8
18.	P & S. M	1	2	5	4
19.	Biochemistry	1	1	1	2
20.	Forensic Medicine	—	1	1	2
Total		16	31	63	29

सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर

रिक्त पदों का ब्यौरा :

क्र० सं०	पद नाम एवं विशिष्ठता	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जिससे पद रिक्त हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
(1)	प्राध्यापक-21				
1.	शरीर रचना	1	–	–	
2.	शरीर क्रिया	1	1	8-8-80	
3.	जीव रसायन	1	1	25-1-81	
4.	भेषज विज्ञान	1	1	1-7-79	
5.	पैथोलोजी	1	–	–	
6.	माइक्रोबायलोजी	1	1	29-3-80	
7.	पी० एण्ड एस० एम०	1	–	–	
8.	मेडिसन	2	–	–	
9.	सर्जरी	2	–	–	
10.	गायनाकलोजी	1	–	–	
11.	नेत्र चिकित्सा	1	–	–	
12.	रेडियोलोजी	1	–	–	
13.	हड्डी जोड़ विभाग	1	–	–	
14.	ई० एन० टी०	1	–	–	
15.	शिशु रोग विभाग	1	–	–	
16.	टी० बी०	1	–	–	
17.	निश्चेतन विज्ञान विभाग	1	–	–	
18.	मानसिक रोग	1	–	–	
19.	दन्त चिकित्सा	1	–	–	
(2)	प्रवाचक-33				
1.	शरीर रचना विभाग	2	–	–	
2.	शरीर क्रिया विभाग	2	–	–	
3.	जीव रसायन विभाग	1	–	–	

1	2	3	4	5	6
	4. भेषज विज्ञान विभाग	1	–	–	
	5. पैथोलोजी	3	–	–	
	6. माइक्रोवायलोजी	1	–	–	
	7. पी० एण्ड एस० एम०	3	1	13-12-80	
	8. मेडिसिन	3	–	–	
	9. सरजरी	2	–	–	
	10. गायनाकलोजी	4	–	–	
	11. नेत्र चिकित्सा विज्ञान	1	–	–	
	12. हड्डी जोड़	1	–	–	
	13. रेडियोलोजी	1	1	3-2-81	
	14. चर्म रोग	1	–	–	
	15. शिशु रोग	2	–	–	
	16. टी० बी०	1	1	18-5-78	
	17. निश्चेतन विज्ञान	2	1	3-4-78	
	18. विधि चिकित्सा	1	–	–	
	19. मानसिक रोग	1	1	3-9-79	
(3) व्याख्याता–67					
	1. शरीर रचना	3	1	17-9-78	
	2. शरीर क्रिया विभाग	3	2	27-7-80,	16-9-80
	3. जीव रसायन विभाग	1	–	–	
	4. भेषक विज्ञान विभाग	3	1	19-2-80	
	5. पैथोलोजी	4	1	2-8-79	
	6. माइक्रोबाइलोजी	2	2	23-5-77,	28-9-79
	7. पी० एण्ड एस० एम०	1	1	26-6-79	
	8. मेडिसिन	8	3	22-4-80, 12-9-80	6-6-80
	9. सरजरी	8	1	18-5-79	
	10. गायनाकलोजी	6	1	4-11-80	
	11. नेत्र चिकित्सा विभाग	4	–	–	
	12. रेडियोलोजी	3	1	12-4-79	

7.59

1	2	3	4	5	6
13.	चर्म रोग विभाग	1	1	7-7-79	
14.	शिशु रोग विभाग	2	—	—	
15.	हड्डी जोड़ विभाग	2	—	—	
16.	मानसिक रोग	2	—	—	
17.	ई० एम० टी०	2	—	—	
18.	दन्त चिकित्सा	2	—	—	
19.	टी० बी०	1	—	—	
20.	विधि चिकित्सा	1	—	—	
21.	निश्चेतन विज्ञान	4	1	11-4-80	
22.	हैल्थ ग्राफिसर कम लेक्चरार इन पी०एस०एम०	1	—	—	
23.	हैल्थ एजू० एण्ड फेमिली प्लानिंग	1	—	—	
24.	स्टेटिक्स एण्ड डेमोग्राफी	2	1	मई, 1973	
25.	फार्मास्यूटिकल केमीस्ट एवं व्याख्याता फार्मेसी	1	—	7-1-77	

(4) वरिष्ठ प्रदर्शक—36

1.	शरीर रचना	4	—	—	
2.	शरीर क्रिया	6	—	—	
3.	जीव रसायन	1	—	—	
4.	भेषज विज्ञान	5	1	3-4-78	
5.	पैथोलोजी	11	3	2-8-79, 1-8-80, 1-8-80	
6.	माइक्रोबाइलोजी	4	3	17-2-79, 16-4-79 6-8-79	
7.	पी० एस० एम०	3	—	—	
8.	विधि चिकित्सा	2	2	1-10-79, 22-3-80	
9.				इन पदों (विधि चिकित्सा के विरुद्ध सी. ए. एस. डाक्टर कार्य कर रहे हैं।)	

Page No.160

(160)

1	2	3	4	5	6
(5) अन्य राजपत्रित पद					
1.	बायोकेमिस्ट	2	2	(क) 12-4-79 (ख) 16-3-80	
2.	रेडियोफिजिस्ट	1	—	—	
3.	सी०एम०एस०, उदरमिसर पी०एच०सी	1	—	—	
4.	लेडी हैल्थ आफिसर	1	—	—	
5.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1-9-79	
6.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—	—	
7.	पी. टी. आई.	1	1	28-3-80	
8.	लेखाधिकारी	1	—	—	
9.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	1	—	—	

SANCTIONED POSTS FOR THE MEDICAL COLLEGE, JODHPUR

S. No.	Name of Subject	Posts Professor	Reader	Lecturer	Sr. Demo.
1.	Anatomy	1	1	3	5
2.	Physiology	1	1	1	4
3.	Bio-Chemistry	1	1	1	3
4.	Pharmocology	1	1	1+1 (Chemist)	3
5.	P. S. M.	1	2	3	3
6.	Pathology	1	2	2	5
7.	Microbiology	1	1	1	3
8.	Medicine	2	2	6	—
9.	Surgery	2	3	5	—
10.	Gyn.	1	3	7	—
11.	Orthopadic	1	1	2	—
12.	Peaditric	1	2	3	—
13.	Opthomo.	1	2	1	(One Repreaknist)
14.	Radiology	1	1	3	—
15	TB	1	1	1	—
16.	ENT	—	1	2	—
17.	Forensic Medicine	—	1	1	2
18.	Psychiatry	—	1	3	(One Clinical Psyclognist)
19.	Dentistry	—	1	2	1
20.	Skin and VD	—	1	2	—
21.	Anaesthesia	1	1	5	—

—

(162)

ANNEXURE–I

NUMBER OF POSTS SANCTIONED AT MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR

Professor–19

1.	Anatomy	One
2.	Physiology	One
3.	Pharmacology	One
4.	Pathology	Two
5.	P S M	One
6.	Biochemistry	One
7.	Surgery	Two
8.	Medicine	Two
9.	Gynae	One
10.	Opthalomogy	One
11.	T B	One
12.	Paediatrics	One
13.	Anaesthesia	One
14.	Radiology	One
15.	Orthopaedics	One
16.	E N T	One

Readers–32

1.	Anatomy	Two
2.	Physiology	Two
3.	Biochemistry	One
4.	P S M	One
5.	Pharmacology	One
6.	Pathology	Four
7.	Surgery	Three
8.	Medicine	Three
9.	Gynaecology	Three
10.	T B	One
11.	Opthalomogy	Two
12.	Orthopaedic	One

13.	E. N. T.	One
14.	Anaesthesia	One
15.	Radiology	One
16.	Paediatrics	One
17.	Psychiatry	One
18.	Forensic Med.	One
19.	Skin & VD	One
20.	Dentistry	One

Lecturers-73

1.	Anatomy	Three
2.	Physiology	Three
3.	Biochemistry	One
4.	Pathology	Six
5.	Pharmacology	Two
6.	P. S. M.	Four
7.	Biophysics	One
8.	Pharmaceutical Chemist Cum Lecturer in Pharmacy	One
9.	Surgery	Five
10.	Medicine	Seven
11.	Gynaecology	Six
12.	Opthalmology	Four
13.	Paediatrics	Four
14.	T. B.	One
15.	Orthopadics	Three
16.	E. N. T.	Two
17.	Anaesthesia	Five
18.	Radiology	Four
19.	Radiative Physics	One
20.	Dentistry	Two
21.	Forensics Medicine	One
22.	Phychiatry	Two
23.	Skin and VD	Two

(169)

24.	Lect. in Health Election and FW	One
25.	Lect. in Stat. and Demography	One
26.	Paediatrics	One

Senior Demonstrator-35

1.	Anatomy	Four
2.	Physiology	Six
3.	Biochemistry	One
4.	Pharmacology	Three
5.	Pathology	Fifteen
6.	P. S. M.	Four
7.	Forensic Medicine	Two

165

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

क्र. सं.	खाली पदों के नाम व संख्या		कब से व क्यों
1	2		3
1.	रीडर, पेडियाट्रिक सर्जरी	1	यह पद 4-4-79 को सृजित हुआ था, तब से रिक्त है। इस पद पर राज्य सरकार ने डा. आर. एस. माथुर रीडर सर्जरी को लगा रखा है।
2.	व्याख्याता, मेडिसिन	2	(1) डा. कुनाल कोठारी के दि० 5-11-80 से विदेश जाने से रिक्त है। (2) डा. अशोक पनगडिया के चंडीगढ़ डी.एम. न्यूरोलोजी करने हेतु जाने से दिनांक 18-1-81 से रिक्त है।
3.	व्याख्याता, सीईकेट्री	2	दो पद सी. ए. एस. एवं ट्यूटर के व्याख्याता में परिवर्तित किये जाने से दिनांक 27-2-79 से रिक्त है।
4.	व्याख्याता-स्त्री एवं प्रसूति	2	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. (102) एमई/79/ग्रुप-1 दिनांक 22-1-81 के द्वारा 3 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई थी, परन्तु उनमें से एक ने ही कार्यभार ग्रहण किया है।
5.	व्याख्याता, स्किन एवं वी. डी.	1	व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति की गई थी, परन्तु किसी ने कार्य ग्रहण नहीं किया है।

1	2		3
6.	व्याख्याता, वक्ष एवं क्षय रोग	2	एक पद डा. पी. के. गुप्ता के रीडर के पद पर पदोन्नत होने से दिनांक 11-9-80 से रिक्त है। एक पद सी.ए.एस. ट्यूटर के पद व्याख्याता के पद में परिवर्तित होने से दिनांक 27-2-79 से रिक्त है।
7.	व्याख्याता, फिजिकल एजूकेशन एवं मेडिकल रिहेबिलिटेशन	1	डा. जे. पी. बगर हट्टा के विदेश जाने से दिनांक 30-12-80 से रिक्त है।
8.	व्याख्याता, कार्डियोथोरोसिक सर्जरी	1	डा. रमाकान्त कल्ला लाल सक्सेना, व्याख्याता सर्जरी इस पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।
9.	व्याख्याता, यूरोलोजी	2	पद राज्य सरकार के ग्रादेश, संख्या एफ। (102) एमई/77/ ग्रुप–1 दिनांक 15-12-80 के द्वारा सृजित हुए हैं। एक पद के विरुद्ध डा. डी. एन. कल्ला, व्याख्याता, सर्जरी विभाग कार्य कर रहे हैं।
10.	व्याख्याता, पेडियाट्रिक सर्जरी	1	यह पद दिनांक 27-2-79 से रिक्त है। इस पद के विरुद्ध डा. डी. के. कासलीवाल, व्याख्याता, सर्जरी कार्य कर रहे हैं।
11.	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एवं व्याख्याता फार्मेसी	1	यह पद डा. ग्रार. एस. गम्भीर के ग्रध्ययन ग्रवकाश पर चले जाने के कारण दिनांक 11-1-81 से रिक्त है।

1	2		3
12.	सीनियर डिमांस्ट्रेटर, फार्माक्लोजी	2	डा. एम. सी. शर्मा की राज्य सेवा त्याग पत्र देने के कारण दिनांक 7-7-80 से रिक्त है। डा. आर. एस. गम्भीर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एवं व्याख्यांता, फार्मेसी के पद पर नियुक्ति होने के कारण यह पद दिनांक 25-9-80 से रिक्त है।
13.	फोरेंसिक मेडिसन	6	इन पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27-2-79 को हुआ था, तब से रिक्त है। इन पदों के विरुद्ध निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर ने 4 सी. ए. एस. को लगा रखा है।

168

Annexure-II

JAWAHAR LAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, AJMER

STATEMENT OF VACANT POSTS :

S. No.	Name of post	Reasons
1.	Professor 1 Biochemistry	Dr. P.K. Sharma, Professor in Biochemistry relieved in the A/N of 27-12-80 on Foreign Assignment to Iraq vide Govt. order No. F. 17 (442) ME/63 dated 18-12-80.
2.	Reader 4	
	(i) Anatomy	Vacant since creation vide Govt order No. F. 18 (11) ME/79 dt. 9-4-79.
	(ii) Dentistry	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 18 (106) ME/77 dt. 3-4-78.
	(iii) T. B. & Chest Diseases	Due to transfer and promotion of Dr. R. B. Singh, at Medical College, Jodhpur vide Govt. order No. F. 1 (37) ME/Gr. I/dated 15-?-78 and relieved on 20-5-78 Dr. J. P. Jhamaria, Reader in T. B. & Chest posted vide Govt. order No. F. 1 (28) ME/77 dt. 13-9-79 but not joined his duties so far.
	(iv) Rediology	Due to transfer of Dr. N. C. Sharma at Medical College, Udaipur vide Govt. order No. F. 1 (33) ME/Gr. I/dated 30-12-78 and relieved on 11-1-79 A N.
3.	Lecturer	
	(i) Statistics and Demographer	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 14 (19) ME/79 dt. 5-5-73.

S. No.	Name of post	Reasons
(ii)	Physiology	Due to transfer and promotion of Dr Manoo Jain at Medical College, Jaipur vide Govt. order No. F. 1 (101) ME/80 dt. 10-9-80 and relieved in the A/N of 26-9-80.
(iii)	Biochemistry	Due to transfer and promotion of Dr. Nisha Khalsa at Medical College, Jodhpur vide Govt. order No. F. 1 (35) ME/78/Gr. I dt. 17-2-81 and relieved in the A/N of 18-2-81.
(iv)	Skin & V. D.	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 8 (5) ME/77/Gr. I dt. 27-2-79.
(v)	Skin & V. D.	Due to transfer of Dr. J. G. Arora at M. B. S. Hospital, as Junior Specialist, vide Govt. order No. F. 1 (17) MPH/80/Gr. II dt. 22-8-80 and relieved in the A/N of 28-10-80.
(vi)	Dentistry	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 6 (5) ME/77/Gr. I dt. 27-2-79.
(vii)	T. B. & Chest	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 6 (5) ME/77 dated 27-2-79.
(viii)	T. B. & Chest	Due to transfer of Dr. V. S. Sharma at Medical College, Jaipur vide Govt. order No. F. 1 (52) ME/78 dt. 25-6-79 and relieved in the A/N of 2-7-79.
(ix)	Ophthalmology	Due to transfer of Dr. G. S. Rathore, at Medical College, Bikaner vide Govt. order No. F. 1 (90) ME/80 dt. 12-9-80 and relieved in the A/N of 25-9-80.

S. No.	Name of post	Reasons
(x)	Pharmacy & Pharmaceutical Chemist	Vacant since creation, vide Govt. Order No. F. 18 (7) ME/75 dated 14-5-75.
(xi)	Pharmacist	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 1 (14) MPH/66 dt. June, 1966.
(xii)	Phycisit	Vacant since creation vide Govt order No. F. 18 (106) ME/78 dt. 3-4-78.
(xiii)	Pharmacology	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 18 (11)/79 dt. 9-4-79.
4.	**Senior Demonstrators 4**	
(i)	P. & S. M.	Vacant since creation vide Govt. order No. F. 18 (1) ME/79 dated 9-4-79.
(ii)	Anatomy	Due to transfer of Dr. Taranjet Arora at Medical College, Jaipur vide Govt. order No. F. 1 (5) ME/80 dt. 21-1-81 and relieved in the A/N of 22-1-81
(iii)	Forensic Medicine	Vacant since creation, vide Govt. order No. F. 8 (5) ME/77 dated 27-2-79.
(iv)	Forensic Medicine	Vacant since creation, vide Govt. order No. F. 6 (5) ME/77 dated 27-2-79.

171

ANNEXURE-II

Number of posts lying vacant at Medical College, Jodhpur

S. No.	Name of post	Number of posts	Date from which post is lying vacant
1.	**Reader**		
	1. P S M	1	17-11-1978
	2. Gyna.	1	1-9-1980
	3. T B	1	3-3-81
	4. Skin and VD	1	3-7-79
	5. Anaesth.	1	20-8-1978
2.	**Lecturer**		
	1. Pharmoology	1	17-10-80
	2. Pharma. Chemist cum Lecturer in Pharmacy	1	13-5-80
	3. Pathology	1	1-4-79
	4. Microbiology	1	14-2-1980
	5. Gyna.	1	6-2-1981
	6. Radiation Physics	1	1-4-79
	7. T B	1	27-2-79
	8. Psychiatry	1	23-6-80
	9. Skin and VD	1	27-2-79
	10. Anaesthesia	1	1-10-78
3.	**Sr. Demonstrator**		
	1. Anatomy	1	14-10-80
	2. P S M	1	1-4-79
	3. Forensic Medicine	2	27-2-79

On the following posts, posting orders has already been issued but doctors are not joined :-

1. Reader in Pathology.
2. Sr. Demonstrator in P.S M.
3. Sr. Demons. in Physiology.
4. Sr. Demons. in Pharmacology.

(173)

ANNEXURE-II

STATEMENT OF VACANCY AT RNT MEDICAL COLLEGE, UDAIPUR

A. Professor Nil

B. Readers Four

1. Reader in Anatomy	One	1-8-1980	Due to retirement
2. Reader in Orth.	One	13-9-80	Due to transfer
3. Reader in Anaes.	One	8-9-79	Due to death
4. Reader in Dentistry	One	3-4-79	Since creation

C. Lecturers 20

1. Lect. in Phy.	One	15-9-80	Due to promotion
2. Lect. in Pathology	Two	12-7-78 27-9-80	Due to transfer
3. Lecturer in P S M	Two	17-11-78	Since creation
4. Lecturer in Surgery	One	15-8-80	Due to resignation
5. Lect. in Medicine	One	4-3-80	Due to resignation
6. Lect. in Optho.	One	15-12-80	Newly created
7. Lect. in Paediatrics	One	15-12-80	Newly created
8. Lect. in T B	One	4-9-75	Due to promotion
9. Lect. in Ortho.	One	15-12-80	Newly created
10. Lect. in Anaes.	One	27-2-79	Newly created
11. Lect. in Radiology	One	14-2-80	Due to transfer
12. Lect. in Radiation Physics	One	15-12-80	Newly created
13. Lect. in Psychiatry	Two	11-5-80 4-9-80	Due to transfer Due to transfer
14. Lect. in Skin & VD	Two	27-2-79 28-8-79	–do– –do–

(75)

15. Lect. in Stat. & Demography	One	29-3-73	Since creation
D. Senior Demonstrator 6			
1. Sr. Demons. in Anatomy	One	22-9-79	Posted but not joined
2. Sr. Demons. in Pathology	Two	24-8-79	Due to transfer
		17-9-80	–do–
3. Sr. Demons. in P S M	Two	4-9-78	Due to promotion
		5-2-80	Due to resignation
4. Sr. Demons. in Forensic Medicine.	One	27-2-79	Since creation.

———

175

सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

कक्षा	संख्या	विषय
प्रथम सेमेस्टर	174	एनोटोमी, फिजियोलोजी एवं बायोकेमेस्ट्री
तृतीय ,,	155	,, ,, ,,
तृतीय सेमेस्टर (रिमाण्डेड)	12	,, ,, ,,
चतुर्थ ,,	126	फार्माक्लोजी, पैथोलोजी एवं फोरेंसिक मेडिसन
सप्तम् ,,	132	,, ,, ,,
नवम् ,,	148	मेडिसन, सर्जरी, ओपथमोलोजी, पी.एस.एम. ग्यनोक्लोजी ।
नवम् ,, (रिमाण्डेड)	50	,, ,, ,,

स्नाकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या

एम. डी. (मेडिसन)	53	मेडिसन
एम. डी. (पैडियाट्रिक)	20	पैडियाट्रिक
एम. डी. (क्षय रोग)	11	क्षय रोग
एम. डी. (पी. एस. एम.)	7	पी. एस. एम.
एम. डी. (एनेस्थेसिया)	16	एनेस्थेसिया
एम. डी. (फार्माक्योलोजी)	1	फार्माक्योलोजी
एम. डी. (पैथोलोजी)	12	पैथोलोजी
एम. डी. (बायोकेमिस्ट्री)	1	बायोकेमिस्ट्री
एम. डी (रेडियोलोजी)	11	रेडियोलोजी
एम. डी. (साईक्रेट्रीक)	2	साईक्रेट्रिक
एम. एस. (सर्जरी)	41	सर्जरी
एम. सी. एच. (पैडि. सर्जरी)	4	पैडियाट्रिक सर्जरी
एम. सी. एच. (जी. यू. सर्जरी)	4	गेनिरोयूरीनरी सर्जरी
एम. एस. (ग्यानि. एण्ड ओब्स्टीक)	32	ग्यानिक्स एण्ड ओब्टसीक
एम. एस. (चक्षु)	15	चक्षु विज्ञान

एम. एस. (ईएम. टी.)	10	नाक कान व गला
एम. एस. (ओर्थोपेडिक)	16	ओर्थोपेडिक
एम. डी. (फिजियोलोजी)	7	फिजियोलोजी

डिप्लोमा कोर्स

डी. टी. सी. डी.	4	डी. टी. सी. डी.
डी. पी. एच.	7	डी. पी. एच.
डी. ए.	4	डी. ए.
डी. जी. ओ.	7	डी. जी. ओ.
डी. एम. आर. डी.	4	डी. एम. आर. डी.

177

ANNEXURE-III

Number of students studying in M. B. B. S. at Medical College, AJMER

Ist M. B. B. S.	Semester–I	105
	Semester–III	91
IInd M. B. B. S.	Semester–IV	101
	Semester–VII	107
Final M. B. B. S.	Semester–IX	130
	Total	534

संलग्न संख्या–3

इस महाविद्यालय की विभिन्न विषयों की कक्षाओं में कुल 685 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

क्र०सं०	विषय का नाम		छात्रों की संख्या
	स्नातक पाठ्यक्रम		
(1)	एम० बी० बी० एस०		594 (100 प्रति वर्ष)
	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
1.	एम० डी० फार्माकोलोजी	2	68
2.	एम० डी० पी० एस० एम०	2	
3.	एम० डी० पैथोलोजी	4	
4.	एम० डी० मेडिसिन	14	
5.	एम० डी० एनेस्थेसिया	5	
6.	एम० डी० रेडियोडाईग्नोसिस	2	
7.	एम० डी० रेडियो थिरेपी	3	
8.	एम० डी० पैडियाट्रिक	5	
9.	एम० एस० सर्जरी	11	
10.	एम० एस० गायनाकोलोजी	8	
11.	एम० एस० आपथलमोलोजी	4	
12.	एम० एस० आर्थोपेडिक्स	4	
13.	एम० एस० ई० एन० टी०	4	
	योग	68	
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम		23
1.	डी० ए०	3	
2.	डी० एम० आर० डी०	6	
3.	डी० सी० एच०	6	
4.	डी० सी० पी०	3	
5.	डी० टी० सी० डी०	5	
	योग	23	
		योग	685

ANNEXURE–III

Number of students studying in various subjects at S. N. Medical College, Jodhpur

1.	M. B. B. S. Course	423
2.	**Post Graduate Courses**	
	1. Anatomy	2
	2. Surgery	21
	3. Opthomology	5
	4. Gyna.	13
	5. Orthopaedic	6
	6. Physiology	1
	7. Pathology	8
	8. Medicine	20
	9. P. S. M.	1
	10. Paeditric	9
	11. Anaesthesia	7
	12. Radio diagnosis	4
	13. Pharmacology	1

ANNEXURE–III

Number of students studying in various subjects at Medical College, Udaipur

Subjects		Number of students
1. Anatomy	)	
2. Physiology	)	200+33 = 233 Ist to IIIrd Semester
3. Bio-Chemistry	)	
1. Pharmacology	)	
2. Pathology	)	87+102 = 189 IVth to VIth Semester
3. Forensic Medicine	)	
1. Medicine and allied subjects	)	
2. Surgery and allied sub.	)	
3. Obst. and Gyna.	)	87+102+101+45 = 335 VIth to IXth Semester.
4. Opthalmology	)	
5. Pre. and Social Medicine.	)	

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न 238 की सूची

सूची 'क'

जयपुर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की सूची जो अपने निजी मकान होते हुए भी राजकीय मकानों में रहते हैं—

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	विशेष विवरण
1–	श्री के. एन. मार्ग, आई. ए. एस.	हरिशचन्द्र मायुर, राजकीय लोक प्रशासन संस्थान के केम्पस में निदेशक के लिये आरक्षित (Ear-marked) मकान है।
2–	श्री जी. पी. पिलानिया, आई. पी.एस.	उप महानिरीक्षक पुलिस के लिये आरक्षित मकान है।
3–	श्री वीरेन्द्र सिन्हा, आई. पी. एस.	प्रिंसिपल, राजस्थान पुलिस अकादमी के लिए आरक्षित मकान है।
4–	श्री जी. के. भनोत, आई. ए. एस.	अस्थाई रूप से आवंटित किया गया है।
5–	श्री वी. एन. चतुर्वेदी, आई.ए.एस.	अस्थाई रूप से आवंटित किया गया है।

सूची–ख

जयपुर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की सूची जिन्होंने अपने मकान राज्य सरकार/राजकीय उपक्रमों को किराये पर दे रखे हैं —

क्रम सं.	नाम अधिकारी	राजकीय विभाग / उपक्रम का नाम जिसको किराये पर दे रखे हैं।	किराया
(1)	(2)	(3)	(4)
1–	श्री एम. एम. के वली आई. ए. एस.	राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को।	रु. 2000 प्रति माह
2–	श्री उम्मेदसिंह आई. ए. एस.	राजस्थान भूमि विकास निगम को।	मकान का आधा भाग रु. 810-50 प्रति माह
3–	श्री आर. डी. गुप्ता आई. ए. एस.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को।	रु. 1500 प्रति माह
4–	श्री राजेन्द्रपालसिंह आई. ए. एस.	सार्वजनिक निर्माण विभाग को।	रु. 2500 प्रति माह
5–	श्री जे. एन. आर. गौड़ आई. ए. एस.	सिंचाई विभाग को (7 मार्च, 1981 से)	ग्राउण्ड फ्लोर, किराया अभी तय नहीं हुआ है। (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये फेयर रेन्ट असेसमेन्ट के आधार पर रु 1882 प्रति माह किराया तय होने की संभावना है)
6–	श्री जी. रामचन्द्र आई. ए. एस.	जिला सैनिक बोर्ड को।	मकान का एक भाग रु. 700 प्रति माह
7–	श्री जी. पी. पिलानिया आई. पी. एस.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को।	रु. 1650 प्रति माह

(1)	(2)	(3)	(4)
8–	श्री सुरेन्द्र शर्मा आई. पी. एस.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम को।	रु. 1320 प्रति माह
9–	श्री एम. एम. महर्षि आई. पी. एस.	राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन को।	रु. 2600 प्रति माह
10–	श्री प्रद्युम्न कुमार आर. ए. एस.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को।	रु. 2100 प्रति माह
11–	श्री सतीशचन्द्र शर्मा आर. ए. एस.	राजस्थान लघु उद्योग निगम को।	रु. 1700 प्रति माह
12–	श्री के. एन. गुप्ता आर. ए. एस.	आबकारी विभाग को।	मकान का एक भाग रु. 600 प्रति माह

——

परिशिष्ट—6

तारांकित प्रश्न संख्या 290 की सूची

जोधपुर खण्ड में स्वीकृत पदों की/भरे गये पदों की एवं रिक्त पदों की सूची

क्र०सं०	नाम पद	सीधी भर्ती सामान्य वर्ग स्वीकृत पद	सीधी भर्ती सामान्य वर्ग भरे गये पद	सीधी भर्ती सामान्य वर्ग रिक्त पद	सीधी भर्ती आरक्षित पद स्वीकृत पद	सीधी भर्ती आरक्षित पद भरे गये पद	सीधी भर्ती आरक्षित पद रिक्त पद	पदोन्नति द्वारा सामान्य वर्ग स्वीकृत पद	पदोन्नति द्वारा सामान्य वर्ग भरे गये पद	पदोन्नति द्वारा सामान्य वर्ग रिक्त पद	पदोन्नति द्वारा आरक्षित वर्ग स्वीकृत पद	पदोन्नति द्वारा आरक्षित वर्ग भरे गये पद	पदोन्नति द्वारा आरक्षित वर्ग रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	कनिष्ठ लेखाकार	2	–	2	2	–	2	4	7	–	2	–	2
2.	पर्यवेक्षक	4	4	–	2	1	1	9	12	–	4	–	4
3.	वरिष्ठ लिपिक	–	–	–	–	–	–	15	11	4	5	1	4
4.	कनिष्ठ लिपिक	106	90	16	40	6	34	11	8	3	5	2	3
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्म०	106	99	7	40	29	11	–	–	–	–	–	–

नोट :–(1) कार्य की अधिकता के कारण कनिष्ठ लेखाकार का एक पद साधारण वर्ग के प्रत्याशी को पदोन्नत कर भरा गया है। क्योंकि आरक्षित पदों हेतु पदोन्नत योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे।

(2) पर्यवेक्षक के कुल आरक्षित 6 पद हैं जिसके विरुद्ध 1 पदोन्नति की गई है। शेष पांच पदों हेतु नियमानुसार आरक्षित पदों के लिए योग्य प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे।

कृषि उपज मण्डी समिति कर्मचारी सेवा नियम 5–2–76 से प्रभावशील हुए हैं एवं आरक्षण के नियम वर्ष 1971 से प्रभावशील हुये हैं। मण्डी समितियां 1963–64 से कार्यरत हुई थीं। अतः 1971 से पूर्व में की गई नियुक्तियों में आरक्षित पद नहीं रखे गये थे। कार्य की अधिकता से 2 पद साधारण वर्ग के प्रत्याशियों की पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं।
वरिष्ठ लिपिक के कुल पांच आरक्षित पदों के विरुद्ध एक पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है। शेष चार पद उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने से रिक्त पड़े हैं।

कनिष्ठ लिपिक के 37 एवं चतुर्थ श्रेणी के 11 पद आरक्षित प्रत्याशियों हेतु रिक्त पड़े हैं। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1977–78 में परीक्षा आयोजित की गई थी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त परीक्षा निरस्त किये जाने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

परिशिष्ट—7

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

डिप्लोमा इंजीनियर्स की सेवा शर्तें

537. **श्री छोगाराम बाकोलिया** (रेवदर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डिप्लोमा इंजीनियर्स की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 1973 के बाद परिवर्तन किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डिप्लोमा इंजीनियर्स का भर्ती प्रतिशत उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए 40% व पदोन्नति का प्रतिशत 1 : 1 से घटाकर 1 : 3 किया गया है ?

(3) डिप्लोमा इंजीनियर्स के सभी पदों पर कितने लोगों की पदोन्नति रुकी हुई है ? कृपया कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के पदों पर रुके हुए ऐसे अभियन्ताओं की पृथक-पृथक संख्या सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) विद्युत मंडल में डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स की पदोन्नति के कोई अलग से पद नियत नहीं है, अपितु सहायक अभियन्ता वर्ग के पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर डिप्लोमा व डिग्रीधारी इंजीनियरों को 1 : 3 के अनुपात से पदोन्नत किया जाता है। अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद सहायक अभियन्ता के वर्ग से भरे जाते हैं। जिसमें डिप्लोमा व डिग्री होल्डर इंजीनियर्स का पृथक-पृथक अनुपात निर्धारित नहीं है। ऐसे 11 डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को, जो वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति के पात्र हैं, उनके विरुद्ध विभागीय जांच चलने या उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण, पदोन्नत नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए किसी भी एलिजेबल डिप्लोमाधारी सहायक अभियन्ता को पदोन्नति से नहीं रोका गया है। मण्डल के नियमानुसार डिप्लोमाधारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एलिजेबल नहीं है।

जिला अजमेर में उत्पादित फसलों आदि के संरक्षण हेतु की गई व्यवस्था

538. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में मई-जून, 1978 से लगातार अप्रेल, 1980 तक किसानों द्वारा उत्पादित फसलों अथवा फल फूलों के पेड़-पौधों को बीमारियां हुई थीं अथवा कीटाणु लगे थे ? यदि हां, तो क्या क्या बीमारी हुई, अथवा कौन-कौन से कीटाणु लगे ?

(2) जिला अजमेर के कितने क्षेत्र में होने वाले उत्पादन में से, कितने क्षेत्र में

187

(श्री कैलाश मेघवाल)

इनकी पहचान की जाकर पौध संरक्षण औषधियों अथवा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कराया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने किसानों को सहयोग हेतु इन बीमारियों पर विजय पाने अथवा कीटाणुओं को मारने हेतु पौध संरक्षण औषधियों अथवा कीटनाशक दवाइयों को खरीदने हेतु अनुदान दिया था ?

(4) किस-किस पौध संरक्षण औषधि अथवा कीटनाशक दवा हेतु कितना कितना अनुदान दिया गया था ? वे किस किस फर्म से कितनी कितनी मात्रा से खरीदी गयी थी तथा उनका कहां कहां वितरण किया गया था ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। अजमेर जिले में मई-जून, 1978 से अप्रेल. 80 तक फसलों तथा फल पेड़ों पर मुख्य मुख्य कीट फोबीलट, सफेद लट, कातरा, एफिड, पोड बोरर, फ्रुट फलाई स्टेम बोरर, दीमक, घालवार्म, जेस्डि, अलवर्म एवं चूहे तथा बीमारियों में छाछया अमेंट एवं रोली का प्रकोप हुआ।

(2) वर्ष 1978-79 में कुल उत्पादन क्षेत्र 3-28 लाख हैक्टेअर क्षेत्र में से 0-54 लाख हैक्टेअर क्षेत्र में तथा वर्ष 1979-80 में कुल उत्पादन क्षेत्र 3-30 लाख हैक्टेअर में से 1-23 लाख हैक्टेअर क्षेत्र में पौध संरक्षण उपचार कार्य करवाया गया। जिसके अन्तर्गत 49-06 एवं 57-05 मैट्रिक टन टेक्निकल ग्रेड कीटनाशक दवाइयां उपयोग में ली गई।

(3) जी हां।

(4) विभाग ने पौध संरक्षण उपचार हेतु कीटनाशक औषधियां राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ व उसके द्वारा मनोनीत सहकारी समितियां एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के माध्यम से कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराई हैं न कि सीधे किसी फर्म से खरीदकर। पौध संरक्षण औषधि तथा कीटनाशक दवा के वितरण की मात्रा, स्थान एवं अनुदान का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया।

तारांकित प्रश्न 538 की सूची
परिशिष्ट (अ)

वर्ष	प्रयोजन	पौध संरक्षण औषधियों का नाम व मात्रा — बी० एच० सी० 10 प्रति० डस्ट	पैराथियान 2 प्रति० डस्ट	अनुदान राशि — बी० एच० सी०	पैराथियान	योग	वितरण केन्द्र (गांव/पं० सं०/सं०सं)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1978-79	कातरा नियंत्रण	73-75 क्वि०	39-00 क्वि०	3,626-50	4148-00	7,774-50	पीसांगन	काश्तकार की जमीन पर कातरा नियंत्रण
		11-00 ,,	3-75 ,,	675-00	600-00	1,275-00	किशनगढ	
		7-50 ,,	—	472-50	—	472-50	श्रीनगर	
	योग	92.25 ,,	42.75 ,,	4,774.00	4,748.00	9,522.00		
1979-80	,,	2.00 क्वि	–	176.00	–	176.00	गानहेरा	सरकारी जमीन पर कातरा नियंत्रण
		6.25 ,,	–	550.00	–	550.00	गोविन्दगढ़	
		–	1.50 ,,	–	390.00	390.00	नन्दरामपुरा	
		5.75 ,,	0.25 ,,	506.00	65.00	571.00	भगवानपुरा	
		12.00 ,,	1.00 ,,	1,056.00	256.00	1312.00	भांवता	
		1.00 ,,	–	88.00	–	88.00	माकरेरा	
		3.25 ,,	–	308.00	–	308.00	सुरसुरा	
		8.50 ,,	–	748.00	–	748.00	रूपनगढ़	
		3.50 ,,	–	308.00	–	308.00	सलेमबाद	

(189)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.00 क्वि०	–	440.00	–	440.00	जाजोता	
		2.50 ,,	–	220.00	–	220.00	केकड़ी	
	योग	50.00 ,,	2.75 ,,	4,400.00	711.00	5,111.00		
		4.00 क्वि.	8.25 क्वि.	224.00	1,023.00	1,247.00	क्र.वि.स.स. गोविन्दगढ़	काश्तकार की जमीन पर
		–	18.25 ,,	–	2,263.00	2,263.00	एग्रो इन्ड. कारपो. गोविन्दगढ़	कातरा नियंत्रण
		17.00 ,,	9.75 ,,	727.60	1,193.40	1,920.60	अजमेर इकाई	
		15.50 ,,	–	663.40	–	663.40	किशनगढ़ ,,	
		20.00 ,,	–	856.00	–	856.00	पुष्कर ,,	
	योग	56.50 ,,	26.25 ,,	2,471.00	4,479.00	6,950.00		
	महायोग	106.50 ,,	39.00 ,,	6,871.00	5,190.00	12,061.00		

वर्ष 1979-80

वर्ष 1979-80

1	2	3 दवाइयों का नाम व मात्रा फोरेट	4 इकालक्स	5 अनुदान राशि फोरेट	6 इकालक्स	7 योग	8	9
1978-79	सफेद लट	45.40 क्वि०	–	61,290.00	–	61,290.00	को० मा० सो०	अजमेर
	नियंत्रण	–	5.80 क्वि०	–	7,786.40	7,786.00	,, ,, ,,	केकडी व कृषि विभाग
	योग	45.40 ,,	5.80 ,,	61,290.00	7,787.40	69,076.40		
	वर्ष 1978-79							
1979-80 ,,	,,	0.52 ,,	–	520.00	–	520.00	ग्राम सेवा सहकारी समिति	गोविन्दगढ़
		0.92 ,,	–	897.00	–	897.00	,, ,,	,, अजमेर
		1.40 ,,	–	1,260.00	–	1,260.00	कृषि उद्योग निगम	अजमेर
		–	2.60 ,,	–	2,187.00	2,160.00	,, ,,	,, ,,
	योग	2.84 ,,	2.60 ,,	2,677.00	2,187.73	4,864.73		

	वर्ष 1979-80				अनुदान राशि					
1978-79	दलहनी विकास योजना अन्तर्गत फली छेदक एवं कटवर्म नियंत्रण एल्ड्रिन 5 प्रति. डस्ट	इकालक्स 1	रोगोर ई. सी. 1	बी. एच. सी. 10 प्रति. डस्ट	एल्ड्रिन	इकालक्स	रोगोर	बी.एच.सी.	योग	वितरण केन्द्र
	1.50 क्वि०	–	–	–	90.00	–	–	–	90.00	मा. सो. अजमेर
	2.80 ,,	–	–	–	126.00	–	–	–	126.00	,, पुष्कर
	2.40 ,,	–	–	–	150.00	–	–	–	150.00	,, विजयनगर
	9.15 ,,	–	–	–	549.00	–	–	–	549.00	,, भिनाय
	1.60 ,,	–	–	0.50 क्वि०	216.00	–	–	23.90	239.90	,, नसीराबाद
	27.35 ,,	–	–	–	1,641.00	–	–	–	1641.00	,, केकड़ी
	3.80 ,,	–	–	–	228.00	–	–	–	228.00	,, ब्यावर
	–	11.50 ली०	2.50 ली०	–	–	172.50	67.50	–	240.00	,, डूंगरा
	–	–	–	0.50 क्वि०	–	–	–	23.90	23.90	,, पीसांगन
योग	48.65 ,,	11.50 ली.	2.50 ली.	1.00 ,,	3,000	172.50	67.50	47.80	3,287.80	

वर्ष 1978-79

वर्ष 1978-79

1979-80	दलहनी विकास योजना अन्तर्गत फली छेदक एवं कटवर्म नियंत्रण	अनुदान राशि बी.एच.सी. 10%	राशि	योग	वितरण केन्द्र
		28 क्वि०	700-00	700-00	पुष्कर (पीपी यूनिट)
		7 ,,	175-00	175-00	ब्यावर ,,
		6 ,,	150-00	150-00	अजमेर ,,
		2-5 ,,	62-50	62-50	किशनगढ़ ,,
		32 ,,	800-00	800-00	केकड़ी ,,
		2-5 ,,	62-50	62-50	भिनाय ,,
		5 ,,	110-00	110-00	अजमेर ,,
		6-9 ,,	207-00	207-00	मा.सो. विजयनगर ,,
	योग	89-90 ,,	2,267-00	2,267-00	–

वर्ष 1979-80

पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विकास अधिकारी के विरुद्ध गबन सम्बन्धी कथित प्रकरण में कार्यवाही

539. श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू की पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विकास-अधिकारी के खिलाफ पुलिस थाना उदयपुरवाटी में श्री नागरमल आदि हरिजन निवासी खीवासर को अन्त्योदय योजना में भैंस खरीदने हेतु स्वीकृत धन-राशि का गबन करने सम्बन्धी मामला दर्ज हुआ था जिसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा होकर अदालत में चालान पेश करने की स्वीकृति चाही गई थी ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है तथा अभी तक अदालत में चालान पेश क्यों नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामले की विसंगतियों को देखते हुए जिलाधीश, झुन्झुनू को तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है।

समझौते के विरुद्ध सरहिन्द नहर पर पंजाब सरकार द्वारा पाइप बिछाना

540. श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरहिन्द नहर पर पंजाब सरकार द्वारा कई स्थानों पर पाइप लगाये गये हैं ?

(2) क्या दोनों सरकार के बीच के समझौते में इस प्रकार पाइप लगाने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष रहा ?

उत्तर

(1) राजस्थान को सरहिन्द नहर से कोई पानी नहीं मिलता है। इस नहर द्वारा भाखड़ा का पानी केवल पंजाब प्रान्त के ही प्रयोग में लाया जाता है।

(2) 1959 के भाखड़ा नांगल अनुबन्ध में इस नहर पर पाइप लगाने एवं नहीं लगाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

समाचार पत्रों को सजावटी विज्ञापन

541. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा-महल) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 1979-80 में जन सम्पर्क विभाग द्वारा विज्ञापनों हेतु स्वीकृत समाचार पत्रों को बिना आवेदन दिये ही 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 30 मार्च एवं अन्य त्यौहारों पर सजावटी विज्ञापन दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों को कितना-कितना और कब कब क्या-क्या विज्ञापन दिया गया ?

उत्तर

15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 30 मार्च जैसे पर्वों पर साधारणतया यथासंभव राज्य के स्वीकृत नियमित पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं। अन्य त्यौहारों के अवसर पर विज्ञापन आवेदन पत्र मिलने पर दिये जाते हैं। सूची संलग्न है।

तारांकित प्रश्न 541 की सूची

–स्वतन्त्रता दिवस 79 के अवसर पर प्रसारित–

स्वीकृति समाचार पत्रों को दिये जाने वाले सजावटी विज्ञापन की सूची :–

क्र० सं०	पत्र का नाम व स्थान	राशि
1	2	3
1.	**दैनिक डी० ए० वी० पी के दर से :—**	
1.	नवज्योति, जयपुर, अजमेर	1107.00
2.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	1025.00
3.	राष्ट्रदूत, जयपुर, कोटा	902.00
4.	जलते दीप, जोधपुर	485.00
5.	भारत भूमि, अजमेर, सिंधी	350.00
6.	जन नायक, कोटा	420.00
7.	अधिकार, कोटा, जयपुर	735.00
8.	जय राजस्थान, उदयपुर	390.00
9.	युग पक्ष, बीकानेर	485.00
10.	हिन्दू, (सिंधी) अजमेर	420.00
11.	न्याय, अजमेर	485.00
12.	प्रतिनिधि, जोधपुर	355.00
13.	कुक, जयपुर, भरतपुर	780.00
14.	अणिमा, जयपुर	420.00
15.	देश की धरती, कोटा	400.00
	दैनिक समाचार पत्र राज्य सरकार दर से :—	
16.	अमर राजस्थान, जयपुर	364.00
17.	तरुण राजस्थान, जोधपुर	400.00
18.	जनगण, जोधपुर	485.00
19.	राजस्थान, टाइम्स, अलवर	260.00
20.	सोशलिस्ट समाचार, कोटा	260.00
21.	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	260.00
22.	तेज, हनुमानगढ़	300.00

1	2	3
23.	सीमा संदेश, गंगानगर	260.00
24.	धरती करे पुकार, कोटा	350.00
25.	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	260.00
26.	उदयभानु, धोलपुर	260.00
27.	प्रशान्त ज्योति, श्री गंगानगर	260.00
28.	उदय राजस्थान, जोधपुर	156.00
29.	अन्तर आत्मा संदेश, जयपुर	156.00
30.	सीमावर्ती, श्री गंगानगर	156.00
31.	जयपुर रिपोर्टर, जयपुर	156.00
32.	अरानाद, अलवर	156.00
33.	राजस्थान संवाद, बीकानेर	156.00
34.	लोकजीवन, भीलवाड़ा	355.00
35.	विश्व विजय, अलवर	156.00
36.	तरूण देश, भीलवाड़ा	156.00
37.	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	156.00
	साप्ताहिक डी० ए० वी० पी० की दर से :—	
38.	अभयदूत, जोधपुर	243.75
39.	इतवारी पत्रिका, जयपुर	520.00
40.	शहजादा, श्री गंगानगर	269.75
41.	जनगण, जोधपुर	253.50
42.	गणराज्य, बीकानेर	341.25
43.	गंगानगर, ज्योति, गंगानगर	269.75
44.	सप्ताहन्त, बीकानेर	260.00
45.	यंगलीडर, जयपुर	341.25
46.	किरदार, जयपुर	269.75
47.	सेनानी, बीकानेर	305.50
48.	आजाद सन्देश, जयपुर	341.25
49.	आवाज, भरतपुर	269.25
50.	पूर्वोदय, जयपुर	269.75
51.	भोर, श्री गंगानगर	305.50
52.	प्रजाजन, गंगापुर सिटी	269.75

1	2	3
53.	हिन्दीवासी, सिंधी, अजमेर	162.50
54.	ललकार, जोधपुर	249.60
55.	निराला राजस्थान, हिण्डौन सिटी	269.75
56.	अमर ज्योति, जयपुर	253.50
57.	क्रौंच, जयपुर	269.75
	साप्ताहिक राज्य सरकार की दर से :—	
57.	हिन्द भूमि, अजमेर	169.00
58.	ज्वाला, जयपुर	169.00
59.	लोकजीवन, जोधपुर	169.00
60.	लोकमत, जोधपुर, बीकानेर	169.00
61.	सीमा सन्देश, श्री गंगानगर	169.00
62.	जनमंगल, उदयपुर	169.00
63.	धनुर्धर, बांसवाड़ा	169.00
64.	नवजीवन, उदयपुर	169.00
65.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	269.75
66.	आजाद निशान, जयपुर	169.00
67.	जागरण पथ, जयपुर	169.00
68.	चिट्ठी, नवलगढ़	169.00
69.	टाइम्स आफ राजस्थान, बीकानेर	169.00
70.	सहकार दर्शक, जयपुर	169.00
71.	पुकार, उदयपुर	169.00
72.	जनता की ललकार, जयपुर	169.00
73.	गंगानगर टाइम्स, श्री गंगानगर	169.00
74.	हमारा वतन, जयपुर	169.00
75.	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	227.50
76.	कोलाहल, उदयपुर	169.00
77.	वर्तमान, बीकानेर	169.00
78.	युगदूत, जयपुर	269.75
79.	युगदृष्टा, उदयपुर	169.00
80.	जयपुर क्रानिकल, जयपुर	169.00

1	2	3
81.	प्रजासेवक, जोधपुर	169.00
82.	बेधड़क आवाज, जयपुर	169.00
83.	कन्ट्रोलर, जोधपुर	169.00
84.	पहला राजस्थान, जयपुर	169.00
85.	दकाल, बून्दी	169.00
86.	युवक, चूरू	169.00
87.	ग्राम राज, जयपुर	169.00
88.	ललकार, चित्तौड़गढ़	169.09
89.	घुमक्कड़, जयपुर	169.00
90.	श्रम शक्ति, जयपुर	243.75
91.	मरुदीप, बीकानेर	169.00
92.	जयपुर एक्सप्रेस, जयपुर	269.75
93.	उदयबोधन, जयपुर	189.25
94.	आजाद, अजमेर	245.70
95.	प्रगति, उदयपुर	101.40
96.	बागड दूत, डूंगरपुर	101.40
97.	जय हिन्दी (सिंधी), अजमेर	101.40
98.	महाज्ञान, बीकानेर	101.40
99.	श्रीयान्स, किशनगढ़	101.40
100.	भ्रष्टाचार के स्तम्भ, जयपुर	101.40
101.	नवयुवक सन्देश, भरतपुर	162.60
102.	उदयपुर साप्ताहिक, उदयपुर	101.40
103.	एकात्म, कोटा	101.40
104.	गोडवात टाइम्स, रानी	101.40
105.	बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर	101.40
106.	लाल निशान, भरतपुर	305.50
107.	प्रजायुग, जयपुर	101.40
108.	क्रान्तिगढ़, भरतपुर	101.40
109.	जनपथ, फलोदी	101.40
110.	धौलपुर गजट, धौलपुर	101.40
111.	जयमेवाड़, चित्तौड़गढ़	101.40
112.	ग्रामवासी, हिण्डौन	101.40

1	2	3
113.	चोरासी खम्भा, भरतपुर	101.40
114.	वीर सैनिक, भरतपुर	101.40
115.	मठाधीश, बीकानेर	101.40
116.	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर	101.40
117.	राजस्थान साप्ताहिक, भूपाल सागर	168.50
118.	राजस्थान केहरी, जयपुर	208.00
119.	दो अक्टूबर, भीलवाडा	101.40
120.	सरदार शहर टाइम्स, सरदार शहर	101.40
121.	मजदूर ललकार, मूंडवा	101.40
122.	रेल्वे मेन, अजमेर	101–40
123.	मरू मंथन, बाड़मेर	101.40
124.	जनसम्मत, श्री गंगानगर	101.40
125.	उत्थान चक्र, बीकानेर	101.40
126.	समाजदूत, रामगढ़ शेखावाटी	101.40
127.	चहक, जयपुर	169.00
128.	धूरी, सीकर	101.40
129.	वीर विजय सिंधी, अजमेर	50.70
130.	तलहटी के अंचल में, सवाईमाधोपुर	50.70
131.	मरूधरा, धरा, सीकर	50.70
132.	सच्ची कलम, जयपुर	50.70
133.	चम्बल, कोटा	50.70
134.	भारत जन, सूरतगढ़	50.70
135.	विश्वभान, जयपुर	50.70
136.	सीमासपूत, फलोदी	50.70
137.	अरावली, उदयपुर	50.70
138.	बप्पारावल, उदयपुर	50.70
139.	वीरों की पुकार	50,70
140.	तीखातीर, जयपुर	50 70
141.	झंझावत भीलवाड़ा	50.70
142.	गांधी के सपने, जयपुर	50.70
143.	अनुशासित समाज, गंगानगर	50.70
144.	अन्तश: चेतना, जयपुर	305.50

Page No.199

(199)

1	2	3
145.	झुन्झुनू समाचार, झुन्झुनू	50.70
146.	वीर जनता, भरतपुर	50.70
147.	सीधा रास्ता, जयपुर	50.70
147.	सहमत, जालौर	50.70
148.	शान्तीदूत, जयपुर	50.70
149.	बीकाणा संदेश, बीकानेर	130.70
150.	जनपद, जयपुर	50.70
151.	ग्रात्मलोचन, बांसवाड़ा	50.70
152.	हाडोती मानव, कोटा	50.70
153.	रतनकला, जयपुर	50.70
154.	पशुपत, जयपुर	227.50
156.	ग्रादिवासी जागृति, ग्रजमेर	162.50
157.	राजस्थान लीडर, जयपुर	50.70
158.	यादगार, जयपुर	50.70
159.	युग दर्पण, कोटा	50.70
160.	हलधर की ललकार, जयपुर	269.75
161.	चित्तौड़ सन्देश चित्तौड़गढ़	50.70
162.	युवा तूफान, ग्रामेर	50.70
163.	हमारी मातृ भूमि, उदयपुर	50.70
164.	बारह खम्भा, रूपवास	50.70
165.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	202.00
166.	चूरू केसरी, चूरू	50.70
167.	राजमार्ग, बून्दी	50.70
168.	सूरत शब्द योन, सीकर	50.70
169.	हिन्दू सन्देश, जोधपुर	50.70
170.	तेज, हनुमानगढ़	50.70
171.	सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	50.70
172.	स्केयरपीयम, गंगानगर	50.70
173.	पसीना, झालावाड़	50.70
174.	जनता गजट, ग्रलवर	50.70
175.	क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	50.70
176.	हिन्दू ज्योति, सूरतगढ़	50.70
177.	शाश्वत सत्य, श्री गंगानगर	50.70

Page No.200

(200)

1	2	3
178.	सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	50.70
179.	उलाहना, गीजगढ़	50.70
180.	कान्ति शील, जयपुर	50.70
181.	प्रियदर्शिका, गंगानगर	169.75
182.	हल्दी घाटी, ब्यावर	50–70
183.	अनुशासित वाणी, बीकानेर	50.70
184.	तकनीकी समाचार, कोटा	50.70
185.	ममता आयना, जयपुर	50.70
186.	बलीदान, जयपुर, जोधपुर	50.70
187.	प्रभावित, भीलवाड़ा	282.40
188.	भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	50.70
189.	मनदर्शी, फालना	50.70
190.	मेनाल, भीलवाड़ा	50.70
192.	सीकर सन्देश सीकर	50.70
193.	प्रेरणा, जोधपुर	50.70
194.	मजदूर चेतना, कोटा	50.70
195.	मानव अधिकार, फुलेरा	50.70
196.	आराधना, जयपुर	50.70
197.	मरूदूत, झालावाड़	269.75
198.	अंगद, बून्दी	101.40
199.	किसान सन्देश, कोटा	169.00
200.	जागृति, कोटा	169.00
201.	खबर नविल, जयपुर	101.40
202.	युवा प्रेरणा, जयपुर	50.70
202.	डिक्टेटर, ब्यावर	50.70

पाक्षिक डी० ए० वी० पी० दर से :—

203.	हलकारा, सादड़ी, पाली	227.50

पाक्षिक राज्य सरकार की दर से :—

204.	जागृति जनगण, बीकानेर	169.00
205.	राजस्थान रोजगार सन्देश,	650.00

1	2	3
206.	लोक शिक्षक, जयपुर	101.40
207.	कामधेनू, बीकानेर	101.40
208.	झोंपड़ी की आवाज, बीकानेर	201.40
209.	रोडवेज टाइम्स, कोटा	50.70
210.	महाप्राणा, चिड़ावा	101.40
211.	कर्मज्योति, जयपुर	162.50
212.	नवयत्न, जयपुर	230.00
213.	कोहीनूर, बीकानेर	101.40
214.	अमर इण्डिया, सवाईमाधोपुर	50.70
215.	दृष्टिकोण, जयपुर	60.70
216.	जंगजू, चित्तौड़गढ़	50.70
217.	बूंदी सन्देश, सवाईमाधोपुर	50.70
218.	स्पष्टगत, जोधपुर	50.70
219.	मुक्ति, संदर्भ रेनवाल, किशनगढ़	50.70
220.	युग की आवाज, जयपुर	50.70
221.	दावातल, कोटा	50.70
222.	संस्थान, राजसमंद	50.70
223.	शहीदों के सपने, हिण्डौन	50.70
224.	न्यूज किंग, करौली	50.70
225.	जनपतवार, बीकानेर	50.70
226.	न्यायतन्त्र, रतनगढ़	50.70
227.	ग्रामीण, कोटा	50.70
228.	विगतवार, पाली	50.70
229.	रेतदूत, जोधपुर	50.70
230.	अन्तरगत, जयपुर	60.70
231.	भभक, अजमेर	50.70
232.	राजस्थान स्टेन्डर्ड, बीकानेर	50.70
233.	निर्माण सन्देश, गंगानगर	50.70
234.	वीर प्रभु, चूरू	10.70
236.	ग्रामीणदूत, मण्डावरी	50.70
237.	खुलाराज, जयपुर	50.70
238.	गुप्तदूत, जयपुर	101.40
239.	ग्रेटेस्ट इण्डिया, बीकानेर	50.70

1	2	3
240.	शोषित समाज, श्री गंगानगर	227.50
241.	विशाल मरूधरा, चूरू	50.70
242.	संचार समाचार दर्शन, जयपुर	50.70
243.	आणाजेशहर, जयपुर	50.70
244.	ग्रामीण फूलवारी, कोटपूतली	50.70
245.	श्रमिक विकास, जयपुर	50.70
246.	संसार चक्र, भीलवाड़ा	50.70
247.	लोकमन्त्र समाचार, चूरू	50.70
248.	शिक्षा जंगत की आवाज, अलवर	50.70
249.	अन्त्योदय योजना, भादरस	50.70
249.	रण तिलक, बीकानेर	50.70
250.	छात्र सैनिक, हिण्डौन	50.70
251.	राजलीडर, पाली	50.70
252.	कर्मचारी साथी, जयपुर	101.40
253.	संकल्प दीप, कुचामन सिटी	50.70
254.	थारदीप, बीकानेर	101.40
255.	प्रागवाट, भीलवाड़ा	50.70
256.	हकदार, बीकानेर	50.70
257.	देहान्त केसरी, श्री गंगानगर	50.70
258.	विजयनगर ज्योति, श्री गंगानगर	50.70
259.	उठती हुई जन पुकार, हिण्डौन	101.40
260.	इकोनोकिम ब्यूटी, भरतपुर	50.70
261.	यंगपावर, उदयपुर	50.70
262.	नेहरू पुकार, सा०, भरतपुर	50.70
263.	जनहठ, कोटा	50.70
264.	अन्तर आवाज, जयपुर	50.70
265.	सही दिशा, करोली	50.70
266.	सादुलपुर टाइम्स, चूरू	50.70
267.	नियोजन भारती, जयपुर	341.25
268.	रोशन किरदार, जयपुर	50.70

मासिक पत्र

269.	भारती (संस्कृत) जयपुर	126.35

1	2	3
270.	लेखा विज्ञ, जयपुर	139.00
271.	होम्योसेवक, जयपुर	126.35
272.	विवेक विकास, जयपुर	139.00
273.	अग्रदूत, जयपुर	139.00
274.	कृषि लोक, जोधपुर	173.74
275.	मधुमति, उदयपुर	112.00
276.	कृषि विकास, जयपुर	173.75
277.	लोक विज्ञान उदयपुर	121.00
278.	वैज्ञानिक बालक, जयपुर	139.00
279.	ज्योतिष मार्तण्ड, जयपुर	139.00
279.	ज्योतिष मार्तण्ड, जयपुर	139.00
280.	चरित्र और व्यायाम, अजमेर	139.00
281.	लहर, अजमेर	121.00
282.	स्वास्थ्य, त्रिवेणी, जयपुर	50.54
283.	राजस्थान कृषि समाचार, जयपुर	78.98
284.	जीवनदान, जयपुर	139.00
285.	सम्यक दृष्टि, अजमेर	99.32
286.	लघु रश्मि, जयपुर	78.98
287.	बन्धन तोड़ो, उदयपुर	65.40
288.	अनन्त मंगल, जयपुर	36.03
289.	रोशन किरदार, जयपुर	99.32
	द्विमासिक पत्र	
290.	जैनर्ल ग्राफ जॅस इण्डस्ट्रीज, जयपुर	121.10
291.	डायमण्ड वर्ल्ड, जयपुर	121.10
292.	क्राफ्ट वर्ड, जयपुर	72.08
	त्रैमासिक पत्र	
293.	भूदर्शन, उदयपुर	121.10
294.	पशुविज्ञान, जयपुर	99.32

गणतन्त्र दिवस 80 के अवसर पर—

स्वीकृत समाचार पत्रों को दिये जाने वाले सजावटी विज्ञापन की सूची :—

क्र० सं०	पत्र का नाम व स्थान	राशि
1	2	3
	दैनिक डी० ए० वी० पी० के दर से :—	
1.	नवज्योति, जयपुर, अजमेर	1107.00
2.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	1025.00
3.	राष्ट्रदूत, जयपुर, कोटा	963.00
4.	जलते दीप, जोधपुर	485.00
5.	भारत भूमि, अजमेर, (सिंधी)	355.00
6.	जन नायक, कोटा	420.00
7.	अधिकार, कोटा, जयपुर	735.00
8.	जय राजस्थान, उदयपुर	390.00
9.	युग पक्ष, बीकानेर	485.00
10.	हिन्दू, (सिंधी) अजमेर	420.00
11.	न्याय, अजमेर	485.00
12.	प्रतिनिधि, जोधपुर	355.00
13.	कूक, जयपुर, भरतपुर	780.00
14.	अणिमा, जयपुर, भरतपुर	576.00
15.	देश की धरती, कोटा	400.00
16.	नियोजन भारती, जयपुर	550.00
17.	यंगलीडर, जयपुर	364.00
	दैनिक समाचार पत्र राज्य सरकार की दर से :—	
18.	अमर राजस्थान, जयपुर	364.00
19.	तरुण राजस्थान, जोधपुर	400.00
20.	जनगण, जोधपुर	485.00
21.	राजस्थान, टाइम्स, अलवर	260.00
22.	सोशलिस्ट समाचार, कोटा	260.00
23.	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	364.00

1	2	3
24.	तेज, हनुमानगढ़	300.00
25.	सीमा संदेश, श्री गंगानगर	260.00
26.	धरती करे पुकार, कोटा	390.00
27.	गंगानगर पत्रिका, श्री गंगानगर	420.00
28.	उदयभानु, धौलपुर	260.00
29.	उदय राजस्थान, जोधपुर	156.00
30.	सीमावर्ती सन्देश, श्री गंगानगर	156.00
31.	अरानाद, अलवर	156 00
32.	राजस्थान संवाद, बीकानेर	156.00
33.	लोकजीवन, भीलवाड़ा	355.00
34.	तरूण देश, भीलवाड़ा	156.00
35.	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	156.00
36.	प्रातःकाल, उदयपुर	156.00
37.	आधुनिक राजस्थान, अजमेर	260.00
38.	भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	156.00
	साप्ताहिक डी० ए० वी० पी० की दर से :—	
39.	अभयदूत, जोधपुर	243.75
40.	इतवारी पत्रिका, जयपुर	690.00
41.	शहजादा, श्री गंगानगर	269.75
42.	जनगण, जोधपुर	253.50
43.	गणराज्य, बीकानेर	341.25
44.	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	269.75
45.	सप्ताहन्त, बीकानेर	260.00
46.	यंगलीडर, जयपुर	341.25
47.	किरदार, जयपुर	269.75
48.	सैनानी, बीकानेर	305.50
49.	आजाद सन्देश, जयपुर	341.25
50.	आवाज, भरतपुर	269.75
51.	पूर्वोदय, जयपुर	269.75
52.	भोर, श्री गंगानगर	305.50
53.	प्रजाजन, गंगापुर सिटी	269.75

Page No.206

(206)

1	2	3
54.	हिन्दीवासी, (सिंधी) अजमेर	162.50
55.	ललकार, जोधपुर	249.60
56.	निराला राजस्थान, हिण्डौन सिटी	269.75
57.	अमर ज्योति, जयपुर	253.50
58.	कोच, जयपुर	269.75
59.	साप्ताहिक टाइम्स आफ राजस्थान, बीकानेर	253.50
60.	साप्ताहिक नवजीवन, उदयपुर	269.75
	साप्ताहिक राज्य सरकार की दर से :—	
61.	हिन्द भूमि, अजमेर	169.00
62.	ज्वाला, जयपुर	169.00
63.	लोकजीवन, जोधपुर	169.00
64.	लोकमत, बीकानेर	169.00
65.	सीमा सन्देश, श्री गंगानगर	169.00
66.	जनमंगल, उदयपुर	169.00
67.	धनुर्धर, बांसवाड़ा	169.00
68.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	195.00
69.	संजय, झालरापाटन	169.00
70.	जागरण पथ, जयपुर	169.00
71.	चिट्ठी, नवलगढ़	169.00
72.	आजाद निशान, जयपुर	169.00
73.	सहकार दर्शक, जयपुर	169.00
74.	पुकार, उदयपुर	169.00
75.	गंगानगर टाइम्स, श्री गंगानगर	219.70
76.	हमारा वतन, जयपुर	211.25
77.	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	227.50
78.	ग्राम समाज, भीलवाड़ा	101.40
79.	सुरत शब्द योग, सीकर	50.70
80.	राजस्थान चक्षु साप्ताहिक, जयपुर	50.70
81.	राज मन्दिर, अलवर	50.70
82.	सा० नवयत्न, जयपुर	101.40
83.	कोलाहल, उदयपुर	169.00

Page No.207

1	2	3
84.	वर्तमान, बीकानेर	169.00
85.	युगदूत, जयपुर	269.75
86.	युगदृष्टा, उदयपुर	169.00
87.	जयपुर क्रानिकल, जयपुर	169.00
88.	प्रजा सेवक, जोधपुर	227.50
89.	बेधड़क आवाज, जयपुर	169.00
90.	कन्ट्रोलर, जोधपुर	169.00
91.	पहला राजस्थान, जयपुर	169.00
92.	दकाल, बून्दी	169.00
93.	युवक, चूरू	169.00
94.	ग्राम राज, जयपुर	169.00
95.	ललकार, चित्तौड़गढ़	189.09
96.	घुमक्कड़, जयपुर	169.00
97.	श्रम शक्ति, जयपुर	243.75
98.	मरुदीप, बीकानेर	169.00
99.	जयपुर एक्सप्रेस, जयपुर	269.75
100.	उद्बोधन, जयपुर	269.75
101.	आजाद, अजमेर	245.70
102.	प्रगत्ति, उदयपुर	101.40
103.	वागड़ दूत, डूंगरपुर	101.40
104.	जय हिन्दी (सिंधी), अजमेर	101.40
105.	श्रेयान्स, किशनगढ़	101.40
106.	नवयुवक सन्देश, भरतपुर	162.50
107.	उदयपुर साप्ताहिक, उदयपुर	101.40
108.	एकात्म, कोटा	101.40
109.	गोडवाल टाइम्स, रानी	101.40
110.	बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर	101.40
111.	लाल निशान, भरतपुर	303.50
112.	प्रजायुग, जयपुर	101.40
113.	जनपथ, फलौदी	101.40
114.	क्रान्तिगढ़, भरतपुर	101.40
115.	धौलपुर गजट, धौलपुर	101.40

1	2	3
116.	जयमेवाड़, चित्तौड़गढ़	169.00
117.	ग्रामवाणी, हिण्डौन	101.40
118.	चौरासी खम्भा, भरतपुर	101.40
119.	वीर सैनिक, भरतपुर	101.40
120.	मठाधीश, बीकानेर	101.40
121.	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर	247.[illegible]0
122.	राजस्थान केहरी, जयपुर	208.00
123.	राजस्थान साप्ताहिक, भूपाल सागर	162.50
124.	सरदार शहर टाइम्स, सरदार शहर	101.40
125.	मजदूर ललकार, मूंडवा	101.40
126.	सा० जोधपुर टाइम्स, जोधपुर	50.70
127.	मेवाड़ मर्यादा, सलूम्बर	50.70
128.	मरु मंथन, बाड़मेर	101.40
129.	जनसम्मत, श्री गंगानगर	260.00
130.	उत्थान चक्र, बीकानेर	101.40
131.	समाजदूत, रामगढ़ शेखावाटी	165.10
132.	चहक, जयपुर	169.00
133.	धूनी, सीकर	101.40
134.	वीर विजय (सिंधी) अजमेर	50.70
135.	मरुधरा, सीकर	50.70
136.	सच्ची कलम, जयपुर	50.70
137.	चम्बल, कोटा	50.70
138.	भारत जन, सूरतगढ़	50.70
139.	विश्वभान, जयपुर	50.70
140.	सीमासपूत, फलोदी	50.70
141.	बप्पारावल, उदयपुर	50.70
142.	वीरों की पुकार	50.70
143.	तीखातीर, जयपुर	50.70
144.	झंझावत, भीलवाड़ा	50.50
145.	अन्ततः चेतना, जयपुर	305.50
146.	वीर जनता, भरतपुर	50.70
147.	गल्ता की घाटी, जयपुर	50.70
148.	सहमत, जालौर	50.70

Page No.209

209

1	2	3
149.	शान्तीदूत, जयपुर	50.70
150.	बीकाणा संदेश, बीकानेर	130.50
151.	जनपद, जयपुर	243.75
152.	आत्मलोचन, बांसवाड़ा	50.70
153.	हाडोती मानव, कोटा	50.70
154.	पाशुपत, जयपुर	227.50
155.	आदिवासी जागृति, अजमेर	162.50
156.	राजस्थान लीडर, जयपुर	50.70
157.	यादगार, जयपुर	130.00
158.	हलधर की ललकार, जयपुर	269.75
159.	युवा तूफान, आमेट	50.70
160.	हमारी मातृ भूमि, उदयपुर	50.70
161.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	202.00
162.	चूरू केसरी, चूरू	50.70
163.	राजमार्ग, बून्दी	101.40
164.	बालोतरा टाइम्स, बाड़मेर	50.70
156.	सही दिशा, करौली	50.70
166.	सार्दूलपुर, चूरू	50.70
167.	नेहरू प्रपुकार, भरतपुर	50.70
168.	हिन्दू सन्देश, जोधपुर	50.70
169.	तेज, हनुमानगढ़	269.75
170.	सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	50.70
171.	प्रेरणा, जोधपुर	50.70
172.	मजदूर चेतना, कोटा	50.70
173.	किसान सन्देश, कोटा	169.00
174.	बलिदान मा०, जोधपुर	50.70
175.	राजस्थान इको (अंग्रेजी) जयपुर	50.70
176.	पसीना, झालावाड़	50.70
177.	जनता गजट, अलवर	50.70
178.	क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	50.70
179.	हिन्दू ज्योति, सूरतगढ़	50.70
180.	शाश्वत सत्य, श्री गंगानगर	50.70

1	2	3
181.	सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	50.70
182.	उलाहना, गीजगढ़	50.70
183.	क्रान्ति शील, जयपुर	269.75
184.	तकनीकी समाचार, कोटा	50.70
185.	प्रभावित, भीलवाड़ा	232.40
186.	युग की आवाज, जयपुर	50.70
187.	भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	50.70
188.	मेनाल, भीलवाड़ा	50.70
189.	सीकर सन्देश सीकर	50.70
190.	श्रम आराधना, जयपुर	50.70
191.	मेरुदण्ड, झालावाड़	269.75
192.	अंगद, बून्दी	101.40
193.	नेता, उदयपुर	50.70
194.	झुन्झुनू समाचार, झुन्झुनू	50.70
195.	अनुशासित समाज, गंगानगर	50.70
196.	सा० केहरी प्रताप राजाखेडा (अलवर) (उर्दू)	50.70
	पाक्षिक डी० ए० वी० पी० दर से :– (पाक्षिक)	
197.	हलकारा, सादड़ी, पाली	227.50
198.	पाक्षिक रोशन किरदार, जयपुर (हिन्दी)	269.73
199.	शोषित समाज, श्री गंगानगर	227.50
200.	संचार समाचार दर्पण, जयपुर	269.00
201.	नियोजन भारती, जयपुर	341.25
202.	पाक्षिक रोशन किरदार, जयपुर (उर्दू)	296.¹0
	राज्य सरकार की दर से (पाक्षिक) :–	
203.	गलीचा, जयपुर	50.70
204.	पाक्षिक दिशाकल्प, बीकानेर	50.70
205.	वक्त, टौंक	50.70
206.	जैन तीर्थंकर, बाड़मेर	101.40
207.	जागृति जनगण, बीकानेर	169.00
208.	राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर	650.00

1	2	3
209.	लोक शिक्षक, जयपुर	101.40
210.	कामधेनू, बीकानेर	101.40
211.	झोपड़ी की आवाज, बीकानेर	101.40
212.	रोडवेज टाइम्स, कोटा	50.70
213.	महाप्राण, चिड़ावा	101.40
214.	कर्मज्योति, जयपुर	162.50
215.	कोहिनूर, बीकानेर	101.40
216.	अमर इण्डिया, सवाईमाधोपुर	50.70
217.	मण्डी एक्सप्रेस, जयपुर	50.70
218.	मण्डे मेल (अंग्रेजी), जयपुर	169.00
219.	विश्वविजय, अलवर	50.70
220.	दृष्टिकोण, जयपुर	50.70
221.	जंगजू, चित्तौड़गढ़	50.70
222.	बून्दी सन्देश, सवाईमाधोपुर	50.70
223.	स्पष्टमत, जोधपुर	50.70
224.	दावानल, कोटा	50.70
225.	संस्थान, राजसमंद	50.70
226.	शहीदों के सपने, हिण्डौन	50.70
227.	न्यूज किंग, करोली	50.70
228.	जनपतवार, बीकानेर	50.70
229.	न्यायतन्त्र, रतनगढ़	50.70
230.	ग्रामीण, कोटा	50.70
231.	रेलदूत, जोधपुर	50.70
232.	अन्तर्मत, जयपुर	50.70
233.	भभक, अजमेर	50.70
234.	राजस्थान स्टेण्डर्ड, बीकानेर	152.75
235.	निर्माण सन्देश, सूरतगढ़	50.70
236.	ग्रामीणदूत, मण्डावरी	50.70
237.	गुप्तदूत, जयपुर	101.40
238.	विशाल मरूधरा, चूरू	50.70
239.	बंल की आवाज, अलवर	50.70
240.	श्रमिक विकास, जयपुर	50.70
241.	संसार चक्र, भीलवाड़ा	50.70

1	2	3
242.	शिक्षा जगत की आवाज, अलवर	50.70
243.	अन्त्योदय योजना, भादरस	50.70
244.	छात्र सैनिक, हिण्डौन	50.70
245.	राजलीडर, पाली	50.70
246.	कर्मचारी साथी, जयपुर	101.40
247.	संकल्प दीप, कुचामन सिटी	50.70
248.	थारदीप, बीकानेर	101.40
249.	प्रागवाट, भीलवाड़ा	50.70
250.	हकदार, बीकानेर	50.70
251.	देहान्त केसरी, श्री गंगानगर	50.70
252.	विजयनगर ज्योति, श्री गंगानगर	50.70
253.	उठती हुई जन पुकार, हिण्डौन	101.40
254.	यंगपावर, उदयपुर	50.70
255.	कर्मचिंतन, जयपुर	50.70
256.	विगतवार, पाली	50.70
	मासिक पत्र	
257.	भारती (संस्कृत) जयपुर	126.35
258.	लेखा विज्ञ, जयपुर	139.00
259.	होम्योसेवक, जयपुर	126.35
260.	विवेक विकास, जयपुर	139.00
261.	अग्रदूत, जयपुर	139.00
262.	कृषि लोक, जोधपुर	173.75
263.	मधुमति, उदयपुर	112.00
264.	कृषि विकास, जयपुर	173.75
265.	वैज्ञानिक बालक, जयपुर	139.00
266.	ज्योतिष मार्तण्ड, जयपुर	139.00
267.	चरित्र और व्यायाम, अजमेर	139.00
268.	लहर, अजमेर	121.00
269.	मासिक स्वास्थ्य, त्रिवेणी, जयपुर	50.54
270.	जीवनदान, जयपुर	139.00
271.	मंगल कामना, जोधपुर	50.54
272.	बन्धन तोड़ो, उदयपुर	65.40

1	2	3
273.	अनन्त मंगल, जयपुर	36.03
274.	गो विकाश, जयपुर	80.00
275.	क्रिडाचंल,	55.00
276.	राजस्थान कृषि समाचार, जयपुर	78.98

द्विमासिक पत्र

277.	जनरल आफ जैम इण्डस्ट्रीज, जयपुर	121.10
278.	डायमण्ड वर्ल्ड, जयपुर	121.10
279.	क्राफ्ट वर्ड, जयपुर	72.08

त्रैमासिक पत्र

280.	भूदर्शन, उदयपुर	121.10
281.	पशुविज्ञान, जयपुर	99.32
282.	राजस्थली, श्री डूंगरगढ़	60.00

(२१५)

राजस्थान दिवस 80 के अवसर पर स्वीकृत समाचार पत्रों को दिये जाने वाले सजावटी विज्ञापनों का विवरण

क्र० सं०	पत्र का नाम व स्थान	राशि
1	2	3
	दैनिक डी० ए० वी० पी० के दर से :—	
1.	नवज्योति, जयपुर, अजमेर	553.50
2.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	512.50
3.	राष्ट्रदूत, जयपुर, कोटा	481.50
4.	जलते दीप, जोधपुर	242.50
5.	भारत भूमि, अजमेर, (सिंधी)	177.50
6.	जन नायक, कोटा	210.00
7.	अधिकार, कोटा, जयपुर	367.50
8.	जय राजस्थान, उदयपुर	195.00
9.	युग पक्ष, बीकानेर	242.50
10.	हिन्दू, (सिंधी) अजमेर	210.00
11.	न्याय, अजमेर	242.50
12.	प्रतिनिधि, जोधपुर	177.50
13.	कूक, जयपुर, भरतपुर	390.00
14.	अणिमा, जयपुर, भरतपुर	288.00
15.	देश की धरती, कोटा	200.00
16.	नियोजन भारती, जयपुर	275.00
17.	जंगलीडर, जयपुर	186.50
	दैनिक समाचार पत्र राज्य सरकार की दर से :—	
18.	अमर राजस्थान, जयपुर	182.00
19.	तरुण राजस्थान, जोधपुर	200.00
20.	जनगण, जोधपुर	242.50
21.	राजस्थान, टाइम्स, अलवर	130.00
22.	सोशलिस्ट समाचार, कोटा	130.00
23.	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	182.00

215

1	2	3
24.	तेज, हनुमानगढ़	150.00
25.	सीमा संदेश, श्रीगंगानगर	130.00
26.	धरती करे पुकार, कोटा	195.00
27.	गंगानगर पत्रिका, श्रीगंगानगर	210.00
28.	उदयभानु, धौलपुर	130.00
29.	उदय राजस्थान, जोधपुर	78.00
30.	सीमावर्ती सन्देश, श्रीगंगानगर	78.00
31.	अरानाद, अलवर	78.00
32.	राजस्थान संवाद, बीकानेर	78.00
33.	लोकजीवन, भीलवाड़ा	177.00
34.	तरूण देश, भीलवाड़ा	78.00
35.	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	78.00
36.	प्रातःकाल, उदयपुर	78.00
37.	आधुनिक राजस्थान, अजमेर	130.00
38.	भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	78.00
	साप्ताहिक डी० ए० वी० पी० की दर से :—	
39.	अभयदूत, जोधपुर	243.75
40.	इतवारी पत्रिका, जयपुर	690.00
41.	शहजादा, श्री गंगानगर	269.75
42.	जनगण, जोधपुर	253.50
43.	गणराज्य, बीकानेर	341.25
44.	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	269.75
45.	सप्ताहन्त, बीकानेर	260.00
46.	यंगलीडर, जयपुर	341.25
47.	किरदार, जयपुर	269.75
48.	सेनानी, बीकानेर	305.50
49.	आजाद सन्देश, जयपुर	341.25
50.	आवाज, भरतपुर	269.75
51.	पूर्वोदय, जयपुर	269.75
52.	भोर, श्रीगंगानगर	305.50
53.	प्रजाजन, गंगापुर सिटी	269.75

1	2	3
54.	हिन्दीवासी, (सिंधी) अजमेर	162.50
55.	निराला राजस्थान, हिण्डौन सिटी	249.60
56.	ललकार, जोधपुर	269.75
57.	अमर ज्योति, जयपुर	253.50
58.	कीच, जयपुर	269.75
59.	साप्ताहिक टाइम्स ग्राफ राजस्थान, बीकानेर	253.50
60.	साप्ताहिक नवजीवन, उदयपुर	269.75
	साप्ताहिक राज्य सरकार की दर से :—	
61.	हिन्द भूमि, अजमेर	169.00
62.	ज्वाला, जयपुर	169.00
63.	लोकजीवन, जोधपुर	169.00
64.	लोकमत, बीकानेर	169.00
65.	सीमा सन्देश, श्री गंगानगर	169.00
66.	जनमंगल, उदयपुर	169.00
67.	धनुर्धर, बांसवाड़ा	169.00
68.	लोक जीवन, भीलवाड़ा	195.00
69.	संजय, झालरापाटन	169.00
70.	जागरण पथ, जयपुर	169.00
71.	चिट्ठी, नवलगढ़	169.00
72.	आजाद निशान, जयपुर	169.00
73.	सहकार दर्शक, जयपुर	169.00
74.	पुकार, उदयपुर	169.00
75.	गंगानगर टाइम्स, श्रीगंगानगर	219.70
76.	हमारा वतन, जयपुर	211.25
77.	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	227.50
78.	प्रेम समाज, भीलवाड़ा	101.40
79.	सूरज शब्द योग, सीकर	50.70
80.	राजस्थान चक्षु साप्ताहिक, जयपुर	50.70
81.	राज मन्दिर, अलवर	50.70
82.	सा० नवयत्न, जयपुर	101.40
83.	कोलाहल, उदयपुर	169.00

1	2	3
84.	वर्तमान, बीकानेर	169.00
85.	युगदूत, जयपुर	269.75
86.	युगदृष्टा, उदयपुर	169.00
87.	जयपुर क्रानिकल, जयपुर	169.00
88.	प्रजा सेवक, जोधपुर	227.50
89.	बेधड़क आवाज, जयपुर	169.00
90.	कन्ट्रोलर, जोधपुर	169.00
91.	पहला राजस्थान, जयपुर	169.00
92.	दकाल, बून्दी	169.00
93.	युवक, चूरू	169.00
94.	ग्राम राज, जयपुर	169.00
95.	ललकार, चित्तौड़गढ़	189.09
96.	श्रम शक्ति, जयपुर	243.75
97.	मरुदीप, बीकानेर	169.00
98.	जयपुर एक्सप्रेस, जयपुर	269.75
99.	उद्बोधन, जयपुर	269.75
100.	घुमक्कड़, जयपुर	169.00
101.	आजाद, अजमेर	245.70
102.	प्रगती, उदयपुर	101.40
103.	बांगड़दूत, डूंगरपुर	101.40
104.	जय हिन्दी (सिंधी), अजमेर	101.40
105.	श्रेयान्स, किशनगढ़	101.40
106.	नवयुवक सन्देश, भरतपुर	162.50
107.	उदयपुर साप्ताहिक, उदयपुर	101.40
108.	एकात्म, कोटा	101.40
109.	गोडवाल टाइम्स, रानी	101.40
110.	बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर	101.40
111.	लाल निशान, भरतपुर	303.50
112.	प्रजायुग, जयपुर	101.40
113.	जनपथ, फलौदी	101.40
114.	क्रान्तिगढ़, भरतपुर	101.40
115.	धौलपुर गजट, धौलपुर	101.40

Page No.218

1	2	3
116.	जयमेवाड़, चित्तौड़गढ़	169.00
117.	ग्रामवाणी, हिण्डौन	101.40
118.	चौरासी खम्भा, भरतपुर	101.40
119.	वीर सैनिक, भरतपुर	110.40
120.	मठाधीश, बीकानेर	101.40
121.	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर	247.00
122.	राजस्थान केहरी, जयपुर	208.00
123.	राजस्थान साप्ताहिक, भूपाल सागर	162.50
124.	सरदार शहर टाइम्स, सरदार शहर	101.40
125.	मजदूर ललकार, मूंडवा	101.40
126.	जोधपुर टाइम्स, जोधपुर	50.70
127.	मेवाड़ मर्यादा, सलूम्बर	50.70
128.	मरु मंथन, बाड़मेर	101.40
129.	जनसम्मत, श्रीगंगानगर	260.00
130.	उत्थान चक्र, बीकानेर	101.40
131.	समाजदूत, रामगढ़ शेखावाटी	165.10
132.	चहक, जयपुर	169.00
133.	धुरी, सीकर	101.40
134.	वीर विजय (सिंधी) अजमेर	50.70
135.	मरुधरा, सीकर	50.70
136.	सच्ची कलम, जयपुर	50.70
137.	चम्बल, कोटा	50.70
138.	भारत जन, सूरतगढ़	50.70
139.	विश्वमान, जयपुर	50.70
140.	सीमासपूत, फलोदी	50.70
141.	बप्पारावल, उदयपुर	50.70
142.	वीरों की पुकार	50,70
143.	तीखातीर, जयपुर	50 70
144.	झंझावत भीलवाड़ा	50.70
145.	अन्ततः चेतना, जयपुर	305.50
146.	वीर जनता, भरतपुर	50.70
147.	पाक्षिक गल्ता की घाटी, जयपुर	50.70
148.	सहमत, जालोर	50.70

1	2	3
149.	शान्तीदूत, जयपुर	50.70
150.	बीकाणा संदेश, बीकानेर	130.[illegible]0
151.	जनपद, जयपुर	243.75
152.	आत्मलोचन, बांसवाड़ा	50.70
153.	पाशुपत, जयपुर	227.50
154.	आदिवासी जागृति, अजमेर	162.50
155.	यादगार, जयपुर	130.00
156.	हलधर की ललकार, जयपुर	269.75
157.	युवा तूफान, आमेट	50.70
158.	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	202.00
159.	चूरू केसरी, चूरू	50.70
160.	राजमार्ग, बून्दी	101.40
161.	बालोतरा टाइम्स, बाड़मेर	50.70
162.	सही दिशा, करौली	50.70
163.	सादलपुर टाईम्स, बालोतरा	50.70
164.	नेहरू पुकार, भरतपुर	50.70
165.	हिन्दी सन्देश, जोधपुर	50.70
166.	तेज, हनुमानगढ़	269.75
167.	सीमान्त टाइम्स, बालोतरा	50.70
168.	पसीना, झालावाड़	50.70
169.	जनता गजट, अलवर	50.70
170.	क्रान्ति बिगुल, बीकानेर	50.70
171.	राजस्थान इको (अंग्रेजी) जयपुर	50.70
172.	हिन्दू ज्योति, सूरतगढ़	50.70
173.	सासवत सत्य, श्रीगंगानगर	50.70
174.	सलूम्बर सन्देश, सलूम्बर	50.70
175.	उलाहना, गीजगढ़	50.70
176.	क्रान्ति शील, जयपुर	269.75
177.	तकनीकी समाचार, कोटा	50.70
178.	प्रभावित, भीलवाड़ा	232.40
179.	युग की आवाज, जयपुर	50.70
180.	भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	50.70

1	2	3
181.	मेनाल, भीलवाड़ा	50.70
182.	सीकर सन्देश सीकर	50.70
183.	श्रम आराधना, जयपुर	50.70
184.	मेरूदण्ड, झालावाड़	269.75
185.	अंगद, बून्दी	101.40
186.	नेता, उदयपुर	50.70
187.	केहरी प्रताप राजाखेडा, भरतपुर	50.70
	पाक्षिक डी० ए० वी० पी० दर से :– (पाक्षिक)	
188.	हलकारा, सादड़ी, पाली	227.50
189.	रोशन किरदार, (हिन्दी) जयपुर	269.73
190.	शोषित समाज, श्रीगंगानगर	227.50
191.	पंजाब समाचार दर्पण, जयपुर	269.00
192.	रोशन किरदार, (उर्दू) जयपुर	269.75
	राज्य सरकार की दर से (पाक्षिक) :–	
193.	गलीचा, जयपुर	50.70
194.	दिशाकल्प, बीकानेर	50.70
195.	वक्त, टोंक	50.70
196.	जैन तीर्थंकर, बाड़मेर	101.40
197.	जागृति जनगण, बीकानेर	169.00
198.	राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर	650.60
199.	लोक शिक्षक, जयपुर	101.40
200.	कामधेनू, बीकानेर	101.40
201.	झोपड़ी की आवाज, बीकानेर	101.40
202.	रोडवेज टाइम्स, कोटा	50.70
203.	महाप्राण, चिड़ावा	101.40
204.	कर्मज्योति, जयपुर	162.50
205.	कोहिनूर, बीकानेर	101.40
206.	अमर इण्डिया, सवाईमाधोपुर	50.70
207.	मण्डी एक्सप्रेस, जयपुर	50.70

1	2	3
208.	मण्ड मेल (अंग्रेजी), जयपुर	169.00
209.	विश्वविजय, अलवर	50.70
210.	दृष्टिकोण, जयपुर	50.70
211.	जंगजू, चित्तौड़गढ़	50.70
212.	बून्दी सन्देश, सवाईमाधोपुर	50.70
213.	स्पष्टमत, जोधपुर	50.70
214.	दावानल, कोटा	50.70
215.	संस्थान, राजसमंद	50.70
216.	शहीदों के सपने, हिण्डौन	50.70
217.	न्यूज किंग, करोली	50.70
218.	जनपतवार, बीकानेर	50.70
219.	न्यायतन्त्र, रतनगढ़	50.70
220.	ग्रामीण, कोटा	50.70
221.	रेलदूत, जोधपुर	50.70
222.	अन्तर्मन, जयपुर	50.70
223.	भभक, अजमेर	50.70
224.	राजस्थान स्टेण्डर्ड, बीकानेर	152.75
225.	निर्माण सन्देश, सूरतगढ़	50.70
226.	ग्रामीणदूत, मण्डावरी	50.70
227.	गुप्तदूत, जयपुर	101.40
228.	विशाल मरूधरा, चूरू	50.70
229.	बल की आवाज, अलवर	50.70
230.	श्रमिक विकास, जयपुर	50.70
231.	संसार चक्र, भीलवाड़ा	50.70
232.	शिक्षा जगत की आवाज, अलवर	50.70
233.	अन्त्योदय योजना, भादरा	50.70
234.	छात्र सैनिक, हिण्डौन	50.70
235.	राजलीडर, पाली	50.70
236.	कर्मचारी साथी, जयपुर	101.40
237.	संकल्प दीप, कुचामन सिटी	50.70
238.	धारदीप, बीकानेर	101.40
239.	प्रागवाट, भीलवाड़ा	50.70

Page No.222

(222)

1	2	3
240.	हकदार, बीकानेर	50.70
241.	देहात केसरी, श्रीगंगानगर	50.70
242.	विजयनगर ज्योति, श्रीगंगानगर	50.70
243.	उठती हुई जन पुकार, हिण्डौन	101.40
244.	यंगपावर, उदयपुर	50.70
245.	कर्मचितन, जयपुर	50.70
246.	विगतवार, पाली	50.70
247.	हनुहुंकार, धौलपुर	50.70

223

राज्य के स्वीकृत समाचार पत्रों को विभिन्न त्यौहारों पर दिये गये सजावटी विज्ञापनों का विवरण

क्र० सं०	पत्र का नाम	त्यौहार का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	किरदार सा०, जयपुर	ईद	458.58
2.	रोशन किरदार, जयपुर	,,	202.80
3.	जयपुर क्रानिकल	,,	338.00
4.	युग की आवाज, जयपुप	इदुल जुहा	179.57
5.	शहीदों के सपने	मोहर्रम	50.70
6.	जयपुर एक्सप्रेस	ईद	229.25
7.	राजस्थान केहरी	,,	208.00
8.	समाजदूत, रामगढ़	गोपाष्टमी	165.10
9.	गो विकास मा०, जयपुर	,,	78.62
10.	गलता की घाटी	ईद	50.70
11.	रोशन किरदार	,,	229.29
12.	हिन्दवासी, अजमेर	पुष्कर मेला	138.12
13	वीर विजय, अजमेर	,,	50.70
14.	गंगानगर ज्योति, श्री गंगानगर	मकर सक्रांति	229.29
15.	यंग लीडर सा०, जयपुर	,,	300.06
16.	लोक शिक्षक	शिवरात्रि	101.40

दीपावली 1979 के अवसर पर राज्य के स्वीकृत पत्रों में छिपे गये सजावटी विज्ञापन की सूची।

क्र० सं०	पत्र का नाम	राशि
1	2	3
	दैनिक	
1-	अमर राजस्थान, जयपुर	364.00
2-	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	1025.00
3-	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	260.00
4-	युगपक्ष, बीकानेर	485.00
5-	प्रताप केसरी, श्री गंगानगर	156.00
6-	हिन्दु सिन्धी, अजमेर	420.00
7-	भारत भूमि, अजमेर	350.00
8-	धरती की पुकार, कोटा	390.00
9-	लोकजीवन, भीलवाड़ा	350.00
10-	ऊदयभानु, धौलपुर	260.00
11-	देश की धरती, कोटा	400.00
12-	राजस्थान टाइम्स, अलवर	260.00
13-	तरुण देश, भीलवाड़ा	156.00
14-	न्याय, अजमेर	485.00
15-	अणिमा, जयपुर	420.00
16-	कूक, जयपुर	485.00
	साप्ताहिक पत्र:—	
1-	युगदूत, जयपुर	269.75
2-	तीखा तीर, जयपुर	50.70
3-	अमर ज्योति, जयपुर	253.50
4-	श्रमिक विकास, जयपुर	50.70
5-	श्रम शक्ति	243.75
6-	पाशुपत, जयपुर	227.50
7-	जनपद, जयपुर	101.40
8-	कर्मज्योति, जयपुर	162.50
9-	आजाद विचार, जयपुर	169.00

1	2	3
10-	यादगार, जयपुर	130.00
11-	क्रान्तिशील, जयपुर	269.75
12-	उद्बोधन, उदयपुर	269.75
13-	चहक, जयपुर	169.00
14-	शान्ति दूत, जयपुर	50.70
15-	वीरों की पुकार, जयपुर	50.70
16-	अन्तर्मन, जयपुर	50.70
17.	सहकार जगत, जयपुर	169.00
16	पहला राजस्थान, जयपुर	169.00
19-	बेधड़क, जयपुर	169.00
20-	संचार समाचार दर्पण, जयपुर	50.70
21-	ग्रामीण दूत, जयपुर	5 .70
22-	पुकार, उदयपुर	169.00
23-	उदयपुर साप्ताहिक, उदयपुर	101.40
24-	भोर सा०, श्री गंगानगर	305.50
25-	पूंजी सेवक, जोधपुर	169.00
26-	आदिवासी जागृति, अजमेर	162.50
27-	मरुमन्थन, बाड़मेर	101.40
28-	ललकार सा०, चित्तौड़गढ़	189.80
29-	मेरुदण्ड, झालावाड़	269.75
30-	ललकार सा०, जोधपुर	269.75
31-	अरावली, उदयपुर	169.00
32-	एकात्म, कोटा	101.40
33-	स्पष्टतम, जोधपुर	50.70
34-	नेता, उदयपुर	50.70
35-	मजदूर ललकार मारवाड़ मूण्डवा	101.40
36-	टाईम्स ऑफ राजस्थान, बीकानेर	169.00
37-	गोडवाड़ टाइम्स, रानी	101.40
38-	नवजीवन, उदयपुर	269.75
39-	इतवारी-पत्रिका, जयपुर	448.50
40-	संसार चक्रपुर, भीलवाड़ा	50.70
41-	प्रभात वृत्ति सा०, भीलवाड़ा	244.50
42-	लोक जीवन, भीलवाड़ा	169.00

220

1	2	3
43-	भभक अजमेर	50.70
44-	राजस्थान स्टेण्डर्ड, बीकानेर	152.75
45-	जैन तीर्थंकर, बाड़मेर	50.70
46-	बाड़मेर टाइम्स, बाड़मेर	101.40
47-	श्रेयांस, किशनगढ़	50.70
48-	राजमार्ग, बूंदी	50.70
49-	बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर	169.00
50-	हिन्दू भूमि, अजमेर	169.00
51-	हमारी मातृभूमि, उदयपुर	50,70
52-	प्रागवाट, भीलवाड़ा	50.70
53-	अंगद बूंदी	101.40
54-	शोषित समाज, श्री गंगानगर	50.70
55-	तलहटी के अंचल से, स्वाईम माधोपुर	50.70
56-	ग्रामराज, जयपुर	305.50
57-	गणराज्य, बीकानेर	305.50
58-	जनपथ, फलौदी	101.40
59-	घुमक्कड़, जयपुर	169.00
60-	क्रोच, जयपुर	269.75
61-	निराला राजस्थान, हिण्डौन	269.75
62-	कर्मचारी साथी, जयपुर	50.70
63-	राजस्थान क्रोनिकल, जयपुर	247.00
64-	अभयदूत सा० जोधपुर	305.50
65-	लोक जीवन, जोधपुर	169.00
66-	हिन्दुस्तानी कर्मचारी, जयपुर	202.00
67-	पूर्वोदय, जयपुर	269.75
68-	गुप्तदूत, जयपुर	101.40
69-	हलधर की ललकार, जयपुर	269.00
70-	नवयत्न, जयपुर	230.00
71-	अन्तस चेतना, जयपुर	305.50
72-	आजाद सन्देश, जयपुर	341.25
73-	हमारा वतन, जयपुर	211.25
74-	राजस्थान भूपाल सागर	247.00

1	2	3
75-	रेलदूत, जोधपुर	50-70

मासिक पत्र :—

1-	भारती मा०, जयपुर	126.35
2-	स्वास्थ्य त्रिवेणी, जयपुर	50.54
3-	होम्यो सेवक, जयपुर	126.35
4-	लेखा विज्ञ, जयपुर	139.00
5-	पशु विज्ञान, जयपुर	99.32

पेयजल समस्या का समाधान

542. **श्री विरेन्द्र प्रतापसिंह** (गुढा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु कटिबद्ध है ? यदि हां, तो इस कार्य को करने के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है ? कृपया योजना का पूर्ण प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुरवाटी पंचायत समिति, जिला झुन्झुनूं में कौन-कौनसी योजनाएं वर्तमान में कार्यरत हैं ? कृपया इन योजनाओं का प्रगति-विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ये योजनायें कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य के समस्त समस्या-ग्रस्त ग्रामों को पेयजल छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सुलभ कराने की राज्य सरकार की घोषित नीति हैं।

(2) योजनाओं की सूची एवं प्रगति का विवरण संलग्न है।

(3) सभी प्रगतिरत योजनाओं को वर्ष 1981-82 में पूरा करने का लक्ष्य है।

तारांकित प्रश्न 542 की सूची

उदयपुर वाटी पंचायत समिति के संधारण में योजनाओं की सूची

क्र. सं. (1)	योजना का नाम (2)	क्र. सं. (3)	गांव का नाम (4)	कोड नं. (5)	जनसंख्या (6)	चालू होने का वर्ष (7)
1.	पाईप्ड योजना छापोली	1	छापोली	103	5189	72–73
2.	पम्प एण्ड टी. सिगनोर	2.	सिगनोर	68	2852	72–73
3.	पाईप्ड योजना गुढ़ा गोड़जी	3.	गुढ़ागोड़जी	78	8 11	73–74
4.	पाईण्ट योजना पौंस	4.	पौंस	108	3764	72–73
5.	पाईप्ड योजना बड़ागांव	5.	बड़ागांव	43	4607	73–74
6.	पम्प एण्ड टैंक भौड़की	6.	भौड़की	69	5220	78–79
7.	पम्प एण्ड टैंक मण्डावरा	7.	मण्डावरा	117	2015	76–77
8.	पम्प एण्ड टैंक चांवरा	8.	चांवरा	110	2268	76–77
9.	पम्प एण्ड टैंक नांगल	9.	नांगल	99	1313	77–78
10.	क्षेत्रीय जल योजना बागोली–मनकलाल	10.	बागोली	122	2177	78–79
		11.	मनकसास	121	2032	78–79
		12.	जोधपुरा	123	1489	78–79
11.	क्षेत्रीय जल योजना बुगाला–छाऊ	13.	बुगाला	37	2674	78–79
		14.	छाऊ	38	1702	78–79
12.	पम्प एण्ड टैंक गुढ़ा	15.	गुढ़ा	115	3912	80–81

1	2	3	4	5	6	7
13	पम्प एण्ड टैंक धमोरा	16.	धमोरा	82	2761	79–80
14.	परम्परागत स्त्रोत	17.	कोट	94	884	80–81
		18.	टीटनवाड़	55	2686	79–80
		19.	भगेरा	36	1812	80–81
		20.	हुकमपुरा	71	1557	79–80
		21.	बागोरा	102	1497	80–81
		22.	धोलाखेड़ा	83	1213	79–80
		23.	जहाज	119	1092	80–81
		24.	दोड़िया	79	1422	79–80
		25.	स्रोह	116	773	80–81
		26.	मावता	118	950	80–81
		27.	खीवनसर	54	891	79–80
		28.	जैतपुरा मनीपुरा	105	713	79–80
		29.	टोडी	70	784	79–80
		30.	मुभाऊ	59	570	80–81
		31.	ईन्द्रपुरा	100	1945	80–81
		32.	सरायसुरपुरा	125	1668	80–81
		33.	छावसरी	53	2526	80–81
		34.	सोथल	41	2051	80–81
15.	हैण्ड पम्प योजना	35.	नाटस	45	656	80–81

उदयपुर वाटी पंचायत समिति में चल रही योजनाओं की सूची जहां विभाग द्वारा कार्य प्रगति पर है ।

क्र० सं०	ग्राम	योजना का विवरण	कोड नं०	जन संख्या	चालू करने का लक्ष्य
1.	सोथली	परम्परागत स्रोत योजना	56	1627	1981–82
2.	नेवरी	,,	114	1283	1981–82
3.	बजावा	,,	40	2570	1981–82
4.	किलोरपुरा	,,	109	1432	1981–82
5.	दीपपुरा	,,	113	1343	1981–82
6.	पोसाना	,,	80	2180	1981–82
7.	वाणी मझाऊ	,,	60	623	1981–82
8.	बामलावास	,,	72	2065	1981–82
9.	बासड़ी	हैण्ड पम्प योजना	107	478	1981–82
10.	हरीपुरा	हैण्ड पम्प योजना	124)		
11,	गमतोका बास	,,	39)		
12.	गुनावता	,,	101)		
13.	भोजगढ़	,,	106)	—योजनाओं का कार्य निकट भविष्य	
14.	बासकाना	,,	49)	में आरम्भ होने की संभावना है ।	
15.	सोनाथपुरा	,,	47)		
16.	नांगल दीपसिंह	,,	74)		

कामां तथा नगर क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण

543. **श्री मुराद खां** (कामां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नगर क्षेत्र तथा कामां क्षेत्र के कितने गांवों में वर्ष 1980 में बिजली पहुंचाई गई तथा वर्ष 1981 में कितने तथा किन-किन गांवों को बिजली पहुंचाई जायगी ?

उत्तर

वर्ष 1980 में कामां क्षेत्र के दो गांवों में बिजली पहुंचाई गई है तथा नगर क्षेत्र के किसी भी गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई है। वर्ष 1981 में विद्युतिकरण हेतु उक्त क्षेत्रों में अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

श्रमिक एवं औद्योगिक न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का निपटारा

544. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के सभी श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयों से वर्ष वार 1977 से जनवरी 1981 तक कितने मामले आये तथा उनमें से वर्ष वार कितने अभी तक नहीं निपटाये जा सके हैं ?

(2) उक्त श्रमिक विवादों के निपटाने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार श्रमिकों को समय पर न्याय सुलभ कराने के प्रयोजन से क्या सुधार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के श्रम न्यायालयों व औद्योगिक न्यायालयों में वर्ष, 1977 से जनवरी, 1981 तक प्राप्त तथा निपटाये गये मामलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्रमिक विवादों को निबटाने का कार्य यथासंभव सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। सरकार श्रमिकों को न्याय अधिक सुलभ कराने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है।

राज्य के श्रम न्यायालयों व औद्योगिक न्यायालयों में वर्ष 1977 से जनवरी, 1981 तक प्राप्त तथा निपटाये गये मामलों की सूची

वर्ष	वर्ष में प्राप्त मामले	पूर्व के विचाराधीन मामले	कुल मामले	निपटाये गये मामले	शेष रहे मामले
1977	711	1386	2097	885	1212
1978	830	1212	2042	818	1224
1979	1168	1224	2392	1000	1392
1980	1512	1392	2904	1093	1811
जनवरी 1981	113	1811	1924	126	1798

पंचायत समिति जसवन्तपुरा के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

545. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या रामसीन कस्बे में पीने का पर्याप्त व मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ? यदि पानी की कमी है व पानी मीठा नहीं है तो क्या सरकार रामसीन कस्बे से दो किलोमीटर की दूरी पर वीटए से मीठा व भरपूर पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) पंचायत समिति जसवन्तपुरा के चांदना गांव में खराब पानी पीने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? ऐसे खराब पानी की समस्या को हल करने में सरकार ने क्या कोई उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्या चांदना, वाडागोगा, सीकवाडा, जोडवाडा, लूर मांडोली हेतु योजना बनाकर पानी की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

(3) क्या पंचायत समिति जसवन्तपुरा ग्राम चांदूर, आजवर आदि की पेयजल योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि नहीं तो कब तक योजना बना कर स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु रामसीन ग्राम में मीठा पानी उपलब्ध होने के कारण वीटए ग्राम में स्रोत बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) चूंकि संदर्भित ग्राम में विभाग द्वारा कोई पेयजल योजना नहीं चलाई जा रही है अतः मृत्यु इत्यादि के सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। समस्या के निदान की दृष्टि से विभाग द्वारा जिला आयोजना समिति की तीन ग्रामों अर्थात् चांदना, सीकवाड़ा व मांडोली हेतु प्रस्ताव दे दिये गये हैं सभी ग्रामों हेतु योजनाओं की क्रियान्विति धन उपलब्धि के अनुसार संभव हो सकेगी।

(3) संदर्भित ग्रामों हेतु एक प्रारम्भिक योजना बनाई गई है जिसकी स्वीकृति धन उपलब्धि पर निर्भर है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में वर्ष 1955 से पूर्व के काबिज कृषकों को खातेदारी अधिकार

546. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के दिनांक 15 अक्टूबर, 1955 से पूर्व के काश्तकारों की ओर से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु लम्बे अर्से से मांग की जा रही है तथा गंगानगर जिले के किसान आन्दोलन की अन्य मांगों के अलावा एक मांग यह भी थी ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने समय समय पर उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों के हकों को महफूज करने हेतु कदम उठाये हैं तथा अधिकतम कृषि भू सीमा तक उन्हें एक मुरब्बा निःशुल्क व बाकी कीमतन आवंटन नियम बनाये थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाये गये

(श्री मालूराम लेघा)

पुख्ता भू आवंटन नियम में विज्ञप्ति सं. एफ. 4 (5)रेवेन्यू/कोलो/77 दिनांक 24 अप्रेल, 1977 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भू आवंटन व विक्रय) नियम व 1975 में संशोधन करके उनकी क्रियान्विति क्यों रोक दी गई ?

(4) क्या सरकार को ज्ञात है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 ए ए ए की उप-धारा (ब) के अन्तर्गत खातेदारी हकों की घोषणा कराने हेतु उक्त क्षेत्र में हजारों आवेदन पत्र विचाराधीन हैं एवं हजारों काश्तकार जानकारी के अभाव में आवेदन पत्र देने से वंचित रह गये हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सन् 1955 से पूर्व के अस्थाई आसामियान को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्त 1971 में इस प्रकार का प्रावधान रखा गया था। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमों को संविधान के विरुद्ध होना घोषित करने पर 1975 में नवीन आवंटन नियम घोषित किये गये थे तथा 1971 के नियम विलोपित हो गये।

(3) राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या एफ 4 (5) राज/उप/77 दिनांक 24-4-77 को अपनी विज्ञप्ति सं. 4(5) राज/उप 77 दिनांक 1-6-77 द्वारा इसलिए विलोपित कर दिया गया था क्योंकि राज्य के विधि सलाहकारों ने यह परामर्श दिया कि उक्त 24-4-77 की विज्ञप्ति उन्हीं न्यायिक आधारों पर भारत के संविधान के विपरीत होगी, जिन आधारों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सन् 1955 से पूर्व के अस्थाई आसामियान को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्त 1971 संविधान के विरुद्ध होना घोषित किया था।

(4) काफी मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा सक्षम अधिकारीगण द्वारा इन पर उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। किन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये यह जानकारी सरकार को नहीं है।

तहसील सरदार शहर में अकाल राहत कार्य

547. **श्री मोहनलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसील सरदारशहर में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां और उस पर कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या पिछले अकाल राहत कार्य में बाकी रहे अधूरे कार्य काम के बदले अनाज योजना या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत पूरे कराये जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील सरदारशहर में 4 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं:–

(श्री मोहनलाल शर्मा)

1. सरदारशहर से नोहर।

2. रतनगढ़ से सरदारशहर (स्टेन्थिग कार्य)।

3. भानीपुरा-सोमासर-भानीपुरा से सोनपातसर।

4. भाजीपुरा महाजन जिला सीमा भोजासर तक।

इनमें से सरदारशहर से नोहर, रतनगढ़ से सरदारशहर के कार्य प्रारम्भ करवाये जा चुके हैं जिन पर क्रमशः 201, 45 मजदूर दिनांक 12-3-81 तक कार्यरत थे।

(2) पिछले वर्ष के काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत अकाल राहत कार्य जो अधूरे रहे थे उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सोरखण्ड (कोटा) में निर्माणाधीन तालाब हेतु अवाप्त भूमि

549. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोरखण्ड तहसील मांगरोल, जिला कोटा में सिंचाई हेतु एक तालाब का निर्माण हो रहा है?

(2) क्या इस तालाब के निर्माण हेतु कुछ किसानों की भूमि बिना मुआवजा दिये निर्माण कार्य के अन्तर्गत ले ली गई है?

(3) क्या इस प्रकार से भूमि का लिया जाना नियमानुकूल है?

(4) सम्बन्धित किसानों को अब कब तक इसका मुआवजा मिलने की आशा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। परन्तु उनकी मौखिक स्वीकृति के पश्चात।

(3) जी नहीं। पर मौखिक स्वीकृति के बाद ऐसा करना भी कोई गैर वाजिब नहीं है।

(4) कार्यवाही चालू है और मुआवजा शीघ्र मील जायेगा।

राज्य को प्राप्त मार्जिन मनी की राशि का उपयोग

550. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को 28 फरवरी, 1980 तक "मार्जिन मनी" के रूप में कब और कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त धनराशि को व्यय करने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा वित्त आयोग ने क्या-क्या निर्देश दिये?

(3) अब तक सरकार द्वारा "मार्जिन मनी" में से कितनी धनराशि कब-कब और कितनी किन कार्यों पर व्यय की गई?

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कृपया जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(4) उक्त प्रदत्त राशियों में से कितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ व क्यों ?

उत्तर

(1) छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार:–राज्य सरकार को मार्जिन मनी के रूप में वर्ष 74-75 से 78-79 तक 10.19 करोड़ की धनराशि प्रति वर्ष की दर से प्राप्त हुई और वर्ष 79-80 से सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 7.74 करोड़ की राशि प्राप्त होती है। तदनुसार ही प्रावधान राज्य के बजट में प्रत्येक वर्ष कर दिया जाता है।

(2) इस धनराशि का प्रयोग राज्य में उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किया जाता है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश तथा केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार मार्जिन मनी का प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं और जनहित के कार्य खुलवाने, कार्यों की मरम्मत एवं निःशुल्क सहायता आदि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मार्जिन मनी की धनराशि राज्य सरकार के वार्षिक योजना बजट के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं की जायेगी। यह धनराशि अग्रिम योजना सहायता के अतिरिक्त समझी जायेगी। यदि बाढ़, भूकम्प आदि आपदायें आती हैं तो केन्द्रीय सहायता सोन प्लान ग्रान्ट के रूप में दी जायेगी, जिसका राज्य के योजना बजट में से समायोजन नहीं किया जायेगा।

(3) जिलेवार आंकड़े संलग्न परिशिष्ठ 'क', 'ख', 'ग', 'घ' पर उपलब्ध हैं।

(4) वर्ष 74-75 से प्रश्न–1 के उत्तर में बताई गई स्थिति के अनुसार प्राप्त मार्जिन मनी के विरुद्ध हुए वर्ष वार व्यय का ब्यौरा:–

वर्ष	व्यय (लाखों में)
1974-74	704.16
1975-76	1025.86
1976-77	207.40
1977-78	265.68
1978-79	430.54
1979-80	1124.00

विभिन्न राहत कार्यों पर उपलब्ध मार्जिन मनी का उपयोग राज्य में उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं की विषमता के अनुसार ही होता है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि जहां वर्ष 74-75, 76-77, 77-78 एवं 78-79 में पूरी मार्जिन मनी का उपयोग नहीं हुआ है वर्ष 75-76 एवं 79-80 में आपदाओं की विषमता के अनुसार अधिक व्यय भी हुआ है। वर्ष 80-81 की मार्जिन मनी में से कोई राशि शेष नहीं है।

(सूची के विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 'क'

STATEMENT SHOWING EXPENDITURE INCURRED UNDER HEAD 289 RELIEF ON ACCOUNT OF NATURAL CLAMITIES DURING THE YEAR 1976–77

S. No.	Name of Distt.	Head of Account										
		Water Trans- porta- tion	Cost of drinking water wells	Repairs of wells	Rehabi- litation	Other Grants	Cash Dolles	Food & Clothing	R.F.S.	Rev. Works	Fodder	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ajmer	–	–	–	–	–	0.09	0.02	0.05	–	–	0.16
2.	Alwar	–	–	–	–	–	–	0.04	0.26	0.35	–	0.65
3.	Banswara	–	–	–	–	–	–	0.05	0.01	–	–	0.06
4.	Barmer	–	–	–	–	–	–	0.07	0.09	–	–	0.16
5.	Bharatpur	–	–	–	0.18	–	3.77	–	0.23	–	–	6.35
					1.50 (by Ex. En. Irrigation)				0.67 (By adjustment)			
6.	Bhilwara	–	–	–	–	–	–	–	0.03	–	–	0.03

1	2	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Bikaner	0.01	–	–	–	–	–	–	0.03	–	–	0.04
8.	Bundi	–	–	–	–	–	–	–	0.01	–	–	0-01
9.	Churu	–	–	–	0.08	–	–	–	0.06	–	–	0.14
10.	Dungarpur	–	–	–	–	–	–	–	0.02	0.08	–	0.10
11.	Ganganagar	–	–	–	0.96	–	–	0.20	0.07	–	–	1 23
12.	Jaipur	–	–	–	–	–	–	–	0.09	–	–	0.09
13.	Jaisalmer	0.02	–	–	–	–	–	–	0.06	–	–	0.08
14.	Jalore	–	–	–	–	–	–	0.04	0.14	–	–	0.18
15.	Jhalawar	–	–	–	–	–	0.10	0.02	–	–	–	0.12
16.	Jhunjhunu	–	–	–	–	–	–	0.02	0.17	–	–	0.19
17.	Jodhpur	0.08	0.02	–	–	–	0.90	–	0.03	–	–	1.03
18.	Nagaur	–	–	–	0.05	–	0.02	0.05	0.10	–	–	0.22
19.	Pali	–	–	–	–	0.04	–	–	0.07	–	–	0.11
20.	Sawai Madhopur	–	–	–	–	–	–	–	0.06	–	–	0.06
21.	Sirohi	–	–	–	–	–	0.12	–	–	–	–	0.12
22.	Sikar	–	–	–	–	–	0.14	–	0.41	–	0.50	1.05
23.	Tonk	–	–	–	–	–	–	–	0.02	–	–	0.02
	Total	0.11	0.02	–	2.77	0.04	5.14	0.51	2.68	0.43	0.50	12.20

Page No.240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Through P. H. E. D.			14.95								14.95
	P. W. D. Mech. Div.											
	Jodhpur	5.29										5.29
	Agri. Deptt.											0.46
	Forest Deptt.											0.03
	P. W. D.											51.54
	Irrigation											112.13
	Administrative Charges											10.80
	TOTAL :—											207.40

निकुम से बड़ी सादड़ी तक सड़क निर्माण

551. **श्री उदयराम** (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने निकुम से बड़ी सादड़ी तक की सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर 5 जगहों पर पुलियाओं का निर्माण आवश्यक है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर 5 पुलियाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) यह मसला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

ग्राम पंचायत दलपुरा (सवाई माधोपुर) के सरपंच के विरुद्ध आरोपों में कार्यवाही

552. **श्री चेतराम** (टोडा भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दलपुरा, पंचायत समिति नादौती (सवाई माधोपुर) के सरपंच के विरुद्ध जांच होने पर गबन व भ्रष्टाचार के सभी गम्भीर आरोप सही सिद्ध हुए हैं ? ददि हां, तो सरपंच को निलंबित कर फौजदारी मुकदमा क्यों नहीं बनाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही भवन को प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला, औषधालय, संस्कृत शाला, यज्ञ शाला बतला कर झूठे बिल बनाये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि एक भवन होते हुए सभी भवनों के नाम पर बाउन्ड्री वाल का तखमीना अलग अलग बनाया है ?

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक धन एवं सरकारी राशि से बनने वाले इस भवन पर सरपंच ने कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार इसे व्यक्तिगत कब्जे से हटाकर सरकारी कब्जे में लेने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । सरपंच ग्राम पंचायत दलपुरा के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 29-3-79 को जिलाधीश, सवाई माधोपुर को जांच हेतु भेजी गई तथा अपर जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा जांच कराई गई । अपर जिलाधीश की जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्यों को बिना स्वीकृति कराये जाना, जन सहयोग का सामान व नकद जन सहयोग को क्रमश: स्टाक रजिस्टर में गलत लेखा जोखा दिखाना व रकम बैंक अथवा पोस्ट आफिस में जमा नहीं कराना, रेकार्ड व मस्टर रोल में गड़बड़ी करना, जन सहयोग से प्राप्त सीमेंट के थैलों में घोटाला किया जाना सम्बन्धी अनियमिततायें सामने आई । जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर दिनांक 18-1-80 को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच करने हेतु जिलाधीश को लिखा गया ।

(श्री चेतराम)

निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच जिला स्तर पर कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर एवं सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। जांच रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के लिए उप जिला विकास अधिकारी को तार भेजा जा चुका है।

(2) जी नहीं। जिलाधीश की सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला, औषधालय, संस्कृत शाला का निर्माण एक ही एरिया में एक ही जगह है। निर्माण अलग-अलग किया हुआ है। किन्तु इन कार्यों का निर्माण नियमानुसार स्वीकृति लेकर नहीं कराया गया है।

(3) जी नहीं। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सच नहीं है कि सार्वजनिक धन एवं सरकारी राशि से कराये गये निर्माण कार्यों पर सरपंच का व्यक्तिगत कब्जा है। अतः निर्माण कार्यों पर से व्यक्तिगत कब्जा हटाकर सार्वजनिक सरकारी कब्जे में लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जिला टौंक में उद्योगों को प्रदत्त अनुदान राशि

553. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला टौंक में कौन कौन से उद्योगों को अनुदान की राशि दी गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन किन उद्योगों को यह राशि प्रदान नहीं की गई? जिनको नहीं दी गई उनके कारण क्या हैं? कृपया ऐसे उद्योगों की सूची भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक जिले में 210 लघु उद्योगों को अनुदान की राशि दी गई है। इकाईयों के विवरण की सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) टौंक जिले में कुल 21 लघु उद्योग इकाईयां ऐसी हैं जिनको अनुदान की राशि प्रदान नहीं की गई है। इनमें से 18 इकाईयों को उद्योग विभाग एवं 3 इकाईयों को राजस्थान वित्त निगम (मुख्यालय), जयपुर द्वारा प्रदान नहीं की गई। विवरण की सूची 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई हैं। अनुदान नहीं देने का कारण सूची 'ब' में अंकित इकाईयों के नामों के आगे दर्शाया गया है।

242

जिला उद्योग केन्द्र, टोंक द्वारा टोंक जिले में जिन-जिन उद्योगों को अनुदान की राशि स्वीकृत की गई उनकी सूची–

क्र० सं० 1	नाम इकाई 2	स्वीकृत अनुदान राशि 3
	उद्योग विभाग :	
1.	मै० इलेक्ट्रों कैम, देवली	3968-00
2.	,, लक्ष्मी आयल इन्ड०, टोंक	19904-00
3.	,, शुद्ध तेल उद्योग टोंक	5615-00
4.	,, नरेश आयल मिल, टोंक	5456-00
5.	,, विमल आयल इन्ड० झिराना	5482-00
6.	,, राजेन्द्र कुमार एण्ड० कं० निवाई	21197-00
7.	,, अग्रवाल आयल मिल, टोंक	4693.00
8.	,, ए० कुमार ऐन्टरप्राईजेज टोंक	6066-00
9.	,, श्रीराम आयल इण्ड० निवाई	799-00
10.	,, स्वास्तीक आयल इण्ड० निवाई	57058-00
11.	,, रमेश आयल इण्ड० निवाई	42237-00
12.	,, माया निटिंग सेन्टर टोंक	303-00
13.	,, जैन आयल मिल, देवली	773-00
14.	,, श्रीराम कारपेट, टोंक	1830-00
15.	,, प्रभात रोलिंग शटर्स, टोंक	4[illegible]45-00
16.	,, गोविन्द ईण्ड०, टोंक	5443-00
17.	,, दीप वूलन कारपेट, टोंक	2137-00
18.	,, देव आयल इण्ड० डारका तुर्की	20603-00
19.	,, जगदीश करपेट बाडी	1316-00
20.	,, यूनीवर्सल इण्ड० देवली	9855-00
21.	,, श्रीराम कारपेट, टोंक	3115.00
	राजस्थान वित्त निगम :	
1.	मै० मोरालिया ब्रदर्स	26050
2.	,, कैलाश उद्योग	9600

(243)

1	2	3
3.	मै० इस्लामुद्दीन नम्दा मैन्यूफैक्चरिंग	9300
4.	,, राजस्थान प्लास्टिक इण्ड०	9900
5.	,, मार्डन वुलन कारपेट्स प्रा० लि०	97300
6.	,, सीताराम एण्ड कम्पनी	16560
7.	,, जनधारा कन्डक्टर्स प्रा० लि०	115761
8.	,, राजस्थान संगमरमर उद्योग	16500
9.	,, दी० श्रीनिवास गोविन्द इण्ड०	36200
10.	,, ग्रार० ग्रार० विजयवर्गीय फोटोकापियर्स	3636
11.	,, लक्ष्मी ग्रारा मशीन	3400
12.	,, मेहता सीमेंन्ट वर्क्स	97034
13.	,, ग्रशोका ग्रायल मिल	25475
14.	,, बून्दी ग्रीन मारबल	34000
15.	,, प्रेम दाल मील्स	17845
16.	,, वनास ग्रोपन पान शुगर फैक्ट्री प्रा० लि०	17857
17.	,, लायन्स फैक्ट्रीज इण्ड०	73000
18.	,, राजस्थान स्टोन-क्रेशिंग कं०	1130
19.	,, महावीर इण्ड०	5500
20.	,, केदार नाथ ग्राईस केण्डी	4500
21.	,, भगवती इण्ड०	7890
22.	,, चौधरी इण्ड०	5250
23.	,, राजस्थान सीमेंन्ट प्रोडक्ट्स	38800
24.	,, राईट कन्डक्टर्स मैन्यू०	98000

उप निदेशक राजस्थान वित्त निगम टौंक द्वारा :

क्रमांक :	इकाई का नाम	राशि
1	2	3
1.	मै० राम भजन बाबू फ्लोर मिल्स निवाई, जिला टौंक	1500
2. ,,	अजीज हाथकर्घा उद्योग टौंक	1650
3. ,,	अग्रवाल गारनेट इण्ड० पछारी, जिला टौंक	900
4. ,,	शंकर फ्लोर मिल्स जूनिया जिला टौंक	1800
5.	रमेश ग्रायल मिल्स बनवा तहसील देवली जिला टौंक	9000
6. ,,	महावीर ग्रायल मिल्स, सोडा जिला टौंक	20688
7. ,,	सिगोधिया ए० सी० पाईप प्रोडक्टस टौंक	14700
8. ,,	मासवी ग्रायल मिल्स किराना जिला टौंक	5490
9. ,,	मोहम्मद अजीज ग्रारा मशीन टौंक	2250
10. ,,	महेश दाल मिल मालपुरा जिला टौंक	14400
11. ,,	रामेश्वर फ्लोर मिल डंगरथल तहसील निवाई टौंक	1575
12. ,,	अग्रवाल ग्रायल मिल लावा तहसील मालपुरा, टौंक	3675
13. ,,	मासहा अलागारनेट उद्योग तहसील मालपुरा टौंक	915
14. ,,	मोहन ग्राई कैण्डी डिग्गी, जिला टौंक	4050
15. ,,	सुल्तान इण्ड० नासीरदा जिला टौंक	4800
16. ,,	टौंक ग्रायल इण्ड० देवली जिला टौंक	4222
17. ,,	किरात बॉक्स भण्डार, टौंक	24175
18. ,,	खुर्शीद पोल फैक्ट्री देवली, टौंक	2175
19. ,,	सुनील गाननेट इण्ड० चांदसेन जिला टौंक	750
20. ,,	राम फ्लोर मिल० अरनियामाल जिला टौंक	1605
21. ,,	सुरेश ग्रायल मिल अम्बापुरा जिला टौंक	4500
22. ,,	जैन ग्राई कैण्डी राहोली तहसील निवाई जिला टौंक	4050
23. ,,	संतोष कन्फैसनरी लावा जिला टौंक	4150
24. ,,	अग्रवाल गारनेट उद्योग चांदसेन जिला टौंक	689
25. ,,	जैन ग्राईस कैण्डी नगरकोर्ट तहसील देवली जिला टौंक	4034
26. ,,	सरदार रेडिमेट गारमेट टौंक	900
27. ,,	महावीर उद्योग टौंक	20250
28. ,,	हबीबू रहमानि कल्याण ठौरवा धून्सी तहसील निवाई, टौंक	5055
29. ,,	एस० राना इण्ड० जिला टौंक	16695

२५५

1	2	3
30.	मै० अरुण नमदा फैक्ट्री टौंक	8700
31.	,, कमल कारपेट इण्ड०	4550
32.	,, शिव आयल मिल्स, टौंक	4250
33.	,, शिगल सर्विस स्टेशन, टौंक	7462
34.	,, गजेन्द्र आयल एण्ड आरा मशीन रिन्दलिया तहसील, मालपुरा, जिला टौंक,	5160
35.	,, महेन्द्र गारमेट उद्योग चांदसेन जिला टौंक	900
36.	,, नरेन्द्र गारनेट इण्ड० पारी तहसील निवाई, टौंक	900
37.	,, जैन गारनेट इण्ड० पारी तहसील निवाई, टौंक	900
38.	,, विनोद गारनेट इण्ड० पारी पहसील निवाई, टौंक	900
39.	,, अग्रवाल आयल इण्ड० जनवा तहसील देवली, टौंक	4200
40.	,, मनीश कारपेट धन्ना तलाई, टौंक	2000
41.	,, रामकल्या फ्लौर मिल, टौंक	1170
42.	,, सरोज इन्टरनेशनल टौंक	3150
43.	,, शर्मा इंजिनियरिंग टोडारायसिंह, मालपुरा, टौंक	10950
44.	,, शिवदास गारनेट इण्ड०दर्दा हिंदी टौंक	1575
45.	,, श्याम दाल मिल टौंक	7737
46.	,, भवनी इण्ड० निवाई	6645
47.	,, पंचाल वड वर्क्स खरीला	5550
48.	,, शिव गारनेट उद्योग डिग्गी	915
49.	,, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस मालपुरा, टौंक	2850
50.	,, जांगीड़ आरा मशीन, मेपूर	2760
51.	,, शिगल फ्लौर मिल, किराना टौंक	1605
52.	,, किशान कृषि यंत्र उद्योग, धान	24750
53.	,, दिनेश गारनेट उद्योग चांदसेन	900
54.	,, सुरेश आयल मिल्स, टोडा रायसिंह	
55.	,, मदन लाल चूने का भट्टा उद्योग, नगरफोर्ट	2925
56.	,, शान्ती फ्लौर मिल, टौंक	1572
57.	,, अनिता इण्ड० लावा	900
58.	,, टौंक गारनेट, टौंक	900
59.	,, जैन आयल मिल्स, अलीगढ़	2925
60.	,, परवेज गारनेट एण्ड पोलिसींग इण्ड० मालपुरा	900
61.	,, अनन्त राम गिरीराज प्रसाद वुड वर्क्स, टौंक	3300

Page No.247

2५6

1	2	3
62.	मै० गोयल गारनेट उद्योग देवली	915
63.	,, सूर्य गारनेट उद्योग डिग्गी	900
64.	,, विजय गारनेट उद्योग चांदसेन	900
65.	,, चावला सोप फैक्ट्री टौंक	2650
66.	,, अग्रवाल प्रोडक्ट्स देवली	3000
67.	,, सुरेश प्रिंटर्स एण्ड स्टेशनर्श	5550
68.	,, मधु सुरीता ग्रामोद्योग सुरेली	2850
69.	,, केसरी कारपेट टौंक	2850
70.	,, जैन डायमण्ड कटिंग एण्ड पोलिसिंग मशीन टौंक	4590
71.	,, शर्मा गारनेट उद्योग भिराना टौंक	915
72.	,, विश्वकर्मा ग्रारा मशीन भिराना जिला टौंक	5100
73.	,, गोपाल ग्रायल मिल टोडारायसिंह	2700
74.	,, चावरिया कारपेट टौंक	4250
75.	,, जैन गारनेट उद्योग देवली	1237
76.	,, विजयवर्गीय मशाला गृह उद्योग टोंक	6840
77.	,, सुरेश कारपेट बनेठा	3675
78.	,, न्यू ग्रनोखी रेडिमेट गारनेट	4502
79.	,, जय नारायण कारपेट्स	9900
80.	,, यूसुफ गारनेट इण्ड०	1050
81.	,, नरेन्द्र मैटल फाऊण्ड्री वर्क्स टौंक	15000
82.	,, राज गारनेट वर्क्स टौंक	915
83.	,, जैन ग्राईस कैण्डी धूनी	4305
84.	,, राज गारनेट इण्ड० टौंक	525
85.	,, ग्रंजता कारपेट्स मालपुरा	3000
86.	,, जुगरी स्टोर टौंक	1800
87.	,, ग्रोम मसाला फैक्ट्री नासीरदा	4044
88.	,, एस० के० कारपेट पीपलू	3000
89.	,, बहादुर कार्पेट्स दारदा तुर्की	1800
90.	,, सिंगल ग्रायल इण्ड० टौंक	16608
91.	,, भगवती हैण्डलूम इण्ड० जिला टौंक	3600
92.	,, जैन ग्राईस कण्डी फैक्ट्री नासीरदा	4027
93.	,, सेनी गारनेट उद्योग भिराना	525

1	2	3
94.	मै० राजेश गारनेट उद्योग चांदसेन तहसील मालपुरा टौंक	525
95.	,, बाबा ऐन्टरप्राईजेज टौंक	4455
96.	,, महेन्द्र ग्राईसकॅण्डी एण्ड ग्रायल मिल ग्रनेठा तहसील ग्रलीगढ़, टौंक	4020
97.	,, मिठ्ठू गारनेट इण्ड० निवाई जिला टौंक	525
98.	,, गोयल इण्ड० टौंक	8100
99.	,, लक्ष्मी ग्रारा मशीन धोलाखेरा	11625
100.	,, श्रीराम हैण्डलूम उद्योग टौंक	675
101.	,, प्रिंस रेडीमेट गारमेट्स शखपुरा टौंक	1810
102.	,, महालक्ष्मी ग्रायल मिल्स, टोडारायसिंह	3150
103.	,, उत्तम ग्रायल मिल चांन	10950
104.	,, संसार रोलिंग शटर वर्क्स टौंक	4200
105.	,, चौधरी गारनेट इण्ड० दारदाहिंद टौंक	525
106.	,, मनीश कारपेट्स धनातलाई दोलतपुरा टौंक	2775
107.	,, पंचाल ग्रारा मशीन धास टौंक	5309
108.	,, विजय गारनेट इण्ड० महुग्रा टौंक	525
109.	,, ग्राशा गारनेट एन्टरप्राईजेज चान टौंक	1050
110.	,, कृषि यन्त्र रिपेयरिंग एण्ड वेल्डिंग वर्क्स टौंक	4500
111.	,, श्रीराम हैण्डलूम उद्योग टोडारायसिंह टौंक	1125
112.	,, कमल कारपेट इण्ड० टौंक	5550
113.	,, मजल इण्ड० कारपोरेशन टौंक	2310
114.	,, सुनील इण्ड० नगरपोर्ट टौंक	25000
115.	,, रेगिस्तान कारपेट मोतीबाग रोड टौंक	14640
116.	,, विश्वकर्मा ग्रारा मशीन जौराना टौंक	8500
117.	,, मोहम्मद इस्माईल एण्ड ब्रदर्स निवाई	4950
118.	,, जे० एस० इण्ड० बिसालपुर	1050
119.	,, रमेश रेडिमेट गारमेट्स छावनी टौंक	2043
120.	,, यादव कारपेट फैक्ट्री धोलाखेरी छावनी टौंक	4650
121.	,, सुनील गारनेट उद्योग टौंक	525
122.	,, शर्मा गारनेट इण्ड० टौंक	525
123.	,, सुनील फर्नीचर इण्ड० टौंक	2092
124.	,, कोमरिक इन्टरनेशनल टौंक	4755

1	2	3
125.	मै० कैमल ग्राइस कैण्डी नानर	4044
126.	,, कृष्णाग्रामोद्योग छावनी, टौंक	2100
127.	,, मार्बल एण्ड मिनरल्स इण्ड० देवली	4950
128.	,, ग्रार० जी० कारपेट्स टोडारायसिंह, टौंक	5000
129.	,, जनता रेडीमेट गारमेंट टौंक	5700
130.	,, चौहान ग्रायल मिल पलाई, टौंक	4350
131.	,, सनमति फर्नीचर देवली टौंक	9600
132.	,, गणेश दाल मिल नवगांव रानीपुरा टौंक	21000
133.	,, कमला गारनेट उद्योग मालपुरा टौंक	525
134.	,, नावा गारनेट उद्योग वासु	540
135.	,, वैष्णव गारनेट उद्योग वासु, टौंक	540
136.	,, दिलीप गारनेट उद्योग वासु, टौंक	540
137.	,, रवि गारनेट उद्योग वासु	540
138.	,, लक्ष्मी इन्जि० वर्क्स निवाई टौंक	12900
139.	,, गोविन्द गलीचा उद्योग नगरपोर्ट, टौंक	2400
140.	,, रामदेव लेदर इण्ड० धूनी टौंक	4000
141.	,, मौ० इस्माईल कारपेट्स ग्रलीधर टौंक	3150
142.	,, प्यारेमिया सन् ग्राफ रसीद खान ग्रलीगढ़ टौंक	3075
143.	,, नामावथ गारनेट उद्योग वसु टौंक	540
144.	,, मौ० पुत्र श्री गन्ने खां टौंक	2250
145.	,, इण्डियन कारपेट्स इनदोदा टौंक	3000
146.	,, राजेन्द्र स्टोन-क्रशिंग कं० निवाई	19500
147.	,, श्री महावीर ग्रायल इण्ड० टौंक	3180
148.	,, महावीर इण्ड० निवाई	11720
149.	,, केदारनाथ ग्राईस कैण्डी टौंक	4500
150.	,, भगवती इण्ड० टौंक	7890
151.	चौधरी इण्ड० टौंक	5250
152.	,, राजस्थान संगमरमर उद्योग देवली	38962
153.	,, ग्रार० ग्रार० विजयवर्गीया फोटो कापीयर्स टौंक	45322
154.	,, लक्ष्मी ग्रारा मशीन धूलाखेरा	6975
155.	,, मेहता सीमेंट वर्क्स निवाई	105565
156.	,, ए० के० फोटोकापियर्स मालपुरा	2557

Page No.250

(249)

1	2	3
157.	मै० माडर्न वूलन कारपेट लि० टोंक	125112
158.	,, अशोका आयल मिल मालपुरा	26850
159.	,, बूंदी ग्रीन मार्बल इण्ड० देवली	3825
160.	,, प्रेम दाल मिल मालपुरा	17745
161.	,, बनास ओपन पान शुगर फैक्ट्री प्रा० लि० वनस्थली	17857
162.	,, लायन्स प्रसेरेरड इण्ड० निवाई	109467
163.	,, मोडलिया ब्रदर्स देवली	45050
164.	,, राजस्थान सीमेंट प्रोडक्ट्स निवाई	112500
165.	,, राईट कन्डक्टर मैन्यफैक्चरींग निवाई टोंक	115350

———

250

टोंक जिले की जिन-जिन इकाइयों के अनुदान प्रार्थना पत्रों पर अनुदान नहीं दिया गया उनकी सूची मय कारणों के

उद्योग विभाग :–

क्र० सं०	नाम इकाई	अनुदान स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण
1	2	3
1.	मै० देवला स्टोन फिनिशिंग फैक्ट्री, देवली	पार्टी से निरन्तर सम्पर्क किया गया पर दस्तावेज पूर्ण करने में सहयोग नहीं दिया।
2.	मै० ए० एल० इण्डस्ट्रीज, निवाई	आवेदन पत्र निरस्त किया गया क्योंकि बार-बार सम्पर्क करने के उपरान्त भी इकाई का मालिक नहीं मिलता।
3.	मै० सूर्य आयल मिल, पुष्पा कला	आवेदन पत्र कार्यालय के प्रयासों के बावजूद भी इकाई द्वारा पूर्ण नहीं किया गया।
4.	मै० बाबा रामदेव आयल मिल, दूनी	आवेदन पत्र निरस्त किया गया, क्योंकि इकाई ने आर०आई०पी० का सही उपयोग नहीं किया।
5.	मै० निर्मल उद्योग निवाई	आवेदन पत्र अपूर्ण है इकाई नहीं मिलती है।
6.	मै० सन्दीप मैटल इण्ड० टोंक	आवेदन पत्र अपूर्ण है पूरा कराया जा रहा है।
7.	मै० हिन्दुस्तान रिपेयरिंग वर्क्स टोडारायसिंह	आवेदन पत्र अपूर्ण है।

1	2	3
8.	मै० अग्रवाल आयल मिल, टोंक	राज्य सरकार द्वारा आटा चक्की पर अनुदान बन्द कर दिया गया है।
9.	मै० शिव कारपेट्स, टोंक	आवेदन की लूमे विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई है जिसका उद्यमी द्वारा निरन्तर प्रयास के बावजूद भी सत्यापन नहीं कराया जा रहा है।
10.	मै० के० पी० एण्ड कम्पनी, टोंक	आवेदन पत्र अपूर्ण है।
11.	मै० ए० कुमार इण्टरप्राइजेज, टोंक	आवेदन पत्र अपूर्ण है।
12.	मै० जैन इण्डस्ट्रीज, दूनी	कारपेट लूम का उद्यमी सत्यापन नहीं करवाता तथा प्रार्थना पत्र अपूर्ण है, जिसकी उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा पूरा कराया जा रहा है।
13.	मै० बाबा रामदेव फ्लोर मिल नील आरनिजा	राज्य सरकार द्वारा आटा चक्की पर अनुदान बन्द कर दिया गया है।
14.	मै० दुर्गा शंकर गारमेन्ट उद्योग किराना	आवेदन पत्र अपूर्ण है।
15.	मै० मोहन गारनेट उद्योग किराना	आवेदन पत्र अपूर्ण है।
16.	मै० शुद्ध तेल उद्योग टोंक	आवेदन पत्र अपूर्ण है। जिसे पूर्ण कराया जा रहा है।
17.	मै० शागीर गारनेट उद्योग टोंक	आवेदन पत्र अपूर्ण है।

(252)

1	2	3
18.	मै० नाथूलाल पुत्र श्री भंवरलाल जैन देवड़ावास	आवेदन पत्र अपूर्ण है।
	राजस्थान वित्त निगम, जयपुर	
(1)	मै० अग्रवाल आयल इण्डस्ट्रीज,	शर्तों का पालन नहीं करने के कारण
(2)	मै० ए० के० फोटोकापियर्स	शर्तों का पालन नहीं करने के कारण
(3)	मै० महावीर आयल इण्ड० जयपुर	शर्तों का पालन नहीं करने के कारण

दौसा कस्बे में पेयजल की व्यवस्था

554. श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिका मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या दौसा कस्बे में जल प्रदाय सम्बन्धी पाइप लाइन कई वर्षों से अब तक नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक सभी वार्डों में पाइप की व्यवस्था कर पेयजल समस्या का हल कर दिया जायगा ?

उत्तर

दौसा शहर की पेयजल योजना का पुनर्गठन कुछ ही वर्ष पहले (1974-75) में किया गया था। नगर में सभी वार्डों में लाइन डालना धन उपलब्धता पर निर्भर है।

सिकराय क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के विचारार्थ विकास योजनायें

555. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सिकराय में सड़क निर्माण तथा गीजगढ़ में गौण मण्डी यार्ड बनाने हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्या इसके टेण्डर हो चुके हैं ?

(2) सिकराय क्षेत्र में विपणन बोर्ड द्वारा और कौनसी योजनायें विकास कार्य हेतु हाथ में ली जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सिकराय में सड़क निर्माण हेतु 1979-80 में 1.20 लाख रु० की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। उसके अनुसार टेण्डर आमन्त्रित कर 26-4-80 को कार्यादेश भी दे दिया गया था परन्तु इस सड़क पर बरसाती नाले का बहाव होने के कारण सड़क को ऊंचा उठाना आवश्यक समझा गया। परन्तु यदि सड़क को ऊंचा उठाया जाता है तो नाले का पानी घरों व दुकानों में चले जाने की सम्भावना है। अतः इस विषय में पूरी तकनीकी जांच कराई जा रही है जिसके बाद ही विधिवत पुनः टेण्डर किये जा सकेंगे।

गीजगढ़ में गौण मण्डी में कुछ निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृति की गई है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

कार्यालय एवं गोदाम	1.12 लाख
नीलाम चबूतरे	0.54 ,,
जल वितरण व्यवस्था	0.75 ,,
सैनेटरी कार्यों के लिये	0.07 ,,
कुल योग	2.48 लाख रु.

(2) सिकराय क्षेत्र में अभी कोई और योजना हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं हैं।

जिला बांसवाड़ा में तालाबों का निर्माण व लिफ्ट सिंचाई योजनायें

श्री बहादुर सिंह (दानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री बहादुर सिंह)

(1) क्या केसरपुरा, परतापुर ए, परतापुर बी, चौपासाग खुमजी का पारडा व वेड़वा की ढाणी के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गयी तथा यह राशि कब कब व्यय की गयी ? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें । क्या यह योजना अब भी चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सिंचाई विभाग द्वारा बांसवाड़ा में तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन कौन से तालाब बनाये जा रहे हैं ? इनसे कितनी भूमि सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) वेड़वा को आधी एवं केसरपुरा को छोड़कर शेष योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं । इन योजनाओं से सिंचाई की जा रही है । योजनावार विवरण "सूची-अ" में संलग्न है ।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में 17 तालाब निर्माणाधीन है, जिनकी अनुमानित लागत रु० 265.46 लाख है एवं इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 2012 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी । योजनावार विवरण "सूची-ब" में संलग्न है ।

255

तारांकित प्रश्न 556 की सूची

संलग्न तालिका 'अ'

निर्माणाधीन/पूर्ण की गई लिफ्ट योजनाओं की सूची :–

क्र०सं०	नाम योजना	कुल व्यय	वर्ष
1-	केसरपुरा	13.60 लाख रु०	1974-76 तक
2-	परतापुर-ए	1.24 लाख रु०	1970-74 तक
3-	परतापुर-बी	1.75 लाख रु०	1070-74 तक
4-	चौपासाग	1.46 लाख रु०	1970-74 तक
5-	सुगजी का पारडा	1.18 लाख रु०	1970-74 तक

सूची-ब

निम्नलिखित सदस्य बताये जा रहे हैं :—

क्र०सं०	नाम	सिंचाई हैक्टअर्स में
1-	नागदा	152
2-	गोयका प्रसाद	250
3-	जीवसी	53
4-	बडवास	29
5-	सारन का माका	77
6-	सामा चाहा	63
7-	गोरचा	119
8-	वारीमागा	113
9-	गोमधोर रेंजिंग	355
10-	नालदा	71
11-	महेशपुरा	43
12-	बरवाला मण्छार	23
13-	वोरपी केरिंग	75
14-	मोरचानिया	159
15-	छापरिया	95
16-	बौरधावर	155
17-	डूंगलावनी	160
		2012

तहसील कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) के ग्रामों का विद्युतीकरण

557. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में बिजली पहुंचाई जाना प्रस्तावित है ? कृपया उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना काल में बांसवाड़ा जिले में अब तक स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत तहसील कुशलगढ़ क्षेत्र के 88 ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है । ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(222)

तारांकित प्रश्न 557 की सूची

सज्जनगढ़ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत पोटेन्शियल ग्रामों की सूची

क्र.सं. 1	ग्राम का नाम 2	क्र.सं. 3	ग्राम का नाम 4
1.	पडला मोखा	31-	माल्हर पारा
2.	कवाडिया	32.	गोमा का बारिया साथ
3.	घाटिया	33.	पतरिया
4.	महूरी	34.	कुराली पारा
5.	बाजवा ग्राम्बा	35.	पावटा साथ
6.	गोदावर नारंग	36.	जालमपुरा
7.	अघोरिया	37.	रोहनिया
8.	इटाला	38.	पडवल ओकार
9.	टीम्बा महूरी	39.	राहनिया माना
10.	टारी कालू	40.	रुपगढ़
11.	झाकोरिया भादेर	41.	टाडी खुरदा
12.	झाकोरिया गाथा	42.	टांडी कालत
13.	खूडनी नाला	43.	गोयका पारगी साथ
14.	खूँडे रुपा	44.	किशनपारा
15.	गोरा	45.	मालपारा
16.	लसाडिया	46.	बिया पारा
17.	भारवल	47.	चिया का साथ
18.	खूंटा जीवा	48.	महूरी
19.	हरेन्द्रगढ	49.	मसका खुरद
20.	लोटारिया छोटा	50.	कसारवाडी
21.	सिमेला	51.	हस्का कलान
22.	बोली पारा	52.	थोंथी
23.	भाटवादला	53.	टोडी
24-	नवागांव	54.	कचला
25-	ग्रोसरा	55.	सदरिया
26-	खारिया	56.	कराय
27-	सानी डूंगरी	57.	बागीचा
28-	खरोड चावरा	58.	कांबा की छान
29-	कालिया	59.	बोचादडा
30-	कुंडा	60.	मुतिया का खूँटा

2-58

1	2	3	4
61.	वागेरी	75-	चोखी डूंगरी
62.	टोडी	76.	मगरदा मछरा साथ
63.	अन्देश्वर	77.	मागरदा उमरा साथ
64.	कसोम्बा	78.	पाली खुर्द
65,	चोर परनाला	79.	चार कली
66.	भामटी	80.	बगायचा
67-	पाटापुर	81.	पाली कलान
68-	वचवारा	82.	रुपापाड़ा
69-	भारकी	83.	बोरीपाड़ा
70-	बलडिया	84.	नोटापरा
71-	धारकी	85.	सागवा
72-	बिलरा	86.	सुखदा
73	रंगी	87.	रुपगढ़) सूखा सम्भावित क्षेत्र
74-	रुपाखेड़ा	88.	वस्सी) योजना के अन्तर्गत

बीकानेर नगर में जल सम्बन्ध देने के मामलों में दोहरा मापदण्ड

558. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर में रु. 10/- फ्लेट रेट पर व रु. 15/- फ्लेट रेट पर पानी के कनेक्शन जलदाय विभाग द्वारा दिए जाते है ? यदि हां, तो इस दोहरी नीति का क्या कारण है ?

(2) क्या जलदाय विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कच्ची बस्ती व अन्य नागरिकों से जल सम्बन्ध लेने हेतु नगर विकास न्यास अथवा नगर परिषद् से एन० ओ० सी० मांगा जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

(3) क्या सरकार बिना एन०ओ०सी० के जल सम्बन्ध देने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बिना एन. ओ. सी. के काफी जल सम्बन्ध दिए गए हैं ? इस दोहरी नीति के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दोहरी नीति के कारण हुए जल संबंधों की व दोषी अधिकारियों की जांच के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) दोहरी नीति नहीं है, प्रति परिवार प्रति नल (टेप) हेतु 10.00 प्रतिमाह की दर निर्धारित है । अतिरिक्त सुविधा हेतु अतिरिक्त दर लिये जाने का प्रावधान हैं ।

(2) जी हां, अतिक्रमण व अनाधिकृत निर्माण को रोकने की दृष्टि से ही यह व्यवस्था की गई है ।

(3) जी नहीं । कारण उत्तर सं० 2 में स्पष्ट कर दिया गया है ।

(4) वर्तमान में विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं हैं ।

कृषि उपज मंडी समिति चौमू के निर्माण हेतु क्रयशुदा भूमि में अनियमिततायें

559. **श्री तेजपाल** (चौमू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति चौमू द्वारा भूमि खरीदने के पश्चात् सरकार मंडी हित में विक्रेता की शेष भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? कृपया सम्बन्धित पत्रादि सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति चौमू के निर्माण हेतु विक्रेता से भूमि खरीदते समय अनियमितताएं बरती गई है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है ? सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति चौमू के मण्डी यार्ड के लिये चौमू किले की भूमि

(श्री तेजपाल)

अधिग्रहण करने हेतु दिनांक 27-10-1980 को विज्ञप्ति जारी की गई। किन्तु दिनांक 27-11-1980 को रामगोपाल लकडा आदि ने अदालत से स्थगन आदेश ले लिया। क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा पूर्व में इस किले को सुरक्षित रखे जाने की विज्ञप्ति दिनांक 28-3-78 को जारी की जा चुकी थी। अतः कृषि उपज मन्डी समिति की विज्ञप्ति के तहत की जाने वाली अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त करना पड़ा।

(2) जी नहीं, अनियमितता तो कोई नहीं हुई है किन्तु यह सही है कि मण्डी का निर्माण करते समय यह नहीं सोचा गया कि वर्तमान भूमि मन्डी के लिये पर्याप्त नहीं है और मण्डी का कार्य इसमें समुचित ढंग से नहीं चल रहा है। शेष भूमि प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग से सम्पर्क जारी है।

(261)

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न सं० 534 की सूची

प्रदेश में कार्यरत सीमेन्ट के कारखाने एवं उनक वार्षिक क्षमता के विवरण की सूची :—

क्र०सं०	नाम	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टनों में) प्रति वर्ष
1.	मै० जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	10–00
2.	मै० एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लाखेरी, जिला बूंदी	लाखेरी (बूंदी)	6–60
3.	मै० बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	4–00
4.	मै० जे०के० सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	7–20
5.	मै० उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	उदयपुर	8–00
6	मै० मंगलम सीमेंट वर्क्स, मोडक (कोटा)	मोडक (कोटा)	4–00

नये स्थापित होने वाले सीमेंट कारखानों की सूची

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पार्टियों को पोर्टलैण्ड सीमेंट/सफेद सीमेंट विनिर्माण हेतु आशय पत्र, उनके सम्मुख अंकित क्षमता, के जारी किये जा चुके हैं :—

क्र०सं०	नाम	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टन में प्रति वर्ष)
1.	मै० स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि० बनास (सिरोही)	बनास (सिरोही)	4–00
2.	मै० श्री सीमेंट लि०, ब्यावर	ब्यावर	12–00
3.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि० कानपुर	दीगोद (कोटा)	4–20
4.	मै० श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्री नई दिल्ली	लाडपुरा (कोटा)	2–00
5.	मै० एम० एस० राजपुरोहित, कलकत्ता	आबूरोड (सिरोही)	66,000 टन
6.	मै० राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि०, जयपुर (सफेद सीमेंट)	गोटन (नागौर)	66,000 टन
7.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि० (सफेद सीमेंट) कानपुर	निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)	50,000 टन

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पार्टियों के आवेदन पत्र सीमेंट उद्योग स्थापित करने हेतु आशय पत्र स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश सहित भिजवाये गये हैं, जो भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं :—

1.	श्री जे० पी० गोयनका	शंभूपुरा (चित्तौड़गढ़)	9–90
2.	श्री सी० पी० कनोई	,,	4–20
3.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	,,	6–00
4.	श्री कुशल चन्द सुराना	किवरली (सिरोही)	2–90
5.	मै० राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	माण्डलगढ़ (भीलवाडा)	10–42

(263)

6.	मै० हिन्दुस्तान पाइप्स उद्योग लि०	जैसलमेर	5–00
7.	मै० जनरल इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि० (सफेद सीमेंट)	रेवदर (सिरोही)	1–00
8.	मै० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग क० लि०	खेरोडा/मण्डेरिया (उदयपुर)	5–00
9.	मै० जे० के० सिन्थेटिक लि० कानपुर	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	6–00
10.	मै० जिनिथ पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रिज लि० बम्बई	पारसोली (चित्तौड़गढ़)	3–50

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 538 की सूची
बीकानेर जिले में कार्यरत ग्रामों की सूची
तहसील नोखा

क्र०सं० 1	योजना का प्रकार 2	गांव का नाम 3	कोड नं० 4	जनसंख्या 5	विवरण 6
1.	क्षेत्रीय	अनहीसर	65	1009	
2.	पी० एण्ड टी०	वाधुन्	17	1660	
3.	क्षेत्रीय	वख्तावरपुरा	67	103	
4.	क्षेत्रीय	वघेहला	45	809	
5.	पी० एण्ड टी०	भीकासर	83	3633	
6.	पाईप्ड	वेरासर	66	1316	
7.	क्षेत्रीय	बंधाला	88	2152	
8.	पी० एण्ड टी०	भामतसर	37	1601	
9.	क्षेत्रीय	दाखन्	107	325	
10.	पाईप्ड	वैशालसर भातीखान	40	325	
11.	पाईप्ड	देसालमंडलवान	41	410	
12.	पाईप्ड	देसालसर पुरोहितान	39	957	
13.	टी० एस०एस	धारनोक	53	1042	
14.	क्षेत्रीय	धीजसारी	43	1215	
15.	क्षेत्रीय	गजरूपदेसर	11	773	
16.	टी० एस० एस०	फाजसुखदेसर	73	1229	
17.	क्षेत्रीय	गोन्डूसर	115	821	
18.	पी० एण्ड टी०	हंसासर	86	953	
19.	क्षेत्रीय	हिम्मतसर	73	2490	
20.	पांईप्ड	हिसादेसर	61	973	
21.	पी० एण्ड टी०	जयसिंह देसरमजरा	1	1748	
22.	पाईप्ड	जांगलू	3	2489	
23.	क्षेत्रीय	जाशारसर	72	4798	
24.	पाइप्ड	जांघोली	74	1316	
25.	क्षेत्रीय	काकरा	76	2751	
26.	,,	कंवालीसर	104	614	
27.	,,	खारा	85	369	
28.	,,	किरतासर	32	419	
29.	,,	किसनसर	42	1366	
30.	,,	कूदसू	60	1918	

1	2	3	4	5	6
31.	पाईप्ड	कोकूनया	27	619	
32.	क्षेत्रीय	कुछोर आगूनी	16	1686	
33.	,,	कुछोर आथूनी	14	1032	
34.	,,	लालनदेसर बड़ा	21	1001	डीजल चलित
35.	,,	लालनदेसर छोटा	15	663	
36.	,,	लालसर	26	515	
37.	,,	महारानीसर	25	219	
38.	,,	मानकसर	31	18	
39.	,,	मालिया	82	794	
40.	,,	मोरखन्ना आगुना	29	244	
41.	,,	मोरखन्ना आथूना	30	384	
42.	टी० एस० एस०	नाथूसर	55	1426	
43.	पाईप्ड	पांचू	58	4674	
44.	,,	पीथारसर	2	1126	
45.	,,	रायसर	106	1704	
46.	,,	राशीसर बासवोरा	9	1202	
47.	,,	राशीसरवास पंचायत	8	339	
48.	,,	राशीसरवास तालरिया	7	562	
49.	,,	राशीसरवास पुरोहितान	6	1146	
50.	,,	रोरा	84	2700	
51.	क्षेत्रीय	सादातर	71	1408	
52.	टी० एस० एस०	सावसर	54	915	
53.	,,	शाजनवासी	70	856	
54.	क्षेत्रीय	शानीवाला	68	982	
55.	,,	शीवासर	103	311	
56.	,,	सिज्यागुरु	34	2727	
57.	,,	सिंघु	28	711	
58.	,,	सोभाना	90	1166	
59.	,,	सोमलसर	81	849	
60.	पाईप्ड	सुरपुरा	35	1967	
61.	क्षेत्रीय	सोवा	10	867	
62.	,,	थारवासा	113	1421	
63.	टी० एस० एस०	उदासर	59	1059	

1	2	3	4	5	6
64.	टी० एस० एस	उदसर	75	919	
65.	क्षेत्रीय	उत्तमदेसर	22	519	
66.	,,	सालूनदिया	63	1134	
67.	पी० एण्ड टी०	घाटू	64	1047	
68.	,,	सारूंदा	116	334	डीजल चलित
69.	क्षेत्रीय	जेंगलापानादरोगा	5	897	
70.	,,	जेंगला गोगलिया	4	195	
71.	पी० एण्ड टी०	छारकदा	105	1674	
72.	,,	नोखा ग्राम	62	1442	
73.	पी० एण्ड टी०	काकू	87	3841	डीजल चलित
74.	क्षेत्रीय	पडवा	36	740	
75.	,,	मानीयाना	38	568	
76.	टी० एस० एस०	मेऊसर	23	358	
77.	पी० एण्ड टी०	डूपालिया	111	694	
78.	,,	मेनसर	116	1779	
79.	क्षेत्रीय	उचारंगदेसरी	147	251	
80.	,,	वस्ती देवता	149	203	
81.	,,	वस्ती जोगियासर	138	483	
82.	टी० एस० एस०	वागरोऊ	117	778	
83.	क्षेत्रीय	साधूना	92	1220	
84.	विस्तार	नोखा ग्रामीण	83 (प्र)	156	
85.	,,	राजपुरा	—	85	

(269)

बीकानेर जिले में कार्यरत ग्रामों की सूची

तहसील कोलायत

क्र०सं०	योजना का प्रकार	गांव का नाम	कोड सं०	जनसंख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय	अकासर	133	1310	
2.	,,	अगनेऊ	41	526	
3.	,,	बाऊवारसर	39	826	
4.	,,	बाजूखालसा	90	1039	
5.	पी० एण्ड टी०	बारसलपुर	4	330	
6.	,,	बाजू तेजपुरा	89	579	
7.	,,	बीकमपुर	97	751	
8.	क्षेत्रीय	बीठानुक	88	1214	
9.	,,	बाना का गांव	165	684	
10.	,,	भैलू	204	1200	
11.	,,	भोलासर भुदान	126	941	
12.	,,	भोलासर छोटान	137	17	
13.	,,	चाक माधोगढ़	119	140	
14.	,,	चाक विजयसिंह पुरा	193	602	
15.	,,	चन्दासर	60	613	
16.	टी० एस० एस०	चानी	130	757	
17.	क्षेत्रीय	छवानेरी	167	139	
18.	,,	दाखेरी	183	1180	
19.	,,	देह	81	190	
20.	,,	दीयात्रा	153	1348	
21.	,,	गादीयाला	108	1326	
22.	,,	गजनेर	46	1627	
23.	,,	गंगापुरा बीद पीलाप	69	296	
24.	,,	गिराजसर	106	1920	डीजल चलित
25.	पी० एण्ड टी०	गुडू	34	1350	
26.	क्षेत्रीय	गोविन्दसर	110	461	
27.	,,	ग्रांधी	107	715	
28.	,,	गुड़ा	87	1166	
29.	,,	हुदन	164	997	
30.	पाईप्ड	झाभू	144	2178	

(268)

1	2	3	4	5	6
31.	क्षेत्रीय	खाजीरा	203	423	
32.	,,	खाखूसर	163	486	
33.	,,	खतरा लोहन	201	161	
34.	,,	खाडी चारनन	45	1231	
35.	,,	खारीया मालीनेट	175	310	
36.	,,	खारीया बाटावतन	173	425	
37.	,,	खिदासर	184	987	
38.	पी० एण्ड टी०	कोलासर ईस्ट	135	796	
39.	पाईप्ड	कोलायत	148	1931	
40.	,,	कोटरी	149	1108	
41.	,,	लडखान (नखा गांव)	169	313	
42.	,,	मेध	127	839	
43.	,,	मण्डल वत्तीयां	112	52	डीजल चलित
44.	,,	मण्डल चारना	111	616	
45.	,,	मेफलर	134	392	
46.	,,	मीथारिया	99	824	
47.	,,	मोदायत	92	329	
48.	,,	मोटासर	109	151	
49.	,,	मोटावाड़ा	70	339	
50.	,,	नजरासर	104	491	
51.	,,	नेनीया	200	476	
52.	,,	नोखरा	170	833	
53.	,,	पाबूसर सिधुका	86	86	
54.	,,	रानासर	85	368	
55.	,,	रांधीसर	43	664	
56.	पी० एण्ड टी०	रणजीतपुरा	30	681	
57.	क्षेत्रीय	रानेरी	168	140	
58.	,,	सियानाभातीयान	192	435	
59.	,,	सियाना चारण	195	111	
60.	,,	सियाना जोधसर	194	170	
61.	,,	सियाना कुंदालिया	196	212	
62.	,,	सियाना साखालान	188	147	

(269)

1	2	3	4	5	6
63.	क्षेत्रीय	सियाना सुथारन	199	151	
64.	,,	सुरजाड़ा	84	437	
65.	,,	टीक्ला	172	243	
66.	,,	उदत	174	222	
67.	,,	नोखादिया	44	261	
68.	,,	कोदम देसर	48	242	
69.	एक्सेनटेशन	सिखानीया पट्टा	181	234	
70.	,,	सिखानिया सुंदालिया	182	170	
71.	,,	भाभूवास नाथोन	145	182	

बीकानेर जिले में कार्यरत ग्रामों की सूची

तहसील–बीकानेर

क्र० सं०	योजना का प्रकार	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 1971	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्रीय	अकडीमला	71	59	
2	क्षेत्रीय	अवांसर	144	816	
3	,,	अनदपुरा	126	76	
4	,,	असरेरा	129	158	
5	,,	बच्चासर	100	770	
6	,,	बदरासर	63	260	
7	,,	बम्बोला	153	2002	
8	,,	बन्धा	236	68	
9	पाईप्ड	बरसिंगसर	149	2079	
10	पी एण्ड टी	बालासर	171	1129	
11	पाइप्ड	बरियावाली	4	407	
12	क्षेत्रीय	बारुपावा	65	171	
13	पी एण्ड टी	भंजाऊसेला	103	618	
14	क्षेत्रीय	भोजूसर	147	114	
15	पाईप्ड	छतरगढ़	13	2995	
16	क्षेत्रीय	दादूसर	75	860	
17	क्षेत्रीय	दाऊसर	73	459	
18	,,	धीरान	131	108	
19	पी एण्ड टी	गढ़वालाल	158	1661	
20	क्षेत्रीय	गीगासर	152	433	
21	,,	गेरसर	114	386	
22	टी एस एस	गुसाईसर	167	1504	
23	क्षेत्रीय	हेमरा	127	746	
24	,,	हिम्मतसर	137	352	
25	,,	जलवाली नूरसर	66	845	
26	,,	जामसर	77	2013	
27	,,	कोलासर	12	576	
28	पी एण्ड टी	कल्याणसर	161	128	

274

1	2	3	4	5	
29	पी एण्ड टी	कल्याणसर अगुना	159	240	
30	,,	कल्याणसर उतरडा	160	128	
31	पाईप्ड	करमीसर	99	1716	
32	टी एस एस	करनीसर बीकान	121	249	
33	पी एण्ड टी	कटरीयासर	116	964	
34	क्षेत्रीय	केसर देसर बोरान	155	134	
35	,,	केसरदेसर गंगापुरा	153	244	
36	,,	केसर देसर जाटान	154	1659	
37	टी एस एस	खेडा	87	974	
38	क्षेत्रीय	किलचू देवदान	157	601	
39	,,	किलचु सुल्तान	156	348	
40	,,	लाखूसर	67	532	
41	पाइप्ड	लालमदेसर	148	1925	
42	क्षेत्रीय	लालसर	72	229	
43	,,	मालासर	119	720	
44	पी एण्ड टी	मूदसर	172	2160	
45	,,	मोतीगढ़	15	680	
46	क्षेत्रीय	नजरासर सयानी	115	257	
47	,,	नाइयों का बास	13	100	
48	पी एण्ड टी	नारंगदेसर	166	1569	
49	पाइप्ड	पलाना	150	2867	
50	क्षेत्रीय	पम्पलसर	134	282	
51	टी एस एस	पेमासर	110	597	
52	क्षेत्रीय	रामसर	136	538	
53	क्षेत्रीय	राजेरा	125	960	डीजल चलित
54	पी एण्ड टी	रामसर	163	2153	
55	क्षेत्रीय	रानीसर	132	451	डीजल चलित
56	क्षेत्रीय	रीदमालसर पुरोहितान	139	1156	
57	,,	रुपेरान	123	146	
58	पी एण्ड टी	रुनिया बड़ाबास	122	844	
59	,,	सरुपदेसर	146	1124	
60	पाइप्ड	सोथल	165	2063	
61	क्षेत्रीय	सीरेरान	128	1080	
62	,,	शरखाजीनी	140	46	
63	पी एण्ड टी	शिववारी	104	2776	

1	2	3	4	5	
64	पाइप्ड	श्रीरामसर	102	704	
65	पाइप्ड	सुजानदेसर	101	1250	
66	क्षेत्रीय	लूनासर	151	184	
67	"	सूरतलिंगपुरा	173	686	
68	"	सुरधाना चहुताना	1‹3	656	
69	"	सरधाना परिहारान	142	176	
70	पाईप्ड	उदासर	106	1878	
71	"	उदयरामसर	145	3193	
72	"	सवाईसर	70	318	
73	"	डोलरा नं० 1	80	249	
74	"	" नं० 2	69	127	
75	"	अमरपुरा	42	892	
76	"	जसमॉलसर	53	1425	
77	"	कलां	86	1004	
78	एक्सेनटेशन	रानीसर	332	451	
79	"	लालसिंहपुरा	164	365	
80	टी० एस० एस०	तेजरासर	170	1240	
81	एक्सेनटेशन	खारदा	124	811	डीजल चलित
82	पी०एण्ड०टी०	कानासर	88	1868	
83	सेनेटरी डिग्गी	सत्तासर	14	725	

बीकानेर जिले में कार्यरत ग्रामों की सूची

तहसील–लूणकरणसर

क्र. सं.	योजना का प्रकार	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय	अमरपुरा	167	633	
2.	"	अर्जुनसर	63	–	
3.	"	असरासर	39	54	
4.	"	बारादेसर	54	209	
5.	"	पवनवाली	115	668	
6.	"	भोजरासर	49	331	
7.	"	छातासर	170	386	
8.	"	धाणीपांडसर	168	793	
9.	"	धीरधान	166	350	
10.	"	धीरेरा	119	588	
11.	"	दूद्र	48	254	
12.	"	दूलमेरा	121	188	
13.	पाईप्ड	गारादेसर	162	4496	
14.	क्षेत्रीय	गोपालन	143	456	
15.	"	हंसरा	122	925	
16.	"	जयतपुर	67	2327	
17.	"	जसवंसर	38	84	
18.	"	काजासर	171	363	
19.	पाईप्ड	कालू	163	4496	
20.	पी. एण्ड टी.	कानोलीबीदवास रामपुरा	7	1007	
21.	क्षेत्रीय	कपूरासर	142	1060	
22.	"	किसानसर	145	504	

1	2	3	4	5	6
23.	पी. एण्ड टी.	कुम्भाना वीदूवास दानासर	18	812	
24.	क्षेत्रीय	लालेरा	56	114	
25.	पाईप्ड	लूणकरणसर	128	4086	
26.	"	महाजन	70	3878	
27.	क्षेत्रीय	मांगसर	165	477	
28.	"	मनोरिया	52	629	
29.	"	मीठारिया	62	927	
30.	"	नाथवाना	144	1032	
31.	"	राजसर (करनी)	169	1069	
32.	"	राजपुरा हाडन	164	528	
33.	"	रानीसर	69	256	
34.	"	रसनीसर	55	203	
35.	पाईप्ड	शेखासर	141	2011	
36.	क्षेत्रीय	उत्तमदेसर	120	862	
37.	"	महाराना	117	127	
38.	"	जगसा	116	334	
39.	"	जगतसिंहपुरा	94	726	
40.	"	खानीसर	41	561	
41.	"	रामपुरा	33	254	
42.	"	रामसर	36	378	
43.	"	दूदारिया	44	100	
44.	"	मूसार	45	362	
45.	"	कंवरालिया	47	110	
46.	"	लिखमीसर	42	226	
47.	"	कुम्भासर	43	162	
48.	"	माकारासर	94	726	

1	2	3	4	5	6
49.	क्षेत्रीय	शेरपुरा	69	1379	
50.	एक्शनटेशन	अडसार	154	518	
51.	"	खुरनाना	125	975	
52.	क्षेत्रीय	डेलना छोटा	76	28	
53.	"	रोजान	129	511	
54.	"	महाजरासर	151	1420	
55.	"	गोरीसर	13	106	
56.	सेनीटरी	मोगापूलेजी	34	443	
56.	"	भंडेरा	134	339	

———

विचाराधीन गांवों की सूची तहसील बीकानेर

क्र० सं०	गांव के नाम	कोड नं०	जन संख्या
1	2	3	4
1.	रानीवाला	9	322
2.	धादना	17	255
3.	काकरला	12	576
4.	लीकनान	11	519
5.	बारजू	48	320
6.	थारूसर	16	252
7.	सरदारपुरा	87	240
8.	सौवासर पंचरीसा	37	133
9.	कांनसी	52	860
10.	खंदावाला	51	319
11.	मनरासर	64	241
12.	रामसरा	44	279
13.	बीचवाल	107	60
14.	हासागसर	113	498
15.	वासी साहजी बारदारान	112	109
16.	जैलालसर	78	659
17.	कनीचिया	79	297
18.	नालवारी	60	1645
19.	रासलसर देवर	22	159
20.	गंगाजली	25	159
21.	देशनीक (ग्रामीण)	150	112
22.	लादेरा	117	111
23.	सियासर चाकसा	38	44
24.	रामय	36	108
25.	करनपुरा	18	99
26.	बलार	28	227
27.	जोधसर	41	356
28.	सियासर चाऊगान	1	310
29.	रामरा	32	200
30.	करमवाला	5	102
31.	नौसेरा	2	105

1 2	3	4
32. सामवाला	30	149
33. गणेशवाली	24	62
34. खीरसर	23	65
35. माकेरी	33	92
36. फालवालो	8	74
37. रानीसर	7	80
38. अकासर	29	44
39. भीरूखीरा	91	50
40. धालेनार्हीसामाजी	85	30
41. किशनपुरा	10	29
42. पाहलवान का वाडा	20	16
43. मालानीयान	118	311
44. नाल छोटी	96	244
45. लालसिंहपुरा	164	365
46. देवासर	162	7
47. बस्ती छावडन	97	51
	तहसील नोखा	
1. जैसलसर	114	1358
2. कुम्भासरिया	57	436
3. रोहोनियासर	120	392
4. दूदावास	119	462
5. मूदार	122	713
6. भाम वागसीव	118	151
7. दीपालिया	111	694
8. मैयासर	108	521
9. मैनसर	116	1775
10. मुकान	78	313
11. भीम वोलिनियासर	121	147
12. लूंगासरिया	56	125
13. लड़का	99	86
14. बस्सी ऊडवारण	24	9
15. बासी	94	185

1	2	3	4
16.	रतरिया	52	393
17.	साथका	50	227
18.	मेघसर	49	158
19.	खीचियासर	110	180
20.	भौमियालसर	109	170
21.	बीदादरिया	18	490
22.	भानविदासरिया	19	79
23.	टांट	97	417
24.	दावा	101	469
25.	मंूजासर	47	365
26.	कुरजडी	69	169
27.	मेवसर	23	358
28.	भत्तारपुरा	67	103
29.	निडियासर	79	192
30.	बोयान	102	106
31.	मूलवास	100	141
32.	तलवा	80	113
33.	मण्डेलया	95	118
34.	मूरिदसर	46	90
35.	नौखा मण्डी ग्रामीण	83 (ए)	156

कोलायत तहसील

1.	मईसार खुर्द	13	63
2.	ईसार खुर्द	95	482
3.	इटा की गली	187	396
4.	बासिया पटायान	185	376
5.	सूना	12	5
6.	थावोरुजी का एरिया	40	25
7.	बूजेरी	17	473
8.	थानावारीवाली	15	55
9.	गुलामवाली	19	331
10.	धानद खुर्द	18	42

(279)

1	2	3	4
11.	मंगनवाला	8	89
12.	मीरनावाला	10	86
13.	जंगासर		355
14.	झंझवास नाथसर	145	182
15.	खेटोलाई बुर्ज	146	58
16.	लोहिगा	160	154
17.	खीतोलाई स्टेनव	158	163
18.	खीतोलाई महिया	162	176
19.	कोलासर वेस्ट	100	308
20.	पंवसर	101	126
21.	वीरादेवाटन	105	79
22.	ददका गांन	102	187
23.	रावाटोटन का वेरा	32	88
24.	गजवाली	31	344
25.	गोयलारी	62	208
26.	इन्दा की बिला	128	149
27.	भटयान की ढाणी	36	109
28.	कांनधारली	36	84
29.	देहरिया	13	94
30.	मुंसीवाली	7	44
31.	कीनीयो का बास	166	28
32.	भीम नोहासिंह	178	38
33.	भुराह सिंधोयाली	156	33
34.	चक खारिया	155	51
35.	भीम हैमसिंह	170	122
36.	सीरानझोवाली	170	61
37.	भीम अखयसिंह	177	22
38.	साधोलाई	25	75
39.	बोकेन्द्री	22	31
40.	धान्दकालान	23	24
41.	गोकाल	24	125
42.	मीडिया	171	67

1 2	3	4
43. चाक बन्धा	125	255
44. मेरीकर	180	348
45. कोटरा	54	185
46. लम्बारिया मुतान	188	183
47. चंदटियान	55	15
48. मिण्डाल रासवटन	114	34
49. चक मण्डल वुद्ध	115	13
50. सीरा	132	1
51. बलोला	59	41
52. सैरुवाला	20	265
53. परिवारवाला	91	243
54. नारायण सार	96	78
55. गगडियाला	98	377
56. राववाला	29	242
57. चारणवाला	33	703
58. फूलेश्वर कालान	94	167
59. वेरासर	93	7
60. छील्स कासनेर	28	103
61. मिनकासर	38	551
62. भालुरी	21	659

तहसील लूणकरणसर

1.	ढूंदियाली	110	434
2.	बस्ती जोगियासर	148	483
3.	लखमीनारायणसर	75	395
4.	लाडेरा	24	195
5.	खेपरासर	170	124
6.	गोरीसर	13	106
7.	साडोलाई	14	482

(२८१)

1	2	3	4
8.	कंडा	85	43
9.	करनोली	85	61
10.	अजीतमाना	83	592
11.	लाखावार	82	316
12.	बीरमांग	80	419
13.	खंखारना	79	920
14.	भानवाला	23	759
15.	बोहनेरा	24	289
16.	बधेरान	73	482
17.	मानेरा	25	497
18.	मोहकमपुरा	72	369
19.	खीनयान	50	93
20.	बुलेरा	76	98
21.	भुलदेसर	100	766
22.	उदेशीया	10	165
23.	उचेदा	104	86
24.	जाखरवाला	127	23
25.	बस्ती देलवा	149	203
26.	कालवास	146	293
27.	उच्चरंगदेसर	147	251
28.	कालकलमुकरेरा	150	26
29.	नाकोडेसर	169	406
30.	रावनसर	155	292
31.	नाथसर	157	236
32.	बासकरणसर	156	75
33.	चांदसर	158	110
34.	हाफासर	113	264
35.	कस्तुरिया	114	24
36.	भांडसर	5	455
37.	तखतपुर	4	175
38.	चीदासर	29	217
39.	हाथीसर	28	261
40.	हिन्डोर	30	180

1	2	3	4
41.	जागोर	27	422
42.	लाखीर छोटी	32	86
43.	लाखीर बादी	31	196
44.	वैरमवाला	17	286
45.	रामालवाली	16	440
46.	रानेर वीद दामोली	9	979
47.	लामनसर	8	149
48.	भादवा	10	417
49.	मुकलेरा	111	32
50.	आलाण्डा	95	21
51.	लालेरा	97	126
52.	मोटासर	15	394
53.	घेरा	11	634
54.	बसेरा	58	376
55.	गसेना	53	103
56.	साधेरन	118	72
57.	मालकीसर	137	861
58.	संसारदेसर	10	108
59.	गाबना	1	76
60.	उदान	131	78
61.	सेहनीवाला	130	241
62.	कोकरवाला	132	665
63.	फोलेजी	34	443

(20231)

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 539 की टिप्पणी

जिला सीकर में वर्ष 80–83 के दरमयान विश्व बैंक खण्ड सीकर द्वारा, जिन ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी उनकी डिटेल निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	पंचायत समिति	गांव का नाम	कोड नं०	योजना का प्रकार
1	2	3	4	5
1.	फतेहपुर	चुनास	93	हैण्ड पम्प
2.	,,	बीबीपुर छोटा	90	,,
3.	,,	नारी	69	,,
4.	,,	मण्डेला बरा	78	,,
5.	लक्ष्मणगढ़	विजयपुरा	114	,,
6.	,,	कलानवारा	92	,,
7.	,,	बिलुन्डा	107	,,
8.	,,	सवडोरा	102	,,
9.	,,	रूलियान माली	115	,,
10.	,,	नासनेवा	111	,,
11.	,,	डाहार का बास	101	,,
12.	,,	बोडोलासी	103	,,
13.	,,	भांभर	96	,,
14.	,,	बऊ	129	,,
15.	,,	भिलमील	95	,,
16.	,,	पीपली	36	,,
17.	पीपराली	श्यामगढ़	136	,,
18.	,,	साकरी	135	,,
19.	,,	सुन्दरपुरा	51	,,
20.	,,	नरसिंहपुरा	54	,,
21.	,,	सीब	145	,,
22.	श्री माधोपुर	भगवानपुरा	106	,,
23.	,,	नांगलभीम	127	,,
24.	दांतारामगढ़	लाडपुरा	100	,,

284

1	2	3	4	5
25.	दांतारामगढ़	चांदल्या	116	हैण्ड पम्प
26.	,,	नीसाल	194	,,
27.	,,	भूदान का बास	130	,,
28.	,,	राजपुरा	124	,,
29.	खण्डेला	रामपुरा	13	,,
30.	,,	फतेहपुरा	16	,,
31.	,,	पनिहार का बास	3	,,
32.	,,	रामपुरा	78	,,
33.	,,	लाडपुरा	101	,,
34.	,,	सुजाना	79	,,
35.	,,	सालोदपुरा	12	,,
36.	,,	खेरीचारणवास	63	,,
37.	,,	करणपुरा	9	,,
38.	,,	दानीगुमानसिंह	5	,,
39.	,,	उदयवास	139	,,
40.	,,	शोलपुर	136	,,
41.	नीम का थाना	छापर	55	,,
42.	,,	घाटगुवार	57	,,
43.	,,	दीपास	50	,,
44.	,,	जैतपुरा	127	,,
45.	,,	भारिण्डा	50	,,
46.	फतेहपुर	मण्डेला छोटा	79	,,
47.	,,	श्यामसर	31	,,
48.	,,	सडोनसर	52	,,
49.	,,	बीकनवासी	29	,,
50.	,,	लवाण्डा	30	,,
51.	,,	बरास	18	,,
52.	पिंपरोली	पलासरा	143	,,
53.	,,	राजपुरा	129	,,
54.	,,	लडाना	56	,,
55.	,,	नांगल	48	,,
56.	,,	पृथ्वीपुरा	45	,,
57.	,,	भगतपुरा	47	,,

Page No.286

(2087)

1	2	3	4	5
58.	पिपरोली	अभयपुरा	49	हैण्ड पम्प
59.	,,	परास	92	,,
60.	दांतारामगढ़	भीमा	6	,,
61.	,,	मंगरासी	5	,,
62.	,,	निजनवास	24	,,
63.	,,	गोडियावास	19	,,
64.	,,	चक मिठाई	128	,,
65.	श्री माधोपुर	देवीबास	117	,,
66.	,,	कल्याणपुरा	92	,,
67.	,,	सीमरेला	119	,,
68.	,,	जवानपुरा	99	,,
69.	खण्डेला	जयरामपुरा	73	,, मय टी.एस.एस.
70.	,,	भटिण्डरा	50	,,
71.	,,	तिवाड़ी की ढाणी	70	,,
72.	,,	रोयल	51	,,
73.	,,	गोकुल का वास	18	,,
74.	,,	बामनवास	52	,,
75.	,,	कल्याणपुरा	147	टी.एस.एस मय हैंण्ड पम्प
76.	,,	सुरानी	145	,,
77.	,,	नारायण	114	,,
78.	,,	देवीपुरा	142	,,
79.	,,	कल्याणवास	85	,,
80.	,,	भूतलान का वास	53	,,
81.	नीम का थाना	अजमेरी	119	,,
82.	,,	तांतेरा	121	,,
83.	,,	जुगलपुरा	114	,,
84.	,,	सांवलपुरा	112	,,
85.	,,	पीथलपुरा	115	,,
86.	,,	भवानीपुरा	117	,,
87.	,,	यावेना	67	,,
88.	,,	मथरा	18	हैण्ड पम्प
89.	,,	तारजू	70	,

286

1	2	3	4	5
90.	नीम का थाना	निमोद	44	हैण्ड पम्प
91.	,,	किशोरपुरा	38	,,
92	,,	पून्चु खेड़ी खेड़ा	72	,,
93.	,,	रानातर	8	,,
94.	,,	राखा की नांगल	10	,,
95.	,,	मोहनपुरा	69	,,
96.	,,	मीना की नांगल	73	,,
97.	,,	रामसिंह की ढाणी	34	,,
98.	,,	नरना	66	,,
99.	,,	दरिवा	61	,,
100.	,,	बिलुपुरा	85	,,
101.	,,	श्यामपुरा	33	,,
102.	,,	भीगया	88	,,
103.	,,	मंगलवास	59	,,
104.	,,	कचरीया	95	,,
105.	,,	राजपुरा	69	,,
106.	,,	नेपावाली	13	,,
107.	,,	रामसिंहपुरा	83	,,
108.	,,	नांगलकेला	98	,,
109.	,,	जेतवास	90	,,
110.	,,	ढाणी ग्रहीरा की	60	,,
111.	,,	नारेण्डा	64	,,
112.	,,	कालीखेरा	105	,,
113.	,,	नोरंगवास	63	,,
114.	,,	ग्रासमपुरा	89	,,
115.	,,	पीडा	108	,,
116.	,,	रायपुर पाटन	65	टी.एस.एस. एण्ड हैण्ड पम्प

(282)

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न 545 का विवरण)

सहायक अभियन्ता (वितरण) राज० राज्य विद्युत मण्डल, प्रतापगढ़ के कार्यालय में वर्ष 1980-81 में प्राप्त कृषि आवेदन पत्रों का विवरण

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पिता का नाम	ग्राम	आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	मांग पत्र जारी करने की तारीख	मांग पत्र की राशि प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रमेश कुमार/हीरालाल	प्रतापगढ़	6/12/78	17/2/79	17/3/79
2.	श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी श्री त्रिभवन कुमार	,,	10/12/79	30/1/80	22/2/80
3.	श्री याकुब मोहम्मद/गुलाब मोहम्मद	,,	1/1/80	30/1/80	4/2/80
4.	श्री ताज मोहम्मद/रामजुर्जी	,,	30/1/80	21/2/80	20/3/80
5.	श्री पांचन वोहरां/बी. पी. अहमद	,,	5/2/80	21/2/80	23/2/80
6.	श्री अली असगर/सफुद्दिन	,,	3/6/80	7/8/80	18/8/80
7.	श्री सफुदिन/गुलाम अली	,,	8/8/80	22/9/80	29/9/80
8.	,, गमान जी/लक्ष्मण जीपरीदार	असद	27/7/79	25/9/79	28/9/79
9.	,, मांगीराम/नरुराम तेली	,,	27/11/79	11/1/80	15/1/80
10.	,, शंकर लाल/ओंकार जी	,,	27/11/79	11/1/80	16/1/80
11.	,, गफी मोहम्मद/कादर मोहम्मद	,,	21/1/80	5/2/80	12/2/80
12.	,, इब्राहीम/याकुब	,,	23/1/80	7/3/80	11/3/80
13.	,, रमजान/कादरबक्स	,,	17/4/80	12/8/80	27/8/80
14.	,, शंकर लाल/नन्दलाल	,,	17/4/80	12/8/80	28/8/80
15.	,, भगवान दत्त/रूप जी	,,	8/5/80	12/8/80	3/9/80
16.	,, अब्दुल सकुर/याकुब जी	,,	24/6/80	12/8/80	10/9/80
17.	,, रहीमबक्स/इब्राहीम	,,	1/7/80	12/8/80	6/9/80
18.	गणपत लाल/नारायण लाल	,,	9/7/80	8/10/80	14/10/80

Page No.289

(288)

1	2	3	4	5	6
19.	श्री मोहम्मद हनीफ/इब्राहीम	ब्रसद	16/7/80	8/10/80	13/10/80
20.	,, इब्राहीम/इसमाईल	,,	24/7/80	15/10/80	15/10/80
21.	,, हीरालाल/कालू जी महाजन	,,	27/9/80	24/10/80	24/10/80
22.	,, अब्दुल अहमद/वली मोहम्मद	,,	24/7/80	15/10/80	15/10/80
23.	,, सिकन्दर/खुदाबक्स	,,	30/9/80	24/10/80	31/10/80
24.	,, देवाराम/मोडाजी	,,	6/10/80	12/11/80	4/12/80
25.	,, हेमराज/रामाजी चमार	,,	21/10/80	12/11/80	20/11/80
26.	अली मोहम्मद/इसाकमोहम्मद	,,	12/11/80	2/12/80	20/12/80
27.	भैरू लाल/चुन्नी लाल	,,	12/11/80	2/12/80	30/12/80
28.	,, हेमराज/रामाजी	,,	18/11/80	2/12/80	30/12/80
29.	श्रीमती समकेकुबाई/पत्नी रतन लाल	,,	25/11/80	2/12/80	3/12/80
30.	श्री सादिक अब्दुल कादर	,,	25/11/80	2/12/80	3/12/80
31.	,, भैरू/लूणा भुई	,,	26/11/80	25/2/81	–
32.	,, याकुब/करीम	,,	26/11/80	25/2/81	–
33.	,, इसमाईल/अल्लाहबक्स	,,	16/1/81	–	–
34.	,, लक्ष्मीनारायण/प्रताप जी पालीवाल	,,	20/1/81	–	–
35.	,, रतन लाल/कालू जी	,,	24/1/81	–	–
36.	,, काचरू/ऊंकार जी	चीनियाखेड़ी	4/1/80	7/3/80	11/3/80
37.	,, जगन्नाथ/शंकर मीना	,,	3/6/80	7/8/80	23/8/80
38.	,, अम्बालाल/भैरूलाल सुथार	,,	5/6/80	7/8/80	21/8/80
39.	,, मांगीलाल/ऊंकार मीणा	,,	5/6/80	7/8/80	23/8/80
40.	,, काचरू/भुवनजी मीना	,,	18/6/80	7/8/80	23/8/80
41.	,, कमर जी/रूप जी	,,	2/7/70	7/8/80	18/8/80
42.	,, जवाहर लाल/चतुर्भुज	,,	6/8/80	6/10/80	14/10/80
43.	,, नन्दा/नाथू जी	,,	12/8/80	6/10/80	13/10/80
44.	,, साधु लाखन/नियामतखान	,,	29/9/80	6/10/80	6/10/800
45.	,, जय राम/गुलाब जी मीना	,,	15/10/80	30/10/80	31/10/80
60.	,, मन्नालाल/कालूजी धोबी	,,	15/10/80	30/10/80	31/10/8
47.	,, नाग जी/लाल जी अंजना	,,	22/10/80	4/11/80	4/11/80
48.	,, भंवर जी/भैरू सिंह जी	,,	23/10/80	14/11/80	21/11/80
49.	,, परथा/वाला मीना	,,	24/10/80	14/11/80	21/11/8

Page No.290

1	2	3	4	5	6
50.	श्री चैना/भैरो जी मीना	चीनिया खेड़ा	15/11/80	17/12/80	23/12/80
51.	,, दीप सिंह/सज्जन सिंह	,,	5/1/81	–	–
52.	,, हरी सिंह/हम्मेर सिंह	वारमण्डल	15/11/79	8/1/80	21/1/80
53.	,, मांगी लाल/जगन्नाथ	,,	16/4/80	7/8/80	14/8/80
54.	नन्दा/रुपा जी अंजना	,,	23/5/80	7/8/80	14/8/80
65.	,, सुख लाल/मथुरा लाल	,,	18/6/80	7/8/80	23/8/80
56.	,, रतनसिंह/सज्जनसिंह	,,	16/7/80	8/10/80	13/10/80
57.	,, बावरु/कपेमा चमार	,,	22/8/80	14/11/80	21/11/80
58.	,, गोविन्द राम/परषोत्तम धोबी	,,	24/9/80	14/11/80	15/12/80
59.	,. भवानी शंकर/लखीरा धोबी	,,	24/9/80	14/11/80	15/12/80
60.	,, गबुर/नाथू जी चमार	,,	24/9/80	14/11/80	15/12/80
61.	,, भगवान/खीमा जी अंजना	,,	30/9/80	14/11/80	15/11/80
62.	,, मोहन लाल/चतुर्भुज शर्मा	,,	22/10/80	27/11/80	28/11/80
63.	,, मदन लाल/हेमा जी गायरी	,,	26/12/80	3/1/81	9/1/81
64.	,, तोरी राल/दुरा जी चमार	पलथन	21/5/80	12/8/80	5/9/80
65.	,, विजय सिंह/उदयसिंह	,,	17/6/80	12/ /80	3/9/80
66.	,, बरदी चन्द/नानू राम गायरी	,,	24/7/80	8/10/80	13/10/80
67.	,, लक्ष्मीनारायण/गोपाल दास बैरागी	,,	24/7/80	8/10/80	13/1 /80
68.	,, चुन्नी लाल/नाथू जी	,,	24/7/80	8/10/80	22/10/80
69.	,, शंकर लाल/नन्दा जी तेली	,,	24/7/80	8/10/80	13/10/80
70.	,, हीरालाल/प्यारा जी चमार	,,	24/7/80	8/10/80	22/10/80
71.	,, चुन्नी लाल/त्रिलोक जी जाट	,,	24/7/80	8/10/80	13/10/80
72.	, भंवर लाल/करुजी जाट	,,	24/7/80	8/10/80	13/10/80
73.	, प्रभु लाल/पेमा जी चमार	,,	12/8/80	8/10/80	4/11/80
74.	,, लागू नाथू जी	,,	19/8/80	8/10/80	9/10/80
75.	,, रामलाल भेरु लाल नाई	,,	3/9/80	8/10/80	25/10/80
76.	, काना/फकीरा बलाई	,,	3/9/80	8/10/80	8/10/80
77.	,, डूगा/गोकुल जाट	,,	6/9/80	8/10/80	13/10/80
78.	,, रामलाल/रुप जी जाट	,,	6/9/80	8/10/80	13/10/80

Page No.291

1	2	3	4	5	6
79.	श्री भैरूलाल/परवतसिंह राव	पलथन	3/11/80	15/11/80	5/12/80
80.	,, अमृत राम/गुलाब जी	,,	21/11/80	2/12/80	16/12/80
81.	,, नानूराम/ओंकार जी		21/11/80	2/12/80	16/12/80
82.	,, गोविन्दसिंह/रामसिंह	,,	26/11/80	17/12/80	1/1/81
83.	,, नन्दा/तेजा कुमार	,,	31/1/81	–	–
84.	,, धनराज/गंगजी	,,	31/1/81	–	–
85.	,, ऊंकारसिंह/मथुसिंह	मोखमपुरा	17/6/80	7/8/80	3/9/80
86.	,, उमरावसिंह/कल्याणसिंह	,,	7/7/80	7/8/80	3/9/80
87.	,, लक्ष्मणसिंह/नाथूसिंह	,,	6/8/80	27/11/80	26/12/80
88.	,, भुवनसिंह/कालूसिंह	,,	6/8/80	27/11/80	26/12/80
89.	,, हरीसिंह/नाहरसिंह	,,	6/8/80	27/11/80	26/12/80
90.	,, भीमसिंह/कल्याणसिंह	,,	17/12/80	27/12/80	6/1/81
91.	,, शम्भूसिंह/नाथूसिंह	,,	27/12/80	29/12/80	29/12/80
92.	,, प्रेम नाथ/कन्हैयालाल	,,	31/5/80	3/9/80	8/9/80
93.	,, दशरथसिंह/बख्तावरसिंह	,,	12/9/80	28/11/80	26/12/80
94.	,, चैनसिंह/वक्तावरसिंह	,,	12/9/80	28/11/80	26/12/80
95.	,, रामा/ऊंकार	,,	12/9/80	28/11/80	26/12/80
96.	,, शम्भूसिंह/वक्तावरसिंह	,,	12/9/80	28/11/80	26/12/80
97.	,, जसवन्तसिंह/वक्तावरसिंह	,,	12/9/80	28/11/80	26/12/80
98.	,, गोविन्दसिंह/मोडसिंह	,,	2/6/80	7/8/80	27/8/80
99.	,, आसीन खां/केशर	राजपुरिया	19/6/80	7/8/80	8/8/80
100.	,, रघुवीरसिंह/अमरसिंह	,,	9/1/81	–	–
101.	,, वजेराम/भुवन मीना	अवनिश्वर	29/4/80	7/8/80	1/9/80
102.	,, गंगाराम/सावाजी कुमार	,,	17/6/80	7/8/80	19/8/80
103.	,, रामलाल/कालू जी	,,	17/6/80	7/8/80	28/8/80
104.	,, किशन/गंगाराम	,,	18/11/80	17/12/80	9/1/81
105.	,, भवन जी/किशन कुमार	,,	26/11/80	17/12/80	20/12/80
106.	,, किशनलाल/गुमान जी	राजोरा	17/4/80	7/8/80	21/8/80
107.	,, मोहनसिंह/फूलसिंह	,,	17/4/80	7/8/80	3/9/80
108.	,, टेका/परता बलाई	,,	24/4/80	7/8/80	29/8/80
109.	,, चुन्नीराम/भैरुलाल	,,	24/4/80	7/8/80	29/8/80

1	2	3	4	5	6
110.	श्री भंवर लाल/भैरुलाल	राजोरा	1/9/80	3/10/80	4/10/80
111.	,, गोतम लाल/मोहन लाल	,,	3/9/80	3/10/80	3/10/80
112.	,, शिवराम/देवराम	,,	19/9/80	13/10/80	13/10/80
113.	,, अमृतराम/रतनलाल	,,	13/10/80	13/10/80	13/10/80
114.	,, मांगीलाल/उगमलाल	,,	22/10/80	31/10/80	11/11/80
115.	,, रामा/पीथा मीना	,,	24/10/80	31/10/80	31/10/80
116.	,, रामा/पीथा मीना	,,	3/11/80	17/12/80	2/1/81
117.	,, रामा/मीथा मीना	,,	3/11/80	17/12/80	2/1/81
118.	,, परवतसिंह/भैरुसिंह	,,	11/12/80	24/2/81	–
119.	,, तुलसीराम/हीरा राम	पाडिया	17/4/80	28/7/80	73/8/80
120.	,, सानू राम/किशन जी	,,	26/4/ 0	28/7/80	28/7/80
121.	,, भैरु लाल/गुमान जी	,,	22/5/80	12/8/80	21/8/80
122.	,, गंगाराम/मांगीलाल	खाडियावड	20/8/80	21/10/80	21/10/80
123.	,, भाना/नाथु मीना	,,	20/8/80	21/10/80	21/10/80
124.	,, रतनलाल/नारज	मानपुरा	15/4/80	7/8/80	19/8/80
125.	श्रीमति सीता बाई/लालचन्द	,,	17/6/80	7/8/80	19/8/80
126.	श्री ऊंकारलाल/कन्हैयालाल	,,	26/11/80	27/12/80	31/12/80
127.	,, सत्य नारायण/मगनीराम	,,	8/12/80	30/12/80	–
128.	,, किशन/पंचिया मीना	सिद्धपुरा	21/4/80	7/8/80	3/9/80
129.	,, दौलत राम/लाल जी	,,	8/7/80	7/8/80	14/8/80
130.	,, किशन/सावा जी मीना	,,	7/10/80	15/10/80	15/10/80
131.	,, अम्बालाल/अमृतलाल	,,	1/12/80	27/12/80	–
132.	,, नाथूलाल/हरनाथ	,,	1/12/80	27/12/80	27/1/81
133.	,, शिव नारायण/रतनलाल	,,	1/12/80	27/12/80	27/12/80
134.	,, तुलसीराम/उदा जी	,,	1/12/80	27/12/80	27/1/81
135.	,, निहाल चन्द/अम्बालाल	,,	1/12/80	27/12/80	20/1/81
136.	,, जगदीश/अम्बालाल	,,	1/12/80	27/12/80	–
137.	,, घासी/गोरा	,,	1/12/80	27/12/80	27/12/80
138.	,, परमा/वानमा	,,	1/12/80	27/12/80	27/1/81
139.	,, चम्पालाल/वेजु	,,	1/12/80	27/12/80	27/1/81
140.	,, माना/गोतम मीना	,,	29/12/80	–	–

Page No.293

1	2	3	4	5	6
141.	श्री रमेश/अम्बालाल	टान्डा	30/7/80	5/9/80	15/9/80
142.	,, रामनारायण/लालजी	कुलमीपुरा	20/5/80	7/8/80	19/8/80
143.	,, लक्ष्मीनारायण/रतनलाल	,,	9/7/80	7/8/80	19/8/80
144.	,, दलीचन्द/भुवनजी	,,	12/8/80	22/9/80	24/9/80
145.	,, ईश्वरलाल/ओंकारलाल	,,	21/10/80	28/11/80	—
146.	,, दौलत राम/नागा जी सुथार	,,	23/10/80	2/12/80	24/12/80
147.	,, कन्हैयालाल/गणेशराम	,,	20/11/80	2/12/80	8/12/80
148.	,, जगन्नाथ/भंवन जी	,,	31/12/80	9/1/81	9/1/81
149.	,, मोहनलाल/लालजी शर्मा	दमोतर	23/4/80	7/8/80	14/8/80
150.	,, गजेन्द्रसिह/दयालसिह	,,	26/4/80	7/8/80	20/8/80
151.	,, मांगू/नन्दाजी मीना	,,	22/5/80	7/8/80	5/9/80
152.	,, नाथू/परसा मीना	,,	22/5/80	7/8/80	5/9/80
153.	,, मांगीलाल/चम्पालाल	,,	28/8/80	22/9/80	26/9/80
154.	,, भंवरलाल/रतनलाल	,,	26/9/80	24/10/80	24/10/80
155.	,, शिवनारायण/शंकरलाल	,,	23/2/81	—	—
156.	,, ओंकारलाल/परथा मीना	अम्बा माथा	13/10/81	1/11/80	5/11/80
157.	,, अम्बालाल/बिज्या मीना	का खेड़ा	3/6/80	7/8/80	20/8/80
158.	,, श्यामा/परसाजी बणजारा	दमातर	28/8/80	30/10/80	26/11/80
159.	,, नारायण/देवाजी कुमावत	बुगवास	20/5/80	7/8/80	14/8/80
160.	,, किशनलाल/देवीलाल	रघुनाथपुरा	29/8/80	30/10/80	25/11/80
161.	,, अर्जुनलाल/रतनलाल	अमूलाप्राड	21/8/80	4/11/80	15/11/80
162.	,, बद्रीलाल/रतनलाल	,,	21/10/80	2/12/80	2/12/80
163.	,, शिव लाल/आशा राम	,,	12/11/80	2/12/80	11/12/80
164.	श्रीमती काशीबाई/हिमाजी	बुवासिया	27/9/80	21/10/80	21/10/80
165.	श्री पेमा/दुराजी मीना	,,	27/9/80	21/10/80	21/10/80
166.	,, रूपा/भैरा जी मीना	वाजनी	11/6/80	7/8/80	19/8/80
167.	,, नन्दजी भाई/वेजाराम	कलमिया	4/11/80	2/12/80	—
168.	,, जवाहरलाल/मोतीलाल	धमलिया	15/10/80	23/10/80	23/10/80
169.	,, अलारख/नाथूजी	गड़ोला	17/4/80	7/8/80	21/8/80
170.	,, पीर/कसमजी	,,	26/4/80	7/8/80	27/8/80
171.	,, हीरालाल/रूपा	,,	1/5/80	19/8/80	5/9/80

293

1	2		3		
172.	श्री ईश्वरलाल/तुलसीराम	गडोला	12/5/80	19/8/80	17/9/80
173.	,, जगन्नाथ/भुवनजी चमार	,,	12/5/80	19/8/80	10/9/80
174.	,, रामगोपाल/कन्हैयालाल	,,	16/5/80	20/8/80	15/9/80
175.	,, राजू/अलारक	,,	20/5/80	20/8/80	22/8/80
176.	,, भेरा/ऊंकारजी गागरी	,,	10/6/80	20/8/80	15/9/80
177.	,, नाना/अलारख	,,	10/6/80	20/8/80	3/9/80
178.	,, नाना/मिठू	,,	10/6/80	20/8/80	16/9/80
179.	अम्बालाल/सावा	,,	10/6/80	20/8/80	15/9/80
180.	,, गंगाराम/बभूतजी	,,	10/6/80	20/8/80	3/9/80
181.	,, धासी/नाथू कुमार	,,	10/6/80	20/8/80	3/9/80
182.	,, राजू/मोहम्मद	,,	6/9/80	6/9/80	6/9/80
183.	,, विनोद कुमार/शान्तिलाल	,,	25/9/80	26/9/80	—
184.	,, शान्तिलाल/झमक लाल	,,	26/9/80	26/9/80	13/10/80
185	,, तोताराम/रुपाजी पाटीदार	,,	29/9/80	8/10/80	8/10/80
186.	,, प्रेम चन्द/रुपा जी	,,	30/9/80	4/11/80	1/12/80
187.	श्रीमती धापु बाई/जमरलाल	,,	6/1/81	—	—
188.	श्री नानालाल/शंकरलाल	,,	9/10/80	15/11/80	25/11/80
189.	,, कारु/नन्दाजी पीतलिया चमना जी का		12/5/80	12/8/80	22/8/80
190.	,, नानूरामजी/तोताराम	,,	8/7/80	12/8/80	6/9/80
191.	,, अमृतराम/ओंकारजी	,,	8/12/80	5/12/80	—
192.	,, गुमाजी/तोराराम	,,	1/1/81	—	—
193.	,, परेतसिंह/चतरसिंह	कचली	26/4/80	7/8/80	21/8/80
194.	,, मांगीलाल/नन्दराम	,,	26/4/80	7/8/80	5/9/80
195.	,, परेतसिंह/चतरसिंह	,,	26/4/80	7/8/80	21/8/80
196.	,, मन्दिरविष्णु/मांगीलाल	,,	26/4/80	7/8/80	21/8/80
197.	,, गंगाराम/जीवराज	,,	16/7/80	22/9/80	9/10/80
198.	,, चुना/सोला रेंगर	,,	16/9/80	30/10/80	13/11/80
199.	,, बागडीराम/भुदन नाई	,,	15/12/80	—	—
200.	,, मथुरालाल/सेवराम	,,	15/12/80	—	—
201.	,, शम्भूलाल/भुवन नाई	,,	1/1/81	—	—

1	2	3	4	5	6
202.	श्री सूरजमल/सूखलाल	बोरी	15/4/80	27/8/80	10/9/80
203.	,, गमेरा/चतुर्भुज	,,	27/9/80	23/12/80	31/12/80
204.	,, भ्रामकलाल/मोहनलाल	,,	25/11/80	23/12/80	31/12/80
205.	भुवन/मोडाजी कुम्हार	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
206.	,, मनोहरपुरी/भवनपुरी	,,	1/12/80	23/12/80	31/12/80
207.	,, प्रेमचन्द/रामलाल	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
208.	,, मूलचन्द/बगडीराम	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
209.	,, गोबरलाल/सीताराम	,,	1/12/30	23/12/80	31/12/80
210.	,, लक्ष्मीचन्द/कालूराम	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
211.	,, किशनलाल/हीरालाल	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
212.	,, गंगाराम/मांगीराम	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
213.	,, मनसुख/जावरमल	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
214.	,, मांगीलाल/ग्रम्बालाल	,,	1/12/80	23/12/80	27/12/80
215.	,, सूरजमल/करण जी	बनेडिया	29/1/81	–	–
216.	श्रीमती नन्दुरी/नाथू	मनोहरगढ़	21/11/80	2/12/80	15/12/80
217.	श्री देवा/कालू मीना	ग्रामली खेड़ा	12/6/80	7/8/80	19/8/80
218.	,, देवीलाल/करु मीना	,,	16/12/80	30/12/70	30/12/80
219.	,, गोतम/दीपा मीना	कानपुरिया	24/5/80	7/8/80	12/8/80
220.	,, मानजी/ग्रोंकारलाल	दूदीया खेड़ा	2/7/80	7/8/80	14/8/80
221.	,, गमेरजी/डीलाजी	खेरोट	30/7/80	8/10/80	14/10/80
222.	,, शंकर/भेरु जाट	,,	7/8/80	8/10/80	13/10/80
223.	,, राधेश्याम/कामजी	,,	7/8/80	8/10/80	13/10/80
224.	,, बसन्ती लाल/रामलाल	,,	14/8/80	8/10/80	13/10/80
225.	,, शान्तिलाल/छेग लाल	,,	10/9/80	24/10/80	24/10/80
226.	,, नारायण/लादूजी	,,	18/11/80	2/12/80	12/12/80
227.	,, किशनलाल/कारू	,,	15/12/80	30/12/80	30/12/80
228.	,, कारू/हीरालाल	,,	15/12/80	30/12/80	30/12/80
229.	,, खेमराज/हंसराज	,,	19/12/80	8/1/81	5/2/81
230.	,, भाना/केशूराम	,,	13/2/81	–	–

Page No.296

(25)

1	2	3	4	5	6
231.	श्री अमारा/मंगू	जहाजपुर	25/8/80	8/10/80	8/10/80
232.	,, भेरा/सावाजी	विरावली	15/10/80	4/11/80	11/11/80
233.	,, नाथूजी/गंगाजी मीना	,,	15/10/80	4/11/80	11/11/80
234.	,, कमरजी/भोपजी	,,	4/11/80	2/12/80	16/12/80
235.	,, काचरू/रूपा मीना	,,	8/1/81	29/1/81	3/2/81
236.	,, फतेलाल/पन्नालाल	डिवालर	10/6/80	7/8/80	6/9/80
237.	,, भागू/नन्दा जी मीना	,,	21/8/80	24/11/80	26/11/80
238.	,, मांगीलाल/जीवा मीणा	मालपीरोड़ी	13/11/80	2/12/80	19/12/80
239.	,, रामलाल/जीवाजी	,,	17/2/81	–	–
240.	,, भैरू/हिमराज कुमावत	उन्छानिया	19/5/80	7/8/80	28/8/80
241.	,, शान्तिलाल/	,,	19/5/80	7/8/80	25/8/80
242.	,, काना गुलाब जी/		19/5/80	7/7/80	25/8/80
243.	,, रामा धना/	,,	19/5/80	7/8/80	28/8/80
244.	,, विरामसिंह/भंवरसिंह	,,	22/8/80	24/10/80	24/10/80
245.	,, हुला कंवर/भवरसिंह	,,	22/8/80	24/10/80	31/10/80
246.	,, विशनदास/गुलाब	,,	21/10/80	2/12/80	18/12/80
247.	,, बरदीचन्द/रामा मीणा	,,	30/10/80	2/12/80	5/12/80
248.	,, गुलाब/सावजी	रायपुरिया	24/4/80	7/8/80	22/8/80
249.	,, बरदीचन्द/गंगाजी	,,	24/4/80	7/8/80	22/8/80
250.	,, भैरूलाल/देवाराम	,,	24/4/80	7/8/80	22/8/80
251.	,, दुंवाचन्द/पूनाजी	,,	22/8/80	29/10/80	29/10/80
252.	,, रघुवीरसिंह/फतेसिंह	,,	1/9/90	29/10/80	31/10/80
253.	,, ओंकार/सुखा मीना	,,	18/11/80	2/12/80	3/12/80
254.	,, जगन्नाथ/गंगाराम	,,	27/12/80	27/12/80	27/12/80
255.	,, वजे राम/बैला मीना	बरखेड़ी	3/10/80	23/10/80	23/10/80
256.	,, चुनीलाल/ओंकारलाल मीना	,,	3/10/80	23/10/80	23/10/80
257.	,, मगू/नन्दा मीना	,,	3/10/80	23/10/80	23/10/80
258.	श्रीमती नन्दीबाई/जुजर मीवा	,,	3/10/80	23/10/80	23/10/80
259.	श्री जगन्नाथ/ओंकार कुमावत	,,	3/10/80	23/10/80	23/10/80
260.	,, रामलाल/हीरालाल	,,	3/10/80	23/10/80	23/10/80
261.	,, बाबरु/जुजर मीना	,,	15/10/80	23/10/80	23/10/80

1	2	3	4	5	6
262.	श्री नरजी/नन्दा मीना	बरखेड़ी	15/10/80	23/10/80	23/10/80
263.	,, गोतम/भाना मीना	,,	15/10/80	23/10/80	23/10/80
264.	,, नन्दा/भैरा मीना	,,	15/10/80	23/10/80	23/10/80
265.	,, जगदीश/नन्द जी	,,	11/11/80	14/11/80	15/11/80
266.	,, मंगला/नाथू जी मीना	,,	14/11/80	14/11/80	14/11/80
267.	,, मांगीलाल/चुन्नीलाल	,,	12/12/80	30/12/80	23/1/81
268.	,, शोभाराम/गुलाब जी मीना	,,	30/1/81	–	–
269.	,, नन्दा/नाथू मीना	कचनारा	14/11/80	14/11/80	14/11/80
270	,, हीरालाल/जीवा मीना	,,	3/12/80	5/12/80	5/12/80
271.	,, शंकरलाल/प्यारजी मीना	,,	23/2/81	–	–
272.	,, मांगीलाल/जुवर मीना	,,	23/2/81	–	–
273.	श्रीमती सुन्दरी/नानूराम	,,	23/2/81	–	–
274.	श्रीमती घूरी/ओंकार जी मीना	,,	23/2/81	–	–

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 546 की सूचना

तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1980 व जनवरी, 1981 में घटित नकबजनी के अपराधों की सूची।

क्र. सं.	नाम थाना	नाम गांव	मु. नं.	घटना तिथि	नतीजा
1	2	3	4	5	6
1.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	32/80	सही ज्ञात नहीं	एफ.आर अदम पता
2.	"	"	34/80	" "	चालान
3.	"	"	235/80	23-9-80	एफ.आर.अदम पता
4.	"	"	240/80	19-9-80	" वकू
5.	"	"	273/80	12-11-80	" पता
6.	"	बसाड़	9/80	सही ज्ञात नहीं	चालान
7.	"	अवलेश्वर	25/80	1-2-80	"
8.	"	असनिया	29/80	सही ज्ञात नहीं	"
9.	"	बगवास	33/80	13-2-80	"
10.	"	सेकड़ी	65/80	20-3-80	"
11.	"	बगवास	78/80	सही ज्ञात नहीं	एफ.आर.अदमपता
12.	"	कल्याणपुरा	98/80	9-5-80	चालान
13.	"	पांच इमली	157/80	13-7-80	एफ.आर.अदम पता
14.	"	खेरोट	161/80	14-7-80	" "
15.	"	भांसड़ी	171/80	25-7-80	" "
16.	"	खेरोट	172/80	28-7-80	" "
17.	"	हथूनिया	175/80	30-7-80	" "
18.	"	घटोरसी	176/80	30-7-80	" "
19.	"	सेमलिया	177/80	25-7-80	" "
20.	"	भांसड़ी	190/80	15, 16-8-80	" "
21.	"	खैरोट	195/80	20, 21-8-80	" "
22.	"	ननाणा	213/80	10-9-80	" "
23.	"	बसाड़	227/80	20-9-80	" "
24.	"	अवलेश्वर	245/80	5-10-80	" "

1	2	3	4	5	6
25.	प्रतापगढ़	असनिया	250/80	10-10-80	चालान
26.	"	खैरोट	274/80	9-11-80	एफ.आर.अदम वकू
27.	"	गन्धेर	276/80	आषाढ माह (14-11-80)	चालान
28.	"	बसाड़	295/80	ढाई माह पूर्व (17-12-80)	एफ.आर.अदम पता
29.	जाखम	उदखेड़ा	3/80	22-1-80	चालान
30.	सुहागपुरा	नोखाना	20/80	2, 3-8-80	"
31.	"	कचोरिया	21/80	11-8-80	एफ.आर.अदम पत
32.	सालमगढ़	डाबरी	1/80	31-12-80	" "
33.	"	हिंगलाट	12/80	11-2-80	चालान
34,	"	राएकाखेड़ा	13/80	19, 20-2-80	एफ.आर.अदम पता
35.	"	हिंगलाट	19/80	21-2-80	चालान
36.	"	बसलाई	25/80	4-5-80	एफ.आर.अदम पता
37.	"	मऊ	31/80	9-6-80	" "
38.	"	दलोट	52/80	2-7-80	" "
39.	"	मंझडला	58/80	21-8-80	" "
40.	"	सालमगढ़	66/80	12-9-80	" "
41.	"	नीनोर	70/80	22-9-80	चालान
42.	"	दलोट	71/80	5-10-80	एफ.आर.अदम पता
43.	"	रामपुर	81/80	2-11-80	चालान
4.	धमोजर	कुल्मीपुरा	3/80	28, 29-1-80	"
45.	"	धमोजर	9/80	9-4-80	एफ.आर.अदम पता
46.	"	कुल्मीपुरा	20/80	26-6-80	" "
47.	अरनोद	नोगांवा	14/80	11-2-80	चालान
48.	"	अरनोद	28/80	21, 22-3-80	"
49.	"	घूपना	66/80	16-7-80	एफ.आर.अदम पता
50.	"	बडवास	69/80	17-7-80	" "
51.	"	नानादी	76/80	सही ज्ञात नहीं	" "
52.	"	पीपरोड	81/80	17-7-80	" "
53.	"	भिरावता	85/80	3, 4-9-80	" "
54.	"	साखथली	93/80	6-10-80	एफ.आर.अदमबकुम्र

Page No.300

२५९

1	2	3	4	5	6
55.	रठाजना	बोरी	11/80	11-4-80	एफ.आर.अदम पता
56.	"	कनोरा	15/80	सही ज्ञात नहीं	" "
57.	"	पानगहूडी	16/80	"	" "
58.	"	सेमलापुर	19/80	12-6-80	" "
59.	"	गसराडा	20/80	सही ज्ञात नहीं	" "
60.	"	मग्ररोडा	23/80	18-6-80	" "
61.	"	भुंवासिया	26/80	29, 30-6-80	" "
62.	"	गादोला	31/80	19-7-80	" "
63.	"	पीलू	34/80	23-7-80	" "
64.	"	गिरहोडी	34/80	23-7-80	" "
65.	"	बरडिया	46/80 (17-11-80)	10-11 रोज पूर्व	" "
66.	"	पीलू	50/80	सही ज्ञात नहीं	" "

जनवरी, 1981

1	2	3	4	5	6
1.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	4/81	4-1-81	पेण्डिग तफतीश
2.	"	"	7/81	8-1-81	एफ.आर.अदम पता
3.	"	सेमली	10/81	9-1-81	पेण्डिग तफतीश
4.	"	वसाड	15/81	15-1-81	" "
5.	"	सेकड़ी	23/81	28-1-81	" "
6.	धमोतर	सामरिया	1/81	4-1-81	" "
7.	सालमगढ़	दलोट	3/81	8-1-81	" "
8.	"	रामपुर	5/81	17, 18-1-81	" "

उक्त मुकदमात में कुल चोरी गई सम्पत्ति रु. 97,942-50) बरामदगी का प्रतिशत
बरामद की गई सम्पत्ति रु. 63,104-50) 64.43 रहा है।

परिशिष्ट–27 मार्च, 1981–परिशिष्ट

परिशिष्ट—13

अन्तरांकित प्रश्न संख्या 550 की सूची

परिशिष्ट–'क'

क्र० सं०	नाम जिला	नाम तहसील	प्रस्तावित उप तहसील
1	2	3	4
1-	अजमेर	अजमेर	1- नसीराबाद
		केकड़ी	2- भिनाय
		ब्यावर	3- रामगढ़
			4- सथाना
2-	अलवर	अलवर	5- बहादुरपुर
3-	बाड़मेर	बाड़मेर	6- गुदामालानी
4-	भरतपुर	भरतपुर	7- कुम्हेर
5-	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	8- बसाड़
6-	गंगानगर	गंगानगर	9- हिन्दुमलकोट
			10- चुनावड़
		करनपुर	11- गजसिंहपुर
		पदमपुर	12- बीजबायला
		रायसिंह नगर	13- 17 टी० के०
		नोहर	14- फेफाना
		भादरा	15- छानी बाड़ी
7-	जयपुर	जयपुर	16- कालवाड़
8-	जालौर	जालौर	17- सायला
		आहोर	18- भद्राजन
			19- बागोड़ा
9-	जोधपुर	जोधपुर	20- लूनी
		बिलाड़ा	21- भोपालगढ़
10-	नागौर	नागौर	22- खीवसर
		मेड़ता	23- थावला
		डेगाना	24- आंजू
11-	पाली	पाली	25- रोहट
		बाली	26- सुमेरपुर
12-	झालावाड़	अकलेरा	27- मनोहर थना

परिशिष्ट 14
(अतारांकित प्रश्न 551 का विवरण)

परिशिष्ठ 'अ'

बांदी कुई में भू- एवं जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत किये गये कार्य का विवरण

	नाम कार्य	77–78	78–79	7›–80	80–81	योग
1–	भूमि सुधार कार्य (समोच्च रेखा बंधी, नाला बंधी तथा भूमि समतलीकरण)	251 एकड़	377 एकड़	330 एकड़	197.18 एकड़	1155.18एकड़
2–	पाइप लाइन(पक्के धोरे)मीटर बनवाया	6400 मीटर	6145 मीटर	400 मीटर	3203 मीटर	16,148 मी०

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न 552 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना के वर्तमान सचिव द्वारा की गई खरीद सामान सूची—

1	2	3
	(अ) कृषि विश्राम ग्रह व्यवस्था हेतु ।	
1–	बिस्तर	3 सेट
2–	कम्बल	4 नग
3–	बेड शीट्स	3 नग
4–	पलंग लोहे का	1 नग
5–	बक्स लोहे का	1 नग
6–	स्टोव	1 नग
7–	थाली	4 नग
8–	परात	1 नग
9–	गिलास	6 नग
10–	भगोना	2 नग
	(ब) कार्यालय व व्यापारियों के उपयोग हेतु ।	
1–	वर्दियों का कपड़ा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 5 वर्दियों वास्ते ।	
2–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु चार कोट का कपड़ा	
3–	बेग्स	5 नग
4–	ब्रीफ केस	2 नग
5–	मण्डी शुल्क विवरण पुस्तकें	200

303

1	2	3
6–	निर्यात प्रतिवेदन पुस्तकें	200
7–	स्टाक प्रतिवेदन पुस्तकें	200
8–	ओरियण्ट पंखे	2 नग
9–	एम्पलीफायर सेट	1 कम्पलीट
10–	ट्यूब लाइट रोड्स बजाज	24 नग

परिशिष्ट 16.

(अतारांकित प्रश्न 553 की सूची)

लघु सिंचाई योजनाओं की सूची

क्र० सं०	गांवों का नाम	स्थान जहां पर कार्य चल रहा	प्रारंभ करने का वर्ष	कार्य समाप्त करने की प्रस्तावित तिथि
1.	असुन्दनी परियोजना	तहसील केकड़ी	जनवरी 1979	31-3.82
2.	राजगढ़ बांध	तहसील किशनगढ़	फरवरी 1979	31-3-81
3.	रोड़ामास बांध	,, ,,	फरवरी 1979	22-2.82 (कार्य पूर्ण हो गया है।)
4.	नया तालाब बड़ारा	तहसील केकड़ी	मार्च 1979	14-6-80
5.	रणजीत सागर	,, ,,	मार्च 1979	30-6-81
6.	उंटड़ा बांध केनाल	किशनगढ़ तहसील	मार्च 1979	30-6-81
7.	नयागांव सारोठ फीडर	ब्यावर तहसील	अप्रेल 1979	31-12-80 पूर्ण हो गया

305

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न सं० 555 की सूची

RAJASTHAN AGRICULTURE SUB-ORDINATE SERVICE RULES

Rule 30 Confirmation :—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, if :

(a) he has passed the departmental examination, and has successfully undergone such training as the Government may, from time to time, specify;

(b) he has passed a departmental test of proficiancy in Hindi; and

(c) the appointing authority is satisfied that his integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation.

— —

706

SECTION-III-A-AGRICULTURE STATISTICS

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Asstt. Statistical Officer (Agriculture).	50% by direct recruitment and 50% by Promotion.	Post Graduate in Mathematics/ Statistics or M. Sc. in Agriculture Statistics from I. A. R. S. New Delhi.	1. Computer 2. Agriculture Supervisor 3. Investigator.	5 Years experiance on the posts of computor/ Agriculture Supervisor/Investigator. 10 years experience on the post of Investigator for persons having the education of Higher Secondary in Agriculture.	55 Years	Promotion amongst Investigator computor will be in accordance with the strength of the constituent post.

(२०२)

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची

जिला बीकानेर

जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण :-

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
	तहसील बीकानेर		
1.	नारंगदेसर से रानीसर सड़क	10,000	
2.	एनीसर से जसनाथपुरा सड़क	10,000	
3.	नौरंगदेसर से सेरेरा वाया बम्बलू सड़क के वर्क्स तैयार करना व मरम्मत	1,00,000	
4.	जसनाथपुरा से औलानिया सड़क	10,000	
5.	औलानिया से करनीसर बीकान सड़क	10,000	
6.	करनीसर बीकान से बंधा सड़क	10,000	
7.	लालगढ़ रेलवे स्टेशन से कानासर सड़क	10,000	
8.	एप्रोच रोड़ कानासर	7,00,000	
9.	जयसिंहदेसर से नापासर वाया रामसर सड़क निर्माण	4,00,000	
10.	जयमलसर से अफरपुरा सड़क	13,00,000	
11.	देशनोक से बीकानेर सड़क के सोल्वर्स बनाना	1,00,000	
12.	एप्रोच रोड़ उदयरामसर से रेलवे स्टेशन उदयरामसर तक सड़क	1,00,000	
13.	नापासर सीथल सड़क के वर्क्स तैयार करना व मरम्मत	50,000	
14.	देशनोक नापासर सड़क के वर्क्स तैयार करना व मरम्मत	1,00,000	
15.	इन्डस्ट्रियल एरिया से धड़सीसर सड़क	10,000	
16.	बस्ती चावडान से बच्छासर सड़क	10,000	

1	2	3	4
17.	मिसिंग लिंक रोड़ करनीसर से भीनासर सड़क	5,00,000	
18.	रिडमलसर सिपाहियान से हिमतासर	10.000	
19.	एप्रोच रोड़ रिडमलसर 3 के एम	10,000	
20.	शाला भवन नौरंगदेसर मरम्मत	10,000	
21.	शाला भवन गुसाईंसर निर्माण	25,000	
22.	शाला भवन गुसाईसर चार दीवारी	15,000	
23.	शाला भवन पनपालसर के दो कमरों का निर्माण	25,000	
24.	शाला भवन खारा निर्माण	27,000	
25.	शाला भवन किलचू में एक कमरा निर्माण	5,000	गत वर्ष का अधूरा
26.	शाला भवन कोटडी निर्माण	27,000	
27.	केसरदेसर चार दीवारी नि. शाला भवन	15,000	
28.	शाला भवन केसरदेसर बरामदा नि.	30,000	
29.	लालसदेर शाला भवन मरम्मत	10,000	
30.	शाला भवन जालसर निर्माण	27,000	
31.	,, कल्याणसर निर्माण	27,000	
32.	,, मेहरासर ,,	27,000	
33.	,, अम्बसर के बरामदे का नि.	4,120	गत वर्ष का अधूरा
34.	,, ,, निर्माण	27,200	
35.	,, करनीसर धाटियान निर्माण	27,200	
36.	,, सातीगढ़ निर्माण	27,200	
37.	,, गोगलीवाला निर्माण	27,200	
38.	,, शेरेरा निर्माण	10,000	गत वर्ष का अधूरा
39.	,, सीथल (कन्या) निर्माण	27,200	
40.	,, घड़सीसर निर्माण	27,200	
41.	,, सूजानदेसर निर्माण	27,200	
42.	,, श्रीरामसर शाला के दो कमरे	20,000	
43.	,, उदासर निर्माण	27,200	
44.	,, हिमतासर निर्माण	27,200	
45.	,, रायसर मरम्मत	8,000	
46.	,, रिडमलसर मरम्मत	9,000	
47.	,, नाल छोटी निर्माण	27,000	

1	2	3	4
48.	शाला भवन बच्छासर निर्माण	71,620	गत वर्ष का अधूरा
49.	दुग्ध संकलन केन्द्र केसरदेसर निर्माण	20,000	
50.	,, ,, जैतासर ,,	20,000	
51.	,, ,, गुसांईसर ,,	20,000	
52.	,, ,, बम्बलू बास कोपरान	20,000	
53.	,, ,, बरसिंहसर ,,	20,000	
54.	,, ,, लाखूसर ,,	20,000	
55.	,, ,, करनीसर बीकान ,,	20,000	
56.	नौरंगदेसर पानी का होज निर्माण	20,000	
57.	पंचायत भवन मरम्मत मालासर	15,000	
57.	कानासर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
58.	गढवाला पंचायत भवन मरम्मत	15,000	
59.	केसरदेसर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
60.	बरसिंहसर पंचायत भवन मरम्मत	10,000	
61.	लालमदेसर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
62.	कावासर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
63.	रायसर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
64.	पूगल पंचायत भवन निर्माण	25,000	
65.	दन्तौर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
66.	असरपुरा पंचायत भवन निर्माण	25,000	
67.	उदयरामसर पंचायत भवन मरम्मत	20,000	
68.	सत्तासर पंचायत भवन मरम्मत	20,000	
69.	सीथल पंचायत भवन मरम्मत	10,000	
70.	नालबड़ी पंचायत भवन निर्माण	25,000	
71.	कोलासर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
72.	सुजानदेसर पंचायत भवन निर्माण	25,000	
73.	करमीसर ,, ,, ,,	25,000	
74.	दन्तौर पटवार घर निर्माण	22,200	
75.	उदासर ,, ,,	22,200	
76.	एरिया बड़ा बास पटवार घर निर्माण	22,200	
77.	शेरेरा पटवार घर निर्माण	22,200	
78.	मूण्डसर ,, ,,	22,200	
79.	बरसिंहसर पटवार घर निर्माण	22,200	

Page No.311

1	2	3	4
80.	जामसर पटवार घर मरम्मत	10,000	गत वर्ष का अधूरा
81.	बरसिंहसर अस्पताल निर्माण	10,000	
82.	शेरेरा पशु चिकित्सालय निर्माण	10,000	
83.	उदासर ग्राम से पानी निकासी	10,000	
84	बरसिंहसर पशु चिकित्सालय निर्माण	67,000	
85.	अमरपुरा पशुओं की खेली निर्माण	8,000	
86.	स्नानघर छत्तरगढ़ निर्माण	20,000	
87.	करणीसर भाटियान खेली निर्माण	20,000	
88.	नाल बड़ी काजी हाउस	15,000	
89.	रिड़मलसर सिपाहियान यूनानी दवाखाना	25,000	
90.	बी.एल.डब्ल्यू. क्वार्टर मरम्मत जामसर	10,000	
91.	रुणियावास बड़ावास अस्पताल निर्माण	25,000	
92.	गुसाईसर औषधालय भवन निर्माण	25,000	
93.	नापासर मवेशी खाना निर्माण	15,000	
94.	बल्ब गार्डन पुलिसया निर्माण	20,000	
95.	कोलासर समाज कल्याण केन्द्र निर्माण	20,000	
96.	अम्बासर कूण्ड निर्माण	9,000	गत वर्ष का अधूरा
97.	लालमदेसर (स्वरुप देसर) औषधालय निर्माण	25,000	
98.	करणीसर शाला के खेल का मैदान समतल करवाना	10,000	

परिशिष्ट

जिला—बीकानेर

जिले के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण—

क्र० सं० 1	नाम कार्य 2	स्वीकृत राशि 3	विशेष विवरण 4
तहसील लूनकरणसर :			
1.	लूनकरणसर से जैतपुर ग्राम पंचायत जैतपुर की सीमा में।	10,000	
2.	लूनकरणसर से जैतपुर ग्राम पंचायत सुई की सीमा में।	10,000	
3.	लूनकरणसर से शेखसर सड़क	10,000	
4.	गारबदेसर से खोडाला पंचायत करमीसर की सीमा में	10,000	
5.	रावतसर से नकोदेसर सड़क	10,000	
6.	आडसर से गंवासर सड़क	10,000	
7.	महाजन से शेरपुरा महाजन की सीमा में।	10,000	
8.	खिंयेरा से मकड़ासर सड़क	10,000	
9.	पलकीसर बड़ावास से पलकीसर घाटावास सड़क	10,000	
10.	कालू से सहजरासर सड़क	10,000	
11.	एप्रोच रोड कपूरीसर वर्क्स मरम्मत	50,000	
12.	एप्रोच रोड लूनकरनसर	7,00,000	
13.	जयदेववाला गांव से रेलवे स्टेशन	1,00,000	
14.	धीरेरा गांव से रेलवे स्टेशन	2,00,000	
15.	रानीसर से धीरेरा रेलवे स्टेशन वाया कतरियासर करनीसर	16,00,000	
16.	राजपुरा से राजासर सड़क	3,00,000	
17.	जैतपुर से शेखसर वाया सुई	17,50,000	
18.	धीरेरा रेलवे स्टेशन से कालू वाया सहजरासर	15,00,000	

1	2	3	4
19.	गरबदेसर से राजासर	5,50,000	
20.	महाजन से सेरपुरा	5,50,000	
21.	शाला भवन निर्माण राजासर उर्फ करनीसर	27,200	
22.	शाला भवन निर्माण राज पुरा हुडान	27,200	
23.	" " " किसनासर	27,200	
24.	" " " वामनवाली	27,200	
25.	" " " खियेरा	27,200	
26.	" " " शेरपुरा	27,200	
27.	" " " भिलनेरा	27,200	
28.	" " " दुलचासर	27,200	
29.	" " " नाथूसर	27,200	
30.	" " " कालू (कन्या)	27,200	
31.	" " " केला	27,200	
32.	शाला भवन निर्माण कपूरीसर	27,200	
33	" " सरम्मत गोपलान	10,000	
34.	" " निर्माण मकड़ासर	20,000	गत वर्ष के अधूरा
35.	" " " मलकीसर छोटा	5,640	"
36.	" " " मलकीसर स्टेशन	10,000	"
37.	" " " धोरदान	3,000	"
38.	" " " छटासर	10,000	"
39.	" " के दो कमरे निर्माण रावासर	3,000	
40.	" " निर्माण (कन्या) महाजन	4,000	
41.	दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कपूरीसर	20,000	
42.	" " " " खियेरा	20,000	
43.	" " " " खोखराना	20,000	
44.	" " " " धीरदान	20,000	
45.	" " " " मनाफरसर	20,000	
46.	" " " " शोभोलाई	20,000	
47.	" " " " राजासर उर्फ करनीसर	20,000	
48.	पंचायत भवन में कमरा निर्माण महाजन	2,110	गतवर्ष का अधूरा

(323)

1	2	3	
49.	पंचायत भवन निर्माण हसेरा	10,000	गतवर्ष का अधूरा
50.	धीरेरा पंचायत भवन निर्माण	10,000	
51.	पंचायत भवन निर्माण जामोर	25,000	
52.	" " " खोखराना	25,000	
53.	" " " काकड़वाला	25,000	
54.	" " " खारबारा	25,000	
55.	" " " कुम्हाणा	25,000	
56.	" " " केला	25,000	
57.	" " " जेतपुर	25,000	
58.	शेखसर औषधालय भवन निर्माण	25,000	
59.	मेऊसर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	25,000	
60.	सोढवाली पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	10,000	
61.	हसेरा औषधालय भवन निर्माण	25,000	
62.	जामोर बी एल डबल्यू क्वार्टर	25,000	
63.	रावासर कुआ मरम्मत	30,000	
64.	कालासार्वजनिक हाल निर्माण	30,000	
65.	लूनकरनसर सार्वजनिक शौचालय	20,000	
66.	बी एल डबल्यू राजासर उर्फ करणीसर	25,000	
67.	हापासर कुआ होज निर्माण	15,000	
68.	शेख सर नये कुए की बंधाई	40,000	
69.	शोभोलाई पशु चिकित्सालय	10,000	गतवर्ष का अधूरा
70.	कालू पशु चिकित्सालय	67,000	

जिला बीकानेर

जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र० सं०	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
	तहसील कोलायत		
1.	मण्डाल भोरनान से गोविन्दसर सड़क	10,000	
2.	गोविन्दसर सीमा से कोटासर सड़क	10,000	
3.	नोखड़ा से नोखड़ा सीमा गिराजस की तरफ	10,000	
4.	दियतराम से बुर्ज सीमा तक सड़क	10,000	
5.	रणजीतपुरा से रणजीतपुरा की सीमा तक चारणवाला की तरफ	10,000	
6.	रणजीतपुरा से रणजीतपुरा तक राववालां की तरफ	10,000	
7.	खारिया मलीनाथ से खारियापातावतान	10,000	
8.	फूलासर से कोलायान रणजीतपुरा रोड़ तक	10,009	
9.	खिनदास से नानदड़ा	10,000	
10.	चारणवाला से चारणवाला की सीमा तक बीकानेर की तरफ	10.000	
11.	नानदड़ा से खारा तक सड़क	10,000	गतवर्ष का अधूरा
12.	मियांकोर से खिन्दासर तक सड़क	10,000	"
13.	चक विजयसिंहपुरा से सीयाणा तक सड़क	10,000	"

315

1	2	3	4
14.	सियाणा से खारा तक सड़क	10,000	गत वर्ष का अधूरा
15.	भेलू से भेलढाणी तक सड़क	10,000	"
16.	गिराजसर से नोखा सीमा तक सड़क	10,000	"
17.	मण्डालगांव से मण्डाल सीमा तक सड़क	2,500	"
18.	खारियापालावतान से उदट तक सड़क	7,000	"
19.	वरसलपुरा से वरसलपुरा की सीमा तक सड़क	7,000	"
20.	कोडमदेसर से राजनेर सड़क के सोल्डर वर्क्स की मरम्मत	10,000	"
21.	एप्रोच रोड राष्ट्रीय उच्च मार्ग से कोलायत की मरम्मत	30,000	
22.	गजनेर गंगा सरोवर सोडर वर्क्स मरम्मत	50,000	
23.	अकाबर गांव से गजनेर रेलवे स्टेशन	3,00,000	
24.	वज्जू से गड़ियाला वाया मीठड़िया ग्रन्थी	12,50,000	
25.	सियाणा रे नोखड़ा वाया टीकला	20,00,000	
26.	एपोच रोड़ फूलासर	4,00,000	
27.	बीठनोक से गडियाला	10,00,000	
28.	रणजीतपुरा से बरसलपुरा	11,00,000	
29.	रणजीतपुरा से बीठनोक	11,00,000	
30.	भक से दियातरा वाया बूर्ज	10,00,000	
31.	वज्जू से बांगड़सर	6,50,000	

Page No.317

316

1	2	3	4
32.	गिराजसर से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 15 वाया नोखड़ा	8,00,000	
33.	शाला भवन निर्माण पोखा	27,200	
34.	,, ,, ,, भोलासर	27,200	
35.	,, ,, ,, झझू (छात्र)	27,200	
36.	,, ,, ,, झझू (कन्या)	27,200	
37.	,, ,, ,, डेहू	27,200	
38.	,, ,, ,, गुड़ा	27,200	
39.	पंचायत भवन निर्माण गडियाला	25,000	
40.	पंचायत भवन निर्माण सुरजडा	25,000	
41.	,, ,, ,, माणकासर	25,000	
42.	,, ,, ,, वज्जू	25,000	
43.	,, ,, ,, सियाणा	25,000	
44.	,, ,, ,, गोड़	25,000	
45.	पटवार घर निर्माण दासोड़ी	22,200	
46.	नोंखा उर्फ दैया नहर खुदाई	20,000	
47.	खारी चारनान तालाब नहर खुदाई	50,000	
48.	कोडमदेसर तालाब की माधोलाल फिडर की सिल्ड निकालना	26,960	
49.	कोडमदेसर तालाब की सुन्दर गीरी फिडर की सील्ट निकालना	51,110	
50.	हृदां तलाई मिट्टी खुदाई कार्य	10,000	
51.	वुर्ज खान पर कंकर खुदाई कार्य	10,000	

Page No.318

(312)

1	2	3	4
52.	खड़ी बन्ध की दरारें बन्द व पाल की मरम्मत	46,760	
53.	सियालाबन्ध की दरारें बन्द व पाल की मरम्मत	28,502	
54.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र झंझू	67,000	
55.	नागेरासर तालाव खुदाई	1,00,000	

जिला बीकानेर

जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र० सं०	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
	तहसील नोखा		
1)	बस स्टेण्ड से मूजसर सड़क	10,000	
2)	सिजगुरू से किरतसर सड़क	10,000	
3)	खेड़ा से नोखा चुंगी चौकी	10,000	
4)	ऊंडसर केम्प से सिणयाला	10,000	
5)	बेरासर से अनीखीसर	10,000	
6)	थावरिया से मैनसर	10,000	
7)	मसूरी से बिदासरिया	10,000	
8)	कूचीर से जयसिंहदेसर कलिया	10,000	
9)	नानूखड़ा से नागौर फलोदी रोड	10,000	
10.	नाथूसर से सेनागर की ढाणी	10,000	
11)	नाथूसर से साईसर तक सड़क	10,000	गत वर्ष का अधूरा
12)	घूपालिया से देवीसिंह ढाणी तक सड़क	10,000	,,
13)	धोकधोरा थोलाई से अनखीसर तक सड़क	7,000	,,
14)	उस्तशनदेसर से लालमदेसर सड़क	10,000	,,
15)	लिंक रोड सीशा से बेरासर केसरदेसर स०	10,000	,,
16)	लिंक रोड गजरूपदेसर से बरासर केसरदेसर	10,000	
17)	नागौर नोखा सड़क के सोल्डर्स निर्माण	1,00,000	

1	2	3	4
18)	नोखा देशनोक सड़क के सोल्डर्स निर्माण	1,00,000	
19)	एप्रोच रोड रोगुनिया का वाला मरम्मत	1,00,000	
20)	हिम्मतसर समरथल का-धोरा सड़क	20,000	
21)	सूरजसिंह पारा से नयागांव वाया कूचोर सोल्डर्स मरम्मत	1,00,000	
22)	साधूना से भादला वाया सोभाना	8,00,000	
23)	कूचोर से वादनू	5,00,000	
24)	भागटसर से सूरपुरा	4,50,000	
25)	सारूण्डा से चिताणा	4,00,000	
26)	साधासर से लालमदेसर बीदासरिया	5,00,000	
27)	सूरपुरा गांव से रेल्वे स्टेशन	1,00,000	
28)	दासूड़ी से पांचू वाया नाथूसर धरनोक, माडूडा	16,00,000	
29)	समरथल का धोरा से पीपासर	3,50,000	
30)	कूचोर से बनिया वाया जयसिंहदेसर	10,00,000	
31)	जयसिंहदेसर से नापासर वाया रायसर	4,00,000	
32)	शाला भवन मेघासर निर्माण	10,000	गत वर्ष का अपूरा.
33)	शाला भवन नाथूसर निर्माण	27,200	
34)	,, ,, पांचू ,,	27,200	
35)	,, ,, सिनीयावाला निर्माण	27,200	
36)	शाला भवन निर्माण भामटसर	27,200	

Page No.321

1	2	3	4
87)	शाला भवन निर्माण वासी जेटा, घोरा	27,200	
38)	,, ,, ,, काकू	27,200	
39)	,, ,, ,, मेनसर	27,200	
40)	,, ,, ,, सुरपुरा	27,200	
41)	,, ,, ,, घरनोक	27,200	
42)	,, ,, ,, भादवो की ढाणी	27,200	
43)	,, ,, ,, मरम्मत दावा	15,000	
44)	,, ,, निर्माण जयसिंहदेसर कलिया	25,000	
45)	दुग्ध संकलन केन्द्र ढींगसरी	20,000	
46)	,, ,, ,, बंधाला	20,000	
47)	,, ,, ,, कूचोर आथूनी	20,000	
48)	,, ,, ,, उदासर	20,000	
49)	,, ,, ,, जसरासर	20,000	
50)	,, ,, ,, जयसिंहदेसर मागरा	20,000	
51)	पंचायत भवन जांगलू	25,000	
52)	,, ,, उदासर	25,000	
53)	,, ,, चरकड़ा	25,000	
54)	,, ,, भादला	25,000	
55)	पटवार घर जांगलू	22,200	
56)	,, ,, ढींगसरी	22,200	
57)	,, ,, मुकाम	22,200	
58)	,, ,, रोड़ा	22,200	
59)	,, ,, मैनसर	22,200	
60)	,, ,, गजरूपदेसर	22,200	

1	2	3	4
61)	पटवा घर साधासर	22,200	
62)	,, ,, कूदसू	22,200	
63)	वाटर टेन्क रिपेयर व स्वीच वोर्ड रूप ग्राम मेऊसर पं० कूचोर ग्रौथी	36,500	
64)	भाकरों की ढाणी कुग्रा निर्माण	10,000	गत वर्ष का ग्रधूरा
65)	जसरासर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	10,000	
66)	ढींगसरी पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	10,000	
67)	स्वीच वोर्ड रूप माडिया	10,000	
68)	,, ,, ,, घरनोक	10,000	
69)	भाड़ेली ग्रौषधालय निर्माण थावरिया	25,000	
70)	हिमटसर साण्ड शाला निर्माण	10,000	
71)	रायसर ग्रौषधालय भवन निर्माण	25,000	
72)	मुकाम पशुग्रों की खेली	10,000	
73)	बीकासर बी. एल. डब्ल्यू. क्वाटर	25,000	
74)	ऊंडसर ग्रौषधालय भवन निर्माण	25,000	
75)	बेरासर पशुग्रों की खेली निर्माण	10,000	
76)	कूचारे ग्राथूनी काकड़ जल कुण्ड	10,000	
77)	,, ,, सार्वजनिक प्याऊ	10,000	
78)	,, ,, पशुग्रों की खेली	10,000	
79)	मोरखाना पशुग्रों की खेली	10,000	
80)	किरतासवर पशुग्रों की खेली	10,000	
81)	काकू ग्रौषधालय भवन निर्माण	25,000	
82)	गजसुखदेसर ग्रौषधालय भवन निर्माण	25,000	

Page No.323

322

1	2	3	4
	83) गजसुखदेसर पशु खेली निर्माण	10,000	
	84) रोड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय	30,000	
	85) कीकड़ा खाला निर्माण	10,000	
	86) माडेलिया से पत्थर निकलवाई	10,000	
	87) देसलसर तालाब खुदाई एवं पक्का बन्धवाना	1,00,000	
	88) जयसिंहदेसर (कन्या) शाला भवन	27,200	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न सं० 559 की सूची

सूची—अ

वर्ष 1980—81 में झालावाड़ जिले में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	तहसीलें
1.	मन्दिरपुर	गंगधार
2.	भारका	गंगधार
3.	आदूखेड़ी	पचपहाड़
4.	सानोरिया	पिडावा
5.	कोटरा प्रताप	पिडावा
6.	बोलिया बुजर्ग	पिडावा
7.	गोलाना	खानपुर
8.	ललावता	खानपुर
9	रयानखेड़ी	खानपुर
10.	सारोला कलां	खानपुर
11.	दादिया	खानपुर
12.	मलानवासा	खानपुर
13.	बोरबन्द	पिडावा
14.	सेमलिया भवानी	पिडावा

(324)

सूची–ब

वर्ष 1980—81 में (माह फरवरी, 81-के अन्त तक) झालावाड़ जिले में कृषि कुओं को ऊर्जीकृत किये गये उपभोक्ताओं की सूची

क्र० सं०	उपभोक्ता का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3
1.	श्री रूपनारायण/बालाराम कुल्मी	उण्डल
2.	नन्दलाल/रामलाल	चोरखेड़ी
3.	रामनारायण/लक्ष्मण	"
4.	परमानन्द नन्ददास	"
5.	मानसिंह/धनजी	सरोद
6.	राधूसिंह/पूरसिंह	"
7.	धनसिंह/फतेसिंह	"
8.	किशनलाल/हीरालाल	सालरिया
9.	भंवरलाल/कन्हीराम	"
10.	जयलाल/किशनलाल	"
11.	बापूलाल/भैरूंलाल कुल्मी	रामपुरिया
12.	गजानन्द/भैरूं कुल्मी	"
13.	मोहनलाल/गजाननन्द	"
14.	नारायण/धन्ना	"
15.	बालाराम/किशनलान	"
16.	आत्माराम/भूरादास बैरागी	"
17.	श्रीमती कंचनबाई/पत्नी सीताराम	बड़ोदिया
18.	श्री नारायणलाल/पूरीलाल कुल्मी	"
19.	शिवलाल/भैरूंलाल	"
20.	धूला/भैरूं कुल्मी	"
21.	बालसिंह/मोतीसिंह	दीवलखेड़ा
22.	बाला/काल कुल्मी	"
23.	बालाराम/धूलीलाल	"
24.	किशन/मोती गूजर	"
25.	नन्दा/केशोराम कुल्मी	"
26.	जगदीशप्रसाद/माधोलाल	"
27.	किशन/देवीलाल कुल्मी	"

325

1	2	3
28.	गजानन्द/घीसा कुल्मी	दीवलखेड़ा
29.	बालमुकुन्द/भवानीशंकर	,,
30.	रामनारायण/कनीराम	,,
31.	लक्ष्मीनारायण/भैरूंलाल	,,
32.	रामनारायण/रामलाल	,,
33.	बल्लभलाल/गजानन्द	डूंगरगांव
34.	रोड़लाल/धूलालाल	,,
35.	रामलाल/नानूराम तेली	,,
36.	चैना/कालू कीर	शाहीपुर
37.	मोड़ू/लाला कीर	,,
38.	सरदारसिंह/भैरूंसिंह	खेरखेड़ा
39.	हरलाल/रामा गूजर	डावली
40.	बालाराम/रत्ता लोधा	कल्याणपुरा
41.	श्री पूरीलाल/प्रताप कुल्मी	आनन्दा
42.	उदयसिंह/मोतीलाल	गंगापुर
43.	हरिसिंह/देवजी	,,
44.	हरिसिंह/माधोजी	,,
45.	भगवानसिंह/स्वरूपजी	,,
46.	उदयसिंह/पृथ्वीसिंह	,,
47.	श्रीमती मोहनबाई/अमोलकचन्द	,,
48.	श्री नानूराम/भागीरथ	नयापुरा
49.	मांगीलाल/नन्दलाल	,,
50.	परसराम/गोविन्दराम	,,
51.	घनश्याम/रामदयाल	,,
52.	मोतीराम/रामप्रताप	,,
53.	तुलसीराम/मोतीलाल	नलखेड़ी
54.	करणसिंह/कालूसिंह	कुण्डीखेड़ा
55.	रामप्रताप/भैरूंलाल धाकड़	आवलीखुर्द
56.	तोलाराम/भैरूंलाल	,,
57.	राभा/नन्दा धोबी	गुराडी
58.	उमरावसिंह/पूरसिंह	खारपा
59.	बद्रीलाल/काशीराम	पिपलोकद
60.	बद्रीलाल/कजोड मीणा	बडवेला

1	2	3
61.	बद्रीलाल/देवलाल	बडवेल
62.	गोविन्दसिंह/गोरधनसिंह	सलोतिया
63.	रामनारायण/मथुरालाल	बाघेर
64.	रामगोपाल/मथुरालाल	"
65.	शोनाथ/ग्यारसीलाल	"
66.	नन्दकिशोर/मदनलाल	"
67.	नृसिंह सिंह/किशनसिंह	मौलाब
68.	धन्ना/रामा	मुण्डेरी
69.	मोहनलाल/हीरालाल	धनवाड़ा
70.	मांगीलाल/सुखा	"
71.	रामेश्वर/आनन्दीलाल	मानपुरा
72.	कंवरलाल/देवलाल	कोथलाघटी
73.	भंवरलाल/मोतीलाल	"
74.	हिम्मतसिंह/उदयसिंह	बनिया
75.	मूलचन्द/कल्याणपुरी	"
76.	ओमप्रकाश/परमानन्द	खण्डिया
77.	ओमप्रकाश/परमानन्द	"
78.	रामचन्द्र/भैरूंलाल	दुर्गापुरा
79.	भंवरलाल/सीताराम	नाहरडी
80.	रूपसिंह/अभयसिंह	मैसर
81.	श्री रामगोपाल/नन्दकिशोर	अरनिया
82.	घीसा/भागचन्द	"
83.	कन्हैयालाल/बिरदीलाल	"
84.	देवीलाल/सरदारसिंह	"
85.	रामचन्द्र/जुझारसिंह	"
86.	राधाकिशन/सेवाजी	"
87.	काशीराय/भंवरलाल	दित्याखेड़ी
88.	भवानीराम/भैरूंलाल	"
89.	नाथूलाल/हरलाल	"
90.	ओंकारलाल/भैरूंलाल	"
91.	मथुरालाल/भैरूंलाल	"
92.	ओंकारलाल/शिवलाल	"

1	2	3
93.	बापूलाल पुरीलाल	दित्याखेड़ी
94.	नन्दा/सालगराम	रायपुर
95.	कूका/दौला	"
96.	सुलेमान/भंवरलाल	"
97.	शंकरलाल/सालगराम	"
98.	रामरतन/पूरा जी	"
99.	मथुरा/सांवलाजी	"
100.	किशनलाल/भंवरलाल	"
101.	रामकिशन/भवाना	"
102.	नारायण/भंवरलाल	भीमली
103.	रामगोपाल/नाथू	"
104.	रामेश्वर/बद्रीलाल	"
105.	सीताराम/कन्हीराम	"
106.	देवीलाल/रामनारायण	"
107.	मांगीलाल/अमरलाल	"
108.	प्रभुलाल/कन्हीराम	"
109.	प्रेमचन्द/प्यारा	"
110.	प्रभु/धूला	"
111.	जयराम/पन्नाजी	असनावर
112.	किशन/पांचू	"
113.	भैरू/गोपी	"
114.	बालचन्द/नारायण	"
115.	रामगोपाल/परमानन्द	"
116.	मोतीलाल/भंवरलाल	धानोदा
117.	बजरंगलाल/रतनलाल	"
118.	सियाराम/रामप्रताप	"
119.	प्रभुलाल/पन्नालाल	दित्याखेड़ी
120.	नाथू/भूरा	लावासल
121.	श्री कंवरलाल/किशना	"
122.	प्रहलाद/मथुरालाल	भंवरासा
123.	रामलाल/प्यारा	"
124.	भैरू/नन्दा	"
125.	नाथूराम/भवानाजी	"

1	2	3	4
126.	नन्दा/लाला		भंवरासा
127.	बालाराम/घीसा		"
128.	कंवरलाल/देवलाल		"
129.	घीसा/भागचन्द		गांवड़ी
130.	बद्रीलाल/किशनलाल		अकतासा
131.	श्रीमती भंवरीबाई/बृजनाथ		पाटन
132.	श्री मोतीलाल/धनपाल		गिरधरपुरा
133.	रोशनसिंह/विजयसिंह		लावासल
134.	रतनलाल/गोरीलाल		सरेड़ी
135.	हजारीलाल/प्रभूलाल		"
136.	किशनलाल/जयराम		"
137.	भंवरलाल/घीसा		"
138.	गोपीलाल/श्रवणजी		आमेठा
139.	वधी/विरधा		"
140.	जगन्नाथ/चूलीलाल		"
141.	मन्नालाल/मानसिंह		"
142.	कालू/ऊदा		"
143.	कंवरलाल/गोदीलाल		"
144.	कालू/किशनलाल		"
145.	मोतीलाल/मानसिंह		"
146.	मदनलाल/अमरलाल		"
147.	घीसा/रामा		"
148.	मूलचन्द/देवा		अरनिया
149.	देवलाल/मोतीलाल		"
150.	रुघनाथ/भंवरलाल		"
151.	पन्नालाल/प्रेमचन्द		"
152.	श्रीमती कल्याणी/श्रीलाल		"
153.	श्री मांगीलाल/नाथू		कूकलवाड़ा
154.	बिरधीलाल/भंवरलाल		बोरखेड़ी
155.	रामनाथ/अमरलाल		"
156.	किशना/ओंकार		"
157.	भागचन्द/भैरूंलाल		तुरकाडिया
158.	मांगीलाल/भैरूंलाल		"

Page No.330

(329)

1	2	3
159-	रतनलाल/भंवरलाल	तुरकाडिया
160-	दानमल/मांगीलाल	"
161-	गजानन्द/रामचन्दर	जावर
162-	पन्नालाल/प्यारजी	गुलखेडी
163-	भैरूलाल/शंकरलाल	बावडीखेडा
164-	किशनलाल/देवलाल	"
165-	चुन्नीलाल/मांगीलाल	"
166-	नरवरसिंह/चन्दनसिंह	"
167-	केशूराम/रतनलाल	सेमली खासा
168-	कंवरलाल/भवानीराम	"
169-	रामलाल/किशना	नहरावद
170-	पन्ना/नाथू	"
171-	हीरा/गोरधन	"
172-	प्यारा/नाथू	"
173-	कंवरलाल/गंगाराम	"
174-	हीरा/जालम	"
175-	नकीराम/भैरूलाल	"
176-	बालाराम/उदाजी	"
177-	रामसिंह/किशना जी	"
178-	ओंकारलाल/कालू जी	सीताफल
179-	बापूलाल/देवा	"
180-	रामनारायण/तोलाराम	"
181-	रामगोपाल/नाथू	"
182-	नैन/खेमा	"
183-	ओंकारलाल/नाथू	"
184-	भैरूसिंह/करनसिंह	"
185-	मदनलाल/भैरूलाल	"
186-	रामलाल/चतरा	सिंघानिया
187-	फूलचन्द/भैरूलाल	"
188-	भैरूलाल/मांगीलाल	"
189-	देवा/नन्द	अरोलिया
190-	भैरूलाल/भवाना	"
191-	बिरधीलाल/भंवरलाल	"

1	2	3
192-	रामलाल/किशना	अरोलिया
193-	किशनलाल/रामलाल	कडोदिया
194-	घीसा/भीमा	कडोदिया
195-	वाला/काशीराम	"
196-	काशीराम/नाथू	"
197-	दुर्गा/गुलाब	"
198-	मोती/धूला	"
199-	मांगीलाल/सेवा	"
200-	मांगीलाल/केसूराम	"
201-	श्री लक्ष्मीनारायण/नाथू	"
202-	कन्नीराम/पन्ना	गरवाडा
203-	हरीसिंह/भवानीसिंह	"
204-	प्रभूलाल/रामलाल	पृथ्याखेडी
205-	भैरूलाल/भवानीराम	"
206-	माधोलाल/रामलाल	"
207-	मांगीलाल/बुद्धा	गादिया
208-	वापू/रामप्रताप	"
209-	रामकरण/जगन्नाथ	"
210-	किशनलाल/मथुरालाल	"
211-	देवा/रूपा	"
212-	लक्ष्मण/भैरू	"
213-	नारायण/किशन	"
214-	रामनारायण/नन्दा	"
215-	रामनारायण/मोहन	"
216-	भैरू/काना	"
217-	रामलाल/ओंकार जी	"
218-	भैरूलाल/किशनलाल	"
219-	रामकुमार/रामप्रताप	"
220-	परमराम/वापूलाल	मांडा
221-	वालाराम/गोविन्द	"
222-	प्रहलाद/रामलाल	"
223-	रामनिवास/वापूलाल	"

1	2	3
224-	माधोलाल/मथुरालाल	दुबलिया
225-	बापूलाल/बिरधीलाल	,,
226-	बालचन्द/बालमुकन्द	,,
227-	श्रीमती घीसीबाई/कल्याणमल	,,
228-	श्री नन्दालाल/भवानादास	,,
229-	कन्हैयालाल/गोरधन	भिलवाडी
230-	धन्नालाल/सेवा	,,
231-	कंवरलाल/गंगाराम	,,
232-	श्रीमती रूपा बाई/गंगाराम	,,
233-	श्री भवाना/गंगाराम	,,
234-	रामलाल/धूदूधा	,,
235-	श्यामलाल/देवीलाल	,,
236-	कैलाश चन्द्र पुत्र देवकिशन	पिपलाज
237-	मांगी लाल पुत्र श्री दुलीचन्द	,,
238-	प्रभुलाल पुत्र रामनाथ	,,
239-	दुर्गा लाल पुत्र बद्रीलाल	,,
240-	चन्द्रसेन पुत्र दुली लाल	,,
241-	देवीदास पुत्र भैरूंदास	फोटूखेड़ी
242-	देवीलाल पुत्र किशोर मीना	खमावदा
243-	ब्रह्मसिंह पुत्र देवीसिंह	,,
244-	रामनारायण/माधोलाल	जरधा
245-	जगन्नाथ/छोटू मीणा	,,
246-	बद्रीलाल/रामकिशन	,,
247-	मथुरा लाल/भंवर लाल	,,
248-	शिव लाल/कन्हैया लाल	भेजू खेड़ी
249-	मांगी लाल/देवी लाल	,,
250-	राधा किशन/जगन्नाथ	,,
251-	श्रीमती रामचन्द्री बाई/रामनारायण	,,
252-	भंवरलाल/बालजी	पदमीया
253-	हरीलाल/रामनारायण	,,
254-	पृथ्वीसिंह, ईश्वरसिंह/केसरसिंह	लोधा
255-	सुरेन्द्रसिंह/रघुवीर सिंह	,,

1	2	3
256-	भरवाना, रामनारायण/रामलाल	पखराना
257-	भैरूलाल/जीवनलाल	सोजपुर
258-	रामेश्वरदास/बजरंगदास	,,
259-	छीतरलाल/जानकीदास	,,
260-	मथुरालाल/भंवरलाल	,,
261-	राम गोपाल/मोतीलाल	,,
262-	दालू/किशन लाल	,,
263-	प्रभूसिंह/देवीसिंह	,,
264-	कन्हैयालाल/जगन्नाथ	माहीर
265-	रत्तीराम/बद्रीराम	,,
266-	हीरालाल/कन्हैया लाल	,,
267-	पूरनमल/तुला शंकर	,,
268-	रामनाथ/घासीलाल	दहीखेरा
269-	राम किशन/बलदेव	पनवार
270-	द्वारका/नाथूलाल	कंवरपुरा
271-	शिव लाल/नाथूलाल	,,
272-	देवेन्द्र सिंह हाडा	,,
273-	किशन गोपाल/भैरूं लाल	,,
274-	बहादुर सिंह हाडा	,,
275-	भंवरसिंह/श्री रूप सिंह	पदमीया
276-	प्रताप सिंह/गोवरधन सिंह	सोजपुरा
277-	प्रतापसिंह/गोवरधन सिंह	,,
278-	प्रतापसिंह/गोवरधन सिंह	,,
279-	पृथ्वीसिंह/गोवरधन सिंह	,,
280-	पृथ्वीसिंह/गोवरधन सिंह	,,
281-	गिरधारीलाल/प्रभुलाल	डून्डे
282-	नन्द किशोर/प्रभुलाल	,,
283-	मथुरालाल/रामचन्द्र	जगदीशपुरा
284-	देवीलाल/जगन्नाथ	घाघारावता
285-	भैरूलाल/रामनाथ	,,
286-	बजरंगलाल/देवीलाल	,,
287-	महावीरलाल/कन्हैयालाल	,,
288-	हीरालाल/रूपाराम	गोलीयाखेड़ी

1	2	3
289.	जफर मोहम्मद/अली मोहम्मद	चाँद खेड़ी
290.	भैरूलाल/देवीलाल	,,
291.	गोरधन लाल/मथुरा लाल	,,
292.	महेन्द्र कुमार/	खानपुर
293.	प्रभुलाल/तुलाराल	,,
294.	बद्रीलाल/जमनालाल	दोगरा
295.	दरयाव भाई/भवानीसिंह	बिस्तूनिया
296.	माधो सिंह/ढोकल सिंह	,,
297.	इन्दरसिंह/मोतीलाल	,,
298.	सरदार सिंह/कालूसिंह	,,
299.	सरदार सिंह/कालूसिंह	,,
300.	नैनसिंह/माधोसिंह	,,
301.	देवीसिंह/माधोसिंह	,,
302.	देवीसिंह/माधोसिंह	,,
303.	देवीसिंह/माधोसिंह	,,
304.	उदय सिंह/ओंकार लाल	,,
305.	फतेह सिंह/नाहर सिंह	,,
306.	भवानी सिंह/पूरसिंह	,,
307.	मुकन्द/केदार	मलहारगंज
308.	लक्ष्मी नारायण/जीतमल	,,
309.	दौलतराम/कानाजी	,,
310.	नाथूसिंह/हिन्दू सिंह	विस्तुनिया
311.	रामसिंह/निर्भय सिंह	,,
312.	नैनसिंह/माधोसिंह	,,
313.	नन्द लाल/किशन लाल	,,
314.	सज्जन सिंह/रतन सिंह	,,
315.	गोरधन सिंह/बलवंत सिंह	,,
316.	मांगीलाल/हरीसिंह	कलोटिया
317.	पूरादास/मोहनदास	मांडवी
318.	श्रीमती लक्ष्मीबाई/मांगीलाल	कालिया खेरी
319.	पूरसिंह/लक्ष्मण जी	पगरीया
320.	भैरूसिंह/माधोसिंह	,,
321.	भगवन्त सिंह/रतनसिंह	,,

1	2	3
322.	नरवरसिह/कचरूजी	पुगरीया
323.	धूलसिह/माधोसिह	,,
324.	रघुनाथ सिह/हिन्दुसिह	,,
325.	भगवान सिह/पूरसिह	,,
326.	हिन्दुसिह/दानसिह	,,
327.	पूरसिह/मदन सिह	,,
328.	देवीलाल/रामलाल	पिपलिया
329.	देवीलाल/लालजी	,,
330.	मोतीसिह/धनसिह	पांचपहाड़
331.	पवनगीर/ओंकारगीर	मांडवी
332.	बलवन्तसिह/निर्भयसिह	बिहुतुनिया
333.	उमरावसिह/सरदारसिह	,,
334.	नाथूसिह/निर्भयसिह	,,
335.	रामसिह/कानसिह	,,
336.	शिवलाल/हरिसिह	,,
337.	कालूसिह/माधोसिह	,,
338.	हिन्दुसिह/धनसिह	,,
339.	हरीसिह/बगरूजी	,,
340.	सज्जन सिह/नाथुसिह	,,
341.	हिन्दुसिह/धनसिह	,,
342.	बाबुलाल/कचरूजी	,,
343.	लालसिह/कालुसिह	,,
344.	भगवान सिह/धूलीजी	,,
345.	पूरसिह/महताबजी	,,
346.	लालसिह/धनजी	,,
347.	अमीर भाई/हरिसिह	,,
348.	रामलाल/पूरजी	,,
349.	किशनलाल/बापूलाल	,,
350.	सरदारसिह/कान सिह	,,
351.	करणसिह/नाथूसिह	,,
352.	पूरसिह/स्वरूप जी	,,
353.	प्रवीण कुमार/चन्द्र शेखर	मुगलाना
354.	घनश्याम सिह/जगन्नाथ	,,

1	2	3
355.	बगदुराम/सालगराम	पांचपहाड़
356.	काशीराम/प्रीती जी	अमीरपुरा
357.	हीरालाल/मोहनलाल	केदारनगर
358.	भवानीलाल/कावरलाल	,,
359.	रामलाल/घीसाजी	,,
360.	देवीलाल/दूधाजी	,,
361.	कालु/भैरू	,,
362.	कन्हैयालाल/कंवरलाल	कुन्डला प्रताप
363.	पुरी लाल/मंगनीराम	,,
364.	चैनाराम/गोपालजी	,,
365.	राम निवास/गोपाललाल	,,
366.	राम निवास/गोपाललाल	,,
367.	राम निवास/लक्ष्मी चन्द	,,
368.	इंदर सिह/भंवर सिह	कोटरा
369.	भैरू/उदा	गुरजिया गदिया
370.	जोरावर सिह/धनजी	मोगरा
371.	मांगीलाल/गौरी शंकर	,,
372.	बलवन्त सिह/हर्ट सिह	सुमेल
373.	प्रभुलाल/हीराचन्द	सिरपोई
374.	भंवरलाल/बिरदी चन्द	,,
375.	हीरालाल/रघुनाथ	,,
376.	अमरा कालू चर्मकार	,,
377.	बिरदीलाल/कंवर लाल	,,
378.	कैलाश चन्द्र/पुरी लाल	गुरडिया जोगा
379.	गोकुल सिह/बापुलाल	गुराडिया जोगा
380.	कालु राम/बद्रीलाल	सिरपोई
381.	अमर सिह/औंकारलाल	सेमली
382.	कानजी/माधोसिह	,,
383.	अमरसिह/देवीसिह	पगारिया
384.	चैनसिह/चेकल जी	भीमनी
385.	कानसिह/माधोसिह	,,
386.	भंवरसिह/नाथू सिह	,,
387.	दुलेसिह/उदय सिह	,,

1	2	3
388.	अमर सिंह/भवानी सिंह	भीमनी
389.	गजराल/लालचन्द	सूलिया
390.	राम प्रताप/धूलाजी	गुरडीया झाला
391.	मदन सिंह/धूल सिंह	,,
392.	मनजी/भैरू लाल	पगारिया
393.	परवत सिंह/पूरसिंह	,,
394.	रामलाल/मनजी	,,
395.	राम प्रताम/अशरफी लाल	मांडवी
396.	लाल सिंह/प्रताप सिंह	कोटरा
397.	मदन सिंह/तेजसिंह	,,
398.	कालुसिंह/रामसिंह	,,
399.	नाथुलाल/रघुनाथ	मिसरोली
400.	नाथुसिंह/सादुल सिंह	थाईकाखेड़ा
401.	भंवर सिंह/चन्द्र सिंह	करमाखेड़ी
402.	भगवान सिंह/रामसिंह	कारवां
403.	शिवलाल/पूरसिंह	,,
404.	काली दास/मथुरालाल	,,
405.	अमर सिंह/भवानी सिंह	,,
406.	नरवर सिंह/धनजी	,,
407.	भवानी सिंह/पूरसिंह	,,
408.	पूरा/कालु	पगारिया
409.	कचरू सिंह/पूरसिंह	मंधीरपुर
410.	करण सिंह/लाल सिंह	,,
411.	कचरू सिंह/शोभासिंह	,,
412.	भैरू सिंह/कालुसिंह	,,
413.	माधोजी/मन्नाजी	मलहारगंज
414.	शंकर लाल/कानाजी	,,
415.	मुकुन्द/केदार	,,
416.	भगवान सिंह/महताव सिंह	पगारिया
417.	भगवान सिंह/कालुसिंह	गुढा

1	2	3
418.	मांगीलाल/उमराव सिंह	गुढा
419.	दल्ला/शंकर जी	अमलिया
420.	प्रभुलाल/गोपाल लाल	गारनवाड
421.	गोरधन लाल/कंवर लाल	डग
422.	रोढू खां/काले खां	पांच पहाड़
423.	नारायण/गोपीजी	समरिया
424.	भवानी राम/हरलाल	घरोनिया
425.	बिरदी चन्द/मन्नाजी	,,
426.	जगन्नाथ/पूराजी	,,
427.	कालू/अमराजी	,,
428.	भैरू लाल/अमरा जी	,,
429.	जगन्नाथ/पूराजी	,,
430.	रामचन्द्र/धूलाजी	,,
431.	वल्लभदास/विष्नुदास	,,
432.	मांगीलाल/रामलाल	,,
433.	श्रीचन्द/मोती	,,
434.	शिवनारायण/मगन जी	,,
435.	श्योपत भाई/सुल्तान सिंह	कारवां
436.	भवरी भवाई/बापुलाल	,,
437.	राम सिंह/स्वरूप जी	,,
438.	शंकरलाल/शिवलाल	,,
439.	पुरा/भैरू	,,
440	पूरसिंह/अमर सिंह	,,
441	रामसिंह/महताब सिंह	,,
442.	हरीसिंह/देवीसिंह	,,
443.	नैनसिंह/कालूसिंह	,,
444.	मांगी लाल/धनजी	,,
445.	रामसिंह/निर्भय सिंह	रोशनवाड़ी
446.	नन्द राम/मांगी लाल	कादरनगर
447.	धनलाल/चम्पा जी	कालियाखेड़ी
448.	रामकरण/उदय राम	,,

1	2	3
449.	मुबारिक खां/जुम्मा खां	भवानी मंडी
450.	नारायण/देवा	नारायण खेड़ा
451.	शम्भूसिंह/भैरू सिंह	कोटरा
452.	भैरू सिंह/देवीसिंह	पगारिया
453.	राजाराम/बद्रीलाल	गुरडियाजोगा
454.	बापुलाल/भवानीसिंह	मंदिरपुर
455.	कालुसिंह/भवानी सिंह	,,
456.	हरीसिंह/उदयसिंह	,,
457.	भीमसिंह/रामसिंह	,,
458.	बाबुलाल/उदय सिंह	,,
459.	गिरधारी लाल/आत्माराम	कालियाखेड़ी
460.	नाथुसिंह/बापूलाल	कारवां
461.	बरदा/प्यारीजी	बकानी खेड़ा
462.	पूनम चन्द/हंसराज पुत्र सुखलाल	,,
463.	गौरी शंकर/शिवाजी	,,
464.	भगवतीबाई/राम चन्द्र	बड़बड़
465.	मन्नालाल/सीताराम	नसीराबाद
466.	रखब चन्द/बाल चन्द	बकानी
467.	दुली चन्द/घासीलाल	,,
468.	रामदयाल/हीरालाल	बड़बड़
469.	रामरतन, नानू राम/पन्नालाल	,,
470.	जगदीश/भैरू लाल	राजपुरा
471.	गोपीलाल/नन्दलाल	उंखली
472.	भैरू लाल/उदा गूजर	,,
473.	शिवलाल मोदी लाल	जीजनिया
474.	अमरसिंह/रामलाल	नसीराबाद
475.	शम्भूसिंह/मांगीलाल	,,
476.	रामरतन, नानूराम/पन्नालाल	,,
477.	मोहनलाल, राधेश्याम/फूलचन्द	,,

1	2	3
478.	मानसिह/भवानाजी गूजर	राजपुरा
479.	मांगीलाल/कंवरलाल	किशनपुरा
480.	लाला/रतन पुत्रान परथमीना	,,
481.	मांगीलाल/नानु राम	कोली (11)
482.	हरलाल/भंवरलाल	,,
483.	दयाराम/धूलाजी	,,
484.	रत्ता/धूला	जीतापुरा
485.	मोतीलाल/ग्रमरजी	रटलाई
486.	नन्दराम/भंवरलाल	विन्दाखेड़ा
487.	ग्रमर लाल/हीरा	देवर
488.	बक्षी/घीसाजी	भालता
489.	धूली लाल/बालाराम	गोपालपुरा
490.	कालु सिह/रामलाल	न्युखेड़ी
491.	लक्ष्मी नारायण/भैरूं लाल	सिरपोई
492.	रामा/धुला गूजर	वडाय
493.	पूरा/हीराजी गूजर	न्यू खेड़ी
494.	पुरी लाल/ग्रोंकार	उमरिया
495.	बालु/दुला	,,
496.	पन्ना लाल, मांगीलाल/कालु	,,
497.	देवलाल/दुला डांगी	,,
498.	बाबु लाल/दुला	,,
499.	भवानी सिह/विजय सिह	,,
500.	रामलाल/नन्दा डांगी	,,
501.	रामलाल/दूला डांगी	,,
502.	पन्ना/धन्ना	खटकड़
503.	भूरा/मन्ना	,,
504.	पूरी लाल/लक्ष्मण	कोली (11)
505.	पूरी लाल/भैरूं लाल	चार डांरी
506.	शिवचन्द/ग्रमालाजी	,,
507.	ग्यारसी बाई/कल्याण	दीन्याखेड़ा
508.	सीताराम/भंवर लाल मीणा	,,

1	2	3
509.	मन्ना लाल/प्यारा	महेशपुरा
510.	हरक चन्द/लक्ष्मण	,,
511.	पन्ना/भुवाना	,,
512.	जगन्नाथ/रामा	,,
513.	पन्ना/नाथु लोढ़ा	,,
514.	फतह सिंह/कचरू सिंह	मंदिर पुर

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 563 की सूची

भारतीय पुलिस सेवा

क्र० सं० 1	पद का नाम 2	पदों की संख्या 3	दिनांक से 4
1–	अपर पुलिस महा निरीक्षक, सी. आई. डी. एवं आई.जी.	1	1-5-80
2–	उप पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज	1	सितम्बर 80 से
3–	पुलिस अधीक्षक सी०आई०डी० (बि. शा. सुरक्षा)	1	29-10-80
4–	पुलिस अधीक्षक विजीलेन्स	1	9-7-80
5–	कमाण्डेण्ट 6ठी बटालियन आर० ए० सी० जोधपुर	1	जनवरी, 81 से

राजस्थान पुलिस सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला

1–	अपर पुलिस अधीक्षक, नागौर	1	28-11-80
2–	” , टोंक	1	28.11-80
3–	” , सवाई माधोपुर	1	28-11-80
4–	” , सी० आई० डी० (सी० बी०)	2	अक्टूबर,80
5–	” , भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	6	18-12-80
6–	कमाण्डेण्ट चौथी बटालियन आर.ए.सी., बीकानेर	1	अक्टूबर, 80
7–	पुलिस अधीक्षक वायरलैस	1	मई, 76

राजस्थान पुलिस सेवा कनि० वेतन श्रृंखला

1–	सर्किल आफिसर हिण्डौन	1	1-8-80
2–	” गिरवा	1	1-11-80
3–	” गंगापुर (भीलवाड़ा)	1	1-2-89
4–	पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग	8	दिसम्बर, 80
5–	पुलिस उप अधीक्षक कम्प्यूटर	1	जुलाई, 79
6–	पुलिस उप अधीक्षक सी० आई० डी० (आई० बी०)	1	1-7-80
7–	लीव रिजर्व	2	अक्टूबर, 80
8–	पुलिस निरीक्षक आर्म्ड पुलिस	6	जुलाई, 80—1 सित., 80—1 नवम्बर,80—3 जनवरी,81—1

1	2	3	4
9–	पुलिस उप निरीक्षक	117	गत वर्षों से रिटायरमेंट अथवा मृत्यु के अथवा नये पद सृजित होने के कारण।
10–	सहायक पुलिस उप निरीक्षक	163	,,
11–	मुख्य आरक्षक	287	,,
12–	आरक्षक	1386	,,
	वायरलैस		
1–	पुलिस निरीक्षक	6	दिसम्बर, 79
	विधि विज्ञान प्रयोगशाला–		
1–	सहायक निदेशक	3	1 दिनांक 29-6-73 से एवं 2 पद 20-5-76 से
2–	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	18	1 पद 15-12-75 से 6 पद 28-2-76 से 7 पद 20-5-76 से 3 पद 22-8-78 से 1 पद 1-5-80 से
3–	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	23	18 पद स्वीकृत तिथि से 5 पद 31-5-79 से रिक्त हैं।
4–	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	4	2 पद 20-5-76 से 1 पद 26-10-80 से 1 पद 31-10-80 से
5–	मैकेनिक	1	दिनांक 4-10-78 से

343

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 564 की सूची)

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

अजमेर जिले में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त मुद्रांक विक्रेताओं की नामवार सूची–

क्रमांक	नाम मुद्रांक विक्रेता	नियुक्ति स्थान
1	2	3
1-	श्री किशन	जिलाधीश परिधि, अजमेर
2-	श्री मदनलाल	"
3-	श्री आसनदास	"
4-	श्री	"
5-	श्री सुरेन्द्रकुमार जैन	सैशन कोर्ट परिधि, अजमेर
6-	श्री प्रकाशचन्द्र जैन	"
7-	श्री गोपीकिशन	"
8-	श्री अमरिकसिंह	"
9-	श्री शंकर	रेल्वे स्टेशन, अजमेर
10-	श्री हरिश	"
11-	श्री गोपीकिशन	नया बाजार, अजमेर
12-	श्री ताराचन्द्र मेहता	किशनगढ़ तहसील
13-	श्री सुल्तान खां	"
14-	श्री शिवकरण	"
15-	श्री गणेशीलाल	मदनगंज, किशनगढ़
16-	श्री समीरमल	ए० डी०ओ०, कैकड़ी
17-	श्री सुरेशचन्द्र दीक्षित	"
18-	श्री रमेशचन्द्र	नसीराबाद

1	2	3
19-	श्री आत्माराम	तहसील परिधि, ब्यावर
20-	श्री जगदीश	,,
21-	श्री रामस्वरूप सोनी	,,
22-	श्री मूलचन्द शर्मा	तहसील सरवाड़
23-	श्री इन्द्रमल	विजय नगर ग्राम
24-	श्री समरथमल	जेठाना ग्राम

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न सं० 565 की सूची

सहकारी विभाग से संघ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों की सूची

क्र० सं०	नाम अधिकारी	विभाग में पद	संघ में पद	कार्यभार संभालने की तिथि
1–	श्री सतीशचन्द्र शर्मा	संयुक्त रजिस्ट्रार	जनरल मैनेजर	18–8–79
2–	श्री ओ० पी० भार्गव	उप रजिस्ट्रार	उप महा-प्रबन्धक	21–4–80
3–	श्री एम० एल० जैन	उप रजिस्ट्रार	मैनेजर (शुगर)	28–9–79
4–	श्री बी० एल० जैन	सहायक रजिस्ट्रार	व्यवस्थापक (लेखा)	7–9–77
5–	श्री एन० के० बोहरा	सहायक रजिस्ट्रार	व्यवसाय प्रबन्धक	9–1–80
6–	श्री एस० पी० बहस	सहायक रजिस्ट्रार	व्यवस्थापक (उपहार)	1–1–79
7–	श्री रामबल्लभ शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	व्यवस्थापक (मेडिकल ब्रांच)	12–5–79
8–	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	लेखाधिकारी	19–12–80

सहकारी विभाग में प्रति नियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा मकान किराया भत्ता लिये जाने संबंधी सूची

क्र० सं०	नाम अधिकारी	पद	मकान किराया भत्ते की राशि जो प्राप्त की जा रही है।	राशि जो प्राप्त की गई है वह राजकीय नियमानुसार है अथवा नहीं।
1–	श्री सतीशचन्द्र शर्मा	संयुक्त रजिस्ट्रार	70.00	राजकीय नियमानुसार है।
2–	श्री ओ० पी० भार्गव	उप रजिस्ट्रार	–	मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं
3–	श्री बी० एल० जैन	सहायक रजिस्ट्रार	70.00	राजकीय नियमानुसार है।
4–	श्री एन० के० बोहरा	सहायक रजिस्ट्रार	50.00	राजकीय नियमानुसार है।
5–	श्री रामवल्लभ शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	70.00	राजकीय नियमानुसार है।
6–	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	70.00	राजकीय नियमानुसार है।
7–	श्री एम० एल० जैन	उप रजिस्ट्रार	–	संघ की ओर से 475/-रु० प्रतिमाह मकान किराये पर लेकर दिया गया है। मकान किराया राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन से काटा जा रहा है।
8–	श्री एस. पी. बहल	सहायक रजिस्ट्रार	–	संघ की ओर से 300/-रु० प्रतिमाह मकान किराये पर लेकर दिया गया है। मकान किराया राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन से काटा जा रहा है।